

[illegible]

मिशन / विजन तथा उद्देश्य

मिशन एवं विजन

1. ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत एवं बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।
2. देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में, निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्रियान्वयन।
2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।
3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटीयों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।
4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात् (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली के लोड का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।
5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।
6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय सूची

1. कंपनी का परिचय	2
2. निदेशक मंडल	3
3. वरिष्ठ प्रबंधन दल	4
4. कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य	5
5. अध्यक्ष का संदेश	7
6. एजीएम की सूचना	14
7. निदेशकों का परिचय	25
8. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	27
9. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	56
10. निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	67
11. कारोबार दायित्व रिपोर्ट	100
12. एकीकृत रिपोर्ट	111
13. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	115
14. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	118
15. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	119
16. डिबेंचर न्यासियों के विवरण	131
17. तुलन पत्र	136
18. लाभ एवं हानि का विवरण	137
19. इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	138
20. नकदी प्रवाह विवरण	139
21. लेखा संबंधी टिप्पणियां	142
22. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	239
23. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	250
24. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	251
25. समेकित वित्तीय विवरण	252
26. समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	369
27. समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	377
28. आरईसी के कार्यालयों के पते	378

कंपनी का परिचय

निदेशक मण्डल

श्री संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

श्री अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)

श्री तन्मय कुमार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री प्रवीण कुमार सिंह
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी सचिव कार्पोरेट पहचान संख्या

डॉ. सुनीता सिंह
श्री जे.एस. अमिताभ
L40101DL1969GOI005095

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाष: +91-11-4309 1500 / 1501, फ़ैक्स: +91-11-2436 0644

कार्पोरेट कार्यालय

प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, भारत
दूरभाष: +91-124-444 1300

कार्पोरेट वेबसाइट और ई-मेल

वेबसाइट: www.recindia.nic.in | ईमेल: contactus@recl.in

जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | बीएसई लिमिटेड

डिपॉजिटरी

नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड | सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

एस. के. मित्तल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार | ओ.पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी., सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)
(पूर्ववर्ती नाम आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड*
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड*
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड*
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड*

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड*
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड*
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड*

(*आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां)

बैंकर्स

एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक

एचएसबीसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडसइंड बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक
यस बैंक

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (इक्विटी शेयर / बॉण्ड्स के लिए)

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट संख्या 31 एवं 32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032
इक्विटी शेयर के लिए

फोन: 1-800-309-4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com,
balaji.reddy@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

बॉण्ड्स के लिए

फोन: 1-800-309-4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com,
gopalakrishna.kvs@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

बीटल फाइनेंशियल एवं कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड

बीटल हाऊस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली -110062

बॉण्ड्स के लिए

फोन: +91-11-2996 1281-83
ई-मेल: recbonds2@gmail.com, beetalrta@gmail.com
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

सोशल मीडिया पर आरईसी की उपस्थिति

   @reclindia   REC Limited

निदेशक मंडल



श्री संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)



श्री अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)



श्री तन्मय कुमार
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री प्रवीण कुमार सिंह
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक

वरिष्ठ प्रबंधन दल



डॉ. सुनीता सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्रीमती कल्पना कौल
कार्यपालक निदेशक
मा.सं., निगमित संचार
एवं जन संपर्क



श्री टी.एस.सी. बोष
कार्यपालक निदेशक
कारपोरेट योजना, आईटी,
पीएमजी, आरईसीआईपीएमटी,
राजभाषा, संयुक्त
सीईओ-आरईसीपीडीसीएल



श्री जी.एस. भाटी
कार्यपालक निदेशक
कार्यक्रम प्रबंधन
(तकनीकी) एवं गुणवत्ता आश्वासन



श्री वी.के. सिंह
कार्यपालक निदेशक
निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा



श्री आर. लक्ष्मणन
कार्यपालक निदेशक
पीएमडी (समन्वय), राज्य
क्षेत्र की परियोजनाएं
स्ट्रेस्ट एसेट प्रबंधन एवं
सीईओ-आरईसीपीडीसीएल



श्री जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं
कंपनी सचिव



श्री फुजैल अहमद
कार्यपालक निदेशक
कार्यक्रम प्रबंधन
(तकनीकी)



श्री संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
वित्त (संसाधन, बैंकिंग एवं
ट्रेजरी)



श्री एस.एल. बत्ता
कार्यपालक निदेशक
विधि



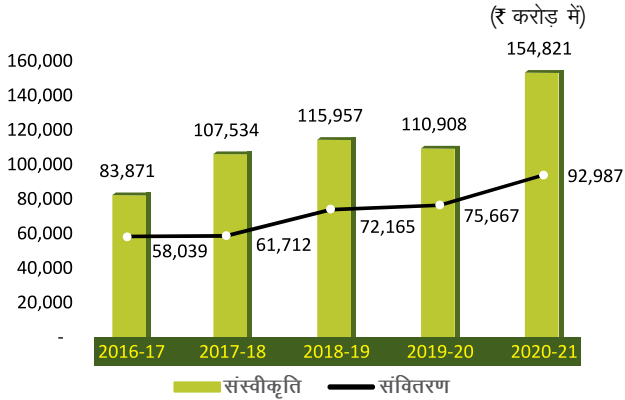
श्री आर.पी. वैष्णव
कार्यपालक निदेशक
वित्त (ऋण, वसूली, निवेश, सेवानिवृत्ति
ट्रस्ट्स एवं वित्तीय नीतियां)



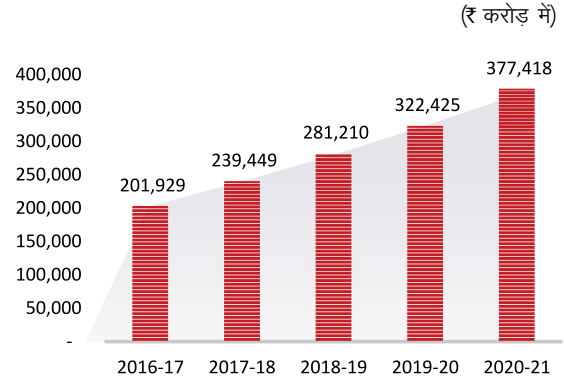
डॉ. काजल
कार्यपालक निदेशक
केंद्र सरकार के कार्यक्रम, प्रशासन,
संपदा एवं आरईसी फाउंडेशन

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

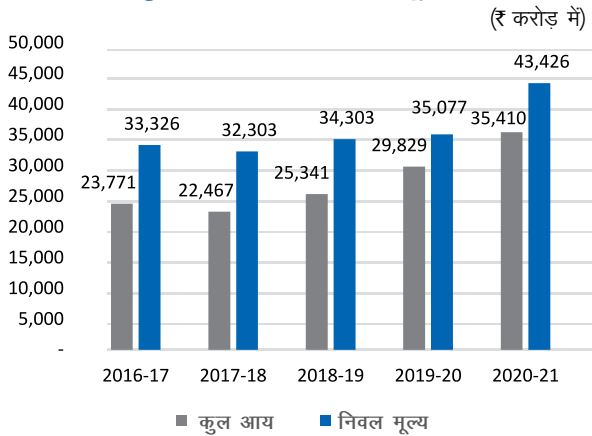
संस्वीकृति एवं संवितरण



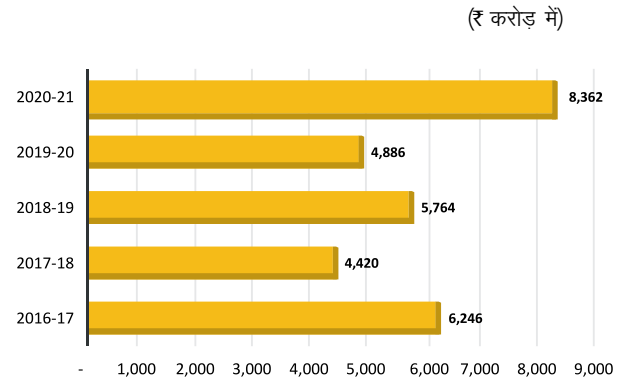
ऋण बही



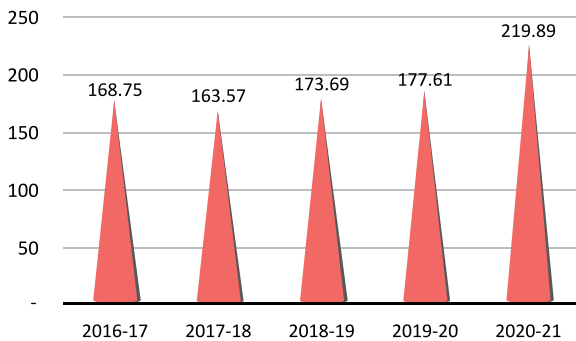
कुल आय एवं निवल मूल्य



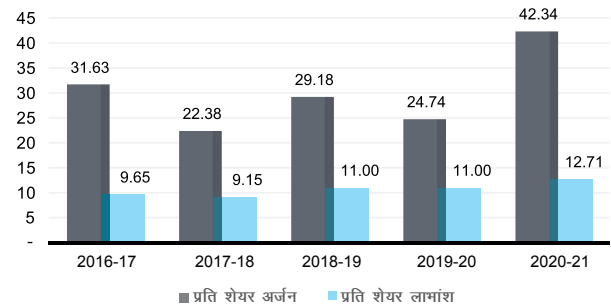
कर पश्चात लाभ



प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)



ईपीएस बनाम लाभांश (₹)



कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

पिछले 10 वर्षों से निरंतर संवृद्धि

विवरण	2020-21 (ईड-एस के अनुसार)	2019-20 (ईड-एस के अनुसार)	2018-19 (ईड-एस के अनुसार)	2017-18 (ईड-एस के अनुसार)	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में) (वर्ष के अंत में)										
इक्विटी शेयर केपिटल	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46
संपूर्णतः इक्विटी प्रकार के इन्स्ट्रुमेंट्स	558.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य इक्विटी/आरक्षित एवं अधिशेष	40,893.05	33,101.64	32,328.02	30,328.23	31,350.67	27,630.30	23,869.57	19,682.00	16,466.92	13,575.58
निवल संपत्ति (₹ करोड़ में)	43,426.37	35,076.56	34,302.94	32,303.15	33,325.59	28,617.76	24,857.03	20,669.46	17,454.38	14,563.04
उधारियां (₹ करोड़ में)										
भारत सरकार से/एसएसएफ	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-	-	3.07	7.93	15.14	24.64
बॉण्ड/डिबेंचर	2,04,119.67	1,88,538.25	1,71,803.83	1,65,334.89	1,45,686.84	1,39,732.73	1,24,683.85	1,02,806.71	85,249.04	71,372.20
वित्तीय संस्थाओं से	5,800.00	1,000.00	1,200.00	400.00	750.00	1,100.00	1,450.00	2,995.00	4,020.00	4,370.00
विदेशी मुद्रा उधारियां	47,486.43	44,378.49	31,368.12	27,530.08	21,080.55	21,923.72	24,028.20	17,621.15	15,238.19	10,698.09
बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	18,899.78	18,550.00	-	-	-	125.00	269.40	788.80	1,091.54
वाणिज्यिक पेपर	-	2,925.00	7,975.00	3,250.00	-	5,600.00	-	2,540.00	980.00	-
अल्पावधि/मांग ऋण/अन्य	25,166.32	14,374.33	3,389.50	2,276.54	-	749.93	734.00	-	1,500.00	2,500.00
जोड़	3,22,511.00	2,80,115.85	2,39,286.45	1,98,791.51	1,67,517.39	1,69,106.38	1,51,024.12	1,26,240.19	1,07,791.17	90,056.47
निधि जुटाना	99,244.53	84,358.12	69,383.22	51,164.89	28,495.18	31,254.92	41,189.82	36,934.37	30,759.16	29,709.36
वित्तीय प्रचालन (₹ करोड़ में) (वर्ष के दौरान)										
अनुमादित परियोजनाएं (संख्या)	441	727	914	895	997	625	609	1,035	1,031	1,091
स्वीकृत वित्तीय सहायता	1,54,820.87	1,10,907.99	1,15,957.35	1,07,534.05	83,870.82	65,471.10	61,421.37	70,739.48	79,470.49	51,296.77
संवितरण *	97,928.11	82,140.83	91,827.56	72,281.19	66,076.15	50,630.81	46,446.82	37,969.99	40,183.06	30,593.30
उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	37,994.03	34,454.15	30,405.09	24,191.82	57,388.24	24,394.48	11,812.63	14,260.45	13,345.92	8,119.69
वर्ष के अंत में बकाया	3,77,418.15	3,22,424.68	2,81,209.68	2,39,449.34	2,01,928.68	2,01,278.29	1,79,646.94	1,48,641.10	1,27,355.52	1,01,426.26
कार्यकरण परिणाम (₹ करोड़ में)										
कुल आय	35,410.44	29,829.13	25,341.16	22,467.35	23,770.58	23,756.28	20,388.05	17,120.80	13,598.67	10,509.07
निवल विनिमय हानि, प्रशुल्क एवं कमीशन खर्चों सहित वित्तीय लागत	21,829.29	21,380.39	16,197.11	13,381.06	13,450.35	14,283.12	11,844.61	10,038.46	8,083.76	6,431.35
प्राक्धान और आकस्मिकताएं/वित्तीय लिखतों पर इम्पेयरमेंट	2,419.62	889.56	240.33	2,297.12	1,109.47	1,089.85	802.96	312.02	130.68	52.27
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	-	-	348.52	573.37	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यय	395.87	565.89	447.53	326.00	345.02	332.65	306.68	234.99	216.53	229.32
मूल्यहास	9.53	10.00	7.17	5.65	5.04	5.45	6.76	4.21	3.75	3.27
कर-पूर्व लाभ	10,756.13	6,983.29	8,100.50	5,884.15	8,860.70	8,045.21	7,427.04	6,531.12	5,163.95	3,792.86
कराधान/कर संबंधी खर्चों हेतु प्राक्धान	2,394.35	2,097.13	2,336.78	1,464.26	2,614.94	2,417.55	2,167.17	1,847.42	1,346.33	975.83
कर-पश्चात लाभ	8,361.78	4,886.16	5,763.72	4,419.89	6,245.76	5,627.66	5,259.87	4,683.70	3,817.62	2,817.03
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	456.52	(549.79)	(60.54)	4.24	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	8,818.30	4,336.37	5,703.18	4,424.13	-	-	-	-	-	-
इक्विटी पर लाभांश	2,510.12	2,172.41	2,172.41	1,807.05	1,905.80	1,688.55	1,056.58	938.09	814.65	740.59

* इसमें सरकारी योजनाओं के तहत ऋणों के वितरण के साथ-साथ अनुदान/सब्सिडी शामिल है

इसमें, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित है प्रत्येक ₹10/- के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.71 का अंतिम लाभांश भी शामिल है, जो आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। कोविड-19 महामारी के चलते चुनौतियों के बावजूद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सभी क्षेत्रों में प्रभावी कार्य-निष्पादन किया है।

इस महामारी से मानव व्यवहार और कारपोरेट प्रबंधन में बदलाव आया है। भविष्य उनका है, जो निर्बाध संचार में सफल होंगे साथ ही वर्टिकल हाइरार्की में कमी ला सकते हैं और जिनके पास कारोबारी आसूचना की दृष्टि से मजबूत तंत्र हो। आपकी कंपनी भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की दिशा में अग्रसर है।

ऊर्जा क्षेत्र में, हमने ऐसा परिवर्तन देखा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। विद्युत की मांग बढ़ रही है, आर्थिक क्रियाकलाप फिर से शुरू हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण में वृद्धि हो रही है। हरित ऊर्जा में स्पष्ट बदलाव हो रहा है। सरकार इस क्षेत्र को आधुनिक, दक्ष और संधारणीय बनाने के लिए विभिन्न सुधारों का कार्यान्वयन कर रही है। विद्युत क्षेत्र में ये पहल किए जाने से उपभोक्ता का अनुभव बढ़ने और साथ ही समग्र जीवन स्तर बढ़ने की संभावना है।

आपकी कंपनी 1969 में अपनी शुरुआत से ही 'ग्रामीण विद्युतीकरण' में तब से अग्रणी रही है, जब से इसने हरित क्रान्ति में सहायता के लिए सिंचाई पंप सेट हेतु विद्युत प्रदान की। पांच दशकों के बाद, आपकी कंपनी की वित्त व्यवस्था से भारत में हर चौथा बल्ब जलता है। विद्युत क्षेत्र की निरंतर सेवा करते रहने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, आपकी कंपनी सरकार के सुधार एजेंडा के लिए सहायता करने के प्रति वचनबद्ध है।

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड-19 के चलते आई बाधा का सामना कर रही है। अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों पर व्यक्तिगत चर्चाओं की कमी, आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितता, कम निवेश, शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन में मंदी से प्रभाव पड़ा है। व्यापार और उद्योग को अपनी महामारी से पूर्व के स्तर तक आने में कुछ समय लगेगा।

संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण राजकोषीय और वित्तीय नीतियां बनाकर आर्थिक आपदा से बचने में समर्थ था। दूसरी ओर चीन में विनिर्माण और निर्यातों के जरिए तेजी से लेकिन असमान पुनरुत्थान देखा गया। बाजार के उभरने और विकासशील अर्थव्यवस्था की संभावना 2021 के लिए तो सामान्यतः गिरावट में रही है। परिणामस्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनः प्राप्ति व्यापक टीकाकरण और सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने पर निर्भर करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था भी सरकार द्वारा किए गए व्यापक नीतिपरक हस्तक्षेपों की सहायता से कोविड के झटके से धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। महामारी की शुरुआत से ही, आरबीआई ने आवधिक ऋण की किरतों पर मोरेटोरियम, कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज को टालने, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में आसानी, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए समाधान की समय-सीमा में विस्तार और ऋण संस्थानों द्वारा मोरेटोरियम को छोड़कर परिसंपत्ति वर्गीकरण पर रोक सहित अनेक उपाय शुरू किए हैं। सरकार द्वारा प्रदान किए गए इन उपायों और कई अन्य राहतों के कारण, अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने में सहायता मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के अनुसार, भारत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 9.5% के विकास के पूर्वानुमान के साथ, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामना आया है। आईएमएफ को भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.5% तक की वृद्धि होने की आशा है। आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कारकों में, विवेकसम्मत व्यय जारी रखने के अलावा कोविड-19 की सफलतापूर्वक रोकथाम शामिल है।

विद्युत क्षेत्र परिदृश्य

चूंकि विद्युत आवश्यक सेवाओं के तहत आती है, अतः विद्युत की खपत पर कोविड-19 का प्रभाव सीमित था। अभी भी इस क्षेत्र के समक्ष विलंबित परियोजना निष्पादन समय-सीमा, वित्त व्यवस्था पर दबाव और लिविडिटी की समस्या जैसे मुद्दे हैं। यह क्षेत्र सरकार से सशक्त नीतिगत सहायता और सेक्टरल सुधारों के साथ इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है।

मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, भारत में विद्युत स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 382 गीगावाट है। धीरे-धीरे परंपरागत विद्युत स्रोतों से ध्यान हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ लगाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उच्चतर स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप देखे जा सकते हैं, जिससे विद्युत की मांग बढ़ेगी। साथ ही, महामारी के कारण अनिश्चितता और अन्य क्षेत्रों तक आवागमन में प्रतिबंधों के कारण विद्युत की मांग बढ़ सकती है।

विगत कुछ वर्षों में, पारेषण क्षेत्र में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जिसमें देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्यों को हासिल करने में निजी भागीदारों की एक अहम भूमिका रही है। केंद्र और राज्य स्तर पर पारेषण यूटिलिटीयों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों में काफी निवेश किए जाने की संभावना है ताकि ग्रिड को और अधिक विश्वसनीय, अनुकूल, सुरक्षित और स्मार्ट बनाया जा सके।

वितरण क्षेत्र में विगत कुछेक वर्षों में कई सुधार सामने आए हैं, जो कि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाने पर केंद्रित हैं। भारत ने पहले से ही संघ-राज्य क्षेत्रों में अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अधिक प्रतिस्पर्धा आएगी, जिसके कारण डिस्कॉमों पर अपने कार्य-निष्पादन स्तर को सुधारने और एक अधिक उपभोक्ता-केंद्रित संकल्पना अपनाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा।

मई, 2020 में, केंद्र सरकार ने महामारी की पृष्ठभूमि में, आत्मनिर्भर भारत के तहत डिस्कॉमों के लिए एक लिविडिटी निषेचन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, आरईसी और पीएफसी ने डिस्कॉमों के लिए, राज्य सरकारों से विद्युत की बकाया राशि और वितरित न की गई सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के एवज में रियायती दरों पर विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशनल ऋण प्रदान किए हैं, ताकि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उत्पादन और पारेषण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों पर बकाया अपनी राशि का भुगतान कर सकें।

फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित परियोजना घटकों के माध्यम से 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' सुविधा प्रदान करना शामिल करते हुए, शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना, *दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना* अर्थात् डीडीयूजीजेवाई के लिए एक नोडल एजेंसी है। आपकी कंपनी सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुरू की गई सौभाग्य योजना अर्थात् *प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना* के प्रचालनीकरण के लिए भी नोडल एजेंसी है।

यह उल्लेखनीय है कि देश में सभी आवासित जनगणना गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 2.82 करोड़ से अधिक घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

हाल ही में, आपकी कंपनी ने सभी डिस्कॉमों के लिए विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के तहत प्रमुख विनियामक मानदंडों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में प्रमुख विनियामक मानदंडों का संकलन बैंचमार्क और तुलनात्मक आकलन प्रदान किया गया है, जिनमें इस बात पर व्यापक विचार किया गया है कि कैसे संबंधित विद्युत वितरण यूटिलिटी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है।

विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आपकी कंपनी ने 'डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा सूचकांक' के लिए एक फ्रेमवर्क भी विकसित किया है, जिसमें डिस्कॉमों को अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं जैसे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, कनेक्शन और अन्य सेवाएं, मीटर बिल सेवा और दोष निवारण के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इस रेटिंग का उद्देश्य डिस्कॉमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें संगत क्षेत्रों में अपने कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता और 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक सुधार-आधारित तथा परिणाम-संबद्ध योजना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के लिए नोडल एजेंसियों में भी शामिल है। इस योजना के तहत वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकित डिस्कॉम द्वारा पूर्व-अर्हता मानदंडों और आधारभूत न्यूनतम बैचमाकों की उपलब्धि के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके, निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर, सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षताओं और वित्तीय संधारणीयता में सुधार की अपेक्षा की गई है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर कम करके 12-15% तक लाना और एसीएस-एआरआर के अंतर को शून्य पर लाना है।

नीति संबंधी पहल

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने नई नीतियां और दिशानिर्देश शुरू करके तथा मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों में संशोधन करके अपने नीतिपरक कार्यवाहों को सुदृढ करना जारी रखा। इसमें कोविड-19 के तहत अदायगी समय-सीमा को बदलकर मूल किश्तों और/अथवा ब्याज को आस्थगित करने की नीति, कोविड-19 के तहत डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण योजना, उदय योजना की सीमाओं के भीतर डिस्कॉमों को विशेष ऋण की योजना और उदय योजना की सीमाओं में छूट देकर डिस्कॉमों को विशेष ट्रांजिशन ऋण की योजना शामिल है।

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में अपनी नीतियां शुरू की हैं और उनकी समीक्षा की है जिनमें वचनबद्धता-पत्र के लिए नीति, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की ग्रेडिंग के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा दिशानिर्देशों में आशोधन, परियोजना मूल्यांकन और एंटिटी मूल्यांकन दिशानिर्देशों में संशोधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्तपोषण नीति में आशोधन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अपनी ब्याज दर संरचना में भी समान रूप से कटौती की है ताकि बाजार की दरों के अनुसार चल सकें और क्षेत्र की समग्र लाभप्रदता के लिए योगदान दिया जा सके।

प्रचालनात्मक निष्पादन

समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सेवा करने वाले एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आपकी कंपनी के प्रमुख उत्पादों में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के लिए रुपये आवधिक ऋण और अन्य ऋण शामिल हैं, जो पारंपरिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण और वितरण तथा विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलाप के क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 1,54,820.87 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 39,613.53 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 17,171.34 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,492.75 करोड़ रुपये, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 60,191.36 करोड़ रुपये और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 4,750.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, ₹13,601.89 करोड़ की बकाया राशि, जिस पर आरबीआई के निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसार स्थगन बढ़ाया गया था, को भी उपरोक्त संस्वीकृतियों में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 92,987.49 करोड़ रुपये की कुल धनराशि वितरित की है, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,929.76 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,265.13 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,301.22 करोड़ रुपये, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 39,115.50 करोड़ रुपये और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 3,900.79 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कि भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत 1,475.09 करोड़ रुपये के काउंटर-वित्तपोषण के अतिरिक्त है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने भारत सरकार से 4,940.62 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी अर्थात डीडीयूजीजेवाई के तहत 4,527.01 करोड़ रुपये, डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी के तहत 25.49 करोड़ रुपये और सौभाग्य योजना के तहत 388.12 करोड़ रुपये, भी संवितरित की है।

वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने सभी मुख्य निष्पादन संकेतकों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान काफी अच्छा कार्य-निष्पादन किया है। कोविड-19 के बावजूद, आपकी कंपनी ने सशक्त ऋण प्रोफाइल के कारण और ऋणों के विविध स्रोतों तक पहुंच के लिए, अपनी लिक्विडिटी की स्थिति

पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियों के अलावा, कार्यशील पूंजी के रूप में और विभिन्न बैंकों से आवधिक ऋण सीमाओं के रूप में, पर्याप्त लिक्विडिटी बफर है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की कुल प्रचालनात्मक आय विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 29,765.21 करोड़ रुपये की तुलना में 35,387.89 करोड़ रुपये थी। कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय विगत वित्तीय वर्ष में 4,886.16 करोड़ रुपये और 4,336.37 करोड़ रुपये की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्रमशः ₹8,361.78 करोड़ और ₹8,818.30 करोड़ थी। प्रति शेयर आय भी 42.34 रुपये के उच्च स्तर दर्ज की गई थी और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर बुक वैल्यू 219.89 रुपये तक पहुँच गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बुक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 3,22,424.68 करोड़ रुपये की तुलना में 3,77,418.15 करोड़ रुपये थी, जो 17% की वृद्धि है। कंपनी के निवल मूल्य में भी 24% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35,076.56 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 43,426.37 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 19.72% था, जिसमें भावी वृद्धि में सहायता के लिए कंपनी की क्षमता शामिल है।

आपकी कंपनी की घरेलू ऋण दस्तावेज की "एएए" रेटिंग जारी रही, जो कि क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग और अनुसंधान एवं आईसीआरए-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सर्वाधिक रेटिंग है। आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से भी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग के रूप में क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" रेटिंग मिली है।

आपकी कंपनी की क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट (स्टेज-III) न्यून स्तरों पर जारी रही। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट (स्टेज-III) सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.84% और निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट (स्टेज-III) ऋण परिसंपत्तियों का 1.71% थी। आपकी कंपनी ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पहलुओं को देखने के लिए ऐसी परियोजनाओं में आई समस्याओं और उपयुक्त माध्यमों से प्रत्येक मामले के निपटान के लिए एक समर्पित टीम तैयार की है।

पूंजीगत संरचना

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें 10 रुपये प्रत्येक के 500 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की जारी की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपये थी, जिसमें 10 रुपये प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। भारत सरकार का उद्यम, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पास आपकी कंपनी में 52.63% इक्विटी हिस्सा है और शेष शेयर जनता द्वारा धारित हैं।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश और 10 रुपये प्रत्येक के 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसका भुगतान क्रमशः दिसंबर, 2020 और मार्च, 2021 में किया गया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 10 रुपये प्रत्येक के 1.71 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदन कर दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश 10 रुपये प्रत्येक के 12.71 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की राशि होगी, जिसमें कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 127.10% शामिल है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए 110% के लाभांश से अधिक है।

गुरुग्राम में नया कार्यालय भवन

आपकी कंपनी ने हाल ही में गुरुग्राम, हरियाणा में अपने नए कार्यालय से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कंपनी का कारपोरेट कार्यालय स्थित है। यह एक विशिष्ट भवन है, जिसमें रूफटॉप पर 964 किलोवाट पीक सौर पीवी संयंत्र है। भवन में कई अत्याधुनिक विशेषताएं हैं, जैसे उचित फिनिश के साथ सफेद कंक्रीट सरफेस, उठी हुई फ्लोरिंग, एयर कंडीशनिंग की विद्युत खपत में कमी लाने के लिए स्लैब हेतु रेडियंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली, ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग और मोटरयुक्त ब्लाइंड सहित बायो-क्लाइमेटिक ग्लास फेकेड, जो कि एक भावी तैयार संगठन के लिए काफी अनुकूल है।

मानव संसाधन प्रबंधन

महामारी के कारण, कर्मचारियों के हित पर विगत वर्ष में काफी ध्यान दिया गया था। कर्मचारी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्पादकता के उच्च स्तरों पर कार्य करने के लिए प्रेरित और समर्पित थे। प्रशिक्षण और वेबिनार नियमित रूप से चलाए गए थे, जो कि न केवल उनके कौशल-सेट को सुधारने के लिए थे, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए तैयार करने हेतु भी थे। विश्वास और सहयोग का वातावरण निर्मित करने के लिए नियमित पारस्परिक चर्चाएं की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों से 9 कार्यपालकों की नियुक्ति की। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 428 थी। कंपनी ने संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी मानव संसाधनों की तैनाती पर बल दिया है।

जोखिम प्रबंधन कार्यवाही

आपकी कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए प्रणालीबद्ध जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

कंपनी क्रेडिट-जोखिम को कम करने के लिए विस्तृत प्रणाली के साथ संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाती है। प्रचालनात्मक जोखिमों का प्रबंधन एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के जरिए किया जाता है, जिसमें सभी कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं। लिक्विडिटी जोखिम को करने के लिए, अनुमानित वितरणों और परिपक्व बाध्यताओं के आधार पर भावी संसाधन जुटाने सहित मिश्रित रणनीतियां हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाओं को कार्यान्वित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आपकी कंपनी विभिन्न आईटी पहलों के जरिए अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं का निरंतर डिजिटलीकरण कर रहा है। आपकी कंपनी ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस बनने वाला भारतीय विद्युत क्षेत्र का पहला सीपीएसई था, जिसमें ई-ऑफिस को अपग्रेड करके एनआईसी ई-ऑफिस किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने ई-बिजनेस ईआरपी को नवीनतम वर्जन के साथ संशोधित किया है; और ईआरपी हार्डवेयर को आपकी कंपनी के डाटासेंटर को में प्राइवेट क्लाउड एनवायरमेंट में बदला है।

कंपनी के नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अपग्रेड किया गया है। एक सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क सुदूर स्थानों से आपकी आरईसी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करता है, जिससे निर्बाध प्रचालन सुविधा मिली है। आपकी कंपनी डाटा सेंटर और आपदा रिकवरी केंद्र पर डाटा लीकेज को रोकने के लिए एक प्रणाली भी कार्यान्वित करता है ताकि गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचना कारपोरेट नेटवर्क से बाहर साझा न हो।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आपकी कंपनी का हैदराबाद में एक प्रमुख विद्युत क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमएटी) है। आरईसीआईपीएमएटी की स्थापना 1979 में हुई थी, जो कि विभिन्न विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। आरईसीआईपीएमएटी अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का एक भागीदार संस्थान भी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसीआईपीएमएटी ने 1250 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें आरईसी के कार्यपालकों के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्युत सुरक्षा, विद्युत यूलिलिटियों की संधारणीयता, सुरक्षा पहलुओं और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली तथा रूफटॉप सौर प्रणालियों जैसे आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम, ओपन कैलेंडर कार्यक्रम और इन-हाउस प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में 28,678 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 82,420 मानव दिवसों की उपलब्धि शामिल है।

सीएसआर और संधारणीय विकास

आपकी कंपनी की सीएसआर निधियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी "आरईसी फाउंडेशन" के जरिए संचालित होती हैं। समस्त सीएसआर पहलें सामाजिक लाभ की परियोजनाओं पर संकेंद्रित हैं ताकि व्यापक रूप में लाभार्थियों तक पहुंच सकें। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी के सीएसआर क्रियाकलाप सफाई और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देख-रेख के संवर्धन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में किये गये थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कुपोषण में कमी लाने के लिए भी योगदान दिया है।

आपकी कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार एक सुपरिभाषित "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति" है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए कुल 147.77 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है, जिसमें पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ रुपये, प्रवासी कामगारों, स्वास्थ्य कर्मियों और वंचित लोगों के लिए खाना, राशन, सेनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट इत्यादि प्रदान करने के लिए 6.93 करोड़ रुपये तथा कोविड-19 टीकों को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करने हेतु 0.72 करोड़ रुपये शामिल हैं।

निगमित सुशासन

आपकी कंपनी, निगमित सुशासन में श्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने और उनका अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने क्षेत्राधिकार में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानकों के तहत लागू सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है। कंपनी नियोक्ता प्राधिकारी अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पास अपने बोर्ड

में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मामले का अनुसरण भी कर रही है। आशा है कि अपेक्षित संख्या में निदेशकों की शीघ्र ही नियुक्ति होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी को महारत्न और नवरत्न श्रेणी में रनर अप के रूप में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से निगमित सुशासन के लिए 10वां पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था।

पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने एक्सचेंज4मीडिया द्वारा वीमेन अचीवर्स अवार्ड 2020 के अवसर पर बेस्ट ऑर्गनाइजेशन फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, स्कॉच अवार्ड फॉर रिस्पांस टू कोविड, महात्मा अवार्ड फॉर सीएसआर एक्सीलेंस 2020, सीएसआर, आईटी, पर्यावरण एवं मानव संसाधन श्रेणियों में नेशनल पीएसयू एक्सीलेंस अवार्ड और महिला सशक्तिकरण के लिए सीएसआर शाइनिंग स्टार अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड और सम्मान प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, रेपुटेशन टुडे ने आपकी कंपनी की कारपोरेट संचार टीम को भारत में टॉप 30 में मान्यता दी है।

सहायक और संयुक्त उद्यम

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को एक कंपनी के रूप में विलय किया गया था ताकि प्रचालनों में बेहतर प्रगति, विभिन्न बाजार घटकों की बेहतर प्राप्ति और अधिक पूंजी आधार तथा साझा संसाधनों के लाभ प्राप्त हो सकें। विलय की गई कंपनी को अब आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती नाम आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, "आरईसीपीडीसीएल") के नाम से जाना जाता है।

आरईसीपीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाओं के कारोबार में लगी है अर्थात् वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ-ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों की संस्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, तृतीय पक्षकार निरीक्षण, ग्री-डिस्पैच मॉटेरियल निरीक्षण और डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि जैसी राज्य-वित्तपोषित योजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

इसके अतिरिक्त, विलयन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करती है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) निगमित करती है, वह भी आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाताओं के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹222.18 करोड़ की आय की तुलना में ₹184.69 करोड़ की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर पश्चात लाभ ₹25.62 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹66.91 करोड़ था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 को आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति ₹297.99 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह ₹280.80 करोड़ थी।

आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी यथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है, जिसके साथ तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के पीएसयू ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। ईईएसएल ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुँच उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए विशेषकर सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में, जैसे नगरपालिका, भवन, कृषि, उद्योग इत्यादि और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए बनाई गई है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाई योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों की अगुवाई भी कर रही है। आरईसी ने ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 218.10 करोड़ रुपये (22.18%) का योगदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईईएसएल के अंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वर्ष के लिए उसका टर्नओवर 1,471.85 करोड़ रुपये (एकल आधार पर) था। इसके अतिरिक्त, वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 43.96 करोड़ रुपये और 32.87 करोड़ रुपये था।

भावी पथ

यद्यपि कोविड-19 महामारी के चलते कारोबार और उद्योग के लिए अनेक चुनौतियां आई हैं, लेकिन इससे विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक अवसर भी प्रदान किए गए हैं। डिस्कॉम अवसंरचना अपग्रेड के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिणाम और सुधार संबद्ध वित्तीय पैकेज भविष्य की योजना के लिए है जिससे वितरण क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। इस प्रस्ताव से उपभोक्ताओं को अपने विद्युत आपूर्तिकर्ता चुनने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी और वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को

बढ़ाने की सरकार की इच्छा की पूर्ति होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल के जरिए पारेषण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक प्रशंसनीय प्रयास है, जिससे विद्युत उत्पादन की तीव्र गति के अनुकूल पारेषण क्षमता में वृद्धि करने और मांग में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा तथा स्मार्ट मीटरिंग की ओर परिवर्तन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं। घरेलू विनिर्माण का विस्तार करना नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहायता के लिए आवश्यक है। सौर सेलों और पैनलों के लिए चरणबद्ध स्थानीय विनिर्माण योजना से दीर्घावधि में सौर सेलों और मॉड्यूलों के लिए आयातों पर निर्भरता को न्यूनतम करने, आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान देने में मदद मिलेगी। बैटरी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से देश में भंडारण विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में भी वृद्धि होगी, जिसके नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को न्यूनतम करने के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान देना होगा।

यद्यपि निजी क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा में निवेशों में अग्रणी बनने की संभावना है, लेकिन परंपरागत और परमाणु ऊर्जा में निवेश अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र से आएंगे। आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में प्रस्तुत वर्तमान और उभरते अवसरों के लिए सुपरिचित है। आरईसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय विकास संगठनों के साथ गहन व्यावसायिक भागीदारी निर्मित कर रही है ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार संसाधन जुटाने में सक्षम हो सके।

भविष्य में, आपकी कंपनी न केवल एक वित्तपोषण भागीदार के रूप में बल्कि अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भी नए उभरते क्षेत्रों में विविधीकरण करने के लिए प्रयासरत है। कुल मिलाकर, आपकी कंपनी एक मजबूत, सुस्थिर और विश्वसनीय विद्युत क्षेत्र बनने के अंतिम उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

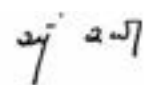
मैं, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का, उनके निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, होल्डिंग कंपनी, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं, वित्त मंत्रालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के अधिकारियों का उनकी सद्भावना एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार एवं कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों को इनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी निवेशकों, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों तथा राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटी और विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों को कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने साथियों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं, आरईसी के सभी कार्मिकों के अथक प्रयासों के लिए उनकी भी सराहना करता हूँ। यह आप सभी के निरंतर प्रयासों और सहयोग से ही संभव हो पाया है कि आरईसी आज सर्वांगीण विकास के मार्ग पर अग्रसर है। धन्यवाद! जय हिंद!

शुभकामनाओं सहित,



संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

27 अगस्त, 2021

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") (सीआईएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095) की बावनवीं (52वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए दिनांक **24 सितंबर, 2021, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.00** बजे भारतीय समयानुसार (आईएसटी), वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

- मद संख्या 1:** निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडऑलन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।
- मद संख्या 2:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
- मद संख्या 3:** श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन: 03548218) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।
- मद संख्या 4:** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

- मद संख्या 5:** प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) विनियमावली, 2021 और उसके अन्य कोई संशोधन और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा-निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के मैमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा यथालागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 85,000 करोड़ रुपये तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर-परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर-आवासी और/अथवा संस्थाएँ/निगमित निकाय और/अथवा अलग-अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर-आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार 85,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथालागू दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

"संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर-परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

- मद संख्या 6:** कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड में परिवर्तन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू) और किसी भी समय लागू कानून

और इस तरह के अन्य अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध, जो भी आवश्यक हो, के अनुसरण में अनुमोदन किया जाता है और नीचे दिए गए अनुसार आरईसी लिमिटेड के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड (खंड-III) में परिवर्तन, प्रतिस्थापन, समेकन और परिवर्धन के लिए दिया जाता है।

- (क) कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड III(क) का शीर्षक उन खण्डों के रूप में फिर से नामित किया जाए 'जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई है, वे हैं:'
- (ख) कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड III(क) के मौजूदा उप-खंडों को निम्नलिखित उप-खंडों द्वारा बदल दिया जाए और पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जाए:-
- (1) देश में विद्युत से संबंधित अवसंरचना के संवर्धन और विकास के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना।
 - (2) आरईसी की वस्तुओं से जुड़ी किसी भी परियोजना, गतिविधि अथवा कार्य पर अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान को निधि देना अथवा करना और परामर्श, प्रशिक्षण सहित कोई भी गतिविधि करना और कंपनी के व्यापारिक हित में किसी भी कंपनी आदि को धनराशि देना/संवर्धित करना।
 - (3) नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी तरह की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों अथवा निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि के कार्यों को निष्पादित करना।
 - (4) नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी तरह की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित परिसंपत्तियों के निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि की परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना।
 - (5) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल/हाइड्रो सिस्टम, एकल अथवा उन बड़ी परियोजनाओं के भाग, जो सिंचाई, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण, हवाई अड्डे आदि को उठाने की परियोजनाओं सहित, परन्तु उन तक सीमित नहीं, के निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि के लिए विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना।
 - (6) सह-उत्पादन/त्रि-उत्पादन/संयुक्त ताप और विद्युत, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली (प्रणालियों), ई-मोबिलिटी और संबद्ध अवसंरचना सहित विद्युत के ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय पहलुओं के लिए परियोजनाओं, क्रियाकलापों, योजनाओं का वित्तपोषण करना।
 - (7) नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित विद्युत क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरणों के विनिर्माण/आपूर्ति के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रचालन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करना।
 - (8) विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन अथवा अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाओं के रूप में प्रयोग के लिए कोयले और अन्य खनन गतिविधियों के विकास सहित, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं, विद्युत परियोजनाओं के साथ अग्रवर्ती और/अथवा पिछड़े लिकेज वाले क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना, रेलवे लाइन बिछाने, सड़कें, पुल, बंदरगाह, जेटी, हार्बर, हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, गैस टर्मिनल के क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना और उन अन्य सक्षमकारक अवसंरचना सुविधाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण करना, जो विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र के तेजी से और प्रभावी विकास के लिए अपेक्षित हों।
- (ग) कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड-III(ग) के मौजूदा उप-खंड संख्या (1) और (2) में बिना किसी परिवर्तन के उप-खंड संख्या (27) और (28) खंड III(ख) के रूप में मिला और आमेलित की जाए जिसका शीर्षक अब 'कार्यों को आगे बढ़ाने में आवश्यक माने गए मामले:-' होगा।
- (घ) कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड-III(ख) के उप-खंड (1) को परिवर्तित किया जाए और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-
- (1) कंपनी के प्रयोजनों के लिए, किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार/प्राधिकरण से वाणिज्यिक ऋण, आधिकारिक विकास सहायता ऋण अथवा विदेशी ऋण सहित अथवा बांड/डिबेंचर जारी करके अथवा अन्यथा उस तरीके से जैसे कंपनी उपयुक्त समझे, भारत में अथवा किसी अन्य देश में विदेशी मुद्रा उधार लेना/प्राप्त करना।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी सहित) को इस संबंध में उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए यथावश्यक रूप में सभी ऐसे कार्यों, विलेखों और वस्तुओं को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड



जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

स्थान : कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 27 अगस्त, 2021

टिप्पणियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद क्रम सं. 5 से 6 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में यह विचार किया था कि सूचना के क्रम सं. 5 से 6 पर विशेष कारोबार की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं जिन पर कंपनी की 52वीं वार्षिक आम सभा में कार्य किया जाएगा।
2. कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जाता है और देश में कई स्थानों पर व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी हैं तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियम"] के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए आयोजित की जा रही है। 52वीं एजीएम बैठक का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
3. एमसीए परिपत्रों की शर्तों, एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने, 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लिए की जाएगी।
4. 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।
5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र के अनुसार 52वीं एजीएम का नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को ई-मेल के जरिए भेजा जा रहे हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी के पास दर्ज हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके ई-मेल पते दर्ज करने/अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था। इसके अलावा, कंपनी ने शेयरधारकों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजे थे, जो ई-मेल पते अद्यतन करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी के पास दर्ज थे।

ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई-मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई-मेल पते दर्ज कराने और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा:

- यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिटल का डीपी, क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिटल का लाभार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@rec.in पर ई-मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
 - यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण-पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@rec.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजें।
6. कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में भाग लेने और एजीएम में कार्य के लिए मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति/जांचकर्ता को अधिकृत करने का पत्र scrutinizer.rec@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
 7. कंपनी में 52वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध में वोट देने के लिए पात्रता को निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट **17 सितंबर, 2021**, शुक्रवार निर्धारित की है।

कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

8. सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएस नंबर 6033), या उनकी अनुपस्थिति में, सीएस शिंजिनी मुखर्जी (एसीएस नंबर 65425) हेमंत सिंह से और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को 52वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।

एनएसडीएल ई-वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 52वीं एजीएम में भागीदारी और 52वीं एमजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **21 सितंबर, 2021, मंगलवार (10:00 बजे) को शुरू होगी और दिनांक 23 सितंबर, 2021, गुरुवार (17:00 बजे) को समाप्त होगी।** एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्य 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए **24 सितंबर, 2021, शुक्रवार** को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10:45 बजे अर्थात् शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तारीख को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात् पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए विंडो को बंद किया जाएगा।

कृपया ई-वोटिंग, 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद 114 के अनुसरण में और उसके तहत बनाए गए समय-समय पर संशोधित नियम, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो बार अंतरिम लाभांश का भुगतान किया अर्थात् 3 दिसंबर, 2020 को प्रति इक्विटी शेयर ₹6/- की राशि और 30 मार्च, 2021 को ₹5/- प्रति इक्विटी शेयर।

लाभांश आय शेयरधारकों के पास अबकर योग्य है और कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस") अपेक्षित है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

11. पुनः नियुक्ति की मांग के लिए निर्देशक (निर्देशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015] इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।
12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक में अथवा एक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा।

कंपनी की 51वीं एजीएम में, जो दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 44,00,000 रुपये (चौवालिस लाख रुपए मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात् मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत यात्रा भत्ते और आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जानी है। इसके अलावा सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

13. सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि 01 अप्रैल, 2019 से सेबी ने निर्धारित किया है कि प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोधों (पारेषण अथवा दूसरी जगह देने के मामलों को छोड़कर) पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जबतक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में धारित न हों। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी शेयरधारिता को वास्तविक स्वरूप से मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी भी प्रतिभागी जमाकर्ता (डीपी) के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में शीघ्र ही डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करें।
14. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के ट्रांसमिशन, स्थानांतरण, सब-डिवीजन, समेकन से संबंधित

या किसी अन्य से संबंधित मामले और/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार आरएंडटीए कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटर शेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

15. चूंकि सेबी ने निवेशकों के लिए नकद भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **कैफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., यूनिट: आरईसी लि., सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबॉली फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032**, भारत के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्योरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।
16. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं/नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिखें।
17. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्योरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक-वार ब्योरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्टूबर, 2021 और मार्च, 2022 में आईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।
18. कंपनी में अपनी शेयर धारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन था अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथा निर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटैरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।
19. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (के एमपी) के रजिस्टर तथा उनकी शेयर धारिता का रख-रखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। अनुबंधों का रजिस्टर और व्यवस्थाएं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उनका रख-रखाव किया जाता है और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 24 सितंबर, 2021 तक सदस्यों द्वारा बिना शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को complianceofficer@recl.in पर ई-मेल भेजें।
20. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई-मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
21. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
22. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 52वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरणों में सूचना में निर्धारित विशेष कारोबारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अंशदान करने का आमंत्रण पहले से प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। तथापि, "गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों" के लिए पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में वह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी प्रस्तावित पेशकश (पेशकशों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) के लिए वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, एक विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात् 23 सितंबर, 2022 तक एक या दो भागों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी समय-समय पर कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, को एक या दो भागों में 85,000 करोड़ रुपये तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर-परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटा सकें। इसके अलावा, इस एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित 85,000 करोड़ रुपये की उक्त सीमा समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का निदेशक बोर्ड ("बोर्ड") अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये किसी अन्य प्राधिकारी को उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, इश्यू कीमत, टेनर, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमत में किश्त/छूट, इश्यू की धनराशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी में इश्यू कीमत पर छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने सहित इश्यू की शर्तें निर्धारित करने के लिए और उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत उन सभी कार्यों/विलेखों/बातों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

मैमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सभी संगत दस्तावेज इस नोटिस के परिचालित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6

आरईसी लिमिटेड के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के कार्य खंड को अंतिम बार वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। तब से, देश में विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे ई-वाहनों और संबद्ध चार्जिंग अवसंरचना, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऊर्जा दक्षता, पारेषण में दक्षता और वितरण क्षेत्र के सुदृढीकरण पर बढ़े हुए जोर के साथ भारी परिवर्तन हुए हैं। परिणामस्वरूप, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य एनबीएफसी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, विद्युत क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर उभर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एसोसिएशन ऑफ मैमोरेण्डम के कार्य खंड को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना है जैसे (i) जिन कार्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई है और (ii) उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मामले।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार आरईसी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के अनुरूप चलने के लिए और कंपनी को विद्युत क्षेत्र में उभरते व्यापारिक अवसरों का दोहन करने और व्यवसाय के नए क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए, कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के शेयरधारक डाक मतपत्र के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और सांविधिक प्रावधानों का पालन करने के बाद, इसके मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्यों में परिवर्तन करें। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 में संशोधन किया और निर्धारित किया कि डाक मतपत्र के माध्यम से लेन-देन करने के लिए आवश्यक व्यापार की किसी भी मद पर कंपनी द्वारा एक आम बैठक में कार्य किया जा सकता है, जो धारा 108 के तहत सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम बैठक में प्रस्तावों पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। तदनुसार, कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड में परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव को इस वार्षिक आम बैठक में पारित करने का प्रस्ताव है।

आरईसी के प्रशासनिक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2021 के पत्र द्वारा कंपनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, संशोधित उद्देश्यों को अपनाने के बाद, यह परिकल्पना की गई है कि व्यापार के निम्नलिखित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा, जो कंपनी को निम्नलिखित व्यापारिक अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा:

- प्रशिक्षण सहित किसी भी परियोजना पर वित्तपोषण अथवा अध्ययन करना, अनुसंधान करना;
- विद्युत और इलेक्ट्रोमैकेनिकल/हाइड्रो सिस्टम, लिफ्ट सिंचाई की परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन, हवाई अड्डा के विद्युतीकरण के संबंध में परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना,
- ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली (प्रणालियों), ई-मोबिलिटी और संबद्ध अवसंरचना के लिए परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना;
- विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित पूंजीगत उपस्कर (उपस्करों) के विनिर्माण/आपूर्ति के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रचालन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करना;
- विद्युत परियोजनाओं के साथ अग्रवर्ती और/अथवा पिछड़े लिंकेज वाली गतिविधियों और रेलवे लाइन बिछाने, सड़कों, पुलों, बंदरगाह, जेटी, हार्बर, हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, गैस टर्मिनल के विकास के लिए क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना;
- विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों अथवा कार्यों का निष्पादन; तथा
- कंपनी के व्यापारिक हित में किसी भी कंपनी को वित्तपोषित/संवर्धित करना।

कंपनी के प्रस्तावित एमओए की एक प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस की मद संख्या 6 में लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड



जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

स्थान : कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 27 अगस्त, 2021

52वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशक (कों) का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री प्रवीण कुमार सिंह
डीआईएन	03548218
जन्मतिथि	20 जनवरी, 1962
नियुक्ति की तारीख	18 जून, 2019
योग्यता	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में एम. टेक ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री प्रवीण कुमार सिंह ने 25 वर्षों से अधिक समय तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में परियोजना प्रभाग की विभिन्न यूनिटों में कार्य किया है। इससे पहले, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और उद्योग निकाय यथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) में 9 से अधिक वर्षों तक कार्य किया। वह भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वह पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के बोर्ड और यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए एसपीवी में निदेशक भी हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीएफसी में आरटीआई प्रयोजनों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य किया।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	1. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड। 3. साक्षीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड। 4. झारखंड इन्फ्रापावर लिमिटेड। 5. घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड। 6. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड। 7. ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड।
आरईसी से भिन्न सभी सरकारी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	—लेखा परीक्षा समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) —नामांकन और पारिश्रमिक समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) —कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) —हितधारक संबंध समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) —जोखिम प्रबंधन समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अध्यक्ष)
निदेशकों के साथ आपसी संबंध	आपका कंपनी के किसी निदेशक के साथ आपसी संबंध नहीं है।
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रत्येक ₹10/- के 40 (चालीस) इक्विटी शेयर

सूचना का अनुबंध

रिमोट ई-वोटिंग, 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 52वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 21 सितंबर, 2021, मंगलवार (10:00 बजे) से शुरू होकर 23 सितंबर, 2021, गुरुवार (1700 बजे) तक होगी। बाद में वोटिंग के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य/लाभार्थी स्वामी जिनके नाम अंतिम तारीख अर्थात 17 सितंबर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं और शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार उक्त अंतिम तारीख को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि: – ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। - निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/सदस्य एनएसडीएल मोबाइल एप की सुविधा "एनएसडीएल स्पीडी को" एप स्टोर या गूगल प्ले, जैसा भी मामला हो, से डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा उपयोगकर्ता जिनहोंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। - ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मैनु भी देख सकेगा। मैनु में ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। - यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्याओं के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्यौरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com>
- जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
- एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएस लॉग-इन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग-इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण-2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।
- एनएसडीएल ई-वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा दे सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:-

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीएसडीएल) अथवा वास्तविक	यूजर आईडी
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए: यदि आपका डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12***** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए: यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12***** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

- यदि आप पहले से ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉग-इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।
- यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए जोर देगा।
- "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है:
 - यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई-मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई-मेल खोलें और संलग्न "पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।
 - यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की बिन्दु संख्या 5 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" हासिल करने में असक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यूरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।
 - ख. यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फिजिकल यूजर सीसैट पासवर्ड" पर क्लिक करें।
 - ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
8. अब, आपको "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण-2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।
2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उसका "ईवीईएन" चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "ज्वॉइन जनरल मीटिंग" के तहत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई-वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।
6. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं.: 1800-1020-990 अथवा 1800-22-44-30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करें अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि., ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400 013 को ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर भेजें। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई-मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी लिख सकते हैं।

ख. 52वीं एजीएम में वीसीओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई-वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत <http://www.evoting.nsdl.com> पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।
 2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
 3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने की अनुमति होगी।
 4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः सिफारिश की जाती है कि किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएन कनेक्शन का उपयोग करें।
 5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "स्पीकर" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं., ई-मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
- ग. 52वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश**
1. एक बार नोटिस की सभी मंदां पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई-मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
 2. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
 3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
 4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
 5. ऐसे व्यक्तियों के ब्योरे, जिनसे एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होगा, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित किया गया है।

निदेशकों का परिचय

श्री संजय मल्होत्रा (डीआईएन: 00992744)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री संजय मल्होत्रा, आई.ए.एस., ने 9 नवंबर, 2020 से आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

श्री संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले आप विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर तैनात थे। आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। श्री संजय मल्होत्रा ने 30 वर्षों से अधिक के अपने सेवाकाल में बेहतरीन नेतृत्व कौशल के साथ विद्युत, वित्त एवं कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन आदि कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है।

आपको राज्य और केंद्र सरकार दोनों जगहों पर भारतीय विद्युत क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव रहा है। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव के रूप में काम करते हुए आपने चार शहरों में वितरण फ्रेंचाइजी

की नियुक्ति, ट्रांसमिशन में पीपीपी की शुरुआत एवं मीटरिंग, बिलिंग तथा संग्रह में नई पहलों सहित कई कदम उठाए। विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में आप पारेषण, वितरण, सुधार और पुनर्गठन का दायित्व देख रहे थे तथा संघ शासित प्रदेशों की वितरण यूलिटियों के सुधारों, नीतिगत पहलों और निजीकरण में पूर्णतया संलग्न थे। आप आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष भी हैं, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, श्री संजय मल्होत्रा के पास कंपनी में "शून्य" इक्विटी शेयर थे। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03464342)

निदेशक (तकनीकी)



श्री संजीव कुमार गुप्ता 16 अक्टूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) हैं। आपने जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तराखंड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ली है। आपने कई प्रतिष्ठित सीपीएसयू जैसे कि एनएचपीसी, पावरग्रिड और आरईसी में कार्य किया है और आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में विविध कार्यों जैसे कि योजना, डिजाइन, निर्माण, ओ एंड एम, खरीद और अनुबंध, गुणवत्ता आश्वासन, अंतरराष्ट्रीय परामर्श कार्यों सहित बड़ी पारेषण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन, सरकारी योजनाओं की निगरानी और बिजली परियोजनाओं के वित्तपोषण आदि क्षेत्रों में 39 वर्षों का अनुभव है। आप, भारत की पहली 765 केवी एसी और ± 800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए तकनीकी विनिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार कोर टीम के सदस्य थे और आपने भारतीय ट्रांसमिशन ग्रिड में नई प्रौद्योगिकियों, आरओडब्ल्यू अनुकूलन, विशेष कंडक्टर के साथ ट्रांसमिशन लाइनों के उन्नयन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अपनी वर्तमान भूमिका में, आप बिजली और बुनियादी परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण, व्यवसाय विकास, विविधीकरण और कंपनी द्वारा अपने मिशन, विजन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समग्र प्रभावी काम-काज सहित सभी तकनीकी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। आपने भारत सरकार के डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य कार्यक्रमों के तहत गावों और घरों के विद्युतीकरण के सफल क्रियान्वयन की निगरानी के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने, 1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था।

आप, आरईसी में 16 मार्च, 2010 से विभिन्न वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य कर रहे हैं। आपने, पहले यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आदि सहित कई कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है। आप, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, श्री संजीव कुमार गुप्ता के पास कंपनी में "शून्य" इक्विटी शेयर थे। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्री अजय चौधरी (डीआईएन: 06629871)

निदेशक (वित्त)



श्री अजय चौधरी 1 जून, 2020 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। आप, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में अनेक कार्यों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त, संविदा प्रबंधन, ऋण और वसूली, कारपोरेट अकाउंट्स, संसाधन जुटाने और ट्रेजरी आदि में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

आप, 16 अप्रैल, 2007 से आरईसी में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य कर रहे हैं और आपने विभिन्न प्रणालीगत सुधारों के कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाई है जिनमें ऋण वसूली संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करना, ग्राहकों सेवाओं एवं इनके साथ संप्रेषण में सुधार तथा आरईसी के सभी सभी संसाधनों एवं ट्रेजरी का प्रबंधन शामिल है। आप भारतीय विद्युत क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियों के सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' (उदय) के कार्यान्वयन की कोर टीम के सदस्य भी रहे हैं। आरईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने 19 वर्षों से अधिक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

निदेशक (वित्त) के रूप में आप वित्तीय प्रबंधन एवं संगठन के प्रचालन, संगठनात्मक और वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीतियां तैयार करने, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, नकदी और निधि प्रबंधन, कर नियोजन, संसाधन जुटाव और प्रबंधन, कैपिटल मार्केट प्लेयर्स एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय का कार्य देखते हैं और इस बारे में जरूरी निर्देश देते हैं। आप

ट्रेजरी के कार्यों, ऋण प्रचालनों का भी पर्यवेक्षण करते हैं और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन के मामलों में परामर्श देते हैं।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। आपने टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, श्री अजय चौधरी के पास कंपनी में 200 इक्विटी शेयर थे। इसके अतिरिक्त, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

श्री तन्मय कुमार (डीआईएन: 02574098)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री तन्मय कुमार, आईएएस, 5 नवंबर, 2020 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

आप राजस्थान कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं; और वर्तमान में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपने आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से मृदा मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक किया है।

श्री तन्मय कुमार ने लगभग 27 वर्षों तक राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपके पास विद्युत क्षेत्र में काम करने का समृद्ध और विविध अनुभव है। उन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। आप एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में भी सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा, आप भूटान में निगमित पनबिजली परियोजनाओं के लिए विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं।

31 मार्च, 2021 के अनुसार, श्री तन्मय कुमार के पास कंपनी में "शून्य" इक्विटी शेयर थे। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन: 03548218)

नामित निदेशक – पावर फाइनैस कारपोरेशन लिमिटेड

श्री प्रवीण कुमार सिंह दिनांक 18 जून, 2019 से आरईसी के बोर्ड में पावर फाइनैस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक हैं।

आप वर्तमान में पीएफसी के बोर्ड में निदेशक (वाणिज्य) के रूप में कार्यरत हैं और आपके पास पीएफसी के निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार भी है। इससे पूर्व, श्री सिंह ने 25 वर्षों से पीएफसी में परियोजना प्रभाग की विभिन्न इकाइयों में कार्य किया है। पूर्व में, आपने देश की सबसे बड़ी विद्युत उपस्कर निर्माता कंपनी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में तथा इंडस्ट्री बॉडी अर्थात् कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) में भी 9 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया था।

श्री प्रवीण कुमार सिंह ने आईआईटी-बीएचयू से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन में एम.टेक किया है। आपने, बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए से "ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम" भी किया है। श्री सिंह, भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के बोर्ड और यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए गठित एसपीवी में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास कंपनी में 40 इक्विटी शेयर थे। इसके अतिरिक्त, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

प्रिय शेयरधारकों,

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ (52वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1.1 कार्य-निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
संस्वीकृत ऋण	1,54,820.87	1,10,907.99
संवितरण	92,987.49	75,666.95
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) और सौभाग्य के अंतर्गत सब्सिडी	4,940.62	6,473.88
वसूलियां (ब्याज सहित)	71,755.40	62,559.74
कुल प्रचालन आय	35,387.89	29,765.21
कर पूर्व लाभ	10,756.13	6,983.29
कर उपरांत लाभ	8,361.78	4,886.16
कुल व्यापक आय	8,818.30	4,336.37

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी की कुल परिचालन आय वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 29,765.21 करोड़ रुपए की तुलना में 35,387.89 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर उपरांत लाभ और कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4,886.16 करोड़ रुपए और 4,336.37 करोड़ रुपए की तुलना में क्रमशः 8,361.78 करोड़ रुपए और 8,818.30 करोड़ रुपए थी।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2020 को 3,22,424.68 करोड़ रुपए की तुलना में 3,77,418.15 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया उधार राशियां 3,22,511.05 करोड़ रुपए थीं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय और प्रति शेयर बही मूल्य क्रमशः 42.34 रुपए और 219.89 रुपए था। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निवल संपत्ति बढ़कर 43,426.37 करोड़ रुपए हो गई, अर्थात् यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35,076.56 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति से 23.80% अधिक थी।

1.3 कोविड-19 का प्रभाव

भारत वर्तमान में कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि ऐसी और अधिक लहरें स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल और उधार के विविध स्रोतों तक व्यापक पहुंच के कारण आपकी कंपनी ने अपनी तरलता की स्थिति पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुभव नहीं किया है। उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के अलावा, विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण सीमाओं के रूप में पर्याप्त तरलता बफर विद्यमान हैं।

अपने कोविड-19 राहत पैकेज के भाग के रूप में, भारत सरकार ने बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों की लंबित बकाया राशियों को चुकाने के लिए, आरईसी और पीएफसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉम को पर्याप्त लिक्विडिटी प्रदान करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 60,191.36 करोड़ रुपए की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं और विभिन्न डिस्कॉम को 39,115.50 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अधिस्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से प्रभारित किए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/उसे समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है। कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान भी किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्याज आय 129.25 करोड़ रुपए तक कम है। आरईसी की सुविधाजनक लिक्विडिटी स्थिति और धन के विविध स्रोतों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं है कि मौजूदा संकट का कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसमें वर्तमान चिंता मूल्यांकन भी शामिल है।

1.4 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 6/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए 5/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसका भुगतान क्रमशः दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल ने 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 1.71 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि इसका अनुमोदन हो जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 12.71 प्रति शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 127.10% का प्रतिनिधित्व करेगा, यह पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए 110% के लाभांश अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10/- रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 11/- रुपए प्रति शेयर से अधिक है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश पे आउट राशि 2510.12 करोड़ रुपए होगा।

लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

1.5 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10/- रुपए प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10/- रुपए प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63%, जिसमें 10/- रुपए प्रत्येक के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर शामिल थे, भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास थे। शेष 47.37% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित थी।

2. संस्वीकृत ऋण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,10,907.99 करोड़ रुपए की तुलना में 1,54,820.87 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। 1969 में अपनी स्थापना के बाद से आपकी कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत संचयी ऋण 12,54,570.32 करोड़ रुपए थे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत ऋणों में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 39,613.53 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 17,171.34 करोड़ रुपए, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए 19,492.75 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की चलनिधि संचार योजना के लिए 60,191.36 करोड़ रुपए और अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 4,750.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा, ₹13,601.89 करोड़ के बकाया, जिस पर आरबीआई के निर्देश और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसार स्थगन को बढ़ा दिया गया था, को भी उपरोक्त संस्वीकृतियों में शामिल किया गया है।

3. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 75,666.95 करोड़ रुपए के मुकाबले कुल 92,987.49 करोड़ रुपए का संवितरण किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,929.76 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,265.13 करोड़ रुपए, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए 19,301.22 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी संचार योजना के लिए 39,115.50 करोड़ रुपए तथा लघु अवधि और मध्यम अवधि के ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 3,900.79 करोड़ रुपए शामिल हैं। संवितरण में भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत 1,475.09 करोड़ रुपए का काउंटर-पार्ट वित्त-पोषण भी शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 4,940.62 करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी भी संवितरित की, अर्थात् डीडीयूजीजेवाई के तहत 4,527.01 करोड़ रुपए, डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी के तहत 25.49 करोड़ रुपए और सौभाग्य योजनाओं के तहत 388.12 करोड़ रुपए। आपकी कंपनी द्वारा इसकी स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2021 तक वितरित की गई संचयी राशि 6,90,109.36 करोड़ रुपए थी, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत संवितरित सब्सिडी शामिल नहीं थी।

4. वसूलियां

4.1 आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 62,340.60 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि 71,680.23 करोड़ रुपए थी (जिसमें कोविड-19 अधिस्थगन नीति के अनुसार 13,601.89 करोड़ रुपए भी शामिल हैं)। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 61,945.04 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल 71,424.90 करोड़ रुपए की वसूली की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 99.64% की वसूली दर हासिल की।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित व्यतिक्रमी उधारकर्ताओं की बकाया राशि 1,112.46 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों (चरण III) से 330.50 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 614.69 करोड़ की वसूली की गई थी।

4.2 आपकी कंपनी की क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) निम्न स्तर पर बनी रहना जारी रहीं। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल ऋण इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) 18,256.93 करोड़ रुपए थीं, जो कि सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.84% है: और निवल ऋण इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) 6,465.61 करोड़ रुपए थीं, जो ऋण परिसंपत्तियों का 1.71% है।

4.3 दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आरईसी ने विभिन्न ढांचों जैसे आरबीआई फ्रेमवर्क अथवा दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान आदि के माध्यम से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए समर्पित दृष्टिकोण हासिल करने के लिए एक अलग विभाग अर्थात् दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन (एसएएम) सृजित किया है। इन प्रयासों से, आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर अर्थात् विद्युत क्षेत्र में सहकर्मी संगठनों में न्यूनतम में से एक स्तर पर नियंत्रित करने में सक्षम हो पाया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने 3 दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित और उन्नयित किया जिनमें कुल 3,923 करोड़ रुपए का कुल एक्सपोजर शामिल था, जैसा कि नीचे दिया गया है: —

क्र.सं.	ऋणी और परियोजना का नाम	आरईसी का एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजना)	1,111	पुनर्संरचना योजना के क्रियान्वयन द्वारा आईबीसी के बाहर सुलझाया गया।
2	फेसर पावर लिमिटेड (ओडिशा में 100 मेगावाट की सीमित विद्युत परियोजना)	511	आईबीसी के अंतर्गत सुलझाया गया।
3	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (छत्तीसगढ़ में 1440 मेगावाट का थर्मल-विद्युत संयंत्र)	2,301	पुनर्संरचना योजना के क्रियान्वयन द्वारा आईबीसी के बाहर सुलझाया गया।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:
(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
प्रचालनों से राजस्व	35,387.89	29,765.21	35,552.68	29,903.93
अन्य आय	22.55	63.92	22.72	77.27
कुल आय	35,410.44	29,829.13	35,575.40	29,981.20
वित्त लागतें	21,489.08	18,997.05	21,489.05	18,991.30
निवल ट्रांसलेशन/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि	330.26	2,357.90	330.26	2,357.90
फीस और कमीशन व्यय	9.95	25.44	9.95	25.44
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	—	—	—	—
वित्तीय लिखतों पर हानि	2,419.62	889.56	2,445.94	919.49
अन्य व्यय	405.40	575.89	518.64	666.23
कुल व्यय	24,654.31	22,845.84	24,793.84	22,960.36
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए हिसाब में लिए गए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का भाग	—	—	(1.97)	9.14
कर पूर्व लाभ	10,756.13	6,983.29	10,779.59	7,029.98
कर व्यय	2,394.35	2,097.13	2,401.35	2,057.71
कर उपरांत लाभ	8,361.78	4,886.16	8,378.24	4,972.27
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	456.52	(549.79)	457.76	(553.85)
कुल व्यापक आय	8,818.30	4,336.37	8,836.00	4,418.42
जोड़ें: धारित की गई आय और अन्य व्यापक आय का अथशेष	3,085.17	5,036.27	3,347.20	5,226.53
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	11,903.47	9,372.64	12,183.20	9,644.95
घटाएं: विनियोग				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	(2,563.13)	(1,522.32)	(2,563.13)	(1,522.32)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	(288.13)	(336.52)	(288.13)	(336.52)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत रिजर्व निधि	(1,673.00)	(978.00)	(1,673.00)	(978.00)
डिबेंचर उन्मोचन रिजर्व	—	(49.15)	—	(49.15)
सामान्य रिजर्व	(981.10)	—	(981.10)	—
इम्पेयरमेंट रिजर्व	—	(793.29)	—	(793.29)
शाश्वत ऋण लिखतों पर निर्गम व्यय (करों का निवल)	(0.70)	—	(0.70)	—
उप-योग — विनियोग	(5,506.06)	(3,679.28)	(5,506.06)	(3,679.28)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
घटाएँ : स्वामियों को लाभांश का भुगतान (संबंधित करों सहित)				
लाभांश	(2,172.41)	(2,172.41)	(2,172.41)	(2,172.41)
लाभांश वितरण कर	—	(435.78)	—	(446.06)
उप-योग – स्वामियों को लाभांश का भुगतान (संबंधित करों के सहित) (नोट देखें)	(2,172.41)	(2,608.19)	(2,172.41)	(2,618.47)
घाटित की गई आय और अन्य व्यापक आय का अंतर्शेष	4,225.00	3,085.17	4,504.73	3,347.20

टिप्पणी: उपरोक्त के अलावा, निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹1.71 प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक के लिए ₹10/- के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है, जो आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में 2,721.64 करोड़ रुपए की राशि का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए 2,694.33 करोड़ रुपए और जीएसटी के लिए 27.31 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय राजकोष में कुल योगदान 2,214.12 करोड़ रुपए था।

5.3 अनुपात विश्लेषण

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के उल्लेखनीय अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय 2020-21	वित्तीय 2019-20
प्रति शेयर आय (रुपए)	42.34	24.74
औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	21.30	14.09
बुक वैल्यू प्रति शेयर (रुपए)	219.89	177.61
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	7.40	7.94
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	3.10	3.59
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.50	1.37

*क्रमशः 31 मार्च, 2021 को और 31 मार्च, 2020 को पीई अनुपात का परिकलन एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर के बंद होने वाले मूल्य के आधार पर किया गया है।

5.4 संसाधन जुटाना

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने बाजार से 99,244.53 करोड़ रुपए की निधि जुटाई। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से रुपये सावधि ऋण के रूप में 21,053 करोड़ रुपए, बैंकों से अल्पकालिक ऋण के रूप में 3,550 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांड के माध्यम से 5,312.10 करोड़ रुपए और संस्थागत बांडों के माध्यम से 48,101.40 करोड़ रुपए और शाश्वत ऋण लिखतों (पीडीआई) को जारी करके 558.40 करोड़ रुपए जुटाना शामिल हैं। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से 20,669.63 करोड़ रुपए की धनराशि भी जुटाई, जो 1,995.00 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर थी तथा एफसीएनआर (बी) से 785.00 मिलियन अमरीकी डॉलर और शासकीय विकास सहायता (ओडीए) से 6.89 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए गए, जो कुल मिलाकर 2,786.89 मिलियन अमरीकी डॉलर हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के लिए भारत सरकार की वित्त पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी संस्थागत बांडों के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए की राशि भी जुटाई। इन बांडों पर मूलधन और ब्याज की सेवा का भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा।

शाश्वत ऋण लिखतें

आरईसी ने शाश्वत ऋण लिखतों (पीडीआई) को जारी करके 558.40 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,584 शाश्वत ऋण लिखत (श्रृंखला 206) जारी किए हैं, जिनका कुल मिलाकर मूल्य 558.40 करोड़ रुपए है, जिनमें 7.97% की कूपन दर निहित है। पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और ये केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल के योग्य हैं। उक्त लिखत 31 मार्च, 2021 को कंपनी की टियर-1 पूंजी (38,744.95 करोड़ रुपए) का 1.44% है। इन लिखतों का पहला ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय होगा। पीडीआई पर विस्तृत प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनने वाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25 में प्रदर्शित किया गया है।

आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बांड

देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, आरईसी ने जुलाई 2017 में दस वर्षों के कार्यकाल के लिए 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन बांड जुटाए हैं, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं।

लाभ का उपयोग: लाभ का उपयोग सौर, पवन और नवीकरणीय खरीद दायित्वों के वित्त-पोषण के लिए किया गया है जिसमें योग्य परियोजनाओं का पुनर्वित्त-पोषण, जैसा कि आरईसी के ग्रीन बॉन्ड ढांचे में परिभाषित किया गया है, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।

केपीएमजी इंडिया ने आरईसी के ग्रीन बॉन्ड ढांचे के आधार पर सत्यापन के बाद स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की है और इसे 17 जुलाई, 2018 को क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के क्लाइमेट बॉन्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

ग्रीन बॉन्ड ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक सुव्यवस्थित आंतरिक ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित एक 'ग्रीन पोर्टफोलियो' बनाया है, जिसे नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए लाभ के आवंटन की निगरानी, स्थापना और लेखा-जोखा तैयार किया जा सके।

लाभ का प्रबंधन: ग्रीन बांड के संबंध में 450 मिलियन अमरीकी डॉलर (31 मार्च, 2021 तक ~₹3,308 करोड़) की बकाया राशि को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया था।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्थान	क्षमता (मे. वा. में)	ऋण स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत ऋण की राशि	31 मार्च, 2021 को बकाया राशि
सोलर					
1	करीम नगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.04
2	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	148.35
3	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	148.68
4	वारंगल, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.24
5	आंध्र प्रदेश	500	24.02.2016	2,480.00	1,777.69
6	करीम नगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.01
7	कडपा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	232.27
8	कडपा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	230.86
9	कडपा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	232.22
10	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5	27.01.2016	26.90	22.15
11	मेडक, तेलंगाना	7	26.11.2015	39.90	31.25
12	करीम नगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	71.03
13	निरुदानगर, तमिलनाडु	5	14.07.2015	26.13	19.69
14	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17.04.2017	150.39	134.44
15	मनसा और संगरूर, पंजाब	50	21.05.2016	169.69	148.12
	उप-योग (क)			4,444.11	3,410.04
पवन					
1	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28.01.2016	86.63	61.97
2	तिरपुर, तमिलनाडु	6.8	06.06.2012	26.16	18.01
	उप-योग (ख)			112.79	79.98
नवीकरणीय क्रय दायित्व					
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24.07.2017	500.00	187.50
	उप-योग (ग)			500.00	187.50
	कुल योग (क+ख+ग)			5,056.90	3,677.52

आरईसी अपने निरंतर दायित्वों के अनुसार ग्रीन बॉन्ड ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि बॉन्ड के कार्यकाल के दौरान ग्रीन बॉन्ड ढांचे के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहती है।



पवगाडा सोलर पार्क, कर्नाटक में अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की आरईसी द्वारा वित्तपोषित 300 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना

नकदी ऋण सुविधाएं

अपने दैनिक कार्यों के परिचालन के लिए, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से 18,299.50 करोड़ रुपए की स्वीकृत नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2021 तक 13,187.00 करोड़ रुपए का लाभ उठाया गया था।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों ने "एएए" रेटिंग प्राप्त किया जाना जारी है, जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आरईसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

5.6 ऋणों की लागत

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तथा अन्य वित्त प्रभागों को छोड़कर, 31 मार्च, 2021 को बकाया उधारियों के लिए कुल भारित औसत वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5.89% और 6.85% थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान उठाए गए दीर्घकालिक उधारों की भारित औसत वार्षिक ब्याज दर 6.24% थी। इसके परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने में सक्षम रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 58,908.07 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया। इसमें संस्थागत बांडों के लिए 26,342.13 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों के लिए 9,565.23 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों के लिए 5.39 करोड़ रुपए, बाहरी वाणिज्यिक उधारों के लिए 10,312.77 करोड़ रुपए, एफसीएनआर ऋणों के लिए 7,266.21 करोड़ रुपए और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के लिए 206.34 करोड़ रुपए की पुनर्भुगतान राशि शामिल है। कंपनी ने बैंकों को 5,210.00 करोड़ रुपए की राशि के दीर्घावधि ऋण का भी भुगतान किया।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 4,00,233.19 करोड़ रुपए मूल्य के थे। इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी ने 1,974.92 करोड़ रुपए का योगदान दिया, पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के लिखत 558.40 करोड़ रुपए के थे, रिजर्व और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी 40,893.05 करोड़ रुपए की थी, उधारियों और अन्य वित्तीय देनदारियों सहित वित्तीय देनदारियों का योगदान 3,56,571.73 करोड़ रुपए का था और प्रावधानों सहित गैर-वित्तीय देनदारियां 235.09 करोड़ रुपए की थी। इन निधियों को 3,96,951.24 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और 3,281.95 करोड़ रुपए को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर संपत्ति आदि सहित गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग में लाया गया था।

5.9 नीतिगत पहलें

हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की दृष्टि से और प्रचलित सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न नीतियों और योजनाओं की शुरुआत करके और उनमें संशोधन करके अपने नीतिगत ढांचे को मजबूत किया है। इसमें महामारी के दौरान व्यवसाय संचालन के लिए अपनाई गई नीतियां, जैसे मूल किश्तों को आस्थगित करना और/या कोविड-19 के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची को स्थानांतरित करने में ब्याज, कोविड-19 के तहत डिस्कॉम को विशेष दीर्घकालिक संक्रमण ऋण की योजना, उदय सीमाओं के भीतर डिस्कॉम को विशेष ऋण की योजना और उदय सीमाओं की छूट में डिस्कॉम को विशेष संक्रमण ऋण की योजना भी शामिल है।

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के संबंध में अपनी नीतियों को भी आरंभ किया है और उनकी समीक्षा की है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वचन-पत्र के लिए नीति, राज्य बिजली केंद्रों की ग्रेडिंग पर नवीकरणीय ऊर्जा दिशा-निर्देशों में संशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों (परियोजना और इकाई) का संशोधन तथा ऊर्जा परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त नीति में संशोधन करना शामिल है।

आरईसी के मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों की भी समीक्षा की गई और तदनुसार, कंपनी ने अपनी संशोधित धन-शोधन निवारण और अपने ग्राहक को जानिए नीति को अधिसूचित किया है। कंपनी ने उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नामनिर्दिष्ट निदेशक और प्रमुख अधिकारी को नामित किया है।

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य नीतियों में अनुमानित क्रेडिट हानि की गणना के लिए नीति, डिस्कॉम और गेडकोस को रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा की पेशकश करने के लिए नीति, स्थायी ऋण लिखतों के माध्यम से धन जुटाने की नीति, अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नीति की समीक्षा, सीएसआर और स्थिरता नीति में संशोधन और उचित व्यवहार संहिता की समीक्षा शामिल है।

इसके अलावा, उद्योग के रुझान के अनुरूप और उधारकर्ताओं को कम ब्याज दरों का लाभ देने के लिए, कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों में अपनी ब्याज दरों में कमी की है।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य

चूंकि देश की स्थापित उत्पादन क्षमता 382 गीगावाट (31 मार्च, 2021 तक) के उच्च स्तर पर है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक क्षमता का लाभ उठाने की योजना है, पारेषण और वितरण (टी एंड डी) क्षेत्र निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। तकनीकी रूप से पुराने और जर्जर होते जा रहे वितरण ढांचे को मजबूत करने की भी जरूरत है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय निकास और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सौभाग्य के तहत घरेलू कनेक्शनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के साथ ही अब वितरण अधिक ध्यान दिए जाने वाला क्षेत्र बन गया है। इसलिए, टी एंड डी सेगमेंट इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किरायाती बनाने और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में, नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को संवर्धित करने/सुदृढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से प्रणाली में सुधार और संवृद्धि, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली क्रियान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ वितरण परियोजनाओं की पूरी श्रृंखला को वित्त-पोषित करती है और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के विकास और उसकी संधारणीयता में तथा देश की समग्र आर्थिक-सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने बिजली क्षेत्र की तरलता की समस्या में वृद्धि कर दी है। भारत सरकार ने 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत के तहत द्रवता संचार योजना की घोषणा की, जिसके बाद 14 मई, 2020 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी एक परामर्श जारी किया गया जिसमें आरईसी और पीएफसी द्वारा डिस्कॉम को वित्त-पोषण प्रदान करने की परिकल्पना की गई ताकि वे सीपीएसयू जेनकोस और ट्रांसकोस, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के प्रति 31 मार्च, 2020 तक देय उनकी बकाया राशियों का निपटान कर सकें। इसके अलावा, एमओपी ने 2 सितंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आरईसी और पीएफसी को उदय सीमाओं से ऊपर जाते हुए डिस्कॉम को ऋण देने के लिए एकबारीय अनुमति प्रदान कर दी ताकि वे सीपीएसयू जेनकोस और ट्रांसकोस, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के प्रति उनकी 30 जून, 2020 तक की बकाया राशि का निपटान कर सकें। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से महामारी के दौरान डिस्कॉम की द्रवता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इसके अलावा, हाल ही में सरकार द्वारा डिस्कॉम के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। वितरण क्षेत्र को सहयोग देने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), स्मार्ट ग्रिड, स्वचालित मीटर रीडिंग आदि जैसी पहलें शामिल हैं। उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कई और पहलकदम संचालित किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी डिस्कॉम को विभिन्न सुधार उपायों के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा प्रणालियों और स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी-सक्षम प्रणालियां अपनाने और वितरण क्षेत्र में अन्य तकनीकी हस्तक्षेपों सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपकी कंपनी डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन, सौभाग्य और एनईएफ योजनाओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी पावर फॉर ऑल वेब-पोर्टल के विकास में सहायक रही है और इस प्रयास में विद्युत मंत्रालय की सहायता करने में लगी हुई है।

भारत सरकार द्वारा सभी को बिजली की सुविधा प्रदान करने और केंद्रों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार ने कई राज्यों में विनियामकों द्वारा टैरिफ की समय पर अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करने, एआरआर में इक्विटी पर रिटर्न का दावा करने, राज्य सरकार आदि द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने, आदि के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित "24x7 पावर फॉर ऑल" दस्तावेज देश भर में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है, के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें 8,466 करोड़ रुपए (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए) का प्रावधान है, जिसे ऋण संवितरण पर भुगतान किए गए ब्याज के प्रति 14 वर्षों में प्रदान किया जाएगा तथा जिसकी राशि दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए 23,973 करोड़ रुपए है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत केंद्रों/वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

इस सुधार-संबद्ध योजना में, एनईएफ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सुधार-आधारित मापदंडों की प्राप्ति कर लेने पर, डिस्कोम को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय होती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की उपयोगिताएं पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक 448.70 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

6.3 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

आरईसी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भी है। यह ग्रामीण बिजली वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जनसंख्या मानदंड पर ध्यान दिए बिना सभी बिना बिजली वाले गांवों/बस्तियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण के लिए कवर किया जाता है। पूर्व में चल रही सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, देश के सभी शेष बिना बिजली वाले जनगणना वाले गांव 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत हो गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24x7 बिजली' के लक्ष्य की उपलब्धि को सुगम बनाता है:

- क) गैर-कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- ख) उप-पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और संवर्धन;
- ग) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा
- ड.) ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं सहित)।

इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, सभी हितधारकों, विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) (तत्कालीन जिला विद्युत समितियां) के गठन के माध्यम से संस्थागत किया गया है। दिशा को डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है।

इस योजना में 43,033 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय है, जिसमें भारत सरकार की ओर से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयूजीजेवाई के लिए 44,896 करोड़ रुपए (28,198 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2021 तक 30,664 करोड़ रुपए (22,299 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई में समाहित पूर्ववर्ती आरई परियोजनाएं

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने संघ-राज्य क्षेत्रों सहित 29 राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के साथ विलयित तत्कालीन आरई परियोजनाओं (अर्थात दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना) के तहत 66,353.60 करोड़ रुपए (डीडीजी परियोजनाओं सहित) (अनुदान शामिल: 59,718.24 करोड़ रुपए) की राशि को मंजूरी दी है। जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2021 तक 57,738.96 करोड़ रुपए (52,072.70 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं।

सौभाग्य परिवारों के विद्युतीकरण को समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के तहत सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 14,178.86 करोड़ रुपए (अनुदान शामिल: 9,399 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त निधि को मंजूरी प्रदान की है, जिसकी तुलना में 31 मार्च 2021 तक 7,011.77 करोड़ रुपए (6,468.12 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं।

6.4 जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए 27 नवंबर, 2015 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश) के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज ("पीएमडीपी-2015") की घोषणा की गई थी,

जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत 2,570.14 करोड़ रुपए (भारत सरकार से 90% अनुदान अर्थात् 2,301.62 करोड़ रुपए) थी। इस योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में प्रणाली को मजबूत करना, असंबद्ध घरों को जोड़ना, कंटीले तारों और घिसे-पिटे खंभों को बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबल बिछाना, उपभोक्ता मीटरिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी सब-स्टेशनों का निर्माण और धार्मिक तीर्थस्थलों में विद्युत अवसंरचना का निर्माण शामिल है।

उपरोक्त में से, 1,157.76 करोड़ रुपए (भारत सरकार का अनुदान: ₹1,041.98 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। निधि को आरईसी के माध्यम से चैनलाइज किया जाएगा। योजना के तहत 31 मार्च, 2021 तक 612.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

6.5 सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने देश के हर गांव और जिले में सार्वभौमिक कुटुंब विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का शुभारंभ किया था। इसका योजना परिव्यय 16,320 करोड़ रुपए है, जिसमें 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता शामिल है। योजना के संचालन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है। सार्वभौमिक कुटुंब विद्युतीकरण के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता प्रदान करने के माध्यम से बिजली की पहुंच सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है, वहां सौर-आधारित ऑफ-ग्रिड सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण का सहारा लिया जाता है।

सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- क. ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बिजली वाले सभी घरों के लिए अंतिम छोर तक विद्युत संयोजनता और बिजली कनेक्शन;
- ख. शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से निर्धन बिना बिजली वाले परिवारों के लिए अंतिम छोर तक विद्युत संयोजनता और बिजली कनेक्शन। समृद्ध शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है;
- ग. दूरदराज और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित बिना बिजली वाले ऐसे घरों के लिए सौर फोटो-वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या यह किफायती नहीं है।

इस योजना के तहत, विद्युत मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2021 तक 26 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 14,109 करोड़ रुपए (9,093 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) मंजूर किए गए हैं, जिसकी तुलना में 8,736.90 करोड़ रुपए (भारत सरकार के 5,393.59 करोड़ रुपए के अनुदान सहित) जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकारों की स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

6.6 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र वितरण क्षेत्र की एक पहल है और अपनी तरह की पहली एप्लीकेशन है जिसे आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, अर्थात् आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (जिसे पहले आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) द्वारा विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा मित्र को पहले आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो आरईसी की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरईसीपीडीसीएल में आमेिलित कर दिया गया था।

ऊर्जा मित्र राज्य विद्युत वितरण केंद्रों के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, ईमेल या पुश अधिसूचना के माध्यम से विद्युत आउटेज की जानकारी प्रसारित करता है। पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आउटेज अपडेट मिलता है। यह देश के किसी भी हिस्से में वास्तविक समय में विद्युत आउटेज को देखने और बिजली आउटेज की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जून 2021 तक, 29 राज्यों में 53 डिस्कॉम के लगभग 23.32 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा एप्लिकेशन में अपलोड किया गया है और उपभोक्ताओं को 391.62 करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

6.7 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात् आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा के मानदंडों की निगरानी करना है। योजना के तहत, स्थापित मोडेम/डीसीयू फीडर मीटर से डेटा प्राप्त करते हैं जिसे मीटर डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एमडीएस) को नियमित रूप से भेजा जा रहा है। अर्जित डेटा का स्थानांतरण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मशीन-से-मशीन तक संप्रेषण के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे अधिग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली अर्थात् एमडीएम पर किया जा रहा है, जहां ग्रामीण और कृषि फीडरों/क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों से संबंधित विभिन्न उपयोगी एमआईएस तैयार किए जा रहे हैं। एमडीएम को नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे विभिन्न हितधारकों जैसे डिस्कॉम, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए), आरईसी और आरईसीपीडीसीएल द्वारा एक्सेस किया जा रहा है।

6.8 तरंग

तरंग (रियल-टाइम निगरानी और विकास के लिए पारेषण ऐप) ट्रांसमिशन सेक्टर की एक पहल है, जिसे आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात् आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। तरंग ऐप पारेषण प्रणाली की अखिल भारतीय प्रगति के बारे में एक सूचनात्मक माध्यम प्रदान करता है, जिसे माह-वार, एजेंसी-वार, राज्य-वार जानकारी आदि के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बंद पड़ी या विलंबित परियोजनाओं के मामले में देरी का कारण अलग से प्रदान किया गया है, ताकि सभी संबंधित हितधारक परियोजना को पूरा करने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें।

तरंग टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के साथ-साथ विनियमित टैरिफ तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। तरंग राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा अनुशंसित आगामी पारेषण परियोजनाओं की अग्रिम सूचना भी प्रदान करता है, जिससे बोलीदाताओं को भावी पारेषण परियोजनाओं के लिए तैयार होने में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में, यह पूरे देश में पारेषण प्रणाली का वास्तविक समय भंडार है।

7. वित्त-पोषण क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ बिजली उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत सरकार की लिक्विडिटी संचार योजना के तहत बिजली यूटिलिटीज का भी वित्त-पोषण किया, जिसकी परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में की गई थी। वर्ष के दौरान प्रमुख वित्त-पोषण क्रियाकलापों के विवरण इस प्रकार हैं:-

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 39,613.53 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता के साथ 23 उत्पादन, आर एंड एम (नवीनीकरण और आधुनिकीकरण) और अन्य ऋण स्वीकृत किए जिनमें 2 अतिरिक्त ऋण भी शामिल थे तथा इसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कंसोर्टियम वित्त-पोषण शामिल है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
राज्य क्षेत्र	22	38,682.78
— नए ऋण	20	34,392.24
— अतिरिक्त ऋण	2	4,290.54
निजी क्षेत्र	1	930.75
— नए ऋण	1	930.75
कुल	23	39,613.53

उपरोक्त के अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में, ₹4,687.80 करोड़ के उत्पादन ऋण के बकाया देय पर अधिस्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है



आंध्र प्रदेश में आरईसी द्वारा वित्तपोषित पुरुषोत्थापनम लिफ्ट सिंचाई योजना चरण- I का पंप-हाउस

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 3,759 मेगावाट की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता वाली 40 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जिसमें कुल ऋण सहायता 17,171.34 करोड़ रुपए है और जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
राज्य क्षेत्र	15	2,309.78
— नए ऋण	15	2,309.78
निजी क्षेत्र	25	14,861.56
— नए ऋण	16	12,912.77
— टेकआउट फाइनेंसिंग	9	1,948.79
कुल	40	17,171.34

उपरोक्त ऋणों में 2,902 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 20 सौर फोटो-वोल्टाइक परियोजनाएं, 706 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 150 मेगावाट क्षमता की 1 सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजना, 2000 एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष क्षमता की एक सोलर मॉड्यूल एवं सेल विनिर्माण परियोजना, कुसुम योजना के अंतर्गत 3 सौराकरण परियोजनाएं, 1 मेगावाट वाली एक लघु जल-विद्युत परियोजना, हाईडेल संयंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 6 परियोजनाएं और कुल 902 ई-बसों की खरीद के लिए 4 ई-वाहन परियोजनाएं शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा ऋण के 1,040.60 करोड़ के बकाया देय पर स्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है।



तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आरईसी द्वारा वित्तपोषित विविड सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 252 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने निजी क्षेत्र में अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए ऋण सहित 19,492.75 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता वाली पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी। पारेषण एवं वितरण श्रेणी के तहत ऋणों में बिजली उत्पादन संयंत्रों से जुड़ी प्राथमिक विद्युत निकासी योजनाओं, प्रणाली सुधार योजनाओं, उपकरण/सामग्री जैसे मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, टावर सामग्री, केबल इत्यादि की खरीद और स्थापना के लिए योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य तथा कृषि उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों तक बिजली की पहुंच प्रदान करने के लिए अवसरचना योजनाओं के अधीन ऋण घटक भी शामिल है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत परिकल्पित भारत सरकार की लिक्विडिटी संचार योजना के तहत 60,191.36 रुपए के ऋण भी स्वीकृत किए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत पारेषण एवं वितरण ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
राज्य क्षेत्र	364	76,626.10
– पारेषण ऋण	96	5,184.73
– संवितरण ऋण	242	11,250.01
– लिक्विडिटी संचार योजना के अधीन ऋण	26	60,191.36
निजी क्षेत्र	3	3,058.01
– अन्तरा-राज्यीय पारेषण परियोजना	1	1,477.96
– अन्तर-राज्यीय पारेषण परियोजना	2	1,580.05
कुल	367	79,684.11

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी एंड डी ऋणों के ₹7,333.58 करोड़ के बकाया देय पर स्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है।

7.4 अल्प/मध्यम अवधि के ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न विद्युत यूटिलिटीज को उनकी अल्पकालिक, मध्यम अवधि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अथवा उनकी कार्यशील पूंजी निधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुल 4,750.00 करोड़ रुपए की राशि के 11 अल्पकालिक, मध्यम अवधि और अन्य ऋण भी स्वीकृत किए हैं। उपरोक्त के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य ऋणों के ₹539.91 करोड़ के बकाया देय पर स्थगन को बढ़ाया गया था। इन्हें भी संस्वीकृतियों में गिना जाता है।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों के वित्त-पोषण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण एवं वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल 1,057.52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसमें मणिपुर और मेघालय में केंद्रों के लिए 728.60 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी संचार योजना के तहत ऋण भी शामिल है।

7.6 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आरईसी के पास अपने दिशा-निर्देश मौजूद हैं। प्रवर्तक/इकाई मूल्यांकन वित्तीय प्रदर्शन, क्रेडिट-योग्यता, प्रबंधन दक्षता और प्रवर्तक संस्थाओं के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन विभिन्न तकनीकी मानकों जैसे वैधानिक मंजूरी, पीपीए, बुनियादी अवसररचना आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, परियोजना की 'एकीकृत रेटिंग' इकाई और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर आकलित की जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेड या एकीकृत रेटिंग से जुड़ी हुई होती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने बदलती बाजार प्रथाओं, विनियामक वातावरण, आरबीआई नीतियों आदि को देखते हुए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मौजूदा मूल्यांकन दिशानिर्देशों की सीमित समीक्षा की प्रक्रिया को पूरा किया है।

7.7 राज्य विद्युत यूटिलिटीज, जेवी, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी के पास राज्य विद्युत यूटिलिटीज की ग्रेडिंग के लिए सुपरिभाषित नीति और दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटीज (उत्पादन, पारेषण और व्यापार) की ग्रेडिंग एक वर्ष के दौरान दो बार की जाती है, जो विशिष्ट मापदंडों, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणामों आदि के आधार पर यूटिलिटीज के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर होती है। राज्य के संबंध में विद्युत वितरण यूटिलिटीज (एसईबी/एकीकृत संचालन वाले यूटिलिटीज सहित), आपकी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा फ्रेमवर्क और रेटिंग के अनुमोदन के बाद स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों (केयर/आईसीआरए) द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है।

वित्त-पोषण के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने राज्य बिजली उत्पादन, पारेषण और व्यापारिक यूटिलिटीज आदि को 'ए++', 'ए+', 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 141 यूटिलिटीज (राज्य सरकार को छोड़कर) के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है, जिनमें से 19 केंद्रों को ए++, 48 को ए+, 42 को ए, 25 को बी और 7 केंद्रों को सी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आपकी कंपनी ने ईआरपी प्लेटफॉर्म पर स्टेट ग्रेडिंग के लिए एक मॉडल भी विकसित किया है।



आरईसी ने उत्तराखण्ड के देहरादून में 2x60 मेगावाट की व्यासी जलविद्युत परियोजना को वित्तपोषित किया।

7.8 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया निवेश

आरबीआई ने 4 नवंबर, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विडिटी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) बनाए रखने के लिए निर्धारित किया है, ताकि संभावित लिक्विडिटी व्यवधानों के निपटान के लिए एनबीएफसी के लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके और किसी भी तीव्र लिक्विडिटी तनाव परिदृश्य से बचा जा सके। इसके अनुपालन में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और कॉर्पोरेट बांडों में निवेश किया है।

इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक) और केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक) के कंपनी द्वारा सब्सक्राइब किए गए, परपेचुअल बॉन्ड की शर्तों के अनुसार, उक्त बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है और ये बांड आवंटन की तारीख से 5 साल पूरे होने पर, 30 मार्च, 2021 को भुनाए गए हैं।

कंपनी ने खुदरा व्यापार के माध्यम से खुले बाजार में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के 1,22,71,211 इक्विटी शेयर बेचे। शेयर की कीमत उसके खरीद मूल्य से कई गुना अधिक थी और कंपनी ने 248.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के कारण निवेश की मान्यता रद्द करने के बाद, कंपनी ने इस अवधि के दौरान इक्विटी के भीतर ऐसे शेयरों पर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर दिया है।

कंपनी को पुनर्संरचना योजना के क्रियान्वयन के अनुसरण में अथवा आईबीसी के तहत इसकी उधारकर्ता कंपनियों या उनके प्रमोटरों की विभिन्न प्रतिभूतियां भी आवंटित की गई हैं। निवेश के विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखाओं के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाए गए हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास केएफडबल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए (शासकीय विकास सहायता) क्रेडिट की चार लाइनें हैं, उनमें से तीन को 31 मार्च, 2021 तक पूरी तरह से आहरित कर लिया गया है। केएफडबल्यू-I और केएफडबल्यू-II ओडीए क्रेडिट 70 मिलियन यूरो (लगभग प्रत्येक हैं क्रमशः 454.02 करोड़ रुपये और 480.97 करोड़ रुपये के हैं) तथा केएफडबल्यू-III यूरो 100 मिलियन (लगभग 753.73 करोड़ रुपये) का है। राजकोषीय वर्ष 2019 में, आरईसी ने 228 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के लिए केएफडबल्यू के साथ चौथा ऋण समझौता किया था। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, इस सुविधा के तहत कुल 168.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निकाली जा चुकी है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें हैं। उन दोनों को भी पूरी तरह से ले लिया गया है। जेआईसीए-I और II ओडीए ऋणों के तहत, 31 मार्च, 2021 तक क्रमशः 16,949.38 मिलियन जेपीवाई (लगभग 820.12 करोड़ रुपये) और 11,809.48 मिलियन जेपीवाई (लगभग 640.64 करोड़ रुपये) की संचयी राशि आहरित की गई है।

9. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी कार्यक्रमों का कार्य-निष्पादन और उपलब्धियां

9.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात डीडीयूजीजेवाई, जम्मू-कश्मीर के लिए पीएमडीपी-2015 और सौभाग्य के तहत कार्य-निष्पादन और उपलब्धि:

क. संस्वीकृति: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को डीडीयूजीजेवाई के तहत 480 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

ख. धनराशि जारी किया जाना: भारत सरकार की सब्सिडी को आरईसी के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के ऋण के माध्यम से इसी के समान योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को भारत सरकार द्वारा 4,940.62 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

ग. अवसंरचना सृजन की वास्तविक प्रगति: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात जम्मू-कश्मीर के लिए पीएमडीपी-2015 और सौभाग्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण किया गया है:

- वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग: 61,994
- फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित): 30,668 सीकेएम
- 11 केवी फीडरों की मीटरिंग (संख्या): 1360
- सब-स्टेशनों की कमीशनिंग (संवर्धन सहित): 570

इसके अलावा, 2385 सीकेएम 33 केवी लाइनें संस्थापित की गईं, 54,964 सीकेएम एलटी लाइनें संस्थापित की गईं, 66,017 वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू किया गया और 15,20,550 उपभोक्ता मीटर लगाए गए।

घ. घरों के विद्युतीकरण की प्रगति : वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सौभाग्य के तहत 4.93 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

9.2 31 मार्च, 2021 तक संचयी कार्य-निष्पादन

क. राशि की संस्वीकृति और उसे जारी किया जाना: भारत सरकार की 3 योजनाओं अर्थात जम्मू-कश्मीर के लिए पीएमडीपी-2015 और सौभाग्य के तहत 31 मार्च, 2021 तक कुल मिलाकर 1,40,695 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है और 86,845.65 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित किया गया है।

ख. अवसंरचना के सृजन की वास्तविक प्रगति: उपर्युक्त सरकारी कार्यक्रमों के तहत स्थापना के बाद से लेकर 31 मार्च, 2021 तक निम्नलिखित कार्यों को संचयी रूप से पूरा किया गया है:

- i) वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग: 2,34,193
- ii) फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित): 7,88,978 सीकेएम
- iii) 11 केवी फीडरों की मीटरिंग (संख्या): 14,021
- iv) सब-स्टेशनों की कमीशनिंग (संवर्धन सहित): 7,098

इसके अलावा, 37,415 सीकेएम 33 केवी लाइनें संस्थापित की गईं, 12,99,767 सीकेएम एलटी लाइनें संस्थापित की गईं, 16,24,170 वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू किया गया और 1,54,54,967 उपभोक्ता मीटर लगाए गए।

ग. घरों के विद्युतीकरण की प्रगति: राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों से, 11 अक्टूबर, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए।

इसके अलावा, 7 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर, विद्युत मंत्रालय ने बिना बिजली वाले अतिरिक्त 19.09 लाख घरों को बिजली प्रदान करने के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी, जो पहले विद्युतीकरण के लिए इच्छुक नहीं थे और मार्च 2019 से पहले उन्होंने इसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उसी के संबंध में, 18.85 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिनमें से 4.93 लाख घरों का वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युतीकरण किया गया था।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुवीक्षण

आपकी कंपनी ने नियमित रूप से राज्य विद्युत यूटिलिटीज को वितरण प्रणाली में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशनों और निर्माण मानकों का राज्य बिजली यूटिलिटीज द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास का उपयोग करते हुए लगातार नवाचारों का समर्थन कर रही है।

सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुरूप, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामग्री और कार्यों की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र और सामग्री निरीक्षण करने के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर (आरक्यूएम) नियुक्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरक्यूएम ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 21,547 गांवों, सब-स्टेशनों और फीडरों का क्षेत्र निरीक्षण किया है और निर्माता परिसर में 358 सामग्री निरीक्षण किए।

आरईसी ने राष्ट्रीय और आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों के गुणवत्ता निरीक्षणों के डिजिटलीकरण के लिए एक ऑनलाइन गुणवत्ता पोर्टल विकसित किया है। आरईसी ने आरक्यूएम एजेंसियों की टिप्पणियों को अपलोड करने और डिस्कॉम और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुपालन के लिए मोबाइल ऐप "साक्ष्य" भी विकसित किया है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है जो क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम संबंधी मामलों को देखती है।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी के लिए कंपनी में इसके निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विद्यमान है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और उससे संबंधित अन्य मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए की जाने वाले आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत आवश्यक है, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है।

कंपनी ने इसके विभिन्न जोखिमों की पहचान की है तथा उनका उपशमन करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वित्त-पोषण उद्योग में एक निहित जोखिम है और इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली हानि का जोखिम और ऐसा जोखिम शामिल है कि उधारकर्ता किसी ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान के मामले में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए, क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए कंपनी एक व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों और उपयुक्त संरचना की पहचान तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, ईसीएल प्रविधि के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण के अनुसार नियमित आधार पर आरईसी लोन बुक को उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) प्रचालनात्मक जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर क्रियान्वित किया है जिसके माध्यम से सभी परिचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के परिचालन जोखिमों का अध्ययन व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, विधि, प्रचालन और रणनीतिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है।

(iii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़ी परिपक्वता बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। लिक्विडिटी जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को वित्त-पोषित करने, वित्त पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है।

(iv) बाजार जोखिम

कंपनी के बाजार जोखिम को बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन होने के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतों, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम।

11.2 एएलसीओ समिति

बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है और इसमें इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), कार्यपालक निदेशक और वित्त और परिचालन प्रभागों के मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं।

एएलसीओ ब्याज दरों, लिक्विडिटी और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) **ब्याज दर जोखिम:** ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आपकी कंपनी समय-समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।
- (ii) **लिक्विडिटी जोखिम:** लिक्विडिटी जोखिम देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम है क्योंकि वे देय हो जाती हैं। कंपनी को लिक्विडिटी जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसे प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है।
 आपकी कंपनी कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अपनी लिक्विडिटी की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने और आरबीआई द्वारा 31 अगस्त, 2020 तक ऋणों की स्थगन योजना के परिणामस्वरूप, अपनी मजबूत बाजार विश्वसनीयता और उधार के विभिन्न स्रोतों अर्थात् संस्थागत बांड, ईसीबी और बैंक ऋण आदि के माध्यम से बाजार में व्यापक पहुंच बनाकर धन की व्यवस्था करते हुए नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है।
- (iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम:** विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा-वर्णित परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

12. अधिमानित ग्राहक नीति

कंपनी की व्यवसाय प्रोत्साहन रणनीति के एक भाग के रूप में ग्राहकों को सेवाओं के उन्नत स्तर की पेशकश करने और उनके साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद दीर्घकालिक संबंध रखने के मूल उद्देश्य के साथ वर्ष 2008 में एक 'अधिमानित ग्राहक नीति' तैयार की गई थी। नीति पात्रता मानदंड निर्धारित करती है, जो अधिमानित ग्राहकों को निर्धारित करने और उन्हें क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न बाहरी एजेंसियों और साथ ही हैदराबाद स्थित आरईसी के आंतरिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में उन्हें प्रायोजित करने के लिए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती है जैसे ऋण की बकाया राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता के पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड आदि।

13. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आपकी कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक पहलें की हैं। इसने अपने ई-बिजनेस ईआरपी का नवीनतम संस्करण तैयार किया है और आरईसी डाटासेंटर में ईआरपी हार्डवेयर को निजी क्लाउड परिवेश में स्थानांतरित कर दिया है। नया ईआरपी जीएसटी और नवीनतम लेखा मानकों (इंड-एएस) का समर्थन करता है और इसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं को और अधिक स्वचालित बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं। कंपनी के पास स्वचालित वर्कफ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन सुविधाओं के साथ ई-ऑफिस प्रणाली भी है, जिसने संचालन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया है और कागज के उपयोग को पर्याप्त रूप से कम किया है।

कंपनी ने नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों, उन्नत बैकविडथ और उच्च उपलब्धता विशेषताओं के साथ अपने संगठन के व्यापक एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क बुनियादी ढांचे की सुविधा को पूरी तरह से नया रूप प्रदान कर दिया है। एक सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को निर्बाध संचालन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों तक पहुंच बनाने के लिए दूरस्थ स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है। कंपनी के सभी कार्यालयों में बैठकों/चर्चाओं की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आरईसी के वीसी सिस्टम को नया रूप दिया गया है। वीसी सुविधा का उपयोग एमओपी और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ बैठकों के लिए और कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए भी किया जाता है।

आरईसी के प्राइमरी डाटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किए जाने से रोकने के लिए आरईसी ने डीसी और डीआरसी में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम भी क्रियान्वित किया है। आरईसी ने एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑफ आईटी फ्रेमवर्क के आईटी सुरक्षा निर्देशों को भी लागू किया है।

आरईसी ने बेहतर ई-गवर्नेंस प्राप्त करने की दिशा में अपनी आईटी पहल के भाग के रूप में कई आंतरिक विकसित प्रणालियों को लागू किया है। हरित पहल और कागजरहित परिवेश की दिशा में, कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीयकृत स्कैनिंग समाधान लागू किया गया है। आरईसी कंपनी के भीतर भारत सरकार की आईटी पहलों को सुगम बनाता है और उन्हें बढ़ावा देता है, जैसे माईगवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस, भुगतान के डिजिटल मोड पर डीपीई दिशा-निर्देश आदि।

14. आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)

हैदराबाद, तेलंगाना में आरईसी लिमिटेड के तत्वावधान में 1979 में स्थापित आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (आरईसीआईपीएमटी) विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र का एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान है। पिछले चार दशकों के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 2,573 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और विद्युत यूटिलिटीज जैसे उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों, बिजली विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, बिजली नियामक आयोगों आदि के 56,113 इंजीनियरों/प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया है।

आरईसीआईपीएमटी भी अंतरराष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ एक भागीदार प्रशिक्षण संस्थान है। अब तक, आरईसीआईपीएमटी ने ऐसे 102 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और 98 देशों के 1,683 कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 4 से 12 सप्ताह तक होती है।

14.1 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रायोजित विद्युत वितरण कंपनियों के ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए आरईसीआईपीएमटी नोडल एजेंसी है। पूरे भारत में व्याप्त कोविड-19 महामारी के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने डिस्कॉम और उनके प्रशिक्षण संस्थानों के साथ 34 समझौता ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश भर में कुल 1,128 प्रशिक्षण बैचों में 25,869 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण को पूरा किया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 1,035 प्रशिक्षण बैच डिस्कॉम द्वारा आयोजित किए गए थे, जबकि 93 प्रशिक्षण बैचों का आयोजन डिस्कॉम के अनुरोध पर आरईसीआईपीएमटी की सहायता द्वारा किया गया था।

14.2 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विद्युत केंद्रों के अधिकारियों के मध्य जागरूकता का सृजन करने के लिए, आरईसीआईपीएमटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय भागीदारी के साथ निम्नलिखित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए गए:

क. विद्युत सुरक्षा पर आरईसी द्वारा प्रायोजित 3-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

चूंकि देश में विद्युत केंद्रों की प्रमुख चिंता का विषय सुरक्षा है, आरईसी ने "विद्युत सुरक्षा" पर 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए। इनके तहत, आरईसीआईपीएमटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न केंद्रों से कुल 1,271 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रमों में एमएसईडीसीएल, एपीसीपीडीसीएल, एमपीपीएकेवीवीसीएल, पीएसपीसीएल, एमएसपीजीसीएल, सिविकम पीडीडी, सीईएसएस सिर्किला, केएसईबीएल, बीएसपीटीसीएल, जीईटीआरआई, ओपीटीसीएल, टीएसईसीएल, एचपीटीआई और जीआरआईडीसीओ के इंजीनियरों ने भागीदारी की।

ख. विद्युत केंद्रों की संधारणीयता पर आरईसी प्रायोजित एक-दिवसीय वेबिनार

आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत अधिनियम में संशोधन, टैरिफ सुधार, वास्तविक समय बाजार और नवीकरणीय एकीकरण जैसे विषयों को कवर करते हुए "बिजली यूटिलिटीज की संधारणीयता" पर एक-दिवसीय वेबिनार के 60 बैचों का आयोजन किया। इनके तहत, आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत क्षेत्र की कंपनियों अर्थात जेनकोस, ट्रांसको और डिस्कॉम के 1,238 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

जिन प्रमुख केंद्रों ने इनमें भाग लिया उनमें शामिल थे – जेकेपीडीडी, एचपीपीसीएल, पीटीसीयूएल, एमईईसीएल, एमएसईडीसीएल, एनएलसीआईएल, टीएसएसपीडीसीएल, एमपीपीओकेवीवीसीएल, पीएसपीसीएल, एमएसपीजीसीएल, सिविकम पीडीडी, सीईएसएस सिर्किला, केएसईबीएल, बीएसपीटीसीएल, जीईटीआरआई, ओपीटीसीएल, टीएसईसीएल, एचपीटीआई और ग्रिडको।

ग. आरईसी द्वारा प्रायोजित जागरूकता वेबिनार

आरईसी ने "सुरक्षा पहलू और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली" पर वेबिनार भी आयोजित किया, जिसमें विद्युत क्षेत्र के 44 कार्यपालकों ने भाग लिया; और "रूफ टॉप सोलर सिस्टम" पर भी वेबिनार आयोजित किया, जिसमें 22 कार्यपालकों ने भाग लिया।

14.3 विद्युत यूटिलिटीज के लिए ओपन कैलेण्डर कार्यक्रम

कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान, जैसे ही भारत सरकार ने प्रशिक्षण क्रियाकलापों को संचालित करने की अनुमति दी, वेबिनार के रूप में वर्चुअल या ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण की घोषणा की गई। कोविड-19 की गंभीरता के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने सौर ऊर्जा उत्पादन, आपदा प्रबंधन, वितरण ट्रांसफार्मर, श्रम कानून, सब-स्टेशनों के ओएंडएम और स्मार्ट मीटर जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार के रूप में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन वेबिनार में कुल 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.4 आरईसी कार्यपालक (आंतरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कार्यपालकों के लिए विभिन्न विषयों पर जैसे नेतृत्व और संचार कौशल, ऋण दस्तावेज और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर 4 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें वर्ष के दौरान 131 आरईसी कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया गया।

14.5 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 1,250 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 82,420 प्रशिक्षण मानव-दिवस की उपलब्धि हासिल करने के साथ-साथ 28,678 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें शामिल हैं – 1,128 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें 25,869 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 76,956 मानव-दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया, विद्युत यूटिलिटीज के लिए 112 आरईसी-प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें 2,575 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 5,099 मानव-दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 10 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें 234 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 365 मानव दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

15. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण

कंपनी ने दावों के प्रसंस्करण के लिए देश भर में कॉर्पोरेट कार्यालय के छह प्रमुख प्रभागों और 18 क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों में आईएसओ 9001:2015 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी के मौजूदा जनशक्ति पूल में नए पेशेवरों को शामिल करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी में कैपस भर्ती के माध्यम से 9 अधिकारियों को शामिल किया गया था। 31 मार्च, 2021 को कंपनी की कुल जनशक्ति 428 कर्मचारियों की थी, जिसमें 366 कार्यकारी और 62 गैर-कार्यकारी कार्मिक शामिल थे।

16.1 नियोजन में आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल कार्मिक संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नानुसार था:

समूह	कर्मचारियों की संख्या							
	कुल		अ.जा.		अ.ज.जा.		ओ.बी.सी.	
	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
क	366	385	40	43	16	17	72	70
ख	22	36	03	05	—	—	1	2
ग	40	47	15	16	—	1	3	3
कुल	428	468	58	64	16	18	76	75

16.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

हमारे कर्मचारियों की कौशल-संबंधी योग्यताओं का उन्नयन करने के साथ-साथ उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता प्रदान किया जाना जारी रहा। वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण, कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। महामारी के दौरान जीवन शैली के प्रबंधन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों को उनके कार्य-निष्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए हर संभव अवसर और सहायता प्रदान की गई। उनके पेशेवर ज्ञान को बढ़ाने और उसका उन्नयन करने के लिए और साथ ही कर्मचारियों को उस सामाजिक-आर्थिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जिसमें कंपनी संचालित होती है, उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए जिनका उद्देश्य उनके आध्यात्मिक विकास और व्यावहारिक विकास में मदद करना था।

कर्मचारियों को पेशेवर रूप से सक्षम बनाने के लिए, 179 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया है। इन हस्तक्षेपों के फलस्वरूप कंपनी 329 प्रशिक्षण मानव-दिवस का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हुई। कोविड-19 महामारी के कारण, किसी भी कार्यकारी को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, स्थल पर चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए अंशकालिक डॉक्टरों की सेवाएं ली गई थीं। कंपनी खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ-साथ कर्मचारियों की कुशलता के लिए उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का भी वित्त-पोषण करती रही है।

खेल क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने देहरादून में इंटर-सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट की मेजबानी की और पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज आदि में विभिन्न अंतर-सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों में अपने कर्मचारियों की भागीदारी को प्रायोजित किया। कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी, पत्र प्रस्तुतियों और अनुकरण प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।



विद्युत सेक्टर सीपीएसई के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया

16.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 70 स्थायी महिला कर्मचारी थीं, जो कुल कार्यबल का 16.36% प्रतिनिधित्व करती हैं। लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास को देखने के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्यरत है। आरईसी ने 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया।

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी का औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक असंतोष के कारण मानव-दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित रूप से बातचीत की गई। इसने विश्वास और सहयोग का वातावरण का निर्माण करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल प्रेरित हुआ है और व्यवसाय के प्रदर्शन में निरंतर सुधार आया है।

16.6 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास जनता की शिकायतों का व्यापक रूप से निपटान करने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी विद्यमान है। कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रयोजनार्थ एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, लोक शिकायत के रूप में नियुक्त किया है।

17. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास

आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एंड एसडी) पहल का उद्देश्य एक मार्गदर्शक-सिद्धांत के रूप में सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को निधियां प्रदान करना और उन्हें समर्थन देना, राष्ट्रीय विकास एजेंडे में शामिल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देना और लाभार्थियों के व्यापक वर्ग तक पहुंचना है ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। आरईसी द्वारा समावेशी सामाजिक विकास को सुगम बनाने के लिए साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण ढांचागत विकास के क्षेत्रों में सीएसआर पहलें संचालित की गई हैं।



गुरुग्राम, हरियाणा के आस-पास रह रहे प्रवासी कामगारों के बच्चों को विशेष मोबाइल बस के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए 'स्कूल आपके द्वार' आरईसी की एक अनूठी सीएसआर पहल

कंपनी की 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय नीति' कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ संरेखित है। कंपनी, सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित करती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप 144.32 करोड़ रुपये के सीएसआर बजट को मंजूरी दी। इसकी तुलना में, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान कुल 147.77 करोड़ रुपये का व्यय किया। इसमें पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ रुपये, प्रवासी कामगारों, स्वास्थ्य कर्मियों और गरीब व्यक्तियों को भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने के लिए 6.93 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली में कोविड-19 टीकों के भंडारण के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 0.72 करोड़ रुपये शामिल हैं।

डीपीई ने वर्ष 2020-21 के लिए अधिमानतः आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण के विषयगत क्षेत्रों पर सीएसआर बजट का 60% खर्च करने के लिए सीपीएसई को दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने विभिन्न आकांक्षी जिलों में उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में कल्याण कार्यों का समर्थन करने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाया है। कंपनी गजपति (ओडिशा), मामित (मिजोरम), किफिरे (नागालैंड), मुजफ्फरपुर (बिहार), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), चंदिल (मणिपुर) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और वहां कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से सीएसआर परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट को इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनाया गया है, जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के विवरण शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति <https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives> पर उपलब्ध है।

18. सतर्कता क्रियाकलाप

आरईसी कर्मचारियों के मध्य सत्यनिष्ठा और एकता की भावना को इष्टतम बनाने और सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर आसीन कर्मचारियों के रोटेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) की समीक्षा करने, आदि के माध्यम से 'निवारक सतर्कता' हासिल करना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप संचालित किए गए हैं:

- सीवीसी/एमओपी के निर्देशों के अनुपालन में, चिह्नित संवेदनशील पदों से चक्रानुसार स्थानांतरण के मामले पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
- सीवीसी और एमओपी को निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी समय पर भेजना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों की नियमित समीक्षा अर्थात् आंतरिक, सांविधिक तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टें।
- प्रदान की गई परियोजनाओं, निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली और दिशानिर्देशों को और सुदृढ़ बनाया गया।
- प्रादेशिक कार्यालयों का क्षेत्र निरीक्षण और एपीआर की संवीक्षा।
- विधि परामर्शक और ऋणदाता के विधिक सलाहकार की चयन प्रक्रिया की समीक्षा।
- संसाधन जुटाने के एक मामले की समीक्षा।
- आरईसी द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के क्षेत्र निरीक्षण।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार के बिलों आदि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होती है।
- त्रुटियों का समय पर पता लगाने और उनकी घटनाओं को कम करने के लिए सतर्कता निगरानी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें संगठन की विभिन्न कार्यात्मकताएं शामिल हैं जैसे खरीद और अनुबंध, बिल ट्रेकिंग, ऋण, परिसंपत्ति और कर्मचारी भुगतान (चिकित्सा और यात्रा)।
- यह सुनिश्चित किया गया था कि विभिन्न जानकारीयों और नीतियां जैसे निविदाएं, अपेक्षित प्रपत्र, ऋण आवेदनों की स्थिति और तीसरे पक्षकार के भुगतान, उचित संव्यवहार संहिता, धोखाधड़ी नीति की रोकथाम, सीएसआर दिशानिर्देश, सूचना प्रदाता नीति आदि आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 2 लाख रुपये से अधिक की लगभग सभी निविदाओं का प्रक्रमण ई-प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से किया गया था। उन मामलों में ई-रिवर्स नीलामी भी प्रक्रियाधीन है, जहां खरीद का अनुमानित मूल्य और उद्धृत मूल्य कुछ मापदंडों से अधिक है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसी में कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी ने 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान, आरईसी ने सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए नारा लेखन, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, कविता पाठ और चित्रकला प्रतियोगिताओं के साथ-साथ मास्क डिजाइनिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के लिए 28 अक्टूबर, 2020 को "अनुबंध प्रबंधन" पर एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाला/वेबिनार का भी आयोजन किया। इसके अलावा, आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुषंगी कंपनियों में सतर्कता जागरूकता क्रियाकलापों का भी आयोजन किया गया।

इसके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 के आयोजन के दौरान आरईसी में संचालित किए गए क्रियाकलापों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सीवीसी को भेजी गई थी।

इसके अतिरिक्त, आरईसी ने "सत्यनिष्ठा क्लब" के माध्यम से युवा स्कूली बच्चों को सतर्क नागरिकों के रूप में तैयार करने का अपना प्रयास जारी रखा, जिसमें अब पूरे भारत में 32 स्कूलों में खुल चुके हैं, जिसमें 1600 छात्र शामिल हैं।

19. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कंपनी के कर्मचारियों के मध्य हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में 1 सितंबर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के दौरान 'हिंदी माह' का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी कविता लेखन, हिंदी यात्रा-वृत्तांत लेखन, हिंदी निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, हिंदी सिनेमा प्रश्नोत्तरी, खेल प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन सभी आयोजनों और प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहजनक रही। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आरईसीआईपीएमटी सहित कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य कार्यालयों में 'हिंदी पखवाड़ा' भी आयोजित किया गया था, ताकि प्रतिभागियों को उनके शासकीय कार्य के निर्वहन में हिंदी का प्रयोग करने में व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके।



डॉ. सुमीत जैरथ, आईएस, सचिव (राजभाषा) (बिल्कुल दाएं) राजभाषा गोष्ठी के दौरान आरईसी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

संसदीय राजभाषा समिति ने 3 अक्तूबर, 2020, 6 जनवरी, 2021 और 11 जनवरी, 2021 को आरईसी के क्रमशः नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर स्थित कार्यालयों का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों के फलस्वरूप कर्मचारियों में अपने सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जागरूकता की भावना पैदा की है।

21 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में राजभाषा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव (राजभाषा) ने 'राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में बारह-प्र की भूमिका' पर दिए गए अपने संबोधन के माध्यम से कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेरित किया और कंपनी के शासकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग की भी समीक्षा की।

1 मार्च, 2021 को कठस्थ (ट्रांसलेशन मैमोरी) पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा 12 मार्च, 2021 को जयपुर स्थित इसकी नराकास (पीएसयू) के तत्वावधान में एक अंतर-पीएसयू हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। आपकी कंपनी हिन्दी पत्रिका 'ऊर्जायन' का प्रकाशन करती रही है जिसमें रोचक और उपयोगी लेखों के साथ-साथ कर्मचारियों की साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका के लिए हिंदी में संस्मरण, लेख, कविता आदि लिखने को प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने पुरस्कार और प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्प्रवाह के बारे में विवरण

20.1 ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां समस्त सिविल कार्य, विद्युत संस्थापना और रख-रखाव स्कोप (स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज) द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, स्कोप ने प्रभावी निगरानी, एसी चिलिंग यूनिटों और लिफ्टों के संचालन और नियंत्रण, छत पर अन्य ऊर्जा कुशल उपकरणों जैसे 100 किलोवाट और 10 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उपयोग करके तथा संचालन/अधिभोग सेंसर का प्रयोग करने के साथ-साथ पावर फैक्टर को यूनिटी के समीप रखते हुए लगभग 15.48 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत की है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1.89 करोड़ रुपये की वित्तीय बचत हुई।

आरईसी ने हाल ही में गुरुग्राम, हरियाणा में अपने नए कार्यालय भवन से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। इस भवन की परिकल्पना अद्वितीय विशेषताओं के साथ जीआरआईएचए-5 स्टार रेटेड नेट जीरो भवन के रूप में की गई है। भवन को नेट जीरो बनाने के लिए, इसकी छत पर एक 964 केंड्रल्यूमी क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे सौर पैनल संरचना द्वारा सहयोग दिया गया है ताकि भार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, पहले वर्ष में 16.7 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए अत्यधिक कुशल सौर पैनल (दक्षता > 21%) स्थापित किए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण के प्रयोजन के लिए, भवन का डिजाइन ऊर्जा कुशल अग्रभाग और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है और इसी के अनुसार भवन का निर्माण किया गया है, जिससे एचवीएससी लोड आवश्यकता को लगभग 30% कम किया जा सके।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं हुआ। इसके अलावा, वर्ष के दौरान ब्याज, मूलधन पुनर्भुगतान, वित्त प्रभाषण और अन्य व्ययों के कारण कुल 12,158.78 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह किया गया।

21. अनुषंगी कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी के पास दो पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां थीं, अर्थात् आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जिसका बाद में नाम बदल कर 16 जुलाई, 2021 से आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड कर दिया गया था) ("आरईसीपीडीसीएल") [सीआईएन: U40101DL2007GOI165779] और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) [सीआईएन: U40101DL2007GOI157558]।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत आरईसीटीपीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के साथ आरईसीपीडीसीएल (हस्तांतरिती कंपनी) के आमेलन की व्यवस्था की योजना के अनुसरण में, जिसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था, आरईसीटीपीसीएल 1 अप्रैल, 2020 की नियत तारीख और 6 फरवरी, 2021 की प्रभावी तारीख के साथ आरईसीपीडीसीएल में आमेलित हो गया है।

आमेलन का उद्देश्य उक्त दो कंपनियों को एक एकल इकाई में विलयित करना था, ताकि संचालन में बेहतर तालमेल हासिल किया जा सके, विभिन्न बाजार क्षेत्रों तक अधिक पहुंच बन सके और उच्चतर पूंजी आधार एवं संचयित संसाधनों का लाभों का दोहन किया जा सके। आमेलन के अनुसरण में, आरईसीटीपीसीएल की समस्त परिसंपत्तियां और दायित्व आरईसीपीडीसीएल में स्थानांतरित हो गई हैं। इसके अलावा, आमेलन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल ने आरईसी द्वारा तत्कालीन आरईसीटीपीसीएल में धारित 10/- रुपए प्रत्येक के 50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बदले कंपनी को 10/- रुपए प्रत्येक के 35,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इसलिए, 31 मार्च, 2021 तक, आरईसी के पास आरईसीपीडीसीएल में 10/- रुपए प्रत्येक के कुल 85,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर विद्यमान हैं।

आरईसीपीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के व्यवसाय में कार्य कर रहा है अर्थात् वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ-ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों का कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, पूर्व-प्रेषण सामग्री निरीक्षण और राज्य द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि की कतिपय परियोजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन सलाहकार/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करना।

इसके अलावा, आमेलन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) को समाविष्ट करता है, जो आरईसी की अनुषंगी कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगी कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और दायित्वों के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 1 परियोजना विशिष्ट एसपीवी अर्थात् रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [सीआईएन: U40300DL2020GOI365214] को चुने गए बोलीदाता, अर्थात् पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के पास विभिन्न अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी थे: -

- (1) दिनचांग पारेषण लिमिटेड* [सीआईएन: U40300DL2015GOI288066]
- (2) चंदिल पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40108DL2018GOI330905]
- (3) कोडरमा पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40300DL2018 GOI331192]
- (4) दुमका पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40300DL2018 GOI331490]
- (5) मंदर पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40101DL2018GOI331526]
- (6) कल्लम पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40106DL2020GOI364104]
- (7) गडग पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40100DL2020GOI364213]
- (8) फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड# [सीआईएन: U40108DL2020GOI364227]
- (9) राजगढ़ पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40106DL2020GOI364436]
- (10) बीदर पारेषण लिमिटेड [सीआईएन: U40106DL2020GOI364498]
- (11) सीकर न्यू पारेषण लिमिटेड: [सीआईएन: U40106DL2020GOI364672]
- (12) एमपी पावर पारेषण पैकेज-I लिमिटेड [सीआईएन: U40108DL2020GOI367417]
- (13) एमपी पावर पारेषण पैकेज-II लिमिटेड [सीआईएन: U40100DL2020GOI368275]

* उक्त कंपनी बंद कर दी गई है और 17 अगस्त, 2021 से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से इसका नाम हटा दिया गया है

4 जून, 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, विलय की गई इकाई आरईसीपीडीसीएल ने एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष में 222.18 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 184.69 करोड़ रुपए की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विलय की गई इकाई के लिए कर पश्चात् लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में 66.91 करोड़ रुपए की तुलना में 25.62 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2020 को 280.80 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति की तुलना में 31 मार्च, 2021 को 297.99 करोड़ रुपए थी।

22. संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के विवरण

आरईसी ने तीन अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर 10 दिसंबर 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) [सीआईएन: यू40200डीएल2009 पीएलसी196789] का गठन किया है। ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है और राज्य डिस्कॉम, ऊर्जा विनियामक आयोगों, राज्य विकास प्राधिकरणों, भावी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों आदि के लिए क्षमता निर्माण हेतु संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करती है। आरईसी ने 31 मार्च, 2021 तक ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में 218.10 करोड़ रुपये (22.18%) का योगदान दिया है।

ईईएसएल का गठन विशेष रूप से नगर पालिकाओं, भवनों, कृषि, उद्योग आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, एमएनआरई, भारत सरकार की कई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन की बाजार से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व भी कर रहा है, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एनएपीसीसी) के अधीन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईईएसएल के अंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वर्ष के दौरान इसका टर्नओवर 1,471.85 करोड़ रुपये (स्टैंडअलोन आधार पर) था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 43.96 करोड़ रुपये और 32.87 करोड़ रुपये था।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरणियां तैयार की हैं, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात् आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) और संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् ईईएसएल (गैर-लेखापरीक्षित) शामिल है, जिसे कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसरण में, प्रारूप एओसी-1 में सहायक अनुषंगियों/सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनाया गया है। स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं, आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/ब्याज को बिक्री के लिए धारित किया जाता है, अतः ऐसी एसपीवी कंपनियों में ब्याज का लेखा-जोखा इंड-एएस 105 के अनुसार किया जाता है।

कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरणियों और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित इंड-एएस वित्तीय विवरणियां कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारक के लिए किसी न्यासी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा। कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई-मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है जो विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों, नामनिर्दिष्ट निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई सिटिंग फीस कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक कंपनी से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या सिटिंग फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और सिटिंग फीस का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट' में दर्शाया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है। सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर, 2020 आदेश सं. 46/2/2019-आरई [247264] द्वारा श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस (डीआईएन 00992744) को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। श्री संजय मल्होत्रा ने 9 नवंबर, 2020 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

श्री संजय मल्होत्रा के कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन 03464342), निदेशक (तकनीकी) विद्युत मंत्रालय के दिनांक क्रमशः 12 जून, 2020, 10 सितंबर, 2020 और 24 नवंबर, 2020 के आदेशों के अनुसरण में 1 जून, 2020 से लेकर 8 नवंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश सं. 46/9/2011-आरई [228164] द्वारा श्री अजय चौधरी (डीआईएन 06629871) को 1 जून, 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में भी नियुक्त किया था। श्री अजय चौधरी पूर्व में कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) थे।

विद्युत मंत्रालय ने आदेश सं. 46/8/2015-आरई [227696] दिनांक 5 नवंबर, 2020 द्वारा श्री तन्मय कुमार, आईएएस (डीआईएन 02574098), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को आरईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक उपाध्यक्ष श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, आईएएस (डीआईएन 03426753), संयुक्त सचिव के स्थान पर नियुक्त किया था, जिन्हें पहले आरईसी के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक के रूप में नामित कर लिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन 02231613), निदेशक (वित्त), जो 31 मई, 2020 तक आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे, कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और वे 1 जून, 2020 से निदेशक नहीं रहे। बोर्ड कंपनी के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान श्री अजीत कुमार अग्रवाल और श्री मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा प्रदान किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए उनकी सराहना करता है।

कंपनी के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी श्री जे.एस. अमिताभ हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कंपनी के सभी तत्कालीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने या उनके पद की समाप्ति के बाद, बोर्ड और उसकी कुछ समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और संबंधित वर्ष के लिए सीपीएसई हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देश, 2010 के उपबंधों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि लागू सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, पीएफसी के नामित निदेशक श्री प्रवीण कुमार सिंह, (डीआईएन 03548218) कंपनी की आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, नियंत्रक कंपनी से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं का दावा पेश करेंगे। निदेशक मण्डल ने उनकी पुनर्नियुक्ति की संस्तुति की है। श्री प्रवीण कुमार सिंह का संक्षिप्त पूर्ववृत्त और अन्य विवरण एजीएम की सूचना के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मण्डल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक उपबंधों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी को अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में एक विवरण का प्रकटीकरण करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इसके स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड निहित होते हैं, जैसा कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी कंपनियों को ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के उस मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के निबंधनों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरईसी को छूट प्रदान की गई है, क्योंकि कंपनी के निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यकारी का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशा-निर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी नियंत्रक कंपनी पीएफसी के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम प्रदान की गई कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों का सीमांकन करता है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

26. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में, यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखें तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है (नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के अलावा जैसाकि वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है) तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकें;
- कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती जाती है;
- वार्षिक लेखे वर्तमान संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा
- निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

27. समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग और पुरस्कार

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, कंपनी के प्रदर्शन के लिए इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई है और वित्तीय वर्ष 2019-20 की एमओयू रेटिंग प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न पुरस्कार और मान्यताएं हासिल कीं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक्सचेंज4मीडिया द्वारा वीमेन अचीवर्स पुरस्कार, 2020 में महिला अधिकारिता के लिए श्रेष्ठ संगठन
- कार्पोरेट सुशासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 (महारत्न और नवरत्न श्रेणी में रनर अप)
- कोविड के क्षेत्र में काम करने के लिए स्कॉच पुरस्कार
- महात्मा गांधी सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2020
- सीएसआर, आईटी, पर्यावरण और एचआर के लिए राष्ट्रीय पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार
- महिला सशक्तिकरण के लिए सीएसआर साइनिंग स्टार पुरस्कार

आरईसी के कार्पोरेट कम्यूनिकेशन टीम को रेपुटेशन टुडे द्वारा शीर्ष 30 कार्पोरेट कम्यूनिकेशन टीम में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

28. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 'हरित पहल' के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और ऐसे शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को लागू किया है, जिनकी ईमेल आईडी उसके पास पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों को लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित संकल्पों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी इस वर्ष भी अपनी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित करेगी। सदस्य एजीएम में ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं, जैसा कि एजीएम की सूचना में दिया गया है।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकर्ता (आर एंड टीए) या अपने संबंधित निक्षेपकारी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत करें और हरित पहल में भाग लें।

29. स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

आरईसी ने 16 मई, 2020 से 31 मई, 2020 के दौरान *स्वच्छता पखवाड़ा* मनाया और इसके तहत विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान आरंभ किया जिससे कार्यालय परिसर और घरों की साफ-सफाई किए जाने के बारे में जागरूकता पैदा हुई। कंपनी ने *स्वच्छता पखवाड़ा* के संदेश को प्रसारित करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का भी प्रयोग किया। कंपनी की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग बनाया गया था, जिसमें कार्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए आरईसी द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान किया की गई थी।

आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने जरूरतमंदों के मध्य '*स्वच्छता*' किटों का वितरण किया जिसमें हैंडवाश, दस्ताने, फेस मास्क और डस्टर आदि शामिल थे। आरईसी चेन्नई कार्यालय ने चेन्नई के मायलापुर के पास स्थित मलिन बस्ती क्षेत्रों में लगभग 350 परिवारों के मध्य ऐसी किटें वितरित कीं। आरईसी जयपुर कार्यालय ने भी जयपुर और आसपास के मलिन बस्ती क्षेत्रों में जरूरतमंदों को ऐसी किटें वितरित कीं। इसके अलावा, आरईसी के अन्य कार्यालयों ने अपने आस-पास के क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यकलाप संचालित किए और देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता के संदेश को फैलाने में मदद की।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) को कंपनी में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने और अपीलों के निपटान से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आरटीआई हैंडबुक, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, आरईसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों की स्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	विवरण	आरटीआई की संख्या
1.	प्राप्त आवेदन	252
2.	निपटाए गए आवेदन	246
3.	बाद में (परंतु सांविधि समय-सीमा के भीतर) निपटाए गए आवेदन	6
4.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	15
5.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलें	15
6.	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त द्वितीय अपीलें	3
7.	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई गई द्वितीय अपीलें	3

31. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012 के अधीन रिपोर्टिंग

अधिप्राप्ति प्रक्रिया में यथापरिभाषित एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों का कंपनी में अनुपालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहल को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में और निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानदंडों को हासिल करने के लिए, जिन्हें नवंबर 2018 से संशोधित किया गया है, आरईसी ने पहले ही एमएसएमई विक्रेताओं से 10 लाख रुपये तक की मूल्य की सामान्य उपयोग की कतिपय वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद को अनिवार्य कर दिया है और एमएसएमई को 50% तक की मूल्य वरीयता की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है, जिसमें से 20% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, आरईसी पहले से ही जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), संबंध और समाधान पोर्टलों पर पंजीकृत है और आरईसी के सभी कार्यालय इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद 11.65 करोड़ रुपये थी, जिसमें से एमएसएमई से खरीद की राशि 8.24 करोड़ रुपये (71%), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद की राशि 0.56 करोड़ रुपये (7%) और महिला उद्यमियों से खरीद की राशि 0.21 करोड़ रुपये (2.5%) शामिल थी।

आरईसी ने न केवल जीईएम पोर्टल से खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किया बल्कि एमएसएमई से भी खरीद का लक्ष्य (25% के लक्ष्य के मुकाबले 71%) हासिल किया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान भारत सरकार के एमएसएमई समाधान पोर्टल पर भुगतान में देरी या एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा किसी अन्य शिकायत के संबंध में आरईसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी।

आरईसी ने अपने सभी अखिल भारतीय कार्यालयों के लिए केवल जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, आरईसी ने एक व्यापक जीईएम खरीद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है, जिसमें जीईएम के संकाय द्वारा संचालित विशेष सत्र शामिल हैं। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और सभी ने इनकी पर्याप्त प्रशंसा की।

आरईसी टीआरडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर भी पंजीकृत है और एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा बिलों पर छूट के लिए इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा, आरईसी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपना वार्षिक विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) भी ऑनलाइन सत्र के माध्यम से आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं ने भाग लिया। एमएसएमई के लिए आरईसी की लोक अधिप्राप्ति नीति को कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) पर विधिवत प्रकाशित सभी निविदाओं में शामिल किया गया है। सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर इसकी गहन जांच और निगरानी भी की जा रही है। आईईएम ने विभिन्न अनुपालनों के लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है और यह पाया है कि सभी खरीद संबंधी सभी क्रियाकलाप सही हैं।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। समिति का नेतृत्व कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें इसके सदस्यों के रूप में एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कंपनी के यौन उत्पीड़न विरोधी दृष्टिकोण को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम में भी रेखांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

33. वार्षिक विवरणी

कंपनी की वार्षिक विवरणी <https://www.recindia.nic.in/annual-returns> पर उपलब्ध है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रारूप एओसी-2 में प्रकट किए जाने वाले संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के विवरण 'शून्य' थे।

35. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. के. मित्तल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 001135एन) और मेसर्स ओ.पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अभी सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जानी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का परिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल को अधिकृत करने हेतु आगामी वार्षिक बैठक में सदस्यों का अनुमोदन लिया जाएगा, जिन्हें सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 6370), नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और इसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

35.1 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्ट) इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक अनर्ह रिपोर्ट दी है। हालांकि, बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के संबंध में उनकी कुछ टिप्पणियां हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

सचिवीय के लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत एक महिला निदेशक सहित बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तथा यह प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करती है।
2. आरईसी के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति की बैठकों की संरचना, अध्यक्षता और गणपूर्ति सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में नहीं थी।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आरईसी के सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने, त्यागपत्र देने या उनके पद की समाप्ति के बाद, वर्तमान में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक और महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।
3. आरईसी के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में नहीं थी।	तदनुसार, आरईसी के बोर्ड की संरचना, जिसमें कुछ समितियों की संरचना शामिल है, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक भी इसी कारण से आयोजित नहीं की जा सकी।
4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक आयोजित करने के संबंध में सेबी (सूचीबद्धकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) और (6) का पालन नहीं किया है।	कंपनी ने विद्युत मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। आरईसी का अनुरोध विद्युत मंत्रालय के पास विचाराधीन है। एक बार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, कंपनी सभी लागू सांविधिक उपबंधों का पालन करेगी।

36. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने 30 जुलाई, 2021 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को हुए समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएंडएजी की टिप्पणियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।

37. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (दायित्व सूचीबद्धकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय-समय पर जारी किए गए अपने बांडों और डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण को दर्शाने वाली सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

38. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है और कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया है।

- ग) विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई ऐसा उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य में संचालन को प्रभावित किया जा सके।
- घ) कंपनी विभिन्न संव्यवहारों की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली अनुरक्षित करती है। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' का अवलोकन करें।
- ड.) बोर्ड इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ शर्तें और वर्ष के दौरान आयोजित इनकी बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/सूचना प्रदाता नीति की स्थापना और निदेशकों की जागरूकता/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब-लिंक, संबंधित पक्षकार संव्यवहार की भौतिकता और संबंधित पक्षकार संव्यवहार के निपटान के लिए नीति, वास्तविक अनुषंगियों के निर्धारण के लिए नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को मुआवजा, निदेशकों को सिटिंग फीस तथा आईईपीएफ आदि के बारे में विवरण के बारे में जानकारी समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (दायित्व सूचीबद्धकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुपालन में तैयार की गई है और उसे 'कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट' में प्रदान किया गया है। जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
- च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में, कंपनियों के वित्त-पोषण अथवा उनके व्यवसाय के सामान्य संचालन में अवसरचरणात्मक सुविधाएं प्रदान के व्यवसाय में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटियां, प्रदान की गई प्रतिभूतियां अथवा किए गए निवेश कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेश का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दिया गया है।
- छ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध और उसके तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, इसलिए कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- ज) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं विद्यमान नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2021 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हैं।
- झ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।
- ञ) यथा लागू सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरों और आरटीआई मामलों आदि से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए हैं जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अपेक्षा की गई है।
- ट) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के अधीन कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खातों और अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।
- ठ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।
- ड) कंपनी, अपनी सीमा में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवालयी मानकों का अनुपालन करती है।
- ढ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में कोई नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(iii) के अधीन कोई प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- ण) वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।
- प) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आरईसी के विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी। इसके अलावा, एकबारीय निपटान के समय पर किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर के विवरण लागू नहीं होते हैं।
- फ) कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के ऑब्जेक्ट क्लॉज को आखिरी बार वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। तब से, देश में बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है और कारोबार के नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना है अर्थात् (i) जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी स्थापित की गई है और (ii) इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिन विषयों को आवश्यक समझा जाता है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को संरक्षित करने के लिए और कंपनी को विद्युत क्षेत्र में उभरते कारोबारी अवसरों का दोहन करने तथा व्यवसाय के नए क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव हेतु एक विशेष संकल्प शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।

39. गुरुग्राम में कार्यालय का नया भवन

आरईसी ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में अपने नए कार्यालय भवन से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। यह एक अत्याधुनिक नेट जीरो बिल्डिंग है, जिसकी छत पर 964 केडब्ल्यूपी सौर पीवी संयंत्र है, जो पेरगोला संरचना द्वारा समर्थित है और इसमें कई अनूठी विशेषताएं भी मौजूद हैं, जैसे फेयर फिनिश व्हाइट कंक्रीट सरफेस, उठा हुआ फर्श, एयर कंडीशनिंग में बिजली की खपत को कम करने के लिए स्लैब के लिए रेडिएंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), स्वचालित सेंसर-नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटर चालित ब्लाइंड्स के साथ बायो-क्लाइमेटिक ग्लास सर्फेस और सभागार।



गुरुग्राम, हरियाणा में आरईसी की नई स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट कार्पोरेट कार्यालय भवन

भवन का निर्माण ठेकेदार जेएमसी प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और परियोजना वास्तुकार के रूप में मेसर्स सीडब्ल्यूए, न्यूयॉर्क की देखरेख में किया गया है।

40. एकीकृत रिपोर्ट

सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की एक 'एकीकृत रिपोर्ट' तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

41. सांविधिक और अन्य सूचनाओं संबंधी अपेक्षाएं

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (दायित्व सूचीबद्धकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशा-निर्देश, 2010 और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी इस रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार संलग्न है:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
कार्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कार्पोरेट सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	VI
सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
बांडों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण	VIII

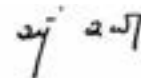
42. आभार

निदेशक ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के मामलों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में उनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए नियंत्रक कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, कंपनी के सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं और बांड धारकों को उनकी सद्भावना और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने और उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य बिजली यूटिलिटीज और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों सहित सभी ग्राहकों और उधारकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों द्वारा किए जा रहे निरंतर मूल्यवर्धन के लिए कंपनी के निदेशकगण उनके आभारी हैं। अंत में, महामारी के बावजूद अथक परिश्रम करने हेतु कंपनी की सफलता के लिए, निदेशकगण, कंपनी के सभी कार्मिकों की सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से



संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 00992744)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 27 अगस्त, 2021

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कारोबारी परिवेश एवं उद्योग परिदृश्य, उद्योग जोखिम और अवसर तथा कंपनी के कार्य-निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है।

व्यापार परिवेश

वैश्विक कारोबार परिवेश

कोविड - 19 महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को एक बड़ा झटका लगा, रोजगार के संकट पैदा हुए, असमानताएं बढ़ गईं और इसने 131 मिलियन अतिरिक्त लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया। आईएमएफ की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में -3.3% के अनुमानित संकुचन के उपरांत, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, इसके बाद 2022 में इसके 4.4% तक उदार होने और मध्यावधि में 3.3% तक मध्यम होने की संभावना है। सरकारी प्रतिबंधों और निजी निर्णयों के कारण, महामारी के उपरांत आर्थिक परिदृश्य और नीतियों में अनिश्चितता, कम निवेश, धीमी मानव पूंजी संचय के परिणामस्वरूप शिक्षा में व्यवधान, वैश्विक मूल्य श्रृंखला की व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन में मंदी से कम व्यक्तिगत बातचीत से आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। हालांकि, महामारी को लेकर अभूतपूर्व नीतिगत प्रतिक्रिया से अनेक राहत मिली है। इसलिए, कोविड - 19 के कारण आई मंदी 2008 में आए वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कम असर होने की संभावना है।

वर्ष 2020 में वस्तुओं और सेवाओं को वैश्विक व्यापार अनुमानित 7.6% संकुचित हुआ है, जो वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में थोड़ा कम संकुचन है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अपने पूर्व-महामारी स्तर के एक अंश पर बनी हुई है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल्स एवं निजी सुरक्षा उपकरणों की मजबूत मांग के कारण, 2020 के मध्य से वैश्विक वाणिज्यिक व्यापार में सुधार हो रहा है। वाणिज्यिक व्यापार में सुधार का नेतृत्व चीन और अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किया गया है, जो वायरस के प्रसार को रोकने में अपेक्षाकृत सफल रही हैं और उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षा से अधिक तेजी से सुधार का अनुभव किया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को 2020 की दूसरी छमाही में कोविड -19 के तेज पुनःस्थान का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक प्रतिक्रिया में कमी आई। 2021 और उसके बाद की अपेक्षित रिकवरी महामारी के विकास, इसकी उत्तरवर्ती लहरों और टीकाकरण अभियान की प्रभावशीलता पर बहुत अधिक निर्भर करेगी।

एक महत्वपूर्ण वित्तीय और मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में आर्थिक आपदा को टालने में समर्थ रहा। एक के-आकार की रिकवरी जारी है, जहां महामारी की अत्यधिक चपेट में आने वाले उद्योगों और आवासों को सहायता की आवश्यकता है, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक संकट को रोका जा सके। माल उद्योग अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि महामारी में वस्तुओं की खपत में 3.9% की वृद्धि देखी गई है। कई परिवारों ने वर्क-फ्रॉम-होम (अपने घर से काम करने) के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समय बचाने वाले सामान और गैजेट खरीदे। इसी दौरान 2020 में सेवाओं की खपत में 7.3% की गिरावट आई। सेवा-उद्योग के कई हिस्से अभी भी मांग और आपूर्ति के झटके से प्रभावित हैं। रिकवरी के लिए ट्रेजेक्टरी एक सहायक नीति परिवेश पर निर्भर है। फर्मों और आवासों के बीच तकनीकी जानकारी के स्तर में संभावित बदलाव से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। केपीएमजी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, मार्च 2021 के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ठीक होने और 2021 में 5.9% और 2022 में 4.3% तक बढ़ने की संभावना है।

चीन में, तेजी से किंतु असमान रूप से आर्थिक सुधार हुआ, जिसमें उपभोक्ता सेवाएं औद्योगिक उत्पादन से पीछे रहीं। 2020 में पुनरुद्धार मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्यात आधारित था। केपीएमजी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, मार्च 2021 के अनुसार चीनी अर्थव्यवस्था के 2021 में 8.8% और 2022 में 5.4% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसकी तुलना में, जापानी अर्थव्यवस्था के 2021 में 2.3% और 2022 में 2.1% बढ़ने की संभावना है।

इस महामारी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में, जब महामारी की पहली लहर अपने चरम पर थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष-प्रति-वर्ष 24.4% की कमी आई, जिसके बाद संकुचन कम होने लगा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के जोरदार प्रयासों और लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट के कारण, भारत वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही तक तकनीकी मंदी से बाहर निकल गया था और चौथी तिमाही में, भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.6% की वृद्धि हुई थी। पूरे वित्त वर्ष 2021 के लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई है।

आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में 9.5% तक बढ़ोतरी होगी, जो उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 8.5% की अपेक्षित वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर निजीकरण की प्रक्रिया, स्वास्थ्य देखभाल और पूंजी निर्माण पर वृद्धिशील व्यय के आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हालांकि, इस तेजी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में सामान्य मानसून, कोविड -19 महामारी की रोकथाम में सफलता और लागत के दबाव से अप्रभावित रहने वाले विवेकाधीन खर्च, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की उच्च कीमतों के फलस्वरूप सृजित कारक शामिल हैं।

आर्थिक गतिविधियों में और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास से समर्थित, 2021 में दुनिया भर में बिजली की मांग 4.5% तक बढ़ने की संभावना है। कम कार्बन ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन से, ऊर्जा मिश्रण में अधिक विविधता, अत्यधिक उपभोक्ता पसंद, स्थानीयकृत ऊर्जा बाजार और एकीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर के साथ वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के मूलभूत से पुनर्गठन किए जाने की संभावना है। ये परिवर्तन इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि वैश्विक ऊर्जा प्रणालियाँ निम्न कार्बन की ओर परिवर्तन कर रही हैं।

भारतीय कारोबारी परिवेश

आईएमएफ के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 8.5 प्रतिशत पर रखने के साथ, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने वी-आकार के आर्थिक विकास पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी आंतरिक शक्ति के लिए एक वसीयतनामा है।

वित्त वर्ष 2021 के दौरान और उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने महामारी की स्थिति के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। आरबीआई ने सावधि ऋण किस्तों पर स्थगन करने, कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज की मोहलत देने, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील देने, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए समाधान समय-सीमा का विस्तार करने और ऋण संस्थानों द्वारा अधिस्थगन को छोड़कर परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव करने जैसे नियामक उपायों की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने, सिस्टम के साथ-साथ सेक्टर-विशिष्ट लिविडिटी को बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ) और लक्ष्यकृत दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशंस (टीएलटीआरओ) भी शुरू किए हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का चयन करने के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गई थी, जबकि रिडेम्पशन दबाव को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए एक विशेष लिविडिटी सुविधा शुरू की गई। इसके अलावा, 26 मार्च, 2021 को समाप्त एक वर्ष की अवधि के लिए सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर 3% कर दिया गया था। अप्रैल 2021 में देखी गई दूसरी लहर के बाद और आगे की आवश्यकता को महसूस करते हुए देश के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रेपो दर पर 50,000 करोड़ रुपये ऋण लेने की छूट दी, ताकि अस्पतालों, निर्माताओं और व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल खर्च की व्यवस्था की जा सके।

कोविड-19 के कारण देश के बिजली क्षेत्र में सीमित व्यवधान देखा गया, क्योंकि विद्युत एक अनिवार्य सेवा है। अधिकांश राज्यों ने अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत देते हुए मांग में वृद्धि की सूचना दी। यह उछाल मुख्य रूप से मर्करी में जल्दी वृद्धि के साथ-साथ वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने के कारण हुआ, जो बिजली की खपत के कोविड-पूर्व स्तरों पर वापसी को दर्शा रहा है। विद्युत उत्पादन मिश्रण में उनके सापेक्षिक अंश में वृद्धि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एक उज्ज्वल स्थान पर पहुंच गयी है।

मार्च, 2021 में, देश में बिजली की खपत एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 24.35% से बढ़कर 123.05 बिलियन यूनिट (बीयू) हो गई। मार्च 2020 में बिजली की खपत 98.95 बीयू दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में, देश में बिजली की खपत में 0.8% की कमी आई थी। यह मुख्य रूप से लॉकडाउन के परिणामस्वरूप औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की कम मांग के कारण था।

‘सबके लिए बिजली’ उपलब्ध कराने संबंधी भारत सरकार के फोकस ने देश में क्षमता आवर्धन को गति दी है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस – ‘गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी’ रैंकिंग में भारत का रैंक 2020 में 22 वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 137 वें स्थान पर था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में, भारत में बिजली उत्पादन 1,234 बीयू तक पहुंच गया।

उद्योग संरचना और विकास

उद्योग सिंहावलोकन

भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक स्रोतों तथा पवन, सौर और कृषि एवं घरेलू कचरे जैसे गैर-पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन के साथ देश का बिजली क्षेत्र अत्यंत विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। मार्च 2021 तक भारत में बिजली स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 382 जीडब्ल्यू थी।

सरकार का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन सहित) के महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल करना है, ताकि 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता तक पहुंच सके। सरकार 2022 तक सौर परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के अपने लक्ष्य के सहायतार्थ एक ‘किराये पर छत’ नीति को भी तैयार कर रही है।

उद्योग संरचना

उत्पादन

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 382 गीगावाट था, जिसमें राज्य क्षेत्र में 103,869 मेगावाट (27%), केंद्रीय क्षेत्र में 97,507 मेगावाट (26%) और निजी क्षेत्र में 180,774 मेगावाट (47%) शामिल हैं। देश भर के थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) केंद्र के लिए 61.78%, राज्य के लिए 44.68% और निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए 54.27% था। टाइप के अनुसार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में, संस्थापित थर्मल क्षमता 2,34,728 मेगावाट (61.42%), संस्थापित हाइड्रो क्षमता (नवीकरणीय) 46,209 मेगावाट (12.09%) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरईएस-एमएनआरई) में संस्थापित क्षमता 94,434 मेगावाट थी (24.7%)। वर्ष 2020-21 के दौरान परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट (1.8%) रही। आरईसी-एमएनआरई (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) में छोटी पनबिजली परियोजनाएं, बायोमास गैसीफायर, बायोमास बिजली, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार देश में पारंपरिक विद्युत उत्पादन 1250.78 बीयू से घटकर 31 मार्च, 2021 को 1234.44 बीयू हो गया, जिसमें 1.31% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट मुख्य रूप से पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर), जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग 90% अंश है, से कम उत्पादन के कारण थी। पारंपरिक स्रोतों से कम उत्पादन आंशिक रूप से नवीकरणीय स्रोतों से उच्च उत्पादन द्वारा ऑफसेट किया गया था, जिसमें 5.8% की वृद्धि देखी गई थी। मार्च से मई 2020 की अवधि में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से बिजली की मांग में भी भारी गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन और इनपुट, कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान और श्रमिकों की कमी हुई।

नवीकरणीय ऊर्जा

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल संस्थापित क्षमता 94.43 गीगावॉट थी। इसमें 40.09 गीगावॉट सौर क्षमता, 39.24 गीगावॉट पवन क्षमता, 10.31 गीगावॉट बायो विद्युत और 4.79 गीगावॉट लघु हाइड्रो क्षमता शामिल है। इसके अलावा, कुल 49.7 गीगावॉट क्षमता वाली परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 25.91 गीगावॉट क्षमता वाली परियोजनाएं बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

वित्त वर्ष 2016–2020 के बीच 17.33% की सीएजीआर पोस्ट करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा में संस्थापित उत्पादन क्षमता ने पिछले कुछ वर्षों में गति प्राप्त की है। सरकार का 2030 तक 450 गीगावॉट हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवंबर 2020 में, सरकार ने पांच वर्ष की एक अवधि के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए 4,500 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की। घरेलू विनिर्माण को और गति देने के लिए, सरकार 1 अप्रैल, 2022 से सौर पीवी सेल और सौर पीवी मॉड्यूल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाने पर भी सहमत हुई है।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

पारेषण क्षेत्र, विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण खंडों के विकास को जोड़े रखने की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। विद्युत वितरण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक, पारेषण विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बिजली की निकासी और लोड केंद्रों तक इसकी डिलीवरी की सुविधा को सुगम बनाता है। कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के कुशल वितरण के लिए, पारेषण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करने, अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली को बढ़ाने और राष्ट्रीय ग्रिड का आवर्धन करने की आवश्यकता है। विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी करने और उसे उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है। प्रचलित नॉमिनल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनें ± 800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी, 400 केवी, 230/220 केवी, 110 केवी और 66 केवी एसी लाइनें हैं।

देश का विद्युत पारेषण क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली को अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य दोनों स्तरों पर गति मिलती है। भौतिक ग्रिड अवसंरचना के विस्तार के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर और सीमा पार लिंक जैसे कई ग्रिड-विस्तार कार्यक्रम प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य स्तर पर पारेषण यूटिलिटीयों से ग्रिड को अधिक विश्वसनीय, तन्वक, सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश करने की उम्मीद है। विद्युत अधिनियम संशोधनों और प्रशुल्क नीति संशोधनों सहित मुख्य नीतिगत सुधारों से भी इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 16,462 सीकेएम (सर्कित किलोमीटर) ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गईं, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह लगभग 11,664 सीकेएम थी। विद्युत पारेषण में परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग 7,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति के साथ एक ट्रांसमिशन इनविट को प्रायोजित कर रहा है। पारेषण क्षेत्र की अत्यधिक परियोजनाओं के संबंध में एक पूंजीगत पूल बनाने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है।

वितरण

वितरण संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह यूटिलिटीयों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरफेस है। ऐतिहासिक रूप से, विद्युत वितरण सरकारी स्वामित्व वाली यूटिलिटीयों का डोमेन रहा है, और वास्तव में 28 राज्य सरकारों के दायरे में है, जिसमें निजी क्षेत्र केवल एक सीमित भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र घाटे में चल रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए राज्य की वितरण कंपनियों और यूटिलिटीयों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय करना महत्वपूर्ण हो गया है।

“गैर-तकनीकी क्षतियों” जिसमें बिजली की चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान ने करना शामिल है, को कम करने के लिए, सरकार ने प्रशुल्क में संशोधन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), स्मार्ट मीटरों को संस्थापित करना आदि जैसी सुदृढ़ सुधार पहल की हैं, जिनसे सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अविद्युतीकृत आवासों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को भी शुरू किया है।

केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में 13 मई, 2020 को *आत्मनिर्भर भारत* के अंश के रूप में एक लिविडिटी इनपयूजन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, आरईसी और पीएफसी ने वितरण कंपनियों को, बिजली देय बकाया राशि और असंवितरित सब्सिडी के रूप में राज्य सरकारों से प्राप्य के समक्ष, रियायती दरों पर विशेष दीर्घकालिक संक्रमणकालीन ऋण दिए हैं, ताकि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा जेनरेटर्स के संबंध में 30 जून, 2020 को विद्यमान उनके बकाया देय को चुकाने में समर्थ हो सकें। आरईसी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ₹60,191 करोड़ के लिविडिटी इंपयूजन ऋण को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत विभिन्न वितरण कंपनियों को ₹39,116 करोड़ की राशि वितरित की है।

विद्युत क्षेत्र नीति परिवेश

वित्त वर्ष 2021–22 के केंद्रीय बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए कई सुधार और पहल की गई हैं। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 22,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और नई विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए 15% रियायती दर की दर तय की गई है। राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों से तीन साल में पारंपरिक ऊर्जा मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदलने का अनुरोध किया गया है। थर्मल प्लांटों को भी सलाह दी गई है कि यदि वे उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो वे परिचालन बंद कर दें। इसके अलावा, रेल पटरियों के किनारे और रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बंजर खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त, पीपीपी मॉडल के माध्यम से पांच नए स्मार्ट शहरों की स्थापना की जाएगी।

पूर्व में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए और पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाए गए परिवर्तनों से शुरू करते हुए, बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय हाइड्रो नीति और मेगा पावर नीति की अधिसूचनाएं देखी गई हैं, जो क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रभावकारिता लाने के संबंध में सरकार के प्रयासों को दर्शाती हैं। भारत की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) के सबसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम सुधार और कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में समर्पित तेल के आपात स्टॉक के निर्माण के जरिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में ऊर्जा सुरक्षा के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

ऊर्जा अनुसंधान, विकास और परिनियोजन (आरडीएंडडी) के जरिए सरकार, भारत में सोलर पीवी, लिथियम बैटरी, सोलर चार्जिंग अवसंरचना और अन्य उन्नत तकनीकों का उत्पादन करने के संबंध में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। यह भारत की ऊर्जा नीति के लक्ष्यों के साथ-साथ "मेक इन इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का एक मजबूत उपाय हो सकता है। सरकार कूलिंग समाधान, ई-मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड और उन्नत जैव-ईंधन सहित ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने नवीन प्रयासों को भी मजबूत कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसने उदय, सबके लिए बिजली, उजाला जैसी अग्रणी नीतिगत पहलों के जरिए उद्योग के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया है। यद्यपि वितरण कंपनियों के सुधारों ने सीमित वित्तीय सफलता हासिल की है, हाल ही में नीतिगत बदलावों जैसे भुगतान सुरक्षा तंत्र, बिजली कटौती दंड, विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन आदि, से इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय होगा। भारत ने संघ-राज्य क्षेत्रों में अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की शुरुआत पहले ही कर दी है। आगे बढ़ते हुए, राज्य की पारेषण कंपनियों के लिए इसी तरह का निजीकरण अभियान चलाया जा सकता है, ताकि सरकारी पूंजी को मुक्त करने और उद्योग कुशलता के साथ समानता बनायी जा सके। इससे प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होगी और वितरण कंपनियां अपने निष्पादन मानकों में सुधार करने और अधिक उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर होंगी।

उपरोक्त के अलावा, सरकार की *आत्मनिर्भर भारत* पहल ने भारत को त्वरित विकास के पथ पर मजबूती से खड़ा कर दिया है, जो विदेशी पूंजी के आबद्धकारी निवेश हेतु आकर्षक अवसर प्रदान करती है। इस विदेशी पूंजी की एक बड़ी राशि से अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वआईटी) और रियल एस्टेट ट्रस्ट (आरआईआईटी) के माध्यम सहित भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में प्रवाह आने की संभावना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादक उपयोगों के लिए एक निवेश के रूप में बिजली प्रदान करके, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने और तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त 2006 में अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) को जनवरी 2010 में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और देश के जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योगों को शामिल किया गया। इस प्रकार, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक प्रमुख योगदान का निर्माण करता है। मिशन उन कई पहलों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का अंश हैं। इस मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, देश भर में इसके बड़े पैमाने पर प्रसार हेतु यथाशीघ्र नीतियां तैयार करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी करने और कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के द्वारा वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। मिशन का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावॉट ग्रिड कनेक्टेड सौर क्षमता संस्थापित करना है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

पीएम-कुसुम योजना कृषि पंपों को सौर ऊर्जा के द्वारा 3.5 लाख से अधिक किसानों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने संबंधी विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 19 फरवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में पीएम-कुसुम योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रिड 10 गीगावॉट की कुल क्षमता हेतु ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों (2 मेगावाट तक) को संस्थापित करना, 20 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों को संस्थापित करना और 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। तत्पश्चात, 2022 तक 30.80 गीगावॉट सौर क्षमता के आवर्धन के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 में योजना का विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति जारी की। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, पारेषण अवसंरचना और भूमि के इष्टतम एवं प्रभावी उपयोग के लिए व्यापक ग्रिड से जुड़ी पवन-सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। नीति का उद्देश्य पवन और सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त संचालन को शामिल करते हुए नई प्रौद्योगिकियों, विधियों और तरीकों को बढ़ावा भी देना है।

पवन-सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करेगी। किसी पवन-सौर संयंत्र को हाइब्रिड के रूप में मान्यता दी जाएगी, यदि किसी संसाधन की निर्धारित विद्युत क्षमता अन्य संसाधन की निर्धारित विद्युत क्षमता की न्यूनतम 25% हो। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) पवन-सौर

हाइब्रिड प्रणालियों के लिए मीटरिंग कार्यप्रणाली और मानक, पूर्वानुमान और निर्धारित/शेड्यूलिंग, विनियम कनेक्टिविटी प्रदान करने और पारेषण लाइनों को साझा करने आदि सहित आवश्यक मानक और नियम तैयार करेंगे।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 3 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत “दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना” (डीडीयूजीजेवाई), ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करती एक एकीकृत योजना, को शुरू किया। इस योजना में ₹43,033 करोड़ का स्वीकृत परियोजना है, जिसमें भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित उपलब्धियों की प्राप्ति पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। सभी पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात् आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। आपकी कंपनी डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) निम्नलिखित परियोजना घटकों के जरिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सबके लिए 24x7 बिजली’ उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करती है:

- क) कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत् रूप से गुणवत्तापूर्ण विद्युतापूर्ति को सुकर बनाता है;
- ख) उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और आवर्धन;
- ग) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और
- ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं सहित)।

15 अगस्त, 2015 को, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी शेष 18,452 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गांवों को राज्यों की सहायता से 1,000 दिनों के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाएगा। यह कार्य मिशन आधार पर किया गया था और 28 अप्रैल, 2018 तक देश के सभी जनगणना वाले गांवों में विद्युतीकरण किया गया।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 तक की प्रमुख उपलब्धियों में 2,34,193 वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, 7,88,978 सीकेएम का फीडर पृथक्करण (11 केवी लाइनों सहित), 14,021 संख्या में 11 केवी फीडरों की मीटरिंग और 7,098 सब-स्टेशनों की कमीशनिंग (संवर्धन सहित) शामिल है।

सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता के साथ, देश के प्रत्येक गांव और जिले में आवास विद्युतीकरण पर और ध्यान दिया गया था। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने दिनांक 25 सितंबर, 2017 को ₹16,320 करोड़ (₹12,320 करोड़ की कुल बजटीय सहायता सहित) की कुल लागत के साथ प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को शुरू किया। योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण प्राप्त करना है, जिसमें अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के जरिए बिजली की पहुंच का निर्माण आवश्यक है। जहां कहीं ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं एवं वित्तीय रूप से किफायती नहीं है, वहां विद्युतीकरण के लिए सौर-आधारित ऑफ-ग्रिड प्रणालियों का सहारा लिया जाता है। आरईसी को सौभाग्य योजना के संचालन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- क) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन;
- ख) शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत आवासों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन प्रदान करना। गरीबी से बाहर शहरी आवासों को इस योजना से बाहर रखा गया है;
- ग) दूरस्थ और दुर्गम गांवों/हेबिटेडों में स्थित अविद्युतीकृत आवासों के लिए सौर फोटो-वोल्टेक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड लगाना व्यावहारिक या किफायती नहीं है।

योजना के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने 26 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए ₹14,109 करोड़ (₹9,093 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई, जिसके तहत 31 मार्च, 2021 तक ₹8,736.90 करोड़ (₹5,393.59 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि जारी की गई है। यह उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

वित्त वर्ष 2015-16 में, भारत सरकार ने “उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना” (उदय) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लाना और उनका पुनरुद्धार करना है। उदय योजना निम्नलिखित पहलों के जरिए वितरण कंपनियों को उनके संबंधित समझौता ज्ञापन अवधि के अंत तक अवसर प्रदान करके सशक्त बनाती है:

- क. वितरण कंपनियों की प्रचालन कुशलता में सुधार करना;
- ख. विद्युत की लागत कम करना;
- ग. वितरण कंपनियों की ब्याज लागत कम करना; और
- घ. राज्य की वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

इस कार्यक्रम को पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों से महत्वपूर्ण विकर्षण मिला है, क्योंकि 32 राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र अब उदय योजना में शामिल हैं। यह योजना उत्साहजनक परिणाम प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि राज्य सरकारों ने वितरण कंपनियों की देनदारियों का भार अपने ऊपर ले रही हैं, इस प्रकार वितरण कंपनियों के तुलन-पत्रों का शोधन किया जा रहा है और पूंजीगत व्यय चक्र को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) भारत सरकार की एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जो वितरण क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान में ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना में, दो वित्त वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹23,973 करोड़ की राशि के ऋण संवितरण पर भुगतान किए गए ब्याज के समक्ष 14 वर्षों में प्रदान किए जाने वाले ₹8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकरिमिक खर्चों के समक्ष) की राशि का प्रावधान है। यह योजना सुधार से जुड़ी है और राष्ट्रीय विद्युत निधि के दिशानिर्देशों में रेखांकित सुधार-आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर वितरण कंपनियों को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय है। आरईसी, राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है और 31 मार्च, 2021 तक, योजना के तहत ₹448.70 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के उप-वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए दिनांक 3 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ₹65,424 करोड़ के परिव्यय के साथ "एकीकृत विद्युत विकास योजना" (आईपीडीएस योजना) को अनुमोदित किया है, जिसमें (i) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडर्स/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और (iii) आर-एपीडीआरपी के अनुमोदित परिव्यय को पृथक घटक के रूप में आईपीडीएस कार्यक्रम में अग्रेणीत करने के द्वारा 12वीं एवं 13वीं योजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी (पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वितरण क्षेत्र का आईटी समर्थीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, आर-एपीडीआरपी के पूर्ववर्ती योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में आमेलित कर दिया गया है। योजना का वित्तीय प्रतिरूप डीडीयूजीजेवाई योजना के समान है।

सबके लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति

सबके लिए अफोर्डेबल एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मई 2015 में 77 करोड़ इन्कैंडिसेंट लैंपों (बल्बों) को एलईडी (लाइट-एमिटिंग डायोड) बल्बों से बदलने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। उक्त योजना के तहत, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), आपकी कंपनी और विद्युत क्षेत्र के अन्य तीन सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, जो घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी बल्ब प्रदान करता है। एलईडी बल्ब की उपयोगिता अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है और ये पुराने बल्ब और सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप) की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, इस प्रकार मध्यम अवधि में ऊर्जा और लागत दोनों की बचत होती है। सरकार द्वारा अब तक लगभग 37 करोड़ एलईडी बल्ब, 72 लाख ट्यूबलाइट और 23.5 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में प्रति वर्ष ₹19,087 करोड़ से अधिक की बचत हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड में 386 लाख टन से अधिक की कमी हुई है।

इसके अतिरिक्त, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के तहत, ईईएसएल अखिल भारत में पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से, अपनी लागत पर, नगरपालिकाओं द्वारा निवेश करने की आवश्यकता के बिना, बदल रहा है। नगर पालिका की ऊर्जा और रखरखाव लागत में आयी कमी का उपयोग ईईएसएल को समय पर चुकाने के लिए किया जाता है। अभी तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में 1.19 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं। इसके परिणामस्वरूप 1,332 मेगावॉट की शीर्ष मांग के परिवर्जन के साथ ऊर्जा में प्रति वर्ष 7.99 बिलियन केंड्रल्यूएच की अनुमानित बचत हुई है, प्रति वर्ष 5.51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के जीएचजी उत्सर्जन में कमी हुई और नगरपालिकाओं के बिजली बिलों में 5,631 करोड़ की वार्षिक वित्तीय बचत का अनुमान है।

ईईएसएल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी लाइटिंग व्यवस्था के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं के लिए एसएलएनपी के समान सेवा मॉडल पर ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं को लागू कर रहा है। अब तक ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा और तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में 26 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं।

पारदर्शिता और ऑनलाइन ऐप

हाल ही में किए गए सभी मुख्य बिजली-क्षेत्र सुधार पहल कार्यों में पारदर्शिता पर मुख्य ध्यान दिया गया है। मंत्रालय के कामकाज एवं कार्यनिष्पादन और इसके द्वारा शुरू की गई विभिन्न सुधार पहलों को ट्रैक करने के संबंध में हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट लॉन्च की हैं। इनमें 'उदय ऐप', जो उदय योजना की प्रगति पर अपडेट देती है, 'उजाला ऐप', जो एलईडी बल्ब वितरण पर अपडेट प्रदान करती है, 'विद्युत प्रवाह ऐप', जो बिजली की कीमत और उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी देती है, 'तरंग ऐप', जो भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति की निगरानी करती है और 'ऊर्जा मित्र ऐप', जो नागरिकों को वितरण कंपनियों की वास्तविक समय और ऐतिहासिक आउटलेज जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, शामिल हैं।

उपरोक्त नीतियों एवं पहलों के अलावा, भारत सरकार ने बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार के लिए विभिन्न अन्य कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021, मसौदा विद्युत संशोधन अधिनियम, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, पंप हाइड्रो स्टोरेज नीति, ऊर्जा कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, नेशनल ई-मोबिलिटी प्रोग्राम आदि। सरकार ने सब्सिडी के बेहतर लक्ष्य बनाने, खुदरा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए बिजली क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने सहित बिजली क्षेत्र के सुधारों की तैयारी की है। ये पहलें और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयास, निकट भविष्य में इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाकर बिजली क्षेत्र को फिर से परिभाषित करेगी।

अवसर और क्षमता

आरईसी ने 1969 में स्थापना के समय से ही देश में विद्युत अवसंरचना के विकास में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। प्रारंभ के वर्षों में पंप-सेट सिंचाई प्रणालियों के ऊर्जायन से शुरू होकर, वर्तमान में बिजली क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान बनने तक, आरईसी ने एक लंबा सफर तय किया है।

यद्यपि कोविड-19 महामारी ने समग्र रूप से व्यापार और उद्योग के लिए कई चुनौतियां पेश की हैं, वहीं इसने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अद्वितीय अवसर भी प्रदान किए हैं। इनमें विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, विद्युत अधिकार उपभोक्ता नियम का मसौदा, वास्तविक समय बाजार विनियम और संघ-राज्य क्षेत्रों और राज्य वितरण कंपनियों के रिटेल घटक और वितरण का निजीकरण शामिल हैं। इन सुधारों से बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के वितरण घटक में अत्यावश्यक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावकारिता का संचार होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा और स्मार्ट मीटरिंग की दिशा में महत्वाकांक्षी परिवर्तन की कार्यवाही अग्रसर है। इसके साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे वितरण कंपनियों के पुनरुद्धार और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वितरण कंपनी की व्यवहार्यता पर सबसे महत्वपूर्ण फोकस को एक महत्वपूर्ण अपूर्ण कार्यसूची के रूप में माना गया है। वितरण कंपनी की अवसंरचना के अद्यतन के लिए परिणाम और सुधार से जुड़ा ₹3 लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय पैकेज पांच वर्षों की एक दूरदर्शी योजना है। इससे वितरण अवसंरचना विकास, फीडर पृथक्करण और स्मार्ट मीटर लगाने में सहायता मिलेगी। उद्योग इस पैकेज की प्रकृति, और यह अन्य केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं कैसे पूरक होगा, के विवरण की प्रतीक्षा कर रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा अपना बिजली आपूर्तिकर्ता का चयन करने संबंधी प्रस्ताव से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और दक्षता में सुधार करने में सहायता करेगा, जैसा कि वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा होगी।

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वआईटी) मॉडल के जरिए पारेषण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक आशाजनक कदम है, जो विद्युत उत्पादन की तीव्र गति और बढ़ती मांग से मेल खाती पारेषण क्षमता के आवर्धन में सहायता करेगा। एसईसीआई और आईआरईडीए के पूंजीकरण का विस्तार, जो विद्युत क्षेत्र के लिए लाइटहाउस संगठन हैं, नवीकरणीय ऊर्जा घटक को भी बढ़ावा देगा। रियल एस्टेट ट्रस्ट (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वआईटी) निवेशकों को लाभांश भुगतान पर टीडीएस से छूट देने और एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव, अन्य अवसंरचना के अलावा विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्वागत योग्य उपाय हैं।

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को ₹111 लाख करोड़ आवंटित किए थे, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र का अंश 24% है। वित्त वर्ष 2019-25 के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों के लिए अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय ₹102 ट्रिलियन है, जिसमें से पारंपरिक बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यव्यय क्रमशः ₹11.8 बिलियन और ₹9.3 बिलियन है। जबकि निजी क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में प्रमुख रहने की संभावना है, पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा में निवेश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र से आएगा। वितरण के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ाना चुनौती होगा, क्योंकि वितरण अवसंरचना का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करना और वितरण कंपनियों के वित्त में सुधार के बिना, बढ़ती उत्पादन क्षमता अनावश्यक होगा और डाऊन लाइन भारी विवादों से घिरी होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि के सहायतार्थ घरेलू विनिर्माण का विस्तार करना आवश्यक है। सोलर इनवर्टर और सोलर लालटेन पर शुल्क से सहायता मिलेगी, बशर्ते कि मौजूदा परियोजनाएं प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित हों। सोलर सैल और पैनलों के लिए चरणबद्ध स्थानीय निर्माण योजना लंबे समय में सोलर सैल और मॉड्यूल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी, और *आत्मनिर्भर भारत* की दिशा में योगदान देगी। बैटरी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी क्षेत्रों के लिए सकारात्मक प्रभाव के साथ देश में भंडारण निर्माण के लिए ईकोसिस्टम में भी संवर्धन करेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक स्थायी, भविष्य के ऊर्जा मिश्रण को प्राप्त करने और ऊर्जा भंडारण का समर्थन करने में मदद करेगा। एक अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संचयी बिक्री बढ़कर 100 मिलियन यूनिट से अधिक हो जाएगी।

आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कार्यनीति स्थिति और विशेषज्ञता को देखते हुए, देश में अग्रणी सरकारी सुधारों और देश में प्रति व्यक्ति बिजली की मांग में वृद्धि से उत्पन्न आर्थिक विकास द्वारा प्रस्तुत मौजूदा एवं उभरते अवसरों के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं

आरईसी का कार्यनिष्पादन और उसके कारोबार का विकास, संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन पर निर्भर है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जीडीपी को हुए नुकसान और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण भी मांग में कमी आई है। विश्व अभी भी कोविड-19 महामारी की नई लहरों और रूपों का सामना कर रहा है, जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों और सेक्टरों के लिए नई चुनौती है। विद्युत क्षेत्र को भी परियोजना निष्पादन कार्यक्रम में व्यवधान, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के कारण होने वाली देरी, वित्त व्यवस्था पर दबाव और लिक्विडिटी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव ने 2020 के दौरान ऊर्जा बाजारों को भी प्रभावित किया है। बिजली की नेगेटिव मांग, कोयला आधारित क्षमता का कम उपयोग तथा वितरण और उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ते वित्तीय दबाव ने नवीकरणीय ऊर्जा सहित विद्युत क्षेत्र के निष्पादन को प्रभावित किया।

विद्युत उत्पादन कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रारंभ में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ईंधन लिंकेज, भुगतान सुरक्षा और रिटेल वितरण जैसी बाधाएं हैं। कई प्लेयर्स के लिए पर्याप्त स्थान होने के बावजूद, इनपुट की कमी और नियामक बाधाओं ने नए प्रवेशकों को निराश किया है। सौर ऊर्जा का व्यापार एक ऐसा घटक है, जो अति महत्वाकांक्षी प्रशुल्क के कारण अभी तक उठ नहीं सका है। हालांकि, यह भविष्य में मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र के नजरिए से भी एक अवसर हो सकता है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थीकरण, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता समाधान के जरिए, दक्षता सुधार उपायों से भविष्य में विभिन्न हितधारकों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की संभावना है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रमोटर्स की इक्विटी विवशता भी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी और परिणामी लागत एवं समय की अधिकता का कारण बनती है। अपने ऋण संबंधी दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ताओं की विफलता कंपनी के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे दबावग्रस्त परिसंपत्तियां सृजित होती हैं और कंपनी की कम लागत निधियों को जुटाने की क्षमता प्रभावित होती है। भारतीय पूंजी बाजार लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है। उधारकर्ताओं के सीधे बाजार तक पहुंचना शुरू करने की स्थिति में, यह कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी, प्रचलित प्रकटन मानदंड, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, सीमित ईंधन की उपलब्धता, उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों (एटी एंड सी), बाजार में नए प्लेयर्स के प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित कारोबारी परिवेश, रूप में उतार-चढ़ाव, अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण पूंजीगत लागत में संभावित वृद्धि, बिजली की कम मांग और अगले 5 वर्षों में पारंपरिक उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण भी चिंतित है। इसके अलावा, देश में कारोबार की स्थिति और नीतिगत परिवेश का ब्याज दर व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव है, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, विद्युत परियोजनाओं की निर्माणपूर्व अवधि और इसके लिए आवश्यक पूंजी परिव्यय पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामान्य आर्थिक स्थितियों से विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर भी सीधा असर पड़ सकता है, जो उधारकर्ताओं की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

दूसरी ओर, सरकार विद्युत क्षेत्र को पुनरुद्धार पथ पर लाने के लिए कई पहल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में, सबके लिए 24x7 बिजली, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, उदय, आईपीडीएस, आउटटेज प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल का विकास, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत पैकेज की घोषणा और क्षेत्र में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान सहित काफी सुधार हुए हैं। ऐसी पहलें, कम लागत पर संसाधन जुटाने और सर्वोत्तम रिटर्न वाले अवसरों में उनके नियोजन को सुनिश्चित करने के साथ, कंपनी के सतत विकास और लाभकारिता के लिए मुख्य कारक होंगे।

घटक-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

आरईसी एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। आरईसी के प्रमुख उत्पाद में राज्य यूटिलिटीयों और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं को ब्याजयुक्त ऋण हैं। कंपनी के पास कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य घटक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 1,54,820.87 करोड़ रूपए की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 39,613.53 करोड़ रूपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 17,171.34 करोड़ रूपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,492.75 करोड़ रूपए, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 60,191.36 करोड़ रूपए और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 4,750.00 करोड़ रूपए शामिल हैं। इसके अलावा, ₹13,601.89 करोड़ की बकाया राशि, जिस पर आरबीआई के निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसार स्थगन बढ़ाया गया था, को भी उपरोक्त संस्वीकृतियों में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 92,987.49 करोड़ रूपए की कुल धनराशि वितरित की है, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,929.76 करोड़ रूपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,265.13 करोड़ रूपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,301.22 करोड़ रूपए, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 39,115.50 करोड़ रूपए और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 3,900.79 करोड़ रूपए शामिल हैं, जो कि भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत 1,475.09 करोड़ रूपए के काउंटर-वित्तपोषण के अतिरिक्त है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने भारत सरकार से 4,940.62 करोड़ रूपए की कुल सब्सिडी अर्थात् डीडीयूजीजेवाई के तहत 4,527.01 करोड़ रूपए, डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी के तहत 25.49 करोड़ रूपए और सौभाग्य योजना के तहत 388.12 करोड़ रूपए, भी सवितरित की है।

आउटलुक

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के बावजूद वर्ष 2021 के लिए विद्युत क्षेत्र का दृष्टिकोण उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विद्युत उत्पादन में 5% से 7% की वृद्धि होने की संभावना है। बिजली की मांग में लगातार सुधार होने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, यह क्षेत्र वर्तमान में रिकवरी कर रहा है। वर्ष 2020 में घोषित सुधारों, अर्थात् संघ-राज्य क्षेत्रों में वितरण कंपनियों के निजीकरण और वितरण यूटिलिटीयों के लिए ₹90,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी इन्फ्यूजन योजना ने उपभोक्ता अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है और एक बेहतर संरचित विद्युत क्षेत्र के लिए मंच तैयार किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा का शेयर देश की कुल मिश्रित ऊर्जा में लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का सभी वितरण कंपनियों को 2021-22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 21% खरीदने संबंधी निर्देश, इस क्षेत्र के लिए अच्छा है, जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अधिक तन्यक था।

जिन परियोजनाओं को 2020 के दौरान चालू करने या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का सामना करना पड़ा, उनके 2021 में विकास या पूरा होने की संभावना है। अन्य सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ वितरण कंपनियों के निजीकरण से अधिक परिचालन दक्षता और बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा के साथ बेहतर वित्तीय निष्पादन की संभावना है। वर्ष 2020 में घोषित उत्पादन संबद्ध योजना भी एक स्वागत योग्य उपाय है। लंबे समय में, एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ विद्युत वितरण प्रणाली, जो स्केलेबल, बाजार आधारित और निजी क्षेत्र के हितधारकों को नियोजित करती है, वितरण कंपनियों, फ्रेंचाइजियों और ग्राहकों को लाभान्वित करने वाला ट्रिपल-विन मॉडल तैयार करेगी। यह सबके लिए विश्वसनीय और स्वच्छ बिजली की पहुंच उपलब्ध कराने में भारत सरकार के प्रयासों में भी सहायता करेगा।

वित्त वर्ष 2021-22 में बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद, थर्मल ऊर्जा क्षेत्र के विद्युत उत्पादन एवं वितरण घटकों के लिए आरईसीआरए का क्रेडिट आउटलुक नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि, समय पर भुगतान की प्राप्ति और एनर्जी बास्केट में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण, पारेषण सेगमेंट का क्रेडिट आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2021-22 में, टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आशावादी, प्रत्याशित आर्थिक गतिविधियों के उच्च स्तर के साथ विद्युत उत्पादन और उपभोग में सुधार होने की संभावना है। इसके साथ ही, महामारी के प्रभावी नियंत्रण से संबंधित अनिश्चितता और क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रतिबंधों की संभावना से, आर्थिक पुनरुद्धार में संघारणीयता और बिजली की मांग के संबंध में जोखिम भी है।

पुरस्कार और सम्मान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न पुरस्कार और मान्यता भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक्सचेंज4मीडिया द्वारा महिला अचीवर्स अवार्ड्स 2020 में महिला सशक्तीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन, निगमित शासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार (महारत्न और नवरत्न श्रेणी में उपविजेता), कोविड पर प्रतिक्रिया के लिए स्कोच पुरस्कार, सीएसआर उत्कृष्टता 2020 के लिए महात्मा पुरस्कार, सीएसआर, आईटी, पर्यावरण और मानव संसाधन श्रेणियों में राष्ट्रीय पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार और महिला सशक्तीकरण के लिए सीएसआर साइनिंग स्टार पुरस्कार शामिल हैं। आरईसी की कारपोरेट संचार टीम को रेपुटेशन टुडे द्वारा भारत में शीर्ष 30 कारपोरेट संचार टीमों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने विभिन्न लेनदेनों की सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता और सांविधिक नियमों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली का रखरखाव किया है। लेखांकन के लिए शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि एकसमान अनुपालन किया जा सके। आरईसी में अपने ईआरपी प्रचालनों और ई-ऑफिस तंत्र को स्थापित किया गया है, जिससे कि न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ आईटी आधारित प्रचालन सुनिश्चित किए जा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में है, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग या बाहरी प्रोफेशनल लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षा भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा ऐसे कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जहां आंतरिक लेखापरीक्षा लगातार तीन वर्षों से आउटसोर्स की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में, वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए महत्वपूर्ण/जोखिम वाले क्षेत्रों सहित कंपनी के प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

वित्तीय एवं संक्रियात्मक कार्यनिष्ठादन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के लिए अपने बकाया की समय पर वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के संबंध में देय राशि ₹71,680.23 करोड़ (कोविड-19 अधिस्थगन नीति के अनुसार ₹13,601.89 सहित), जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह राशि ₹62,340.60 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल ₹71,424.90 करोड़ की वसूली की, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह राशि ₹61,945.04 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में 99.64% रिकवरी रेट प्राप्त किया।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि ₹1,112.46 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों (चरण III) से ₹330.50 करोड़ की राशि वसूल की गई, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹614.69 करोड़ की राशि वसूली की गई थी। आपकी कंपनी की क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति (चरण III) ₹18,256.93 करोड़ अर्थात् सकल ऋण परिसंपत्ति का 4.84% और निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) ₹6,465.61 करोड़, अर्थात् ऋण परिसंपत्तियों का 1.71% थी।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्टैंडअलोन आधार पर आरईसी की प्रचालन आय ₹35,387.89 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹29,765.21 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर पूर्व लाभ ₹10,756.13 करोड़ था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹6,983.29 करोड़ था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निवल लाभ और कुल व्यापक आय क्रमशः ₹8,361.78 और ₹8,818.30 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹4,886.16 करोड़ और ₹4,336.37 करोड़ थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 को आरईसी की निवल संपत्ति ₹43,426.37 करोड़ थी, जो 31 मार्च, 2020 को इसकी ₹35,076.56 करोड़ की निवल संपत्ति से 23.80 प्रतिशत अधिक थी।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के लिए लागू और विशिष्ट प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तनों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
ब्याज कवरेज अनुपात (गुणक में)	1.50	1.37
ऋण इक्विटी अनुपात (गुणक में)	7.40	7.94
प्रचालन लाभ मार्जिन (%)	30.33	23.25
निवल लाभ मार्जिन (%)	23.61	16.38
सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति (चरण-III) (%)	4.84	6.59
निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति (चरण-III) (%)	1.71	3.32

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का प्रचालन लाभ बढ़कर ₹10,733.58 करोड़ हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह ₹6,919.37 करोड़ था। वित्त वर्ष 2019-20 में प्रचालन लाभ मार्जिन 23.25 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 30.33 फीसदी हो गया है। शुद्ध लाभ मार्जिन भी वित्त वर्ष 2019-20 में 16.38% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 23.61% हो गया है। प्रचालन लाभ और शुद्ध लाभ मार्जिन में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय रुपए के मुकाबले विदेशी मुद्रा के फेवरेबल मूवमेंट से हुई थी।

वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी की सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति 6.59% से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 4.84% हो गई, जो क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के समाधान/पुनर्संरचना और उनके परिणामस्वरूप मानक परिसंपत्तियों में अपग्रेड होने के कारण है। कंपनी की निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति भी वित्त वर्ष 2019-20 में 3.32% से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.71% हो गई, जो सकल एनपीए में कमी और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति के प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि के कारण है।

निवल संपत्ति पर कंपनी का रिटर्न वित्त वर्ष 2019-20 में 14.09% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 21.30% हो गया, जो मुख्य रूप से कंपनी के मुनाफे में वृद्धि के कारण है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल जनशक्ति 428 कर्मचारी थी, जिसमें 366 कार्यपालक और 62 गैर-कार्यपालक कर्मचारी शामिल थे।

महामारी के समय में भी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के 179 कर्मचारियों ने अपने व्यावसायिक कौशल के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया, 329 प्रशिक्षण श्रम-दिवस की स्थिति को प्राप्त किया।

औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑनलाइन के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों के साथ नियमित बातचीत की गई, जिससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में सहायता और इसलिए, एक प्रेरित कार्यबल प्राप्त हुआ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास

आरईसी के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास संबंधी पहलों का अनुसरण समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने पर मुख्य ध्यान देने के साथ किया जाता है। कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों को "आरईसी फाउंडेशन" के माध्यम से क्रियान्वित करती है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल (वृद्धावस्था और दिव्यांगजन सहित), सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹154.47 करोड़ की कुल राशि स्वीकृत की। सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना मोड में आधारभूत सर्वेक्षण, विशिष्ट परियोजना समय सीमा, निर्धारित उपलब्धियों, आवधिक मॉनीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन के साथ किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाओं के लिए संवितरण पूर्व-निर्धारित उपलब्धियों और डिलिवरेबल्स की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹144.32 करोड़ के सीएसआर बजट के समक्ष विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹147.77 करोड़ की कुल राशि का वितरण किया। इसमें पीएम केयर्स फंड में ₹50 करोड़ का योगदान शामिल है।

कार्यनीति

विद्युत उत्पादन के मोर्चे पर, इस क्षेत्र में विभिन्न नए कारोबार के अवसर हैं, जैसे कि आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन, लघु हाइड्रो, बायोमास), बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं में निवेश, सोलर रूफ-टॉप परियोजनाओं और सौर पार्कों में निवेश, कुसुम परियोजनाओं (ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्रों) में निवेश, मौजूदा थर्मल पावर प्लांटों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, पुराने बिजली संयंत्रों का प्रतिस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे एफजीडी (फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन) आदि की स्थापना शामिल है। आरईसी थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की कुशल आपूर्ति के लिए समर्पित अपस्ट्रीम अवसंरचना को वित्तपोषित करने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी ने कोयला खदानों के विकास के लिए वित्त परिचालन पहले ही शुरू कर दिए हैं।

देश में पारेषण और वितरण परिदृश्य भी उपभोक्ताओं द्वारा 24x7 बिजली की मांग को पूरा करने के लिए और अधिक मजबूती के लिए तैयार है, इस प्रकार नेटवर्क के अतिरिक्त और वृद्धि, भूमिगत केबलिंग, स्मार्ट मीटर/उपकरण, एएमआई/एएमआर अवसंरचना और स्मार्ट ग्रिड में नए निवेश की आवश्यकता है। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के तहत समर्पित ग्रीन कॉरिडोर और नए नेटवर्क के निर्माण के लिए भी निवेश की आवश्यकता होगी। सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को कवर करने वाली, सरकार की सौभाग्य योजना की सफलता को देखते हुए, उपभोक्ता स्तर पर, बिजली के लिए और अप्रत्यक्ष मांग सृजित की जाएगी।

आगामी कारोबारी अवसरों को कैप्चर करने और अपने हितधारकों के लिए अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए, आरईसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय विकास संगठनों, जिसमें केएफडब्ल्यू, जेआईसीए, विश्व बैंक, आईएफसी, एशियाई विकास बैंक, एसडीएफ आदि

शामिल हैं, के साथ निकटतम व्यावसायिक भागीदारी का निर्माण कर रहा है। कंपनी को प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने में सक्षम बनाएगा। भावी वर्षों में, आरईसी देश और उसके बाहर बिजली क्षेत्र के विकास में सबसे आगे रहेगा।

अपनी कारोबारी कार्यनीति के अंश के रूप में, आरईसी ने भूतान में खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड की 600 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है। आरईसी न केवल एक फंडिंग पार्टनर के रूप में, बल्कि अपनी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भी उचित समय पर नए उभरते क्षेत्रों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। आरईसी बाजार में चल रहे और आगामी परिवर्तनों का गहनता से पालन कर रहा है और अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए उचित निर्णय लेगा।

जोखिम प्रबंधन तंत्र

कंपनी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें संगठन के क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी है। आरएमसी का मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना और उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को भी नियुक्त किया है, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत आवश्यक है।

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम सहित अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है; और उनको कम करने के लिए समुचित उपाय किए हैं।

क्रेडिट जोखिम वित्तपोषण उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर उधारकर्ता के चूक से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है। दूसरी ओर, प्रचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। लिक्विडिटी जोखिम देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम है, क्योंकि वे देय हो जाते हैं; और इसमें कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को निधि देने, फंडिंग स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी के बाजार जोखिम को बाजार की ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतों, विदेशी मुद्रा के साथ-साथ परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की कमाई और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम आदि शामिल हैं।

ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी ने व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। कंपनी संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है, जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण-जोखिम को कम करने के उपाय शामिल हैं। सभी प्रकार्यात्मक क्षेत्रों, जैसे व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, प्रचालन और रणनीति को कवर करते हुए एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से प्रचालन जोखिमों को 'उच्च', 'मध्यम' या 'निम्न' जोखिम श्रेणियों के रूप में मापा और वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित कार्यनीतियों के मिश्रित माध्यम से अपने लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके अलावा, बाजार जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) है, जो नियमित रूप से बैठक करती है। कंपनी की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति और एक हेजिंग नीति भी है।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" अनुभाग में कुछ कथन भविष्योन्मुखी हो सकते हैं और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा अपेक्षित बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट का अर्थ, किसी संगठन की व्यावसायिक गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियाँ लागू किए जाने पर, कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही है। सुशासित संगठन प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का अनुपालन करते हैं और सभी पणधारियों के लिए दीर्घावधि मूल्य का सृजन करते हैं। सुशासन के साथ स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी भी साथ-साथ बनी रहती है। प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में पालन की जाने वाली इस सत्यनिष्ठा के फलस्वरूप ही सुशासित संगठन समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

आरईसी, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक नवरत्न कंपनी है, वर्ष 1969 से अपने विविध पणधारियों की सेवा में कार्यरत है। अपनी स्थापना के 52 वर्षों में, आरईसी अपने सभी पणधारियों, चाहे वे निवेशक हों, शेयरधारक हों, बांडधारक हों, आपूर्तिकर्ता हों, ग्राहक हों, समुदाय हों, नीति निर्माता हों, कर्मचारी हों और भारत सरकार हों, के लिए अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कंपनी अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में निगमित सुशासन में सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाती है और उनका पालन करती है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देश, 2010 ("कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("सचिव-विषयक मानक") द्वारा जारी सचिव-विषयक मानकों के तहत यथानिर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, जो इसके दायरे में आती हैं, को पूरा करता है। आरईसी अधिकांश गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

आरईसी को नियमित रूप से निगमित सुशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने महारत्न और नवरत्न श्रेणी में उपविजेता के रूप में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) से निगमित सुशासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार जीता।

पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत आईसीसी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के अभিনিर्धारण करने के लिए की गई थी; और यह पुरस्कार एक सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का कॉर्पोरेट सुशासन पर एक प्रमाणपत्र भी दिया गया है।



आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में निगमित सुशासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार जीता

1. निगमित सुशासन पर कंपनी की दृष्टि

आरईसी में निगमित सुशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के भीतर पणधारियों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए नैतिक और जिम्मेदार रीति में व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी, पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी में उचित, पारदर्शी और नैतिक अभिशासन परिपाटियों की एक अतिप्रभावी परम्परा मौजूद है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सततता और समुचित एवं समयबद्ध प्रकटीकरण आदि के मूलभूत सिद्धांत कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन की जिसके साथ पूर्ण रूप से लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी पणधारियों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली और परिपाटियाँ; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न पणधारियों के बीच विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करना।

उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी पणधारियों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यो के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के निदेशक मण्डल में कंपनी के व्यवसाय को कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। सभी निदेशक व्यवसाय और प्रचालनों के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण और निर्देश प्रदान करते हैं। बोर्ड नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करके कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति की निगरानी करता है।

आरईसी के बोर्ड के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी में कार्यात्मक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशक (अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक) भी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक भी थे। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी भूतपूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद की समाप्ति के बाद, वर्तमान में बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, आरईसी के बोर्ड की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। बोर्ड की कुछ समितियों, जिनमें स्वतंत्र निदेशक की मौजूदगी की आवश्यकता होती है, की संरचना, भी लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से इनका उपयोग कर रहे हैं। आरईसी कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम के लागू सांविधिक उपबंधों और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सक्षम बनने के लिए, अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को नियुक्त करने के लिए नियमित रूप से विद्युत मंत्रालय को पत्र लिखता रहा है। मामले का अनुसरण किया जा रहा है और महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को शीघ्र ही नियुक्त किए जाने की संभावना है।

(क) बोर्ड की संरचना

कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी और पंद्रह से अधिक नहीं होगी। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना के साथ-साथ वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का विवरण और अन्य कंपनियों में निदेशकों द्वारा धारित डायरेक्टरशिप और समिति के पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित डायरेक्टरशिप, डायरेक्टरशिप की श्रेणी	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या	
						अध्यक्ष	सदस्य

पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)

1.	श्री संजय मल्होत्रा	00992744	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (9 नवंबर, 2020 से नियुक्त)	1	—	—	—
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	निदेशक (तकनीकी) (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान आरईसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला)	1	—	—	—
3	श्री अजय चौधरी	06629871	निदेशक (वित्त) (1 जून, 2020 से नियुक्त)	1	—	—	—

अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)

4	श्री तन्मय कुमार	02574098	सरकार द्वारा नामित निदेशक (5 नवंबर, 2020 से नियुक्त)	3	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नामित निदेशक) एसजेवीएन लिमिटेड (नामित निदेशक) एनएचपीसी लिमिटेड (नामित निदेशक)	शून्य	1
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह	03548218	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा नामित निदेशक	7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्णकालिक निदेशक)	शून्य	2

निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन

- क) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019-आरई [247264] के माध्यम से श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री संजय मल्होत्रा ने दिनांक 9 नवंबर, 2020 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।
- ख) श्री संजय मल्होत्रा के कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) विद्युत मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 2020, 10 सितम्बर, 2020 और 24 नवंबर, 2020 के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।
- ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश संख्या 46/9/2011-आरई [228164] के माध्यम से श्री अजय चौधरी को दिनांक 1 जून, 2020 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त तारीख से पहले श्री अजय चौधरी कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य कर रहे थे।
- घ) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2020 के आदेश संख्या 46/8/2015-आरई [227696] के माध्यम से श्री तन्मय कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक आरईसी के निदेशक मण्डल में सरकार के नामित निदेशक के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव [डीआईएन 03426753], जिन्हें पूर्व में आरईसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया था, के स्थान पर नियुक्त किया गया था।
- ङ) वर्ष 2020-21 के दौरान, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन 02231613), निदेशक (वित्त), जो दिनांक 31 मई, 2020 तक आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए थे, दिनांक 31 मई, 2020 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।
- च) सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, समिति की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में लेखा परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। कोई भी निदेशक ऐसी 10 (दस) से अधिक समिति में सदस्य या 5 (पाँच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

(ख) बोर्ड और इसकी समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

कंपनी, बोर्ड और इसकी समितियों द्वारा सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करती है। बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बैठकों के लिए सभी कार्यसूचियाँ (एजेंडा) और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, संबंधित निदेशक की पसंद के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक पद्धति के माध्यम से, बैठकों से पर्याप्त समय पूर्व परिचालित किए जाते हैं। मूल्य संवेदनशील सूचना, लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, बैठक से पहले अलग से परिचालित की जाती है। कभी-कभी, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है, जिनकी पुष्टि बोर्ड की अगली बैठक में की जाती है। किसी भी तत्काल व्यावसायिक आवश्यकता को संबोधित करने के मामले में, नियत प्रक्रिया का पालन करके कभी-कभी अल्पावधि नोटिस पर बैठकें आमंत्रित की जाती हैं। इन मामलों में न्यूनतम नोटिस और एजेंडा अवधि का अनुपालन करने के लिए यथासंभव पर्याप्त प्रयास किए जाते हैं।

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची (एजेंडा) में किसी मामले को शामिल करने का निर्णय कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा लिया जाता है। सभी एजेंडा नोटों में मसौदा संकल्प (संकल्पों) सहित संगत जानकारी शामिल होती है; और इन्हें आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। बैठकों के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर, वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों को भी प्रस्तुति देने या अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। बोर्ड और समितियों की बैठकें आम तौर पर कार्यालय समय के दौरान नई दिल्ली स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सचिव-विषयक मानकों का भी अनुपालन करती है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को आरईसी के निदेशक मण्डल की कुल 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं:

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
21 मई, 2020	7 अगस्त, 2020	6 नवंबर, 2020	13 जनवरी, 2021
17 जून, 2020	15 सितंबर, 2020	23 दिसंबर, 2020	4 फरवरी, 2021
—	—	—	10 मार्च, 2021
—	—	—	17 मार्च, 2021

बोर्ड की दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 7 (सात) दिन और 52 (बावन) दिन था।

(ii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

बोर्ड, कंपनी में मौजूद सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच रखता है। बोर्ड को दी गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता सेबी एलओडीआर विनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक रहती है। बोर्ड को उपलब्ध कराई गई जानकारी में अन्य जानकारी के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएँ और बजट तथा कोई भी अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और कोई अद्यतन सूचना।
3. धन जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव।
5. तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम और बोर्ड की रिपोर्ट।
6. सभी संबंधित पक्षकारों से संव्यवहार।
7. लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और वेतन के संबंध में जानकारी।
10. महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और शास्ति नोटिस, यदि कोई हो।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी महत्वपूर्ण अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए अधिक मात्रा में न किया गया भुगतान, यदि कोई हो।
13. ऐसा मुद्दा, जिसमें सारवान् प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हैं, जिनमें ऐसा कोई भी निर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के संचालन की निंदा का कारण बन सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ सकता है।
14. किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
15. ऐसे लेन-देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा, यदि कोई हो, के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।
16. महत्वपूर्ण श्रम संबंधी समस्याएं, यदि कोई हों और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि, यदि कोई हो।
17. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीतिक गठबंधन आदि।
18. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।
19. विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हों, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों का तिमाही विवरण।
20. किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता अपेक्षाओं का गैर-अनुपालन और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का गैर-भुगतान, शेयर के अंतरण में देरी आदि, यदि लागू हों।
21. ऋण-स्वीकृति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
22. अल्पावधि अधिशेष निधियों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
23. उधारियों और ऋण-मोचन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
24. विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
25. शेयर पूंजी लेखा परीक्षा के समाधान, कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
26. दीर्घावधि निवेशों के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
27. कंपनी की सूचना-प्रदाता (डिस्सल ब्लोअर) नीति के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
28. उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
29. कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
30. बोर्ड के पूर्व के विचार-विमर्श/निर्णयों/सुझावों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।
31. सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक कोई अन्य जानकारी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति (व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति									कुल बैठकों की संख्या			25-सितंबर-20 को वीसी / ओपीएम द्वारा आयोजित 51वीं एजीएम में उपस्थिति	
		21-मई-20	17-जून-20	7-अगस्त-20	15-सितंबर-20	6-नवंबर-20	23-दिसंबर-20	13-जनवरी-21	4-फरवरी-21	10-मार्च-21	17-मार्च-21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या		उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (9 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	○	○	○	○	○	5	5	100	लागू नहीं
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी) (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	10	100	🗒
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त) (1 जून, 2020 से)	लागू नहीं	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	100	🗒
4	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक (5 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	○	○	○	○	○	○	6	6	100	लागू नहीं
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	10	100	🗒
6	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (31 मई, 2020 को सीएमडी और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त)	○	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100	लागू नहीं
7	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (5 नवंबर, 2020 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक)	○	○	○	🗒	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100	🗒

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
☐ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

(iv) आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 और अनुच्छेद 91 के उपबंधों और कंपनी की संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसरण में, श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीएफसी के नामित निदेशक, कंपनी की आगामी 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे। पात्र होने के नाते, उन्होंने मूल कंपनी से उनकी अधिवर्षिता की तारीख होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले, स्वयं को पुनर्नियुक्त किए जाने की पेशकश की है। श्री प्रवीण कुमार की विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी सहित उनका संक्षिप्त विवरण एजीएम के नोटिस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

(v) निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(vi) गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत

श्री प्रवीण कुमार सिंह, जो कंपनी के ₹10/- प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयरों के धारक हैं, को छोड़कर, अन्य कोई गैर-कार्यपालक निदेशक कंपनी में किसी भी शेयर या परिवर्तनीय लिखत का धारक नहीं है।

(vii) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

चूंकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक नहीं हो सकी।

(viii) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षता और गुण

आरईसी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक, जो कंपनी के संचालन में अपेक्षित कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता लाते हैं और बोर्ड एवं इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करते हैं, शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आरईसी, कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करता है। आरईसी के व्यवसाय की बारीकियों और समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और गुणों की पहचान की है:

निदेशकों की योग्यता के मानदंड

वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	प्रबंधन गतिविधियों, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य पणधारी आशयित परिणामों/नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ-साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेश/वित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना।
नेतृत्व	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड परिपाटियाँ और अभिशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंकों या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करना। कंपनी बोर्ड की बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित अभिशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करनी है।
व्यवसाय विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी पणधारियों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके व्यापार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।

निम्न सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया गया है। तथापि, किसी सदस्य के नाम के सामने किसी चिह्न की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि वह सदस्य संगत कौशल या विशेषज्ञता नहीं रखता है:

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं							
	विशेषज्ञता का क्षेत्र							
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियां और अभिशासन	व्यवसाय विकास
श्री संजय मल्होत्रा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव कुमार गुप्ता	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजय चौधरी	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री तन्मय कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री प्रवीण कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या व्यवसाय प्रचालनों और कॉर्पोरेट सुशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियां निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं; और उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियां थीं:—

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. पणधारी संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
6. ऋण समिति*
7. कार्यकारी समिति*
8. मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति*
9. अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति
10. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन कमेटी
11. आईटी कार्यनीति समिति

* समिति को तदोपरांत दिनांक 28 मई, 2021 से भंग कर दिया गया है

कंपनी के संस्था के अंतर्निर्णयों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अंतर्निर्णय 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, अपेक्षाओं का अनुपालन;
- ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, में यथापरिकल्पित लेखा परीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन;
- ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा
- घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित, का अनुपालन।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित की गई इसकी बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			17-जून-20	7-अगस्त-20	6-नवंबर-20	23-दिसंबर-20	4-फरवरी-21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष (6 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	○	○	○	3	3	100
2	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सरकार द्वारा नामित निदेशक	(12 जून, 2020 से 5 नवंबर, 2020 के दौरान)	○	○	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	○	○	○	○	○	5	5	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	सदस्य	○	○	○	○	○	5	5	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की कार्यसाधक संख्या (कोरम) दो सदस्यों या सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करती है।

दिनांक 17 जून, 2020 को आयोजित की गई बैठक, जिसे कोविड -19 महामारी के आलोक में सेबी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र द्वारा अनुमत विस्तारित समय अंतराल के अनुसरण में पिछली बैठक से 134 दिनों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, को छोड़कर, लेखा परीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष, लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रखता है और लेखा परीक्षा समिति के अन्य सभी सदस्य वित्तीय कार्यों का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा, दिनांक 25 सितंबर, 2020 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति को पुनर्गठित करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, कंपनी ने गैर-कार्यपालक निदेशकों, जहां तक संभव हो, को शामिल कर अपनी लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशा-निर्देशों, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड और इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान किया जाता है। भुगतान किए गए बैठक शुल्क की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर होती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए देय बैठक शुल्क का भुगतान पीएफसी को किया जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का हकदार नहीं होता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार हैं:

- कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, में यथपरिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और
- पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर)/कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति को पुनर्गठित करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को निदेशकों की अर्हता, सकारात्मक गुणों, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करने से संबंधित अपेक्षा एवं निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट प्रदान की थी।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह निर्दिष्ट किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में यथानिर्धारित, स्वतंत्र निदेशक के प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र संबंधी प्रावधान भी सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपीएस) को संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन	अनुलाभ	फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	कुल
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (9 नवंबर, 2020 से)	10,90,800	-	-	15,400	87,450	-	-	11,93,650
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी) (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला)	46,53,819	22,09,652	9,85,670	42,939	-	4,05,443	2,85,097	85,82,620
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त) (1 जून, 2020 से नियुक्त)	39,96,810	14,35,450	1,72,109	45,609	10,73,509	3,22,133	2,16,112	72,61,732
4	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (31 मई, 2020 को सीएमडी और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त)	7,15,873	16,71,215	9,48,806	-	33,77,037	66,342	58,050	68,37,323
5	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव	45,07,165	13,44,914	77,742	30,713	-	3,61,701	2,52,166	65,74,401

टिप्पणियाँ:

- श्री संजय मल्होत्रा, जिन्होंने दिनांक 9 नवंबर, 2020 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी में पदभार संभाला, का पारिश्रमिक उक्त तिथि से सूचित किया गया है।
- श्री अजय चौधरी के संबंध में ऊपर दर्शाया गया पारिश्रमिक दिनांक 1 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए है। इससे पहले वह कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे और उन्हें ₹8,86,637 का पारिश्रमिक और 1 अप्रैल, 2020 से 31 मई, 2020 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के रूप में ₹62,690 की राशि का भुगतान किया गया था।
- प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय / प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अतः, नियोक्ता के पेंशन अंशदान, फॉर्म-16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।
- कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूटप्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेजुटी फंड) में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।
- कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, निष्कर्षण शुल्क आदि सहित नियुक्ति की शर्तें, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती हैं।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/- और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 30,000/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:-

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक (5 नवंबर, 2020 से)	—	—	—
2	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सरकार द्वारा नामित निदेशक (5 नवंबर, 2020 तक)	—	—	—
3	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	4,00,000	5,40,000	9,40,000
	कुल	4,00,000	5,40,000	9,40,000

टिप्पणियाँ:

- सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।
- श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी में पूर्णकालिक निदेशक हैं। आरईसी के निदेशक मण्डल और इसकी समितियों के बैठक में भाग लेने के लिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित को देय बैठक शुल्क का भुगतान पीएफसी को किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर-कार्यपालक निदेशक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है।

3.3 पणधारी संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 20 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के संदर्भ में एक पणधारी संबंध समिति का गठन किया है। पणधारी संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्रधारकों (डिबेंचरहोल्डर) आदि जैसे विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज का प्राप्त न होना, कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के अंतरण, प्रेषण, रीमटेरियलाइजेशन, विमटेरियलाइजेशन, विखंडन और समेकन से संबंधित मामलों के निवारण की जांच करती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न प्रतिभूति धारकों के अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पणधारी संबंध समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 को पणधारी संबंध समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			17-जून-20	7-अगस्त-20	6-नवंबर-20	4-फरवरी-21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	अध्यक्ष (12 जून, 2020 से)	○	○	○	○	4	4	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	○	○	○	○	4	4	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (12 जून, 2020 से)	○	○	○	○	4	4	100

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

पणधारी संबंध समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बांड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता पणधारी संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं। 25 सितम्बर, 2020 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में पणधारी संबंध समिति के अध्यक्ष मौजूद थे।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप पणधारी संबंध समिति को पुनर्गठित करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, कंपनी ने गैर-कार्यपालक निदेशकों, जहां तक संभव हो, को शामिल करके अपनी पणधारी संबंध समिति का गठन किया है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद पणधारी संबंध समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों या परिवादों के तुरंत निवारण के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात्, संबंधित पंजीयक से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और पणधारी संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) में एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली नामतः स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) मौजूद है, जिसके माध्यम से निवेशक अपनी समस्याओं के लिए किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति का पता लगाने में सक्षम हुए हैं – जैसे कि शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है। ऐसा कोई भी निवेशक, जो स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) से परिचित नहीं है या स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) तक उसकी पहुँच नहीं है, भौतिक रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों, परिवादों और अनुरोधों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्यवाई करती है। निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 13 (3) के अनुसरण में शेयरधारकों / निवेशकों से प्राप्त शिकायतों / अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2020 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	0	2	2
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	2,304	1,118	3,422
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2,304	1,120	3,424
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	0	0	0

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं;

- समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;
- विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करना;
- विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा
- समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, निगमित कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए अपेक्षित कोई भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकों आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			1-अक्टूबर-20	31-मार्च-21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	अध्यक्ष (31 मार्च, 2021 से)	लागू नहीं	⊗	1	1	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित)	⊗	⊗	2	2	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (दिनांक 1, जून 2020)	⊗	⊗	2	2	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

नोट: श्री अजीत कुमार अग्रवाल दिनांक 31 मई, 2020 तक जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे। हालांकि, उस कार्यकाल के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

जोखिम प्रबंधन समिति समिति की कार्यवाहक संख्या (कोरम) अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त-संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य प्रचालन) और मुख्य महाप्रबंधक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) विभाग जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। कंपनी द्वारा, आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति की गई है, जो जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान में, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने के लिए आरईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या का अभाव है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' (सीएसआर समिति), का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;
- ख) कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
- ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;
- घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की अनुशंसा/समीक्षा करना;
- ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;
- च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;
- छ) अन्य बातों के साथ-साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;
- ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा
- झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर अन्य अपेक्षाओं, समय-समय पर संशोधित, का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सीएसआर समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 को सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति								बैठकों की कुल संख्या		
			21-मई-20	7-अगस्त-20	15-सितंबर-20	6-नवंबर-20	23-दिसंबर-20	13-जनवरी-21	4-फरवरी-21	10-मार्च-21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष (दिनांक 12 जून, 2020 से, उससे पहले तक सदस्य रहे)	○	○	○	○	○	○	○	○	8	8	100
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	(दिनांक 31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)	○	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (12 जून, 2020 से)	लागू नहीं	○	○	○	○	○	○	○	7	7	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी के नामित निदेशक	सदस्य	○	○	○	○	○	○	○	○	8	8	100

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पद छोड़ने के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को पुनर्गठित करने

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, कंपनी ने गैर-कार्यपालक निदेशकों, जहां तक संभव हो, को शामिल करके अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। आरईसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतता नीति <https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives> पर उपलब्ध है।

3.6 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यक्षीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

संस्था का प्रकार	विशिष्ट स्कीम / परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत संस्था (यूटिलिटी) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹500 करोड़ रुपी सावधि ऋण	₹30,000 करोड़
	कोविड-19 के तहत, डिस्कों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशिष्ट दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण	
	उदय योजना के तहत ₹500 करोड़ से अधिक का विशेष ऋण	
	उदय योजना की सीमा में छूट देते हुए डिस्कों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशेष दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण	
	डिस्कों / गेडकोस को ₹500 करोड़ से अधिक की परिक्रामी बिल भुगतान सुविधाएं	
निजी क्षेत्र की विद्युत संस्था (यूटिलिटी)	₹500 करोड़ तक	₹10,000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, ऋण समिति की 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, ऋण समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति											बैठकों की कुल संख्या		
			21 – मई – 20	25 – जून – 20	3 – जुलाई – 20	10 – जुलाई – 20	17 – जुलाई – 20	11 – सितंबर – 20	25 – सितंबर – 20	27 – अक्टूबर – 20	23 – दिसंबर – 20	13 – जनवरी – 21	4 फरवरी – 21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (दिनांक 9 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	०	०	०	3	3	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष)	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	11	11	100
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	(दिनांक 31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)	०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (1 जून, 2020 से)	लागू नहीं	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	10	10	100
5	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य (6 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	०	०	०	3	3	100
6	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य (5 नवंबर, 2020 तक)	०	०	०	०	०	०	०	०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8	8	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

ऋण समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष और सरकार द्वारा नामित निदेशक सहित तीन सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को ऋण समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियां को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कार्यपालक समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यक्षीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

संस्था का प्रकार	विशिष्ट स्कीम/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत संस्था (यूटिलिटी) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹150 करोड़ तक के रुपी मियादी ऋण	₹25,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत संस्था (यूटिलिटी)	₹100 करोड़ तक के रुपी मियादी ऋण	₹6,000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्यपालक समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, कार्यपालक समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति							बैठकों की कुल संख्या		
			21-मई-20	29-जून-20	9-सितंबर-20	14-अक्टूबर-20	3-फरवरी-21	19-मार्च-21	24-मार्च-21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (9 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	○	○	○	3	3	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष रहे)	○	○	○	○	○	○	○	7	7	100
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	(31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)	○	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (1 जून, 2020 से)	लागू नहीं	○	○	○	○	○	○	6	6	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

कार्यपालक समिति के बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक निदेशक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियां को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।

3.8 मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति

मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप-समिति का गठन कंपनी द्वारा दिए गए मियादी ऋणों और अल्पावधि ऋणों के लिए विभिन्न ऋण दरों की समीक्षा के लिए किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उक्त उप-समिति की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, उक्त उप-समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति									बैठकों की कुल संख्या		
			20 — मई — 20	27 — जुलाई — 20	26 — अगस्त — 20	1 — सितंबर — 20	9 — अक्टूबर — 20	4 — जनवरी — 21	3 — फरवरी — 21	8 — मार्च — 21	31 — मार्च — 21	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (9 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	○	○	○	○	4	4	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष रहे)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	100
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	(31 मई, 2020 तक अध्यक्ष)	○		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (1 जून, 2020 से)	लागू नहीं	○	○	○	○	○	○	○	○	8	8	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

उक्त उप-समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक निदेशक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियां को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति का गठन जमा प्रमाणपत्रों में एक बार में ₹1000 करोड़ और उससे अधिक या म्यूचुअल फंडों एवं सावधि जमाओं में एक बार में ₹2000 करोड़ और उससे अधिक की अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग को अनुमोदित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग पर निर्णय लेने के लिए आयोजित की जाती हैं। समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है; तथा निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) इसके सदस्य हैं।

उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.10 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी के वित्त और प्रचालन प्रभागों के कार्यपालक निदेशक या मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं।

एएलसीओ, एएलएम सहायता समूह – जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है – की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करता है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एएलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एएलसीओ की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, एएलसीओ की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम सदस्य का पदनाम	समिति में धारित पदनाम	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			29-जून-20	30-सितंबर-20	31-दिसंबर-20	26-मार्च-21	निदेशक / सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक / सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (9 नवंबर, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं			2	2	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (1 जून, 2020 से 8 नवंबर, 2020 के दौरान अध्यक्ष)					4	4	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (1 जून, 2020 से)					4	4	100
4	कार्यपालक निदेशक (संसाधन)	सदस्य					4	4	100
5	कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक (निजी / राज्य प्रचालन)	सदस्य					4	4	100
6	मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम)	सदस्य					4	4	100



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

एएलसीओ की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्य हैं। मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को एएलसीओ की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक सदस्य और एएलसीओ के संयोजक के लिए किसी पूर्तिकर (बैकअप) कार्यपालक को भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

3.11 आईटी कार्यनीति समिति

एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने आरईसी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया है। आईटी कार्यनीति समिति की भूमिका में कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के तरीकों की निगरानी करना, आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना और कंपनी की आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना शामिल है।

आईटी कार्यनीति समिति की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), सुरक्षा परिषद के आईटी सदस्य और आईएसएमएस अधिकारी और एक बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। तथापि, चूंकि वर्तमान में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, आरईसी में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति होने पर आईटी कार्यनीति समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईटी कार्यनीति समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आईटी कार्यनीति समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	सदस्य का पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			6- अगस्त - 20	26- फरवरी - 21	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	कार्यपालक निदेशक (आईटी) मुख्य सूचना अधिकारी	अध्यक्ष	☑	☒	2	2	100
2	मुख्य महाप्रबंधक (आईटी) मुख्य तकनीकी अधिकारी	सदस्य	☑	☒	2	2	100
3	वरिष्ठ महाप्रबंधक (आईटी) आईएसएमएस अधिकारी	सदस्य / संयोजक	☑	☒	2	2	100
4	बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	☑	☒	2	2	100



स्वयं उपस्थित



वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

4. अन्य समितियां

बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित निदेशकों की समितियों के अलावा, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 बंधपत्र (बांड) समिति

आरईसी के कराधीन प्रतिभूत मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बंधपत्रों (टैक्सेबल सिक्क्योर्ड रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल बॉन्ड्स) के सार्वजनिक निर्गम से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मण्डल द्वारा निदेशकों की बंधपत्र (बांड) समिति का गठन किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, बंधपत्र (बांड) समिति की संरचना में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सदस्य के रूप में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) शामिल थे। उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यवाहक संख्या (कोरम), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के पारेषण, प्रतिस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नामतः श्री जे. एस. अमिताभ (कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक - वित्त) सदस्य के रूप में शामिल थे। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की एक बैठक अर्थात् दिनांक 11 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई।

5. सहायक कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां नामतः आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2021 से इसका नाम बदलकर आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) कर दिया गया) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) थीं। आरईसी के निदेशक मण्डल ने प्रचालन में बेहतर तालमेल, विभिन्न बाजार खंडों तक अधिक पहुंच और उच्च पूंजी आधार एवं भंडारित संसाधनों का लाभ उठाने के लिए उक्त दोनों कंपनियों के एकल संस्था के रूप में समामेलन की मंजूरी दी थी। तदनुसार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत, आरईसीपीडीसीएल (स्थानांतरित कंपनी) के साथ आरईसीटीपीसीएल (स्थानांतरणकर्ता कंपनी) के समामेलन की व्यवस्था की योजना को अनुमोदित किया गया था। समामेलन दिनांक 1 अप्रैल, 2020 की नियत तारीख और 6 फरवरी, 2021 को प्रभावी तारीख से लागू हुआ।

समामेलन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय / अंतरा-राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में शामिल करता है। प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उपरोक्त के संदर्भ में, आरईसीपीडीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के

दौरान चयनित बोलीदाता को 1 (एक) परियोजना विशिष्ट एसपीवी हस्तांतरित किया है, जिसका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया रहा है। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी) थीं:

- (1) दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड*
- (2) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (3) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (4) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (5) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (6) कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (7) गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (8) फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड#
- (9) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (10) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (11) सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड#
- (12) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज— I लिमिटेड
- (13) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज— II लिमिटेड

* रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से इस कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

दिनांक 4 जून, 2021 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित

उपरोक्त कंपनियों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है, कंपनी की कोई "मूर्त सहायक कंपनी" नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित सहायक कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति <https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-subsidiaries-dt230719.pdf> पर उपलब्ध है।

सभी सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

6. आम निकाय बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण नीचे दिया गया है:-

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
49वीं	2017-18	25 सितंबर, 2018	11:00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली -110010	हां
50वीं	2018-19	29 अगस्त, 2019	11:00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली -110010	हां
51वीं	2019-20	25 सितंबर, 2020	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल रीति से	हां

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की कोई प्रक्रिया आयोजित नहीं की गई और डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। इसके अलावा, आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तक डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) प्रक्रिया के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए के परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्रों, जिन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाया गया, और दिनांक 12 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र, जिसे सेबी द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया, के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र के अनुसरण में, आरईसी की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल रीति में किया जा रहा है। कंपनी शेयरधारकों को उक्त एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। उक्त एजीएम में भाग लेने के बारे में विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में प्रदर्शित किया जा रहा है।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों की प्रदायगी

वित्तीय वर्ष 2010-11 से, आरईसी ऐसे शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर रहा है, जिनकी ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) या पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश (अंतरिम या अंतिम) की सूचना भी भेजी जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित किए हुए शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को ई-मेल आईडी को अपडेट करने के लिए एसएमएस भी भेजे हैं, जिनके मोबाइल नंबर संबंधित निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में पंजीकृत थे। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे ई-मेल आईडी के पंजीकरण और आगामी एजीएम में मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त के अधिप्रापण के लिए 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, कंपनी के बोर्ड और समितियों की बैठकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से आयोजित की जाती हैं। कार्यसूची दस्तावेजों तक पेपरलेस पहुंच को सक्षम बनाने के लिए, कार्यसूची (एजेंडा) और टिप्पणियां (नोट) भी एक सुरक्षित मंच के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए निदेशकों को संप्रेषित किए जा रहे हैं।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति पणधारियों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

9. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेन-देन)

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति <https://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPTPolicyREC-230821.pdf> पर उपलब्ध है।

उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहारों (लेन-देन) को लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की जानकारी के लिए तिमाही आधार पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, फॉर्म एओसी-2 में प्रकटन करने के लिए अपेक्षित संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) के ब्यौरे 'शून्य' थे।

10. प्रकटीकरण

1. कंपनी ने, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, लागू सचिवीय मानकों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों, समय-समय पर यथासंशोधित, की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना भी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम बनने के लिए पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी से कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित ऐसा कोई भी मामला नहीं था जिसमें अनुपालन न किया गया हो। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित सभी पूर्व स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने या पदभार छोड़ने के बाद, वर्तमान में बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तथा बोर्ड और उसकी कुछ समितियों की संरचना के संबंध में सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, एनएसई और बीएसई द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020, दिनांक 30 जून, 2020, दिनांक 30 सितंबर, 2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020 और दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए आरईसी पर जीएसटी सहित कुल ₹95,93,400/- (₹47,96,700/-) प्रत्येक जीएसटी सहित) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया गया है/ किया जा रहा है, चूंकि कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और यह मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी पर सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए अधिरोपित जुर्माने को बीएसई ने पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी शेष जुर्माने (जुर्मानों) को भी माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अनुसरण कर रही है।

2. सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दर्ज कराए गए थे।
3. कंपनी ने, उपरोक्त बिंदु 1 में यथावर्णित, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने और बोर्ड की कुछ समितियों के गठन को छोड़कर, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 की बोर्ड, समितियों और कॉर्पोरेट सुशासन से संबंधित अपेक्षाओं, समय-समय पर यथासंशोधित; और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के तहत कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
 कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के भाग ग के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।
 इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वेबसाइट (www.recindia.nic.in) पर प्रासंगिक जानकारी जैसे कंपनी के व्यवसाय का विवरण, निदेशक मण्डल की विभिन्न समितियों की संरचना, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता आदि का प्रकटीकरण किया है।
 सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण, गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान के मानदंड, संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेन-देन) को संभालने संबंधी नीति, मूर्त सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम का विवरण और स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं के महत्व के निर्धारण के लिए नीति आदि भी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध हैं।
4. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हेजिंग नीति, जो मुद्राओं में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं – सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को कवर किया जाता है। लेखाओं के लिए टिप्पणियों में विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग होते हैं और उनका प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों जैसे स्वैप, ऑप्शंस, फॉरवर्ड आदि के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति ऐसी नहीं है, जो किसी भी वस्तु की कीमत के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।
5. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।
6. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन-देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।
7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए उनकी शेरधारिता का विवरण लागू नहीं था।
8. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए उनकी शेरधारिता का विवरण लागू नहीं था।
9. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।
10. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
11. कंपनी यह पुष्टि करती है कि सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति मौजूद है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

13. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और कुछ समितियों, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी की आवश्यकता होती है, के गठन को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन पर कुछ गैर-अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है;
- क) बोर्ड: कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;
- ख) शेयरधारक के अधिकार: कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;
- ग) लेखा परीक्षा शर्तें: वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित कोई लेखा परीक्षा शर्त नहीं है और कंपनी सदैव शर्तारहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;
- घ) आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग: कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्य के प्रमुख सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।
- एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की भूमिका का निर्वहन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है।
14. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को माननीय राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में बोर्ड-स्तर और बोर्ड-स्तर से नीचे के कार्यपालकों के दिनांक 1 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय राष्ट्रपति का एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसे कंपनी द्वारा लागू किया गया है।
15. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न हो। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई व्यय भी नहीं किया गया था जो व्यक्तिगत प्रकृति का था तथा जिसे निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।
16. प्रशासनिक और कार्यालय व्यय, मुख्य रूप से कोविड महामारी के कारण यात्रा और परिवहन खर्च में ₹5.69 करोड़ की कमी और अन्य विविध खर्चों में कमी के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹131.70 करोड़ की तुलना में कम होकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹106.71 करोड़ हो गया है। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में सामान्य वृद्धि/कमी के अनुरूप अन्य व्ययों में मामूली अंतर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.43% (पिछले वर्ष 0.58%) और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 0.56% (पिछले वर्ष 0.69%) था।
17. निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय को, डीपीई के माध्यम से, तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण निम्नानुसार था:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2020	9 जुलाई, 2020
30 सितंबर, 2020	12 अक्टूबर, 2020
31 दिसंबर, 2020	12 जनवरी, 2021
31 मार्च, 2021	12 अप्रैल, 2021

इसके अलावा, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) की रिपोर्ट डीपीई को निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

कंपनी ने, वित्तीय वर्ष 2020-21 की सभी तिमाहियों के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 27(2)(क) के तहत कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की है।

18. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधान के अनुरूप, असंशोधित राय के साथ एकल (स्टैंडअलोन) और समेकित वित्तीय निष्कर्षों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
19. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

उनकी नियुक्ति पर, बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत हो सकें। इसके अलावा, बोर्ड की बैठकों में कंपनी के व्यवसाय और प्रदर्शन के बारे में भी प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण <https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Familiarization-programme290621.pdf> पर उपलब्ध है।

20. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई स्टॉक ऑपशंस/ईएसओपी जारी नहीं किये हैं।
21. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7क) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बांडों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग, जो कि क्रिसिल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी गई उच्चतम रेटिंग है, जारी रही। कंपनी को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरईसी को प्रदान की गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अलावा, मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के **अनुबंध-क** पर दी गई है।
24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियाँ) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड-स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

लागू कानूनों और इनसे संबंधित सांविधिक एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी में एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सांविधिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार एवं नीति संहिता

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

यह संहिता https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा निम्नानुसार है:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) एलओडीआर विनियम तथा कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार और नीति संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : जुलाई 22, 2021

ह0/-

संजय मल्होत्रा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00992744

13. नामित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

कंपनी में "नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता" मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों रिश्तेदार, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट <https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf> पर पोस्ट की गई है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी पणधारी या व्यवसाय भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी किसी यूपीएसआई को तिमाही परिणामों पर विचार सहित विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाती है और ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना नामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, तो उन्हें और उनके

परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार करने से रोकते हुए, कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उचित घोषणाएं की जाती हैं।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

धोखाधड़ी का पता लगाने और इसकी रोकथाम, पाई गई या संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग तथा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के निष्पक्ष प्रबंधन के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए तथा धोखाधड़ी के मामले में इसे रोकने और/या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।
- कर्मचारियों और आरईसी के साथ संव्यवहार करने वाले अन्य लोगों को किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोकने और किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संशय होने पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।
- नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी का पता चलने या संदेह होने पर रिपोर्ट करने के लिए समय-सीमा और विवरण प्रदान करना।
- धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच करना।
- यह आश्वस्त करना कि किसी भी और सभी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

उक्त नीति <https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC&13082020.pdf> पर उपलब्ध है।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इनके साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी की एक सूचना प्रदाता (व्हीसल ब्लोअर) नीति है। सूचना प्रदाता (व्हीसल ब्लोअर) नीति, आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। नीति के तहत निर्धारित रीति से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सूचना प्रदाता (व्हीसल ब्लोअर) नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और इसे कंपनी की "सतर्कता पुस्तिका" में शामिल किया गया है। आरईसी की सूचना प्रदाता (व्हीसल ब्लोअर) नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy-pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा, कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदाता (व्हीसल ब्लोअर) नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और, जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है, निम्नानुसार है:

कंपनी की सूचना प्रदाता (व्हीसल ब्लोअर) नीति के संदर्भ में वार्षिक अभिकथन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने से नहीं रोका गया है और जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जुलाई 27, 2021

ह0/-
संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00992744

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
क.	सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखा परीक्षक के रूप में	0.66	0.44
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.25	0.11
(iii)	कंपनी कानून के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.26	0.35
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:	—	—
	(क) एमटीएन प्रस्ताव दस्तावेज/आश्वासन पत्र का प्रमाणन	0.10	0.40
	(ख) अन्य प्रमाणपत्र	0.04	0.04
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	—	0.04
	उप जोड़	1.31	1.38
ख.	लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.12	0.14
	कुल	1.43	1.52

* पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कराधान मामलों के लिए ₹0.12 करोड़ के शुल्क सहित (पिछले वर्ष में शून्य)

17. संचार के साधन

कंपनी, शेयरधारकों/निवेशकों के अधिकारों और प्रासंगिक सूचनाओं के संचार को कंपनी के समग्र कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है; और इसलिए शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य पणधारियों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर दिया जाता है।

निवेशकों को कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अद्यतन रखने तथा एक उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रणाली, जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना प्रवाह और संचार को निर्देशित करती है, विकसित करने के उद्देश्य से समय पर जानकारी प्रदान करने और विश्लेषकों की बैठकें आयोजित करने के लिए, कंपनी में एक विश्लेषकों के साथ संवाद के लिए एक विशिष्ट निवेशक संबंध प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक, स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों और निवेशकों के साथ संचार करती है। कंपनी अपने संस्थागत निवेशकों के साथ विश्लेषक ब्रीफिंग/व्यक्तिगत चर्चाओं के माध्यम से और समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भाग लेकर भी संचार करती है। निवेशक समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए बोर्ड के सदस्यों के लिए विश्लेषक और निवेशक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर प्रेस बैठक भी आयोजित की जाती हैं। तिमाही की समाप्ति के बाद आयोजित सम्मेलन-चर्चा के माध्यम से निवेशकों के साथ वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है। विश्लेषकों की बैठकों की प्रतिलेख भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों में परिचालित किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। शेयरधारक संबंधी जानकारी, घोषणाएं और कंपनी के बारे में नवीनतम अपडेट आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर देखी जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय-समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट
- तिमाही शेयरधारिता पैटर्न
- सम्मेलन बैठक/विश्लेषकों की बैठकों के प्रतिलेख
- आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण।

कंपनी के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्घरण स्टॉक एक्सचेंजों को संप्रेषित किए जाते हैं और द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी) आदि जैसे वित्तीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और अन्य सभी घोषणाएं आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां देती है, जिन्हें वेबसाइट www.recindia.nic.in पर अपलोड किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी कंपनी की सक्रिय मौजूदगी है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 28 मई, 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ख** पर संलग्न है।

19. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी

i. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक आम बैठक

शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से आयोजित की जाएगी:-

दिन, दिनांक	समय
शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021	11 बजे पूर्वाह्न

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दिर्शायी गई है।

ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22	
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021		1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	7 अगस्त, 2020	पहली तिमाही	तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर घोषणा
	दूसरी तिमाही	6 नवंबर, 2020	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	4 फरवरी, 2021	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	28 मई, 2021	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	24 सितंबर, 2021		अगस्त / सितंबर, 2022	

iii. लाभांश

(क) लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन वित्तीय मानदंडों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्नियम 114 के अनुसरण में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 3 दिसंबर 2020 को ₹6/- प्रति इक्विटी शेयर (₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) के अंतरिम लाभांश और दिनांक 30 मार्च, 2021 को ₹5/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य पर) के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अलावा, निदेशक मण्डल ने ₹1.71 प्रति ₹10/- वाले इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्वधीन है। यदि इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश ₹12.71 प्रति ₹10/- वाले इक्विटी शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के 127.10% का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गए लाभांश अर्थात् वर्ष 2019-20 में प्रदत्त ₹11 प्रति ₹10/- वाले इक्विटी शेयर से 110% अधिक है।

कंपनी ने आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्वधीन, उपरोक्त अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में घोषित कर दिया जाता है, तो शेयरधारकों को गुरुवार, 21 अक्टूबर, 2021 को अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

(ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल संदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2015-16	987.46	1,688.55	171.00	25 फरवरी, 2016	4 अक्टूबर, 2016
2016-17	1,974.92	1,905.79	*96.50	6 मार्च, 2017	9 अक्टूबर, 2017
2017-18	1,974.92	1,807.05	91.50	27 फरवरी, 2018	15 अक्टूबर, 2018
2018-19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	—
2019-20	1,974.92	2,172.41	110.00	24 फरवरी, 2020	—

नोट: वित्तीय वर्ष 2016-17 से लाभांश का प्रतिशत समायोजन के बाद कंपनी द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण है।

(घ) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किए गए अदत्त/अदावाकृत लाभांश और इक्विटी शेयर आईईपीएफ में अंतरित लाभांश राशि

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5) के अनुसार, लाभांश राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रही, को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित राशियाँ आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हो गईं, इसके बाद 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहीं। इन राशियों को निम्नानुसार जमा किया गया था:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
2012-13	अंतिम लाभांश	9,45,824	4 नवंबर, 2020
2013-14	अंतरिम लाभांश	2,459,893	24 अप्रैल, 2021
	कुल	3,405,717	

आईईपीएफ में अंतरित ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित मूलधन/ब्याज

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, मूलधन के कारण ₹2,36,39,166/- और कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज के कारण ₹16,53,457/- की राशि को भी आईईपीएफ को अंतरित किया गया।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने नवंबर, 2020 में ₹10/- वाले 7,403 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या 1,16,567 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, अप्रैल, 2021 में ₹10/- वाले 3,057 इक्विटी शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया।

जिन सदस्यों का उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों पर दावा है, वे वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में एक ऑनलाइन आवेदन जमा करके और फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बांड और आईईपीएफ -5 में सूचीबद्ध अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित भौतिक प्रति "आईईपीएफ प्राधिकरण से वापसी के लिए दावा" के रूप में चिह्नित एक लिफाफे में रखकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजते हुए, आईईपीएफ प्राधिकरण से इनका दावा कर सकते हैं। सभी पहलुओं में पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से धन वापसी (रिफंड) जारी की जाएगी। आईईपीएफ प्राधिकरण को इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कोई दावा देय कंपनी की ओर से नहीं होगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:

नोडल अधिकारी	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री एम. एल. कुमावत वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त) – सीएस
डिबेंचर/बांड के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री दलजीत सिंह खत्री मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी समय-समय पर शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अदत्त/अदावाकृत लाभांश के अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए समाचार पत्रों में नोटिस जारी करती रही है। सभी शेयरधारकों को लाभांश से संबंधित अपने वारंट तत्काल भुनाने या पुराने वारंटों के पुनर्मान्यकरण कराने या उनके बदले नए डिमांड ड्राफ्ट जारी कराने के लिए कंपनी के आरएंडटीए को आवेदन करने की एकबार पुनः सलाह दी जाती है।

कंपनी ने नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को राशि के अंतरण की देय तारीख जैसी जानकारी के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉन्डधारकों से संबंधित अदावाकृत/अदत्त राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट www.recindia.nic.in पर अपलोड किया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ को अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का निवेशक-वार विवरण आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

iv. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता	टेलीफोन / ईमेल आईडी / वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	टेलीफोन: +91-22-2659 8100 / 8114 फैक्स: +91-22-2659 8120 ई-मेल आईडी: cmlist@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	RECLTD
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभाय टावर दलाल पथ मुंबई- 400 001	टेलीफोन: +91-22-22721233 / 4 फैक्स: +91-22-2272 1919 ई-मेल आईडी: corp.comm@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध-VIII में दिया गया है।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध-VIII के रूप में दिया गया है।

vi. पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता (आरएंडटीए)

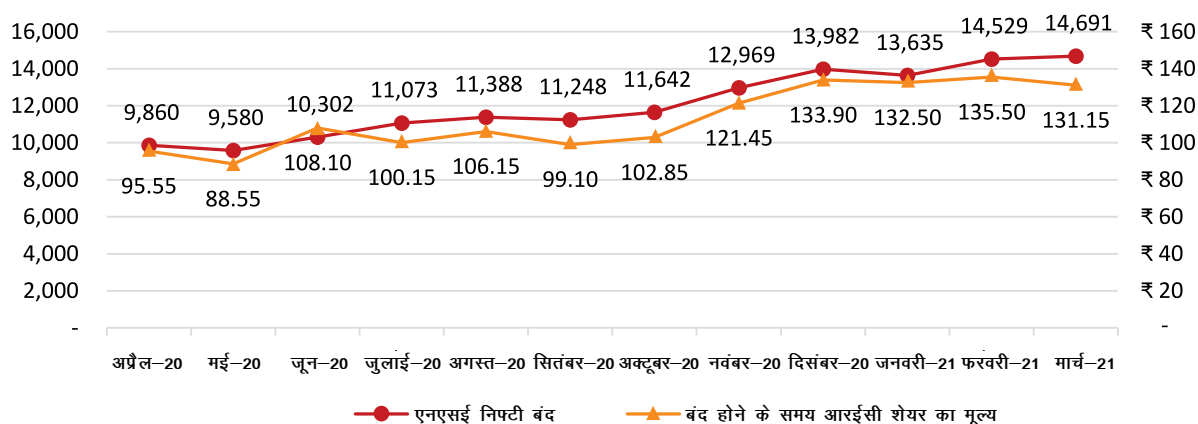
इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए	पता	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, वित्तीय जिला नानकरामगुडा हैदराबाद-500 032, भारत	
	फोन	1-1800-309-4001 (टोल-फ्री)	
	ईमेल	einward.ris@kfintech.com, balaji.reddy@kfintech.com, rajju.sv@kfintech.com	
	वेबसाइट	www.kfintech.com	
सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए	पता	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, वित्तीय जिला नानकरामगुडा हैदराबाद-500 032, भारत	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास नई दिल्ली-110062, भारत +91-11-2996 1281-83
	फोन	1-800-309-4001	
	ईमेल	einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com, investorcell@recl.in	recbonds2@gmail.com, beetalrta@gmail.com, investorcell@recl.in
	वेबसाइट	www.kfintech.com	www.beetalfinancial.com

vii. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य डाटा

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

माह	एनएसई में आरईसी शेयर का मासिक प्रदर्शन			एनएसई निफ्टी का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह के अंत में (₹)	उच्च	कम	माह के अंत में
अप्रैल' 2020	99.00	84.50	95.55	9,889.05	8,055.80	9,859.90
मई' 2020	104.80	83.65	88.55	9,598.85	8,806.75	9,580.30
जून' 2020	117.40	89.80	108.10	10,553.15	9,544.35	10,302.10
जुलाई' 2020	112.40	98.50	100.15	11341.40	10299.60	11,073.45
अगस्त' 2020	116.50	99.35	106.15	11,794.25	10,882.25	11,387.50
सितम्बर' 2020	113.90	95.00	99.10	11,618.10	10,790.20	11,247.55
अक्टूबर' 2020	105.45	91.80	102.85	12025.45	11,347.05	11,642.40
नवंबर' 2020	123.60	102.20	121.45	13,145.85	11,557.40	12,968.95
दिसंबर' 2020	143.50	119.00	133.90	14,024.85	12,962.80	13,981.75
जनवरी' 2021	148.40	131.25	132.50	14,753.55	13,596.75	13,634.60
फरवरी' 2021	157.00	131.30	135.50	15,431.75	13,661.75	14,529.15
मार्च' 2021	155.45	127.80	131.15	15,336.30	14,264.40	14,690.70

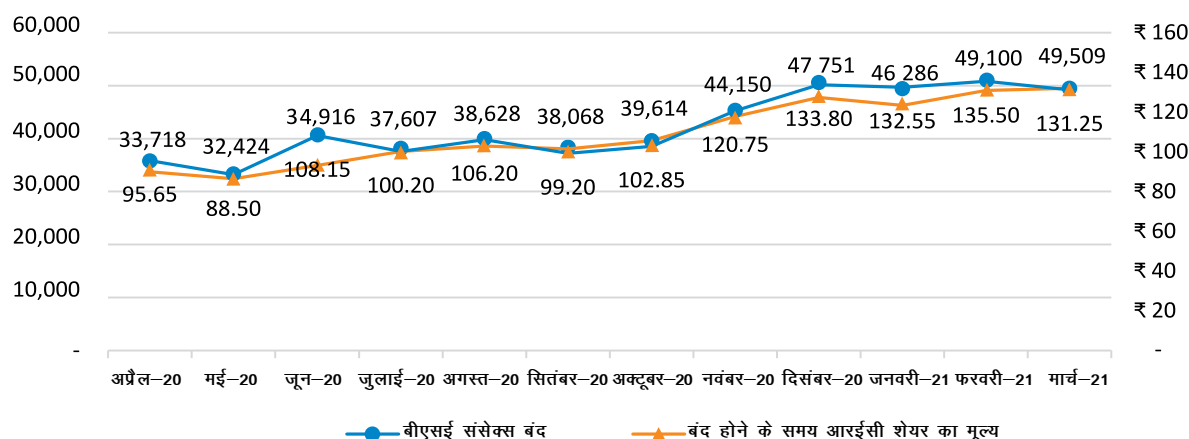
एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन



बीएसई संसेक्स की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

माह	बीएसई में आरईसी शेयर का मासिक प्रदर्शन			बीएसई संसेक्स का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह के अंत में (₹)	उच्च	कम	माह के अंत में
अप्रैल' 2020	98.90	84.60	95.65	33,887.25	27,500.79	33,717.62
मई' 2020	104.70	83.70	88.50	32,845.48	29,968.45	32,424.10
जून' 2020	118.00	89.70	108.15	35,706.55	32,348.10	34,915.80
जुलाई' 2020	112.40	98.70	100.20	38,617.03	34,927.20	37,606.89
अगस्त' 2020	116.50	97.85	106.20	40,010.17	36,911.23	38,628.29
सितम्बर' 2020	113.80	95.05	99.20	39,359.51	36,495.98	38,067.93
अक्टूबर' 2020	105.45	91.90	102.85	41,048.05	38,410.20	39,614.07
नवंबर' 2020	123.50	102.20	120.75	44,825.37	39,334.92	44,149.72
दिसंबर' 2020	143.50	119.05	133.80	47,896.97	44,118.10	47,751.33
जनवरी' 2021	148.20	131.25	132.55	50,184.01	46,160.46	46,285.77
फरवरी' 2021	156.85	131.65	135.50	52,516.76	46,433.65	49,099.99
मार्च' 2021	155.35	127.90	131.25	51,821.84	48,236.35	49,509.15

बीएसई संसेक्स की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन



viii. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने दिनांक 3 दिसंबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्धारित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन मामलों को छोड़कर) को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी निक्षेपागार में डिमेटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। तदनुसार, सभी शेयरधारकों से किसी भी निक्षेपागार भागीदार के साथ खोले जाने वाले मौजूदा डीमैट खाते या नए डीमैट खाते में अपनी शेयरधारिता को भौतिक रूप से डीमैट रूप में यथाशीघ्र परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाता है।

प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक भौतिक खंड के तहत पारेषण, पुनर्व्यवस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अर्थात् कंपनी के आर एंड टीए द्वारा संसाधित किया जाता है। भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के पारेषण, पुनर्व्यवस्थापन, विखंडन और समेकन के लिए और डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

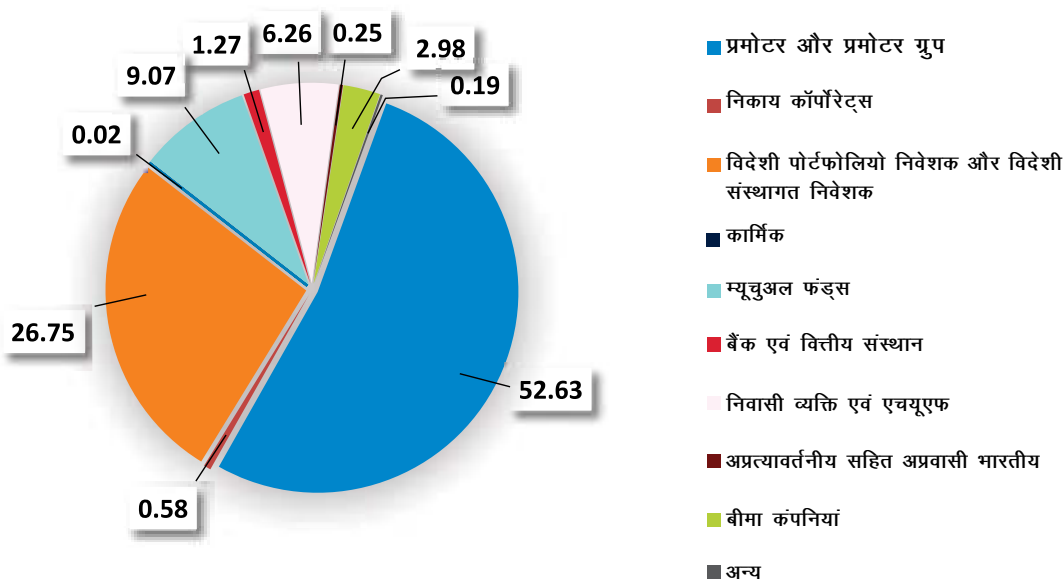
सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 40(9) और (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाला कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अर्ध-वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों के सभी अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरे किए गए थे।

ix. शेयरधारिता का पैटर्न / शेयरधारिता का वितरण

(क) स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारक की श्रेणी	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप	1,03,94,95,247	52.63	1,03,94,95,247	52.63
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक	52,83,00,945	26.75	53,30,40,782	26.99
म्यूचुअल फंड्स	17,90,43,306	9.07	17,42,48,844	8.82
निवासी व्यक्ति	11,67,78,937	5.91	11,15,58,942	5.65
बीमा कंपनियां	5,88,95,240	2.98	5,86,90,900	2.97
निकाय कॉर्पोरेट्स	1,13,61,284	0.58	1,88,95,069	0.96
समाशोधन सदस्य	25,75,891	0.13	29,38,620	0.15
बैंक	45,87,838	0.23	43,01,384	0.22
एचयूएफ	69,41,329	0.35	60,19,507	0.30
न्यास	9,49,715	0.05	27,26,714	0.14
अप्रवासी भारतीय	31,12,828	0.16	31,28,400	0.16
भारतीय वित्तीय संस्थान / क्यूआईबी	2,04,85,544	1.04	1,62,00,637	0.82
अप्रवासी भारतीय—अप्रत्यावर्तनीय	18,01,188	0.09	14,91,158	0.08
कर्मचारी	4,27,797	0.02	9,02,884	0.05
अन्य — आईईपीएफ और एआईएफ	1,52,567	0.01	12,76,567	0.06
एनबीएफसी	8,344	नगण्य	2,345	नगण्य
कुल	1,97,49,18,000	100%	1,97,49,18,000	100%

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आरईसी का शेयरधारिता पैटर्न



(ख) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का विभाजन

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	धारित कुल शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत
1-5000	3,15,312	88.84	4,15,10,143	2.10
5001 -10000	21,025	5.92	1,66,35,182	0.84
10001-20000	9,931	2.80	1,48,30,732	0.75
20001-30000	2,920	0.82	74,82,305	0.38
30001-40000	1,315	0.37	47,34,492	0.24
40001-50000	955	0.27	45,04,293	0.23
50001-100000	1,732	0.49	1,24,55,607	0.63
100001 और उससे ऊपर	1,750	0.49	1,87,27,65,246	94.83
कुल	3,54,940	100.00	1,97,49,18,000	100.00

x. शेयरों और चलनिधि का डिमैटेरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमैटेरियलाइज्ड खंड के अधीन हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

डिपॉजिटरी का नाम और पता	टेलीफोन / ईमेल आईडी / वेबसाइट
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013	टेलीफोन: +91-22-2499 4200 टोल फ्री नंबर: 1-800 222 990 ई-मेल आईडी: relations@nsdl.co.in , info@nsdl.co.in Website: www.nsdl.co.in
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वां तल, एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल, मुंबई - 400013	टेलीफोन: +91-22-2305 8640/24/39/42/63 टोल फ्री नंबर: 1-800-225-533 ई-मेल आईडी: helpdesk@cdslindia.com , complaints@cdslindia.com वेबसाइट www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, डीमैटरियालाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का विवरण निम्नानुसार था:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
शारीरिक	13,462	28,343	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,89,982	1,92,20,90,907	97.33
सीडीएसएल (डीमैट)	1,51,496	5,27,98,750	2.67
कुल	3,54,940	1,97,49,18,000	100.00

xi. शेयरपूँजी लेखा रिपोर्ट का मिलान

वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, जारी और सूचीबद्ध शेयर पूँजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था, जिसे कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल जारी / प्रदत्त शेयर पूँजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियालाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

xii. डीमैट सस्पेंस खाते का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों की एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 7,80,60,000 रुपये के प्रत्येक ₹10/- वाले इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इक्विटी शेयरों की एक और समान संख्या की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4,29,33,000 इक्विटी शेयर की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को डीमैट सस्पेंस खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1	1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	36	5,478
2	वित्तीय वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
3	वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	4	490
4	दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32	4,988

टिप्पणियाँ:

- 31 मार्च, 2021 को सस्पेंस खाते में बकाया शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के असली स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते।
- उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं; एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों का कोई मामला नहीं है।

xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xiv. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xvi. प्लांट स्थल

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसका कोई प्लांट स्थल नहीं है।

तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvii. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095 है।

xviii. पत्रव्यवहार हेतु पता

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण हैं:

पंजीकृत कार्यालय

आरईसी लिमिटेड

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत

दूरभाष: +91-11-4309 1500 / 1501, फ़ैक्स: +91-11-2436 0644

ईमेल: contactus@recl.in

कॉर्पोरेट कार्यालय

आरईसी लिमिटेड

प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, इपको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम, हरियाणा -122001, भारत

दूरभाष: +91-124-444 1300

ईमेल: contactus@recl.in

xix. कॉर्पोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है।

xx. अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

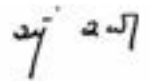
श्री जे. एस. अमिताभ

कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

दूरभाष: +91-124-444 1300

ई-मेल: complianceofficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से



संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00992744

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 5 अगस्त, 2021

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची-V के पैरा - ग के खंड (10) (i) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियां और आरईसी लिमिटेड जिसका सीआईएन: **L40101DL1969GOI005095** है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) है के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची-V के पैरा-ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से, हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों [www.mca.gov.in] पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, 31 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान सं. (डीआईएन)	नियुक्त होने की तिथि
1.	श्री संजय मल्होत्रा	00992744	09 नवंबर, 2020
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	16 अक्टूबर, 2015
3.	श्री अजय चौधरी	06629871	01 जून, 2020
4.	श्री तन्मय कुमार	02574098	05 नवंबर, 2020
5.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	03548218	18 जून, 2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण-पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)

सदस्यता संख्या: एफ6033

सीपी संख्या: 6370

यूडीआईएन: एफ006033सी000486854

दिनांक : 19 जून, 2021

स्थान : नई दिल्ली

प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

27 मई, 2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- क. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
 - i. इन विवरणों में भौतिक रूप से असत्य कोई विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो; और
 - ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।
- ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर-कानूनी अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।
- ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।
- घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया है:
 - i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और
 - iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन अथवा किसी ऐसे कर्मचारी की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह./—
(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06629871

ह./—
(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 0992744

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड क: कंपनी से संबंधित सामान्य सूचना

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4.	वेबसाइट	www.recindia.nic.in
5.	ईमेल आईडी	complianceofficer@recl.in
6.	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020-21
7.	कंपनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)	आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी के कारोबार क्रियाकलाप राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के समूह: 649; श्रेणी: 6492; उप-श्रेणी: 64920 (अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप - अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग) के अंतर्गत आते हैं।
8.	कंपनी के विनिर्माण/दी जा रही सेवा के प्रमुख उत्पाद/सेवाएं (तुलन पत्र के अनुसार)	आरईसी उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत परियोजनाओं से फारवर्ड अथवा बैकवर्ड लिंकेज के कार्यों सहित समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की परियोजनाओं और योजनाओं के वित्तपोषण में शामिल है। आरईसी के प्रमुख उत्पादों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए रुपये सावधि ऋण, अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी डीडीयूजीजेवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना), सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना) एवं एनईएफ (राष्ट्रीय विद्युत निधि) जैसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, की राष्ट्रीय महत्व की कुछ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी आत्मनिर्भर भारत के तहत विभिन्न डिस्कॉमों को लिविडिटी निषेचन भी प्रदान करती है।
9.	उन स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबार क्रियाकलाप किए जाते हैं (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	आरईसी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में एवं कारपोरेट कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, आरईसी के भारत में 22 क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य कार्यालय, उप-कार्यालय बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पंचकुला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी एवं विजयवाड़ा में हैं और हैदराबाद में आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) नामक एक प्रशिक्षण संस्थान है। कंपनी का वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है।
10.	कंपनी किस बाजार में कार्य कर रही है - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी सेवाएं दे रही है तथा इसके कारोबार सम्पूर्ण देश में विस्तारित हैं। संसाधन एकत्रण के उद्देश्य से, कंपनी घरेलू बाजारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवसरों की तलाश करती है। आरईसी ने भूटान में खोलोंगच्छू हाइड्रो एनर्जी लि. की 600 मेगावाट हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए ऋण भी संस्वीकृत किया है।

खंड ख: कंपनी का वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

1.	प्रदत्त पूंजी	1,974.92 करोड़ रुपए
2.	कुल टर्नओवर	35,387.89 करोड़ रुपए
3.	करों के पश्चात कुल लाभ	8,361.78 करोड़ रुपए
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने 144.32 करोड़ रुपए का (पिछले तीन निकटतम वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ पर 2% की दर से परिकलित) कारपोरेट सामाजिक दायित्व बजट आवंटित किया था। इसी के प्रति, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए 154.47 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत और 147.77 करोड़ रुपये वितरित किए थे। संवितरण की राशि पूर्व परिभाषित मानदंडों और स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए देय से संबद्ध है।
5.	उन क्रियाकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त 4 में व्यय किए गए हैं।	जिन प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर व्यय किए गए हैं, उनमें पीएम केयर फंड में अंशदान के अलावा स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं जीविका उत्पत्ति, वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाएं, पर्यावरण संधारणीयता तथा ग्रामीण विकास परियोजनाएं और कोविड राहत पैकेज के लिए तथा टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज के लिए खर्च की गई राशि शामिल है।

खंड ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नामक, एक पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी थी, जिसका बाद में 16 जुलाई, 2021 से नाम बदलकर आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) का आरईसीपीडीसीएल में विलय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय की व्यवस्था की योजना के अनुसरण में किया गया। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल की विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी), जो कि समय-समय पर विद्युत मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए शामिल परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) हैं। ये एसपीवी बाद में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वारा चुने गए सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। एसपीवी के ब्योरे बोर्ड की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।
2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) की संख्या इंगित करें।	एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल मुख्य रूप से देश में विद्युत की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाकर, कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में भी भाग लेती हैं। कुछेक पहल, जिनमें आरईसीपीडीसीएल शामिल है, इस प्रकार हैं: क. स्मार्ट-मीटरिंग: आरईसीपीडीसीएल द्वारा 33/11 केवी सब-स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है और प्रधान मंत्री विकास पैकेज के साथ सरकारी कार्यक्रमों के तहत जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना कार्य किया जा रहा है। ख. ऊर्जा मित्र ऐप – विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति, आरईसीपीडीसीएल द्वारा विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशन में सम्पूर्ण भारत में एसएमएस, ई-मेल अथवा पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को आउटेज सूचना के प्रसार के लिए “ऊर्जा मित्र” ऐप चलाया जा रहा है। ग. 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम: आरईसीपीडीसीएल “सभी के लिए 24x7 विद्युत” सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के विभिन्न मानदंडों जैसे रुकावट, आपूर्ति घंटे आदि की मॉनीटरिंग के लिए 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। घ. घरों के विद्युतीकरण कार्यों की मॉनीटरिंग – आरईसीपीडीसीएल द्वारा भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युत अभियंताओं की अखिल भारतीय तैनाती के माध्यम से मॉनीटरिंग की जा रही है।
3. क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं, जो कि कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेने सहित कंपनी के साथ कारोबार करते हैं? यदि हां, तो ऐसी कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत इंगित करें?	आरईसी के कारोबारी सहयोगियों को भी कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरईसी परंपरागत ऊर्जा परियोजनाओं के अपने उधारकर्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे अपनी ऋण वितरण शर्तों के भाग के रूप में सभी लागू पर्यावरणीय मानकों का पालन करें। दूसरी ओर, आरईसी सौर, पवन, जैव ईंधन आदि सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण को बढ़ावा देती है। आरईसी पर्यावरण की सुरक्षा के समग्र उद्देश्य से और हानिकारक ऑक्साइड तथा कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन को कम करके पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की संस्थापना के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है। आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में अग्रणी है। देश भर में ईईएसएल की अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण विद्युत की कम खपत और कम कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के तहत, ईईएसएल परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें, अपनी स्वयं की लागत पर और नगरपालिकाओं के निवेश की जरूरत के बिना भारत भर में प्रतिस्थापित कर रही है। बाद में ऊर्जा और नगरपालिका की रख-रखाव लागत में कमी अपने से उसका प्रयोग, एक समय अवधि में ईईएसएल को पुनर्भुगतान करने में किया जाता है। अभी तक, ईईएसएल ने भारत भर में शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में 1.19 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रति वर्ष 7.99 बिलियन किलोवाट घंटे की अनुमानित ऊर्जा बचत और 1,332 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की बचत, प्रति वर्ष 5.51 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड की जीएचजी उत्सर्जन कमी और नगरपालिकाओं के विद्युत बिलों में 5,631 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक मुद्रा बचत हुई है। ईईएसएल ग्रामीण क्षेत्रों में दक्ष लाइटिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरपालिकाओं के लिए एसएलएनपी की तरह के सर्विस मॉडल पर ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है। अभी तक ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

खंड घ: कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. कारोबार उत्तरदायित्व/कारोबार उत्तरदायित्व शीर्ष के लिए उत्तरदायी निदेशक का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
2.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
3.	डीआईएन	03464342
4.	दूरभाष संख्या	+91-124-271 5517
5.	ई-मेल आईडी	skgupta@recl.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियम 34(2)(च) में प्रावधान है कि सर्वोच्च 1000 सूचीबद्ध कंपनियां नीचे दिए गए नौ सिद्धांतों के आधार पर, पर्यावरण, सामाजिक एवं सुशासन के परिप्रेक्ष्य में, उनके द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए, एक संरचित कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करेंगी:-

सिद्धांत 1	कारोबार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए। [नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व]
सिद्धांत 2	कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवाई जानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोग्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त होता हो। [उत्पाद के उपयोग्यता क्रम में संधारणीयता]
सिद्धांत 3	कारोबार में सभी कर्मचारियों के सुख सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। [कर्मचारी सुख सुविधा]
सिद्धांत 4	कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए। [हितधारक संबद्धता]
सिद्धांत 5	कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। [मानवाधिकार प्रोत्साहन]
सिद्धांत 6	कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए। [पर्यावरण संरक्षण]
सिद्धांत 7	कारोबार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए। [उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन]
सिद्धांत 8	कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास में सहायता दी जानी चाहिए। [समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास]
सिद्धांत 9	कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। [ग्राहक मूल्य]

2(क) अनुपालन का विवरण (उत्तर हाँ/नहीं में दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ----- के लिए कोई नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या नीति का निर्माण संबद्ध हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो ब्यौरा दें?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति निदेशक मंडल से अनुमोदित है? यदि हां तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मु.का.अधिकारी/सक्षम निदेशक मंडल के हस्ताक्षर हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में निदेशक मंडल/निदेशक/नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	कृपया नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दें ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या नीति का औपचारिक सम्प्रेषण प्रत्येक संबद्ध आंतरिक एवं बाह्य हितधारक को किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी में आंतरिक संरचना स्थापित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था स्थापित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी द्वारा इस नीति की कार्यशैली के स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन के कार्य किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से करवाए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

टिप्पणी: संबद्ध स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक्स इस रिपोर्ट के अनुबंध में दिए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

2(ख)	यदि किसी सिद्धांत के प्रति क्रम संख्या (क) का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसके कारण स्पष्ट करें।	लागू नहीं
3.	कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है। क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व अथवा संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?	तिमाही एवं वार्षिक आधार पर जी, हां। आरईसी द्वारा कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट देखने के लिए हाइपरलिंक https://www.recindia.nic.in/annual-report-2020-21 है।

खंड: ड: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत-1 – नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

1.	क्या नैतिकता, रिश्तखोरी एवं भ्रष्टाचार को कंपनी की नीति में शामिल किया गया है? हाँ/नहीं। क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कंपनियों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए किया गया है?	आरईसी की आचार नीति रिश्त-विरोधी तथा सुशासन रूपरेखा कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा व्यापारिक सहयोगियों के लिए भी विस्तारित है। आरईसी में आचार नीति एवं सुशासन के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों, संहिताओं एवं नियमों की एक सुपरिभाषित रूपरेखा है, जिसमें शामिल हैं: - जालसाजी की रोकथाम के लिए नीति, जिसमें जालसाजी, रिश्त या भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व निर्धारित है। - निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र के अंतर्गत वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक व्यवहार, जालसाजी अथवा कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लंघन से संबंधित उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित की गई है। ऐसे सतर्कता तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, आरईसी और/अथवा उसकी अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए व्हीसल ब्लोअर नीति भी है। - व्यापार आचरण और आचार संहिता, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावहारिक और नैतिक मानकों के प्रावधान हैं। - निष्पक्ष व्यवहार संहिता, जो कंपनी द्वारा अपने ऋण परिचालन में उचित और पारदर्शी व्यवहारों का पालन किए जाने से संबंधित है। - आरईसी प्रापण दिशानिर्देश, जिनमें निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धति से और साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। - संबद्ध पक्षकार से संव्यवहार और संबंधित पक्ष के लेन-देन की भौतिकता की नीति, जिसमें संबद्ध पक्षकार लेनदेन से पूर्व की जाने वाली पर्याप्त प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण के निर्धारण हैं। - आरईसी आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता परिभाषित है; और जिसके अनुसार रिश्तखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्य कदाचार के कृत्य माने गए हैं। - निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए है। यह कंपनी के निदेशकों, नामित कर्मचारियों और उनके संबंधियों के साथ-साथ धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों, निर्दिष्ट कर्मचारियों और उनके संबंधितों, मध्यस्थों और वैश्वसिकों के संबंध में लागू होती है। - मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और अपने ग्राहक को जानें नीति, जिसमें संदिग्ध सौदों का पता लगाने और सूचित करने के लिए एक नियंत्रण की व्यवस्था है। नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता संबंधी सभी नीतियों, कोड, नियमों आदि का भी आरईसी की अनुषंगी कंपनियों और अन्य हितधारकों द्वारा, जहां कहीं लागू है, अनुसरण किया जाता है। कंपनी की सुशासन के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता को विभिन्न मंचों पर मान्यता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा "10वां पीएसई एक्सिलेंस अवार्ड फॉर कारपोरेट गवर्नेंस" नवरत्न और महारत्न श्रेणी में उप-विजेता के रूप में प्रदान किया गया था।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार, सतर्कता की प्रक्रिया के अंतर्गत 11 शिकायतें थीं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2 और शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी 13 शिकायतों का वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पीआईडीपीआई श्रेणी के तहत 3 शिकायतें प्राप्त हुईं और 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन थीं, जिनका वर्ष के दौरान निपटान कर दिया गया था।

सिद्धांत-2 – उत्पाद की उपयोगिता अवधि में संधारणीयता

1.	अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम और/अथवा अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।	अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी द्वारा प्रस्तावित मुख्य उत्पादों में समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में उधारकर्ताओं के लिए रुपये सावधि ऋण, अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी देश में विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी योगदान करती है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए, आरईसी की एक सुपरिभाषित नीति व्यवस्था और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने 3,759 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 40 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 17,171.34 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार घटक के संबंध में सूचीबद्ध ग्रीन बांडों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धनराशि जुटाने वाला प्रथम भारतीय पीएसयू भी है। ग्रीन बांडों की अवधि 10 वर्षों की है। ग्रीन बांडों की आय क्लाइमेट बांड स्टैंडर्ड के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण के लिए लागू होती है। आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में भारत सरकार की लिविडिटी निषेचन योजना के तहत, आरईसी ने 60,191.36 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न डिस्कों में 39,115.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की। इन ऋणों से डिस्कों को विद्युत उत्पादकों को भुगतान करने और इससे कोविड-19 महामारी के चलते विद्युत क्षेत्र के समक्ष आई नकदी की समग्र समस्या को सुधारने में मदद मिली है। आरईसी सरकार के सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण कार्यक्रम अर्थात सौभाग्य योजना के लिए नोडल एजेंसी भी है। पिछले वर्षों में विद्युतीकृत घरों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 4.93 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया था।
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें। i. पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चैन में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है। ii. उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है?	कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को विचार में लेते हुए, इन प्रश्नों की उपयोगिता सीमित है। एक गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, आरईसी ने अपने संसाधन उपयोग को मुख्यतः विद्युत, कार्यालय आपूर्तियों और संचार अथवा आईटी उपकरण तक सीमित किया है। आरईसी ने अपने संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कंपनी ने हाल ही में, गुरुग्राम, हरियाणा में अपना नया कारपोरेट कार्यालय शुरू किया है, जो कि एक गृह 5-स्टार रेटिंग वाला नेट जीरो भवन है। भवन में एयर कंडीशनिंग के लिए विद्युत खपत को 30% तक एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग, बायो क्लाइमेटिक ग्लास फेकेड व मोटरयुक्त ब्लाइंड्स और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताएं हैं, जो विद्युत की खपत को कम करती हैं। भवन में इसकी विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक 964 क्रेडब्ल्यूपी का सौर संयंत्र भी है। पहले वर्ष में विद्युत की 16.7 लाख यूनिट उत्पन्न करने के लिए अधिक सक्षम सौर पैनल (क्षमता > 21%) स्थापित की गई है। कागज की खपत को न्यूनतम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में "ई-ऑफिस" प्रणाली का उपयोग करती है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यकर सावधानियां बरतते हुए कारोबार जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद सुरक्षित आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के जरिए रिमोट वर्किंग पद्धति का सक्रिय उपयोग किया है। एक संगठन के रूप में, कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सचेत है और इसमें कमी लाने के लिए यथासंभव आवश्यक कदम उठा रही है।
3.	क्या कंपनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है? (क) यदि हां, तो आपके इनपुट में से कितना प्रतिशत संधारणीयता के लिए स्रोत किया जाता है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	कम संसाधन गहन और सीमित खरीद के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार स्रोत सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी सभी खरीद में जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद और सोर्सिंग आरईसी के प्रापण दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।
4.	क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं? (क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	आरईसी सक्रिय रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करता है, जिसमें अ.जा./ अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यम भी शामिल हैं। कंपनी के प्रापण दिशानिर्देशों के अनुसार, इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विक्रेताओं से 10 लाख रुपये तक के मूल्य के कुछ सामानों और सेवाओं का 100% उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को 50% तक मूल्य वरीयता देने की भी अनुमति दी है, जिसमें से 20% अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। आरईसी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को विभिन्न छूटें प्रदान करती है। आरईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने वाले सरकार के संबंध, समाधान और टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) पोर्टल पर पंजीकृत है। आरईसी समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक निकायों और संघों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेती है।

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

5.	क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का प्रतिशत क्या है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	कंपनी के कारोबारी प्रचालन इस प्रकृति के हैं कि वहां संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग है और कम कचरा उत्पादन होता है। तथापि, कंपनी ई-कचरे सहित अपने समस्त कचरे का जिम्मेदारी से निपटान सुनिश्चित करती है, जिसका निपटान सरकारी पंजीकृत ई-कचरा पुनर्चक्रण करने वाले करते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रीन पहल और कागज रहित वातावरण के लिए केंद्रीकृत स्केनिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन किया गया है।

सिद्धांत-3 – कर्मचारी सुख सुविधा

1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 428 कर्मचारी कार्यरत थे।
2.	कृपया अस्थायी / संविदागत / अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी द्वारा 03 कर्मचारी संविदा आधार पर लगाए गए हैं। कंपनी समय-समय पर संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करती है।
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 70 स्थाई महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 16.36% है।
4.	कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 12 दिव्यांग कर्मचारी हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 2.80% है।
5.	क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो?	जी, हाँ। आरईसी में गैर-सुपरवाइजरी स्थायी कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन तथा एक कार्यकारी एसोसिएशन है।
6.	कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	कंपनी के नियमित कर्मचारी या तो आरईसी के कर्मचारियों की यूनियन अथवा कार्यकारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।
7.	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायतें लंबित हैं।	कंपनी न तो बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम को किसी भी स्वरूप में अनुबंधित करती है और न ही रोजगार व्यवहारों के लिए किसी प्रकार के पक्षपात पूर्ण व्यवहार का उपयोग करती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है और 31 मार्च, 2021 तक कोई शिकायत लंबित भी नहीं थी। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक उचित फ्रेमवर्क है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को इसके एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। आरईसी की यौन उत्पीड़न विरोधी अभिमुखता को इसके आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में भी उल्लिखित किया गया है।
8.	आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है?	कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सभी कर्मचारियों को कोविड के अनुसार व्यवहार के बारे में और स्वयं तथा अपने परिवार के लिए उपयुक्त सावधानी रखने की जानकारी दी गई। उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के 41.82% स्थायी कर्मचारियों, 65.71% स्थायी महिला कर्मचारियों और 50% स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों को तकनीकी कौशल उन्नयन, मानसिक, स्वास्थ्य और व्यवहार प्रशिक्षण दिए गए थे, जो कुल मिलाकर 329 प्रशिक्षण श्रम दिवस हैं। कंपनी का एक प्रशिक्षण संस्थान यथा आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) हैदराबाद में है, जहां नए कर्मचारियों हेतु अभिमुखी सत्र, विभिन्न कार्यशील शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और मध्यम स्तर व वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों हेतु अन्य प्रबंध विकास कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत-4 – हितधारक संबद्धता

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का निर्धारण किया है? हाँ/नहीं।	जी, हाँ। आरईसी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का निर्धारण किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ शामिल हैं; और बाह्य हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉन्डहोल्डर, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से ग्राहक, सरकारी निकाय और विनियामक प्राधिकरण शामिल हैं जिनमें राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड इत्यादि शामिल हैं।

2.	उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों का निर्धारण किया है ?	जी, हाँ। आरईसी ने अपने सुविधाहीन, अधिकारों एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों की पहचान की है। कंपनी ने उनके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित सक्रिय उपाय किए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर, आरईसी ने कई वर्षों के समर्पित प्रयासों से देश में ग्रामीण और घरों के विद्युतीकरण को हासिल करने के लिए योगदान दिया है। अपनी सीएसआर पहलों के भाग के रूप में, कंपनी ने आकांक्षी जिलों के विकास और समाज के वंचित और हाशिए के तबकों की सहायता के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। आरईसी अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में, एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व सहित एमएसएमई को बढ़ावा देती है। आरईसी की अपने कर्मचारियों के लिए, विशेषकर जो कमजोर हैं, कल्याणकारी नीतियां हैं, जो पोषण और देख-रेख का वातावरण प्रदान करती हैं। इसमें समान अवसर की नीति, सेवानिवृत्ति के बाद का चिकित्सा लाभ, मृत्यु या विकलांगता के मामले में पुनर्वास आदि शामिल हैं। कंपनी ऐसे इक्विटी शेयरधारकों तक नियमित रूप से पहुँचने का प्रयास करती है, जिनके पास दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश की राशि है और कंपनी के पास शेयर पड़े हैं ताकि से निवेशक अपनी उचित शेयर और लाभांश राशि प्राप्त करने से वंचित न हों।
3.	क्या सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों की सेवाओं के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं? यदि हाँ तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।	सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और विगत की अन्य योजनाओं के तहत ग्राम विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान के बाद, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 4.93 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान दिया है। कंपनी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की सहायता के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. कम विद्युतीकृत क्षेत्रों में सौर लालटेनों का वितरण, एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना और सौर पीवी प्रणाली की स्थापना ताकि कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। 2. प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी मोबाइल स्कूलों की सहायता प्रदान करना। 3. रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना। 4. विज्ञान प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी का उन्नयन करके स्कूलों का सुदृढीकरण, बच्चों के लिए डिजिटल क्लास रूम की स्थापना करना, मध्याह्न भोजन की पूर्ति के लिए केंद्रीकृत रसोई की डिलीवरी क्षमता में सुधार लाने के लिए कन्वेयर बेल्ट सिस्टम आदि। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं प्रदान करना। 6. स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में अवसररचना और सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन, रेडियोथेरेपी यूनिट, ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण, समाज के कमजोर वर्गों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वस्तुओं और उपकरणों का वितरण। 7. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण। 8. आदिवासी बच्चों के लिए अध्ययन, खाना, रिहायश और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की सहायता करना। 9. दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र का निर्माण। 10. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए निःशुल्क बीज प्रदान करना।

सिद्धांत-5 – मानवाधिकारों को प्रोत्साहन

1.	क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्यो पर भी लागू होती है?	आरईसी "द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट" का एक सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जिसके लिए सार्वभौमिक सहमति प्राप्त है और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मूलभूत सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा और कार्य के अधिकारों, पर्यावरण एवं विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई रियो घोषणा पर आधारित है। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार के अंतर्गत कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों को शामिल किया गया है। आरईसी के कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, आरईसी ने कर्मचारी कानूनों को सामान्य कानूनों और नियमों और प्रबल आचरण व्यवहारों के अनुरूप अपनाया है। कंपनी कार्यस्थलों पर विविधता सुनिश्चित करती है और यह मानती है कि उन्नति गुण और निष्पादन पर आधारित है और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी एक सुरक्षित और सामाजिक वातावरण और सामान्य रूप से मानव कल्याण पर भी जोर देती है, जिसमें सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण शामिल है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है?	कंपनी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी हितधारक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत-6 – पर्यावरण संरक्षण

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू होती है।	कंपनी सभी हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण एवं संधारणीयता पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कंपनी की नीति और दिशानिर्देश सिद्धांत सभी समूह कंपनियों और ऋणकर्ताओं के लिए लागू हैं।
2.	क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की कार्यनीतियां/पहलें स्थापित हैं। हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।	वर्ष 2022 तक 227 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वित्तपोषण को बढ़ावा दे रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां 17,171.34 करोड़ रुपये की थीं, जो विगत वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत की गई स्वीकृतियों की करीब डेढ़ गुना हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी की नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इस ऊर्जावान क्षेत्र की उभरती जरूरतों की पूर्ति हो सके। अभी तक आरईसी ने एक हरित भविष्य के देश की ओर बदलाव में सहायता के लिए करीब 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं। आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार घटक के संबंध में सूचीबद्ध ग्रीन बांडों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धनराशि जुटाने वाला प्रथम भारतीय पीएसयू भी है। ग्रीन बांडों की अवधि 10 वर्षों की है और ग्रीन बांडों की कार्यवाही क्लाइमेट बांड स्टैंडर्ड के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण के लिए लागू होती हैं। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय मानकों को कारपोरेट वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/renewables से प्राप्त कर सकते हैं।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हाँ/नहीं	आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी अपनी सभी विद्युत वित्तपोषण परियोजनाओं के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है। यदि कोई पर्यावरणीय समस्या है, तो ध्यानपूर्वक, स्थल दौरे करके और लागू अनुपालना की समीक्षा इत्यादि के जरिए उनकी पहचान की जाती है। आरईसी सरकारी निर्देशों के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए भी वित्तपोषण कर रही है। इसमें प्लू गैस डिस्ल्फराइजेशन (एफजीडी), सिलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर्स (ईएसपी) की स्थापना शामिल है, जो नुकसानदायक उत्सर्जनों और पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में योगदान देते हैं।
4.	क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधी स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हाँ तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है?	आरईसी ने सौर, पवन, बायोमास परियोजनाओं और ई-मोबिलिटी सहित देश भर की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां शुरू की हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने 3,759 मेगावाट की समग्र संस्थापित उत्पादन क्षमता के साथ 40 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल 17,171.34 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की थी। इसमें 20 सोलर फोटोवोल्टेक परियोजनाएं (2,902 मेगावाट), 4 पवन ऊर्जा परियोजनाएं (706 मेगावाट), 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना (150 मेगावाट), 1 सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण परियोजना (2000 एमडब्ल्यूपी), कुसुम योजना के तहत 3 सौरीकरण परियोजनाएं, 1 लघु जल-विद्युत परियोजना (1 मेगावाट), हाइड्रल संयंत्रों की मरम्मत और रख-रखाव की 6 परियोजनाएं और कुल 902 ई-बसों की खरीद में शामिल 4 ई-वाहन परियोजनाएं शामिल हैं।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें।	आरईसी ने हाल ही में गुरुग्राम, हरियाणा में अपने नए कारपोरेट कार्यालय से काम करना शुरू कर दिया है। यह भवन गृह-5 स्टार रेटिंग नेट जीरो बिल्डिंग है, जिसमें उचित फिनिश सफेद कंक्रीट सरफेस, उठी हुई फ्लोरिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग, बायो क्लाइमेटिक ग्लास फेकेड के साथ मोटरयुक्त ब्लाइंड और ऑडिटोरियम जैसी खास विशेषताएं हैं। भवन में एयर कंडीशनिंग के लिए विद्युत की खपत को 30% तक कम करने के लिए रेडिएंट कूलिंग स्लेब भी है। इसके अतिरिक्त, भवन की छत पर 964 केंडब्ल्यूपी का एक सौर संयंत्र (परगोला संरचना द्वारा समर्थित) भी है, जिसमें प्रथम वर्ष में 16.7 लाख यूनिट विद्युत उत्पन्न होगी। आरईसी ने स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने, सरकारी स्कूलों में सौर पीवी प्रणाली द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण के उपयोग के लिए जागरूकता और बायो संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन इत्यादि के लिए कम विद्युतीकृत क्षेत्रों में सौर लालटेन का वितरण, एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट, सौर पीवी प्रणाली की स्थापना और चालू करने के लिए सीएसआर के तहत कई पहलें भी की हैं।
6.	क्या सूचित किए जा रहे वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा में हैं?	आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। इसलिए दिए गए प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। तथापि, कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वित्तपोषित की गई सभी परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं पर उचित परिश्रम करती है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताआ नोटिस/कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।	आरईसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई कारण बताओ या कानूनी नोटिस नहीं मिला है।

सिद्धांत-7 – उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।	जी, हाँ। आरईसी विभिन्न राष्ट्रीय व्यापार मंडलों, संघों आदि की सदस्य है, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई), द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम), केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (सीबीआईपी), वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), पावर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (आईपीई) और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट शामिल हैं। आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ एक समझौता भी किया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जैम) पोर्टल पर पंजीकृत है। विद्युत क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर शामिल होते हैं।
2.	क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति अथवा सुधार के लिए उपयुक्त संघों से चर्चा की है/सहयोग प्राप्त किया है। यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें।	कंपनी अपने कारोबार और प्रचालनों के जरिए देश में विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में सक्रिय भागीदारी करती है। कंपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके लोगों की भलाई के लिए भी योगदान दे रही है। कंपनी ने समय-समय पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों को उपयुक्त मंचों पर उठाया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर जन जागरूकता फैलाती है।

सिद्धांत-8 – समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास

1.	क्या कंपनी का सिद्धांत-8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्योरा प्रस्तुत करें।	आरईसी विभिन्न समूहों से अपने सभी कर्मचारियों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसने एक समान अवसर की नीति कार्यान्वित की है। एक ऋणप्रदाता के रूप में, आरईसी पूर्वोत्तर में विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी ऋण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी में, आरईसी ने देश में नकदी की तंगी वाले डिस्कॉमों को लिक्विडिटी निषेचन भी प्रदान किया है। आरईसी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत, आकांक्षी जिलों जैसे ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफायर, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में वेस्ट सिक्किम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए और कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सहायता की है। आरईसी ने देश में भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और अन्य योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में ग्राम और घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान दिया है।
2.	क्या कार्यक्रमों/आंतरिक दलों के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएं/अपनी फाउंडेशन / बाह्य एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?	आरईसी स्वयं या अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से समावेशी विकास और समान विकास करती है। इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत सोसायटी, "आरईसी फाउंडेशन" के माध्यम से आरईसी की सीएसआर पहलों की जाती हैं। आरईसी फाउंडेशन कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति के अनुसार विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है।
3.	क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	आरईसी ने सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और विगत की अन्य योजनाओं के तहत ग्राम विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान देने के बाद, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 4.93 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान दिया है। कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति में निर्दिष्ट स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीएसआर पहलों का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सीएसआर पहलों की प्रगति और प्रभाव की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में, संगत सूचना इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।
4.	सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – भारतीय रुपए में किए गए व्यय तथा परियोजनाओं का विवरण दें।	सामुदायिक विकास परियोजनाएं कंपनी द्वारा समय-समय पर की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का एक अभिन्न अंग होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी ने विभिन्न सामुदायिक विकास पहलों के लिए 28 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. उत्तराखंड में केदारनाथ के कर्बों और आस-पास के क्षेत्रों का अवसंरचना विकास। 2. पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइटें लगाना। 3. कन्नूर, केरल में सरकारी स्कूल में ऑडिटोरियम का निर्माण। 4. ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड में पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अवसंरचना विकास। 5. बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर केयर सर्विस का सुदृढीकरण। 6. पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादर व नागर हवेली में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करना। 7. गरीब किसानों के लिए निःशुल्क बीज (खरीफ के मौसम में) वितरण। 8. पोषण और फूड सिक्योरिटी में सुधार के लिए स्वदेशी खाद्य प्रणालियों में सुधार। 9. 3000 से अधिक घरों के लिए सतत तौर पर जीविका उत्पन्न करना।

5.	क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने को सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं? कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में वर्णन करें।	आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आरईसी के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता की नियमित रूप से मॉनीटरिंग और समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी कार्यान्वयन एंजेलियों और लाभार्थियों सहित अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करती है और ऐसे कार्यक्रमों में आगे सुधार के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करती है।

सिद्धांत-9 – उपभोक्ता मूल्य

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के शेषधारकों/निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों का 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार संतोषजनक रूप से निवारण कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी की निष्पक्ष व्यवहार संहिता के तहत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, आरईसी के पास 4 उपभोक्ता मामले लंबित हैं, जिसमें से 1 मामला निवेशक द्वारा दायर किया गया है और 3 मामले आरईसी द्वारा दायर किए गए हैं जिनका आरईसी के सर्वोत्तम हित में निपटारा किया जाएगा।
2.	क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हाँ/नहीं/लागू नहीं/अभ्युक्ति	कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, अतः यह सुनिश्चित करती है कि उसके ऋण करारों और उधारकर्ताओं के साथ अन्य पत्राचार के संबंध में पर्याप्त प्रकटन कारपोरेट वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएं। कंपनी ने अपने उधारकर्ताओं को कंपनी के ईआरपी पोर्टल तक सीधे पहुंच प्रदान की है, ताकि उन्हें वास्तविक समय के आधार पर अपने ऋण और आरईसी की योजनाओं आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके।
3.	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक कारोबार पद्धति, अनियमित विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	आरईसी, अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ, कानून के फ्रेमवर्क के दायरे में नीतिपरक व्यवहारों और नीतिपरक व्यापार आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार से संबंधित कोई मामला आरईसी में लंबित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी यथा आरईसीपीडीसीएल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जो किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई जानकारी (नाम का खुलासा नहीं) पर आधारित है। इसके बाद सीसीआई ने आरईसीपीडीसीएल के पक्ष में मामले का निपटारा किया, जबकि यह देखते हुए कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन आरईसीपीडीसीएल और अन्य के खिलाफ नहीं किया गया था। इस मामले को वर्ष 2016-17 में बंद करने का आदेश दिया गया था।
4.	क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है?	आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करती है जिसमें वह न केवल प्रतिस्पर्धी उत्पाद पेश करती है बल्कि उनकी जरूरतों और सामने आई समस्याओं, यदि कोई हों, को नियमित चर्चा करके उन्हें समझती भी है। वरिष्ठ प्रबंधन ग्राहकों के समक्ष आई समस्याओं का नियमित रूप से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करता है। कंपनी, समय-समय पर अपने भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी करती है। 2019 में किए गए विगत सर्वेक्षण के समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) का स्कोर 93.04% था, जो औसत अमेरिकी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) के अनुसार बैंकिंग सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है।

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुबंध

पी1	नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व आरईसी अपने व्यापारिक क्रियाकलापों में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को अत्यधिक महत्व देता है। इस संबंध में बनाई गई विभिन्न नीतियां, कोड और नियमावली में निम्नलिखित शामिल हैं: –
नीति का नाम	वेबलिक
जालसाजी रोकथाम नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf
व्हीसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf
कारोबार आचार संहिता और व्यवहार संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf
निष्पक्ष व्यवहार संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf
संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की वस्तुपरकता एवं संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPTPolicyREC-230821.pdf
आचार संहिता का विनियमन, मॉनीटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf
उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और इंटरनेट पर केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।	
पी2	उत्पाद के उपयोग्यता क्रम में संधारणीयता कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरण संधारणीयता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।
पी3	कर्मचारी सुख सुविधा कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों तथा सशक्त नैतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी अभिमुखी नीतियां अपनाई हैं। ऐसी नीतियां सामान्यतः निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और इंटरनेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।
पी4	हितधारक संबद्धता कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिसमें वंचित, कमजोर और हाशिए के तबके के शामिल हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।
पी5	मानवाधिकार को प्रोत्साहन आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करती है। कंपनी के पास निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने इससे बचने के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता है। यह कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।
पी6	पर्यावरणीय संरक्षण विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रही है। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा हेतु वित्तपोषण मानक https://www.recindia.nic.in/renewables पर उपलब्ध है।
पी7	उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी की जनता के साथ व्यापक चर्चा विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर अनुसरण की जा सकती है।
पी8	समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास में सहायता के लिए विभिन्न नीतियां हैं जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक खरीद की नीति (https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Public_Procurement_Policy.pdf), अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर की नीति (आरईसी इंटरनेट पर उपलब्ध), हरित-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षण ऋण की दरें (https://www.recindia.nic.in/renewables) और कारपोरेट सामाजिक विकास एवं संधारणीयता नीति भी (https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives) पर उपलब्ध है।
पी9	उपभोक्ता मूल्य आरईसी के पास बोर्ड से अनुमोदित एक "फेयर प्रैक्टिस कोड" है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ संपर्क करते समय उचित और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/fair-Practices-code.pdf पर उपलब्ध है।
सभी नीतियां और प्रक्रियाओं की समय-समय पर निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।	

एकीकृत रिपोर्ट

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-IV

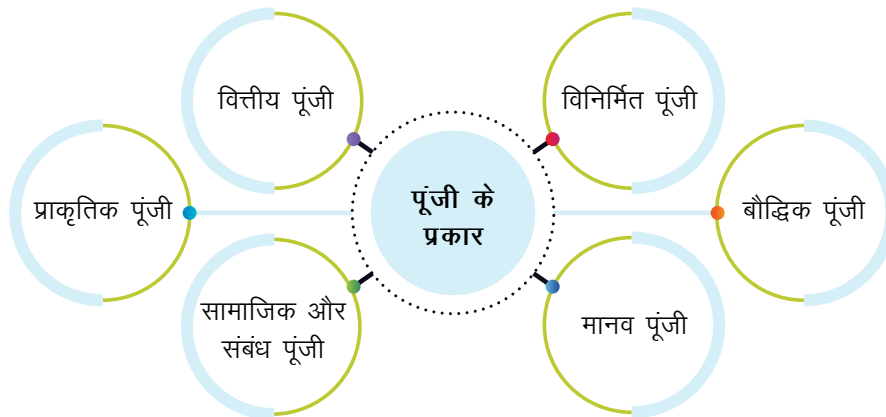
एकीकृत रिपोर्ट, बाह्य परिवेश, जिससे अल्पावधि, मध्यम-अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन होता है, के संदर्भ में किसी संगठन की कार्यनीति, अभिशासन, प्रदर्शन और अपेक्षाओं के संबंध में एक संक्षिप्त संचार है।

एकीकृत रिपोर्ट का उद्देश्य किसी संगठन द्वारा प्रयुक्त और प्रभावित संसाधनों और संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इसमें किसी संगठन द्वारा समय के साथ मूल्यों के सृजन के तरीकों की व्याख्या भी अपेक्षित होती है। मूल्यों का सृजन केवल संगठन द्वारा या उसके भीतर ही नहीं किया जाता बल्कि यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न कारकों, जो निम्नलिखित द्वारा प्रभावित होते हैं, पर निर्भर करता है:

- बाह्य परिवेश
- पणधारियों के साथ संबंध
- विभिन्न संसाधन

एकीकृत रिपोर्ट, पणधारियों की विधि-संगत गैर-वित्तीय आवश्यकताओं को समझने, उन पर विचार करने तथा निर्णयों, कार्रवाइयों और प्रदर्शन के साथ-साथ अनवरत संप्रेषण के माध्यम से उनका समाधान करने के तरीकों का प्रकटन कर, पारदर्शिता और जवाबदेही, जो विश्वास और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है, को बढ़ावा देती है। यह किसी संस्था की वित्तीय पूंजी से परे उसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान करके सृजित किए गए मूल्यों की समग्र दृष्टि है। इसका वास्तविक उद्देश्य, व्यवसाय कार्यनीति से सततता को जोड़ना और गैर-वित्तीय अधिमान्य क्षेत्रों की पहचान करने में कंपनी एवं इसके पणधारियों की सहायता करना है।

आरईसी ने व्यवसायों में दीर्घकालिक निर्णय लेने और योजना बनाने में मार्गदर्शन करने वाली छह पूंजियों के माध्यम से व्यवसाय प्रकटनों पर निर्भर करते हुए, स्वेच्छा से इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) के फ्रेमवर्क को अपनाया है। एकीकृत रिपोर्ट को निम्नलिखित पूंजियों को शामिल कर तैयार किया गया है:



वित्तीय पूंजी



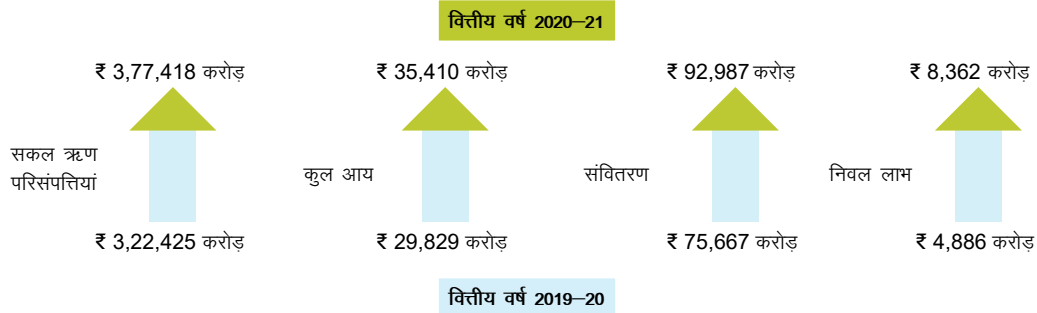
परिसंपत्ति सृजन और इससे संबंधित कार्यों के संचालन हेतु उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध निधियों को वित्तीय पूंजी कहा जाता है। इसमें प्रचालनों, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों के माध्यम से सृजित निधियां भी शामिल हैं। वित्तीय पूंजी किसी भी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वर्ष-दर-वर्ष कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में प्रतिबिंबित होती है।

वित्तीय पूंजी में कारोबार (टर्नओवर), राजस्व, करोपरांत लाभ जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को कवर किया जाता है। आरईसी, अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, वित्तीय पूंजी के प्रदाताओं को सतत और निरंतर वित्तीय प्रतिलाभ में सक्षम बनाते हुए मूल्य-सृजन में सक्षम रहा है। आरईसी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संवितरण, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹75,667 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹92,987 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर आरईसी की कुल आय, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹29,829 करोड़ की तुलना में, ₹35,410 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निवल लाभ, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹4,886 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹8,362 करोड़ हो गया।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की प्रवृत्ति के साथ, निवल ऋण-ग्रस्त परिसम्पत्तियां (चरण III) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार 3.32% की तुलना में कम होकर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार 1.71% हो गई है। कंपनी के प्रावधान कवरेज अनुपात में भी सुधार हुआ है जो दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार 49.65% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार 64.59% हो गया है। कंपनी के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में भी क्रमिक सुधार हुआ है, जो 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के

अनुसार 19.72% हो गया है, जो कंपनी के भावी विकास में मददगार होगा। आरईसी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही दिनांक 31 मार्च, 2020 के ₹3,22,425 करोड़ की तुलना में बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार ₹3,77,418 करोड़ हो गई है।



आरईसी, अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, अपने पणधारियों के लिए मूल्य में बढ़ोत्तरी कर रही है और विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, आरईसी, सरकार को करोड़ों का भुगतान करने में अनुशासन-बद्ध रहा है, जिससे यह देश की समग्र वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे रहा है।

पूंजी के उपयोग को वित्तीय पूंजी में पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है, जिससे मानव पूंजी और सामाजिक और संबंध पूंजी में सुधार होता है।

विनिर्मित पूंजी



विनिर्मित पूंजी मौटे तौर पर भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रायः किसी संगठन द्वारा बिक्री के लिए निर्मित किया जाता है या अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है, जिनमें वस्तुओं, भवनों, अवसंरचना और उपकरणों आदि के निर्माण में उपयोग के लिए संगठन में उपलब्ध वस्तुएं शामिल होती हैं। एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है तथा यह विद्युत परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तपोषण करने का कार्य करता है। प्रमुख सामग्री आवश्यकताओं में बिजली, कार्यालय आपूर्ति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उपकरण शामिल हैं। दक्षता बनाए रखने और इसमें सुधार करने के उद्देश्य से, आरईसी आईटी प्रणाली, अवसंरचना और भौतिक परिसंपत्तियों आदि के उन्नयन में निवेश करती है।

आरईसी का गुरुग्राम में अत्याधुनिक केंद्रीय कार्यालय है, जिसमें उन्नत प्रणालियों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक सहयोगी कार्य-परिवेश को बढ़ावा दिया जाता है। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को आईटी उपकरणों, स्मार्ट गैजेट्स, वीपीएन कनेक्शन आदि उपयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, ताकि उन्हें दूर से, कुशलतापूर्वक और निर्बाध रूप से काम करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिससे महामारी के दौर में भी व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, कुशल रीति से अपने पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरे देश में आरईसी के अपने विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य-कार्यालय मौजूद हैं।

विनिर्मित पूंजी, आरईसी को मानव पूंजी के साथ-साथ बौद्धिक पूंजी का सम्पूर्ण उपयोग करने में मदद करती है।

बौद्धिक पूंजी



बौद्धिक पूंजी ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाती हैं। इन परिसंपत्तियों में कर्मचारियों की विशेषज्ञता, संगठनात्मक प्रक्रियाएं और संगठन के भीतर निहित ज्ञान का भंडार और ब्रांड की प्रतिष्ठा शामिल हैं।

आरईसी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी या परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है और राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटी, निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं आदि के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है। पूरे भारत में विद्युत उपभोक्ताओं को आउटलेट की जानकारी के प्रसार के लिए, कंपनी ने, अपनी सहायक कंपनी नामतः आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (जिसे पहले आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") के नाम से जाना जाता था), के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में 'ऊर्जा मित्र' ऐप विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के विभिन्न मापदंडों की निगरानी के लिए, विद्युत मंत्रालय की ओर से 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिससे यह विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान देता है।

बौद्धिक पूंजी प्रत्यक्ष तौर पर मानव संसाधन से जुड़ी हुई है और आरईसी की कार्यनीति का मुख्य आधार है। विद्युत क्षेत्र के संगठनों के अभियंताओं (इंजीनियरों) और प्रबंधकों की विकास और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आरईसी का हैदराबाद में एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी विद्युत प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है। चल रही महामारी के बावजूद, आरईसीआईपीएमटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 82,420 मानव-दिन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रदान किया है।

आरईसी ने अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक मूल दक्षताओं को विकसित किया है तथा पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके इसे बढ़ावा देता रहता है।

मानव पूंजी



मानव पूंजी का अर्थ कर्मचारियों द्वारा धारित कौशल, ज्ञान, दक्षताएं और विशेषताएं हैं, जो संगठन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, वृद्धि करने, विकसित करने और नूतनता बनाए रखने में मदद करती हैं। इसमें पूरे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतिभावान कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने और शामिल करना, उनकी प्रतिभा का उन्नयन करना, उनके कौशल का विकास करना, प्रदर्शन प्रबंधन और कर्मचारी का कल्याण एवं सुरक्षा को कवर किया जाता है।

आरईसी में सौहार्द्रपूर्ण संस्कृति और और सहयोगी परिवेश के साथ-साथ पेशेवर योग्य, अनुभवी और कुशल कार्यबल है, जो न केवल इसकी मानव पूंजी को प्रेरित करता है बल्कि इसे कंपनी में बनाए भी रखता है। कंपनी में सुदृढ़ मानव संसाधन प्रणाली मौजूद है जो मानव संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मददगार होती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

आरईसी का लक्ष्य व्यवसाय कुशाग्रता और कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए अपेक्षित कौशलों में और अधिक सुधार लाना है तथा यह "दिव्यांग कर्मचारियों" सहित कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार के लिए उन्हें हर संभव अवसर और सहायता भी प्रदान करता है। आरईसी सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियों का अनुसरण करता है और इसने सामान्य कानूनों, विनियमों और बेहतरीन नैतिक परिपाटियों के अनुरूप कर्मचारी कल्याण-उन्मुख अनेक नीतियों को अपनाया है।

आरईसी समग्र कार्य-जीवन संतुलन पर फोकस करता है, जिसमें कर्मचारियों को देखभालपूर्ण और विकासात्मक परिवेश प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारी विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों और प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते हैं जिससे उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। आरईसी गुरुग्राम, हरियाणा में इसके अत्याधुनिक कार्यालय भवन में मौजूद व्यायामशाला आदि जैसी सुविधाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग के परिवेश का निर्माण किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक उत्साहित कार्यबल का निर्माण संभव हुआ है तथा व्यावसायिक प्रदर्शन में निरंतर सुधार हुआ है।

अपने कार्यस्थल पर इसके द्वारा निर्मित एक स्वस्थ संस्कृति के साक्षी के रूप में, आरईसी लिमिटेड ने वीमेन अचीवर्स समिट और अवार्ड्स 2020 में एक्सचेंज4मीडिया द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ महिला अधिकारिता संगठन' का पुरस्कार जीता है। आरईसी लिमिटेड, लैंगिक समानता पर जागरूकता का प्रसार और एक लाभकारी कार्य-परिवेश, जो इसे अपने कर्मचारियों के लिए पेशेवरों और विशिष्ट-व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल बनाता है, को बढ़ावा देते हुए, अपनी पहलों, समर्थन ढांचों के माध्यम से अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाते हुए उदाहरण पेश करने में निरंतर अग्रणी रहा है।

इसके अतिरिक्त, इस महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कार्यालय परिसर में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने के अलावा, विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों) के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपोलो अस्पताल के सहयोग से टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए।

आरईसी का मानना है कि मानव पूंजी किसी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है।

सामाजिक और संबंध पूंजी



सामाजिक और संबंध पूंजी का अर्थ किसी संगठन और इसके पणधारियों के बीच संबंध द्वारा सृजित संसाधन और मूल्य हैं। इन संबंधों में समुदाय, सरकार, ग्राहकों और आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के साथ संबंध शामिल हैं। आरईसी का उद्देश्य लोगों के जीवन और समाज में बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन लाना है। कंपनी समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानता में वास्तविक और स्थायी लाने कमी के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा में मदद की जा सके।

कंपनी, भर्तियों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों का भी पालन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, आरईसी का सीएसआर बजट ₹144.32 करोड़ (ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ के @ 2% की दर पर परिकलित) था। इसके सापेक्ष, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹147.77 करोड़ की राशि संवितरित की थी।

इसमें, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत (पीएम केयर्स) कोष में ₹50 करोड़, प्रवासी श्रमिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और गरीब व्यक्तियों को भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि प्रदान करने के लिए ₹6.93 करोड़ और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा व नगर हवेली में कोविड-19 के टीकों के भंडारण के लिए शीत श्रृंखला उपकरण की व्यवस्था के लिए ₹0.72 करोड़ का अंशदान शामिल है।

आरईसी फाउंडेशन, जो आरईसी लिमिटेड की सीएसआर इकाई है, ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार पौष्टिक भोजन के पैकेटों के वितरण के लिए ताजसैट्स (आईएचसीएल और एसएटीएस लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम) के साथ भागीदारी की थी और नई दिल्ली में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के प्रति कृतज्ञता के भाव के रूप में प्रतिदिन भोजन के 300 पैकेट प्रदान किए। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के प्राधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और विद्युत वितरण कंपनियों के साथ सहयोग से आरईसी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन और राशन भी उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 में *स्वच्छता पखवाड़े* के दौरान, देश भर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जरूरतमंदों को स्वच्छता किटों का वितरण किया गया।

आरईसी वंचित, कमजोर और अधिकारहीन पणधारियों के लिए अनेक उपाय करता है और इस प्रकार सामाजिक पूंजी का संवर्धन करता है। अपनी सीएसआर इकाई-आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से आरईसी लिमिटेड ने देश भर के विभिन्न स्थानों में आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ) के माध्यम से सहायक-यंत्र और उपकरण वितरित किए हैं। सहायक-यंत्रों और उपकरणों में ट्राई-साइकिल, फोल्डिंग व्हील चेरर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, हियरिंग मशीन, स्मार्ट केन, सेलफोन, ब्रेल किट आदि शामिल थे। आरईसी लिमिटेड को "महिला सशक्तिकरण" के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए 'सीएसआर शाइनिंग स्टार अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, अपनी सीएसआर इकाई "आरईसी फाउंडेशन" के माध्यम से आरईसी लिमिटेड, नागरिकों के उत्थान और कल्याण में मदद करते हुए उदाहरण पेश करने में अग्रणी रहा है। इसने स्वच्छता, स्वास्थ्य-कारिता, सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से और व्यापक रूप से सहायता प्रदान की है।

प्राकृतिक पूंजी



प्राकृतिक पूंजी का अर्थ - नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय पर्यावरण संसाधन जैसे जल, भूमि, ऊर्जा हैं जिन पर किसी संगठन का संचालन निर्भर करता है। आरईसी सदैव प्राकृतिक संसाधनों की खपत में कमी के साथ-साथ इनकी बर्बादी को कम करते हुए, पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करता है।

ऊर्जा-संरक्षण करने के लिए, भवन एचवीएसी लोड आवश्यकता को लगभग 30% कम करने के लिए, गुरुग्राम में आरईसी के नए कार्यालय भवन को ऊर्जा कुशल अग्रभाग और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भवन की ऊर्जा खपत को नेट जीरो (खपत के बराबर नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन) करने हेतु, आरईसी की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस भवन की ऊपरी छत पर सौर मंडल संरचना (सोलर परगाल स्ट्रक्चर) द्वारा समर्थित 964kWp का एक सौर संयंत्र संस्थापित किया गया है।

अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत कंपनी ने, असंतोषजनक विद्युतीकृत क्षेत्रों में सौर लालटेन के वितरण, विभिन्न शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के परिसर में सौर पीवी संयंत्र की संस्थापना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रामीण में एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना आदि के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करता है।

आरईसी सौर, पवन, बायोमास, सह-उत्पादन, लघु जलविद्युत परियोजनाओं आदि जैसी हरित ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर अधिक जोर देकर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित कर रहा है। आरईसी ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रियायती ब्याज दरों की पेशकश करता है, जिससे यह देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी में सहायता प्रदान कर रहा है। आरईसी सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण इकाई, चार्जिंग अवसंरचना के साथ-साथ इलेक्ट्रिक-वाहनों, जो एक स्वच्छ तकनीक है, जिसके निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर आने की उम्मीद है, का भी वित्तपोषण कर रहा है।

आरईसी ने जुलाई, 2017 में, दस वर्ष की अवधि के लिए, 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जुटाए हैं, जिनसे सृजित आय का उपयोग आरईसी के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में परिभाषित पात्र परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण सहित सौर परियोजनाओं, पवन परियोजनाओं और नवीकरणीय क्रय दायित्वों के वित्तपोषण के लिए किया गया है, जिससे सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सुदृढीकरण में योगदान दिया गया।

आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जिससे इसने अपने कर्मचारियों को न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट के साथ कार्य करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, जहां भी संभव हो, डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं द्वारा कागज की खपत को कम करने का प्रयास किया जाता है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, आरईसी अपने कर्मचारियों को दूरस्थ कार्य पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। आरईसी ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल परिपाटियों जैसे बैठकों में कांच की बोतलों और कांच के गिलास के उपयोग को बढ़ावा देना, प्लास्टिक के फोल्डरों के स्थान पर कार्ड बोर्ड के फोल्डरों का उपयोग करना, प्लास्टिक की वस्तुओं के बजाय स्टील कटलरी का उपयोग करना आदि को अपनाया है। विद्युत के संरक्षण के लिए भी विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करती है और सरकार / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत रिसाइक्लर के माध्यम से इसका जिम्मेदारीपूर्ण निपटान सुनिश्चित करती है।

फॉर्म संख्या एमआर-3

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्य गण,
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, व्याख्या और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण अधिपत्रित पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और प्रतिभूतियों के निर्गमन तक क्लाइंट के साथ सम्मान के साथ व्यवहार संबंधी;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009: (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं); तथा
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा-निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।
- सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के तहत सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और मेहनताना समिति और हितधारक संबंध समिति की बैठकों का गठन, अध्यक्षता और गणपूर्ति सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 आरईसी के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण अनुपालन नहीं किया है।
- आरईसी के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) का अनुपालन नहीं किया है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक आयोजित करने के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) और (6) का अनुपालन नहीं किया है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, जिसके कारण उपरोक्त टिप्पणियों की सूचना दी गई थी।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल के अधीन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों को उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि कोई परिवर्तन किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी गयी थी। कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मर्दानों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

बोर्ड और/अथवा समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और संबंधित समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियां हुईं:

- जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/अल्पावधिक निधि जुटाई है:

क्रम सं.	ऋण लिखतों के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कैपिटल गेन बाण्ड्स	5,312
2.	संस्थागत बाण्ड्स/अधीनस्थ ऋण	48,660
3.	बैंको/वित्तीय संस्थाओं/एनएसएसएफ से सावधि ऋण	21,053
4.	विदेशी मुद्रा उधारियां एवं एफसीएनआर (बी) ऋण	20,669
5.	बैंकों से अल्पावधिक ऋण	3,550
अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां		99,244

2. वर्ष के दौरान, 5 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 की नियत तारीख को आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों यथा आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ("ट्रांसफेरोर कंपनी") के साथ आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ("ट्रांसफरी कंपनी") के समामेलन की योजना को अपनी मंजूरी दी।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)

सदस्यता सं. F6033

प्रेक्टिस प्रमाण पत्र सं. 6370

यूडीआईएन: F006033C000675273

तिथि: 23 जुलाई, 2021

स्थान: दिल्ली

सूचनापरक टिप्पणियां:

1. इस रिपोर्ट को अनुबंध ए के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।
2. कोविड-19 महामारी के चलते प्रतिबंधित आवागमन के कारण हमने कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, रजिस्ट्रों और अन्य रिकॉर्डों इत्यादि सहित सचिवालयी रिकॉर्डों की जांच कर सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है और उनमें से कुछ की समीक्षा कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त हुए।

अनुबंध- क

सदस्यगण,

आरईसी लिमिटेड

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)

सदस्यता सं. F6033

प्रेक्टिस प्रमाण पत्र सं. 6370

यूडीआईएन: F006033C000675273

तिथि: 23 जुलाई 2021

स्थान: दिल्ली

निगमित सुशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवामें,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
नई दिल्ली।

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथासंशोधित) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा निर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है। हमारे दृष्टि कोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में मंडल के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और मेहनताना समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन को छोड़कर और सीपीएसई के लिए स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक का आयोजन निगमित शासन पर दिशा निर्देश, 2010 और सूचीकरण विनियमों में यथा उल्लिखित निगमित शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही थी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी में सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और यह कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभाव कारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीआईएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

मेसर्स ओपी बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीआईएआई फर्म पंजी. सं. 000018एन/एन500091

नाम: एस. मूर्ती
पदनाम: साझीदार
सदस्यता संख्या: 072290
यूआईडीएन: 21072290एएएडीआर5822

नाम: अतुल अग्रवाल
पद नाम: साझीदार
सदस्यता संख्या: 092656
यूआईडीएन: 21092656एएएडीएक्स5676

दिनांक : 05 अगस्त 2021
स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुरूप कंपनी की अपनी "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति" है।

कंपनी यथासंभव संकेंद्रित तरीके से क्रियाकलापों की एक श्रृंखला शुरू करके समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है।

कंपनी उपलब्ध विकल्पों की व्यापक श्रृंखला से सीएसआर परियोजनाओं का चयन करती है, क्षेत्रों (क्षेत्रों) तथा पर्यावरण संधारणीयता पर जोर देते हुए समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समाज के समावेशी विकास से संबंधित क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित क्रियाकलापों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा।

बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर समिति') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन अथवा उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें कम से कम एक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक होगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची VII में निर्धारित क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, निगमित उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना और किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, निदेशक बोर्ड की रिपोर्टें आवधिक रूप से प्रस्तुत करना शामिल है।

आरईसी लिमिटेड एक पंजीकृत सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करता है। यह फाउंडेशन शासी निकाय द्वारा शासित होता है जिसमें आरईसी लिमिटेड के अधिकारियों को नामित किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाएं:

- विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और उन्हें चालू करना, दिव्यांगों को सहायता और सहायक उपस्करों का वितरण, ब्लड बैंकों का उन्नयन, सीवेज उपचार संयंत्र और जल उपचार संयंत्र का निर्माण, कैंसर जांच और कैंसर देखभाल सेवाओं का शीघ्र पता लगाने के लिए और इलाज, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, विद्युत शवदाह गृह की स्थापना, गरीब लोगों को भोजन/राशन उपलब्ध कराना, कोविड-19 वैक्सीनों को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करना आदि।
- विभिन्न स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा उपस्कर/वस्तुएं प्रदान करना, कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में अपग्रेड करना, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मोबाइल स्कूल बस के माध्यम से नवीन शिक्षा प्रदान करना, युवाओं में अनुसंधान और योग्यता पैदा करना, कमजोर बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका पालन-पोषण करना, शिक्षा, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान कर कमजोर बच्चों का पालन-पोषण करना, युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें कौशलों की वृद्धि करना आदि।
- सिलाई, ब्यूटीशियन, सैनिटरी नैपकिन के निर्माण और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके किशोर/गृहिणी महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, बुजुर्गों की देखभाल के लिए वेलनेस सुविधा के साथ आश्रय गृह का निर्माण, किशोरियों/युवा लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता, नेतृत्व के बारे में शिक्षित करना, जीवन कौशल, लिंग और अधिकार के मुद्दे, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वास्थ्य परामर्श आदि।
- विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में रूफटॉप/पलोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों का निर्माण, एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम आदि को चालू करना।
- कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (पीएम केयर्स) फंड में अंशदान।



खेग गांव, मेघालय में एरी-रेशम उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान किया

- (vi) सूखा संभावित क्षेत्र में किसानों को खरीफ और रबी के मौसम में बीजों का निःशुल्क वितरण, ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करके समुदाय को शिक्षित करना, चेक डैम, पुलिया, सामुदायिक हॉल, कुओं को गहरा करना, इनडोर स्टेडियम का निर्माण आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का अवसंरचना विकास।
- (vii) आरईसी संबद्ध क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण में परियोजनाएं चलाती है, प्राथमिक रूप से आकांक्षी जिलों में, अर्थात् ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफिर, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिम सिक्किम में योजनाएं चलाती है।



मिजोरम राज्य में लक्ष्य मानक द्वारा प्रमाणित ममित जिला अस्पताल में पहला लेबर रूम

2. सीएसआर समिति का गठन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कंपनी ने निदेशकों की सीएसआर समिति का गठन किया है। उसकी संरचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष (12 जून, 2020 से, जिससे पूर्व वे सदस्य थे)	8	8
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष (31 मई, 2020 तक)	1	1
3.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (12 जून, 2020 से)	7	7
4.	श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	8	8

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का विवरण दर्शाने वाला वेब-लिंक:

<https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives>

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

22 जनवरी, 2021 से सीएसआर संशोधन नियमावली के अनुसार, उन परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया, जिन्होंने एक वर्ष पूरा कर लिया है। मैसर्स केपीएमजी ने प्रभाव आकलन अध्ययन किया। नीचे दी गई तालिका में परियोजनाओं के नाम, परियोजनाओं के प्रभाव के प्रमुख परिणाम दिए गए हैं।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
1.	अपैरल प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र द्वारा कार्यान्वित भारत में विभिन्न स्थानों पर कमजोर और सीमांत समुदाय से संबंधित 533 युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये	8 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवारों में से प्लेसमेंट दर 89.86% थी। प्लेसमेंट के बाद, उम्मीदवारों को तीन महीने के लिए ट्रैक किया गया था। लाभार्थियों के बीच सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार देखा गया।
2.	एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित मध्यप्रदेश के तीन जिलों में एलईडी आधारित 1600 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए ₹4.80 करोड़	मध्य प्रदेश के 03 जिलों के 425 गांवों में 1600 लाइटें चालू की गईं। मध्यस्थता के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 73.4 टन है। परियोजना की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए 05 वर्ष तक लाइटों का रखरखाव।
3.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर एलईडी आधारित 420 सोलर स्ट्रीट लाइटों और 145 सोलर हाई मास्ट लाइटों की स्थापना के लिए ₹2.27 करोड़	420 सोलर स्ट्रीट लाइटें और 145 सोलर हाई मास्ट लाइटें चालू की गईं। मध्यस्थता के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 15.8 टन है। परियोजना की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए 05 वर्ष तक लाइटों का रखरखाव।

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
4.	आईआईटी मद्रास द्वारा कार्यान्वित, आईआईटी मद्रास के परिसर में 2 एमडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पीवी सिस्टम के संस्थापन और उसे चालू करने के लिए 9.89 करोड़ रुपये	परिसर में छात्रावासों और शैक्षणिक ब्लॉकों में 2 एमडब्ल्यूपी सौर पीवी पैनल चालू किए गए। मध्यस्थता के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 3,150 टन है, जिससे परिसर में कार्बन फुटप्रिंट कम हुए हैं। कुल विद्युत खपत में 8.7% तक कमी और विद्युत की मांग में 1 एमवीए तक कमी।
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर द्वारा कार्यान्वित आईआईएससी, बेंगलूर के परिसर में 279 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पीवी सिस्टम और 2200 एलईडी लाइटों के संस्थापन और उन्हें चालू करने के लिए ₹3.47 करोड़ रुपये	इस परिसर में 279 केडब्ल्यूपी सौर पीवी पैनल और 2200 लाइटें चालू की गईं। मध्यस्थता के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 604 टन है, जिससे परिसर में कार्बन फुटप्रिंट्स कम हुए हैं।
6.	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यान्वित, भारत में विभिन्न स्थानों पर कमजोर और सीमांत समुदाय से संबंधित 1000 युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 2.58 करोड़ रुपये	8 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवारों में से, प्लेसमेंट दर 74% थी। प्लेसमेंट के बाद, उम्मीदवारों को तीन से छह महीने तक ट्रेक किया गया। सभी पाठ्यक्रमों में औसत वेतन लगभग 9,691 रुपये प्रति माह था।
7.	एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन द्वारा कार्यान्वित, लातेहार, झारखंड के 33 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को फोर्टिफाइड दूध के वितरण/आपूर्ति के लिए ₹2.34 करोड़	ऊंचाई, दृष्टि आदि जैसे संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार। मध्यस्थता के बाद गंभीर रूप से कम बीएमआई वाले बच्चों की संख्या में 3.3% तक कमी आई है। एनीमिक आबादी 56% तक कम हो गई थी। कार्यक्रम को आगे "पीएम गिफ्टमिल्क योजना" के तहत झारखंड सरकार द्वारा अपनाया गया था।
8.	पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित संचार मध्यस्थता "मैं कुछ भी कर सकती हूँ" के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन और महिला सशक्तिकरण के संदेश को बढ़ाने के लिए ₹10.63 करोड़	9.8 मिलियन दर्शकों की पहुंच के साथ 26 एपिसोड का निर्माण और प्रसारण किया गया। 65.3% गैर-दर्शकों की तुलना में 82.3% दर्शकों को खुले में शौच के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों के बारे में पता था। इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर उपयोग करने हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एपिसोड अपलोड किए जाते हैं।
9.	आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित, 9 जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग, ओडिशा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 16 आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 5 केडब्ल्यूपी के संस्थापन और उन्हें चालू करने के लिए 1.84 करोड़ रुपये	9 जिलों के 16 स्कूलों में 5 केडब्ल्यूपी सौर पैनल चालू किए गए। मध्यस्था के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 305.84 टन है। मध्यस्थता से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि छात्रों को नियमित और निरंतर विद्युत की आपूर्ति होती है जो उनके शैक्षिक परिणाम में सहायता देगी।
10.	आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रपति एस्टेट, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 508 केडब्ल्यूपी के संस्थापन और उसे चालू करने के लिए ₹2.49 करोड़	राष्ट्रपति एस्टेट के 5 भवनों में 508 केडब्ल्यूपी सौर पैनल चालू किए गए। मध्यस्थता के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 348.32 टन है। संयंत्र से लगभग 0.95 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा के उत्पादन की उम्मीद है।
11.	रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा कार्यान्वित आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में परियोजना आधारित शिक्षा के माध्यम से 3000 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए ₹1.24 करोड़।	75 शिक्षण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से यह परियोजना 3000 स्कूली बच्चों तक पहुंच गई थी। शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, समुदाय के नेताओं और छात्रों के बीच शिक्षा एवं परियोजना आधारित शिक्षण के प्रति धारणा और दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इस परियोजना से अध्यापन और परियोजना आधारित शिक्षण पर स्थानीय समुदाय की 75 महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं और उनका क्षमता निर्माण हुआ है।
12.	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा कार्यान्वित भारत में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विशेष रूप से विकलांग 2665 व्यक्तियों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए ₹1.00 करोड़	लाभार्थी प्राप्त सहायता से संतुष्ट थे और इस मध्यस्थता से उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद मिली। इस परियोजना से लाभार्थियों को आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास और समाज के उत्पादक सदस्य बनने में मदद मिली है।
13.	ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित ओडिशा और झारखंड में 1400 घरों के लिए सौर माइक्रो ग्रिड स्थापित करने हेतु 1.53 करोड़।	1400 घरों को स्वच्छ और सस्ती लाइटें प्रदान करने के लिए 140 सौर माइक्रो ग्रिड चालू किए गए। मध्यस्थता के कारण CO ₂ उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 6476.24 टन है।
14.	टी-हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वैचारिक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से 30 सरकारी संस्थानों में युवा नवोन्मेषकों को बढ़ाने के लिए 3.03 करोड़ रुपये	समाधानोन्मुख विचार, नवाचार, उद्यमिता और नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों से 1800 छात्रों और 150 शिक्षकों को शामिल किया गया। उन्नत परामर्श के माध्यम से 24 शोध पत्र तैयार किए गए थे, टी-हब फाउंडेशन में आदिरूप तैयार करने के लिए 6 परियोजनाओं का चयन किया गया था।

नीचे दी गई तालिका में 14 परियोजनाओं के लिए विभिन्न मानदंडों अर्थात् (i) प्रासंगिकता, (ii) प्रभावशीलता, (iii) दक्षता, (iv) प्रभाव और (v) संधारणीयता पर रेटिंग प्रदान की गई है। अंतिम कॉलम में सभी मापदंडों का योग प्रदान किया गया है। भारत स्कोर का उपयोग तब 6-बिंदु पैमाने को विकसित करने के लिए किया गया था:

85-100%	→	अत्यंत संतोषजनक
70-84%	→	संतोषजनक
55-69%	→	मध्यम संतोषजनक
40-54%	→	आंशिक संतोषजनक
20-39%	→	असंतोषजनक
<20%	→	अत्यंत असंतोषजनक

आईसीडी मानदंड*	प्रासंगिकता	प्रभावकारिता	दक्षता	प्रभाव	संधारणीयता	कुल
एटीडीसी	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
ईईएसएल-एमपी	एस	ईएस	ईएस	एमएस	एमएस	एस
ईईएसएल-यूपी	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
आईजीआईएटी	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस
आईआईएससी	एमएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस
आईआईटी मद्रास	एमएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस
एनडीडीबी	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
पीएफआई	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
आरईसीएचए	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस
आरईसीपीडीसीएल- ओडिशा	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
आरईसीपीडीसीएल- आरबी	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
एसबीएमवीएसएस	एमएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
टीईआरआई	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
टी-हब	ईएस	ईएस	ईएस	एस	एमएस	ईएस

* ईएस: अत्यंत संतोषजनक; एस: संतोषजनक; एमएस: मध्यम संतोषजनक; एमएस: आंशिक संतोषजनक

विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट <https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives> पर उपलब्ध है।



कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दलवी अस्पताल, पुणे में 1250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया



मणिपुर के 12 गांवों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक वाहन और आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदान की गई

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1.	2020-21	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: ₹7,215.78 करोड़
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: ₹144.32 करोड़
- (ख) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा कार्यकालाओं से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशि: शून्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): 144.32 करोड़ रुपये
8. क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	खर्च न की गई राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
144.32	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

- ख. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य
- ग. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं को छोड़कर अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹143.24 करोड़ (अनुबंध क)
- घ. प्रशासनिक ओवरहेड में खर्च की गई राशि: ₹4.53 करोड़
- ङ. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि: शून्य
- च. कुल राशि वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ): ₹147.77 करोड़
- छ. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि

क्रम सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	144.32
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	147.77
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	3.45
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	3.45

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	

लागू नहीं

(ख) पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना चालू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (करोड़ ₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण / चल रही परियोजना की स्थिति

लागू नहीं

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण: शून्य

क. परिसंपत्ति के निर्माण की तिथि: लागू नहीं

ख. पूंजीगत परिसंपत्ति के विनिर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि: लागू नहीं

ग. कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: उपलब्ध नहीं

घ. सृजित अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

11. उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना सीएसआर बजट पूरी तरह से खर्च किया है।

ह. / -

(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06629871

ह. / -

(संजीव कुमार गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी) और
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन: 03464342

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका एजेंसी का नाम
				राज्य	जिला			
1	एसवीएनआईआरटीएआर में संस्थान को 'विकृति सुधार के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' के रूप में स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उड़ीसा	कटक	3.80	नहीं	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
2	भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 8000-9000 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		0.77	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
3	कुछ मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और उपकरण प्रदान करके कुछ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु	चम्बा, फैजाबाद, वाडोरासलूर	1.22	नहीं	कुछ मिशन ट्रस्ट इंडिया
4	भारत में विभिन्न स्थानों पर श्रवण दोष वाले बच्चों को कोविलियर इंजलॉट की आपूर्ति और फिटमेंट	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		1.26	नहीं	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
5	दंड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण एवं ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन	स्वास्थ्य	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरम	0.66	नहीं	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश
6	ब्रह्मर्षि मिशन समिति के तहत चल रहे विराट धर्मशाला में गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगियों की सहायता के लिए रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	जबलपुर	1.00	नहीं	ब्रह्मर्षि मिशन समिति
7	स्वच्छता कार्य योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी पीने के पानी, स्वच्छता, शौचालय, आईसीसी अभियान आदि की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी को अपनाना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		0.23	हाँ	आरईसी
8	ग्रामीण लड़कियों / किशोरियों महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना और किफायती सैनिटरी नैपकिन निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना।	स्वास्थ्य	लागू नहीं	हरियाणा	पलवल	0.04	नहीं	समाज एवं युवा कल्याण सोसाइटी
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नवीनीकरण और निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	0.52	नहीं	उपायुक्त, ममित
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मणिपुर	चंदेल	0.48	नहीं	उपायुक्त, चंदेल

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका एजेंसी का नाम	
				राज्य	जिला				
11	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टबल और स्मार्ट मॉडल आगनवादी के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित समाधान	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.21	नहीं	सेल्फो फाउंडेशन	
12	एडवॉरड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	2.57	नहीं	टाटा स्मारक केंद्र	
13	200 आंगनवाडी केन्द्रों/प्राथमिक विद्यालयों में 200 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार	पूर्णिया	0.40	नहीं	सभी ग्रामीणों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए सोसाइटी	
14	12 गांवों के लिए आरईसी - जोर्डन मोबाइल हेल्थ क्लीनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध करना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मणिपुर	चुराचांदपुर	0.66	नहीं	उपायुक्त, चुराचांदपुर	
15	14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार	14 जिला	0.09	नहीं	टाटा स्मारक कैंसर अस्पताल	
16	भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	0.19	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान	
17	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के समुदायों और प्राथमिक विद्यालयों में सभी सेवाओं के लिए पानी, स्वच्छता और सफाई	स्वास्थ्य	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम, गंटूर, कृष्णा और चित्तूर	0.59	नहीं	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी	
18	शर्षों को ले जाने के लिए 3 शव वाहन की खरीद	स्वास्थ्य	लागू नहीं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		0.04	नहीं	शहीद भगत सिंह सेवा दल	
19	पंजाब में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 5 वाटर एटीएम मशीन की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पंजाब	-	0.58	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान	
20	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूर्ति के लिए केंद्रीकृत रसोई की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए रोलर कन्वेयर सिस्टम की खरीद और स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	0.62	नहीं	दादरा और नगर हवेली का केंद्र शासित प्रशासन	
21	100 हैंडपंपों की स्थापना और तालाब की खुदाई	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार		0.36	नहीं	पर्यावरण केयर सोसाइटी	
22	विद्युत शवदाह गृह की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	0.39	नहीं	जिलाधिकारी, गाजियाबाद	
23	रुद्रपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति के बुनियादी ढांचे का विकास	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उत्तराखंड	रुद्रपुर, उधम सिंह नगर	10.91	नहीं	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर	
24	कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों में लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध करना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		6.93	हाँ	आरईसी	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका एजेंसी का नाम	
				राज्य	जिला				
25	कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) की खरीद	स्वास्थ्य	लागू नहीं	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल	-	0.73	हाँ	आरईसी	
26	किचन, डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम का निर्माण और सरकारी उच्च विद्यालयों में 12 आरखों प्लेट की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	1.34	नहीं	जिलाधिकारी, कडप्पा	
27	एसएसएमआई स्कूल में बुनियादी ढांचे का विकास	शिक्षा	लागू नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	1.65	नहीं	स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स	
28	25 विद्यालयों में आरईसी सत्यनिष्ठा दलबों की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में		0.05	हाँ	आरईसी	
29	दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षण सहायता, ढांचागत विकास आदि प्रदान करके समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।	शिक्षा	लागू नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	0.29	नहीं	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	
30	1800 छात्रों और 150 शिक्षकों के लिए वैचारिक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों को बढ़ावा देना	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	-	0.81	नहीं	आईआईटी कानपुर	
31	प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मास्क, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे का समर्थन, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा को बदलना।	शिक्षा	लागू नहीं	मणिपुर	चंदेल	0.74	नहीं	उपायुक्त, चंदेल	
32	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रसाई सह भोजन कक्ष का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	केरल	कन्नूर	0.81	नहीं	जिला पंचायत, कन्नूर	
33	सरकारी स्कूलों में उपकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला साक्षरता बढ़ाना, पेयजल उपलब्ध करना आदि के द्वारा स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	शिक्षा	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	0.07	नहीं	उपायुक्त, ममित	
34	1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में		1.03	नहीं	प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र	
35	जगमगुंडा में हाई स्कूल भवन (जी1) का निर्माण, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल में 18 पावर इन्वर्टर उपलब्ध करना; जिला अस्पताल में रीजेंट के साथ हेमेटोलॉजी एनालाइजर-सीबीएस प्रदान करना और सीएचसी और जिला अस्पताल में 05 श्रेडर मशीन की खरीद।	शिक्षा	लागू नहीं	छत्तीसगढ़	सुकमा	0.52	नहीं	जिला कलेक्टर, सुकमा	
36	आदिवासी बच्चों के लिए पुरुष छात्रावास (दूसरी मंजिल) का निर्माण और 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल	देवास और 24 परगना	0.57	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसाइटी	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम	
37	दियांग बच्चों के लिए विशेष अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र (लीसरी मंजिल) की स्थापना और उसके गेट एवं खेल के मैदान के साथ चारदीवारी	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1.20	नहीं	चेतना हिमाचल प्रदेश	
38	05 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को कोशिश प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुना नगर	0.48	नहीं	हरियाणा सीएसआर अकादमी	
39	विभिन्न स्तर बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव मोबाइल स्कूल	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	गुरुग्राम	0.19	नहीं	ऑल इंडिया सिटीजन्स अलायन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट	
40	1000 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	0.62	नहीं	मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस	
41	1800 बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मणिपुर, बिहार और उत्तराखंड	चंदेल, मुजफ्फरपुर, उधम सिंह नगर	0.78	नहीं	टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट	
42	सरकारी स्कूलों के लिए 07 विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण, 60 कक्षाओं को डिजिटल कक्षाओं में बदलना और सरकारी स्कूलों में 43 आरक्षित सिस्टम की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	तेलंगाना	सिकंदराबाद, हैदराबाद	0.84	नहीं	जिला कलेक्टर, हैदराबाद	
43	500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु उपकरण किट का वितरण करना।	शिक्षा	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.29	नहीं	राजुरेश्वर गणेश बहुदेशीय सेवाभावी संस्था	
44	प्रदर्शन रैन और स्मार्ट शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.40	नहीं	उपायुक्त, चंबा	
45	रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिक्षा	लागू नहीं	बिहार, ओडिशा झारखंड आदि सहित पूर्वी और मध्य भारत	-	0.51	नहीं	राष्ट्रीय कौशल विकास कोषराष्ट्रीय कौशल विकास निगम	
46	जम्मू और कश्मीर में हिंसा प्रभावित बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए सहायता	शिक्षा	लागू नहीं	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	0.47	नहीं	सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन	
47	1650 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण I(आवासीय)	शिक्षा	लागू नहीं	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	-	0.87	नहीं	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	
48	1300 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तराखंड	फिरोज़गढ़	0.44	नहीं	महिला आश्रम मुवानी	
49	880 महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	शिक्षा	लागू नहीं	पंजाब, उत्तर प्रदेश	गुरदासपुर और गाजियाबाद	0.28	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम	
50	1000 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में		1.18	नहीं	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी	
51	500 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय)	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड	-	0.73	नहीं	अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर संस्थान	
52	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी उच्च विद्यालयों में वरुंडाल क्लासरूम (सीसीआर) की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़, तुमकुरु, चिकमगलूर, कोडागु, चामराजनगर, उडुपी, मोड्या, बेल्लारी, बागलकोट, विजयपुरा	0.29	नहीं	कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	
53	300 आदिवासी बच्चों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	उड़ीसा	भुवनेश्वर	0.23	नहीं	कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान	
54	जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन	पर्यावरण	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	-	0.09	नहीं	आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	
55	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट की एस्पपीवी प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	तमिलनाडु	मदुरै	2.02	नहीं	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	
56	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट की एस्पपीवी प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	6.61	नहीं	आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरण पीय ऊर्जा विकास निगम	
57	84 गांवों में एलईडी आधारित 500 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	0.59	नहीं	जिलाधिकारी, पीलीभीत	
58	खराब विद्युत्कृत क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सोलर लालटेन का वितरण	पर्यावरण	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा	-	0.40	नहीं	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	
59	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया परिसर में विभिन्न स्थानों पर गैर-कार्यात्मक पुराने ढांचे को बदलना और 135 केडब्ल्यूपी ऑफ-ग्रिड सोलर संयंत्र (बैटरी के साथ) स्थापित करना।	पर्यावरण	लागू नहीं	राजस्थान	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया (एसडब्ल्यूआरसी)	0.66	नहीं	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र	
60	आईआईएम, तिरुचिरापल्ली परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एस्पपीवी प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	3.49	नहीं	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली	
61	रुफ-टॉप एस्पपीवी प्लांट की स्थापना, रैबिट कंटेनर को इन्सुलेशन प्रदान करना और 10 आवासीय सरकारी स्कूलों में ई-लैनिंग केंद्रों की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	कर्नाटक	-	3.26	नहीं	कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सोसाइटी	
62	शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, कोन्स्टिट्यूट कॉलेज की छत पर 283 किलोवॉट सोलर पीवी सिस्टम की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	पंजाब	शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, कोन्स्टिट्यूट कॉलेज, फिरोजपुर	0.49	नहीं	शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका एजेंसी का नाम
				राज्य	जिला			
63	बृद्धजनों की देखभाल के लिए आरोग्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण	वृद्धावस्था	लागू नहीं	लद्दाख	लेह	0.65	नहीं	हेलेज इंडिया
64	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर	लागू नहीं	पूरे भारत में		50.00	नहीं	भारत सरकार
65	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कृषक केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	महबूबनगर और अन्तपुर	2.93	नहीं	अंतरराष्ट्रीय अर्ध - शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान
66	कुओं को गहरा करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, चेक डैम का जीर्णोद्धार एवं निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	राजस्थान	उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़	0.22	नहीं	राजस्थान जनवासी कल्याण परिषद
67	समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मेघालय और नागालैंड	-	5.02	नहीं	नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रीबायोलॉजिस्ट्री सोसाइटी
68	ग्रामीण विकास कार्य जैसे विवाह सामुदायिक भवन, पीसीसी रोड, नाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यात्री शेड का निर्माण, स्वच्छता सुविधा प्रदान करना, एलईडी लाइट्स, आरखो प्लॉट आदि की स्थापना।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	बिहार	भोजपुर	0.24	नहीं	एनएचपीसी
69	सरस्वती खाजा के नीचे प्रशासनिक कार्यालयों और अस्पताल का निर्माण, सरस्वती के किनारे और मंदिर की गली के बीच ढांचागत विकास, मरम्मत और केदारनाथ शहर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कुंड का विकास संबंधी कार्य	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	उत्तराखंड	केदारनाथ	9.41	नहीं	श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट
70	औरंगाबाद जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 5000 किसानों को बीज का वितरण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.11	नहीं	विश्वसिंधु बहुदेशीय सेवा भावी संस्थित
71	औरंगाबाद जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 10000 किसानों को बीज का वितरण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	4.10	नहीं	विश्वसिंधु बहुदेशीय सेवा भावी संस्थित
	कुल संवितरण					143.14		
72	प्रशासनिक ऊपरी खर्च					4.53		
	वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च कुल सीएसआर					147.77		

क्र. स.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क व्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूति/अप्रतिभूति	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
								एनएसई	बीएसई	
1	आईडीवीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एसियन बिल्डिंग, श्रृंखला, 17 आर, कमानी मार्ग, बेलाई एस्टेट, मुंबई-400001	संपर्क व्यक्ति: श्री आदित्य कोपिल फ़ोन: +91-22-40807066 फैक्स नं.: +91-22-66311776 ई-मेल: adityakapil@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com	आईएनई20बी08427	94	अप्रतिभूति	9-जुल.-2025	8.75%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड,
			आईएनई20बी08443	95-II	अप्रतिभूति	14-जुल.-2025	8.75%	हाँ	नहीं	बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे,
			आईएनई20बी08567	100	अप्रतिभूति	15-जुल.-2021	9.63%	हाँ	नहीं	दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली-110062
			आईएनई20बी08591	101-III	अप्रतिभूति	10-अग.-2021	9.48%	हाँ	नहीं	संपर्क व्यक्ति: श्री संजय रस्तोगी फ़ोन: +91-11-29961281-83 ई-मेल: rebonds1@gmail.com, beetalta@gmail.com
			आईएनई20बी08641	105	अप्रतिभूति	11-नव.-2021	9.75%	हाँ	नहीं	वेबसाइट: www.beetalfinancial.com
			आईएनई20बी08740	107	अप्रतिभूति	15-जून-2022	9.35%	हाँ	नहीं	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकनामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद-500032
			आईएनई20बी08807	111-II	अप्रतिभूति	19-नव.-2022	9.02%	हाँ	नहीं	संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फ़ोन: 1-800-309-4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com
			आईएनई20बी08831	114	अप्रतिभूति	12-अप्रै.-2023	8.82%	हाँ	हाँ	वेबसाइट: www.kfintech.com
			आईएनई20बी08849	115	अप्रतिभूति	31-मई-2023	8.06%	हाँ	हाँ	बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड,
			आईएनई20बी0872	123-I	प्रतिभूति	17-जुल.-2021	9.40%	हाँ	हाँ	बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे,
			आईएनई20बी0875	123-III-10 वर्ष	प्रतिभूति	21-अग.-2021	9.34%	हाँ	हाँ	दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली-110062
			आईएनई20बी08872	127	अप्रतिभूति	4-दिस.-2021	8.44%	हाँ	हाँ	संपर्क व्यक्ति: श्री संजय रस्तोगी फ़ोन: +91-11-29961281-83 ई-मेल: rebonds1@gmail.com, beetalta@gmail.com
			आईएनई20बी08880	128	अप्रतिभूति	21-दिस.-2024	8.57%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकनामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद-500032
2	विन्द्वा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड व आईएल एंड एफएस फाइनेशियल सेंटर जी ब्लॉक, प्लॉट सी-22, बीकेपी, बांद्रा, मुंबई-400051	संपर्क व्यक्ति: श्री संजय डोहली फ़ोन: +91-22-26593644 फैक्स: +91-22-26533287 ई-मेल: sanjay.dohli@ifindia.com, Shalish.kokate@ifindia.com वेबसाइट: www.ifindia.com	आईएनई20बी08708	झंका बंड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूति	15-फर.-2022	8.95%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड,
			आईएनई20बी08716	झंका बंड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूति	15-फर.-2022	8.95%	हाँ	नहीं	बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे,
			आईएनई20बी08724	झंका बंड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूति	15-फर.-2027	9.15%	हाँ	नहीं	दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली-110062
			आईएनई20बी08732	झंका बंड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूति	15-फर.-2027	9.15%	हाँ	नहीं	संपर्क व्यक्ति: श्री संजय रस्तोगी फ़ोन: +91-11-29961281-83 ई-मेल: rebonds1@gmail.com, beetalta@gmail.com
			आईएनई20बी07जी09	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूति	28-मार्च-2022	7.93%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकनामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद-500032
	आईएनई20बी07जी07	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूति	29-मार्च-2027	8.12%	हाँ	हाँ	संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फ़ोन: 1-800-309-4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com	वेबसाइट: www.kfintech.com	

[illegible]

133

[illegible]

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क व्यौरा	आईएसआईएन	शृंखला संख्या	प्रतिभूति/अप्रतिभूति	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध एनएसई	बीएसई	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट	
बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, 4 सी एंड डी, सिद्धाविनायक चौबर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	संपर्क व्यक्ति: श्री विट्ठल नावनवार फोन: +91-22-26558759 ई-मेल: compliance@beaconttrustee.co.in वेबसाइट: www.beaconttrustee.co.in	आईएनई020बी08सीएन2	191-ए	अप्रतिभूति	30-जून-2023	6.80%	हों	हों	हों	कोफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, ब्लॉक 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद-500032	
		आईएनई020बी08सीएम4	191-बी	अप्रतिभूति	30-सितं-2024	6.99%	हों	हों	हों	हों	संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फोन: 1-800-309-4001
		आईएनई020बी08सीपी7	192	अप्रतिभूति	28-फर-2030	7.50%	हों	हों	हों	हों	ई-मेल: einward.ris@kfintech. com, gopalakrishna kvs@kfintech.com
		आईएनई020बी08सीक्यू5	193	अप्रतिभूति	31-दिसं-2021	6.99%	हों	हों	हों	हों	वेबसाइट: www.kfintech.com
		आईएनई020बी08सीटी9	195	अप्रतिभूति	22-अप्रैल-2023	6.92%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीयू7	197	अप्रतिभूति	11-मई-2030	7.55%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीवी5	198ए	अप्रतिभूति	21-मार्च-2022	6.60%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीडब्ल्यू3	198बी	अप्रतिभूति	21-मई-2030	7.79%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीएक्स1	199	अप्रतिभूति	15-जून-2030	7.96%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीवाइ9	200 पीपी-एमएलडी	अप्रतिभूति	30-जून-2023	5.36%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीजेड6	201ए	अप्रतिभूति	31-मार्च-2025	5.90%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीए7	201बी	अप्रतिभूति	31-मार्च-2031	6.90%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीबी5	202ए	अप्रतिभूति	30-सितं-2030	7.25%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीसी3	202बी	अप्रतिभूति	30-सितं-2023	5.69%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीई9	203ए	अप्रतिभूति	20-दिसं-2030	6.80%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीएफ6	203बी	अप्रतिभूति	20-दिसं-2025	5.85%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीजी4	204ए	अप्रतिभूति	31-जन-2031	6.90%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीएच2	204बी	अप्रतिभूति	31-दिसं-2025	5.81%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीजे8	205ए	अप्रतिभूति	31-जन-2024	4.99%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीके6	205बी	अप्रतिभूति	31-जन-2026	5.94%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीएल4	206-पीडीआई	अप्रतिभूति	लागू नहीं	7.97%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीएम2	207	अप्रतिभूति	31-जन-2036	7.02%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीओ8	208	अप्रतिभूति	15-मार्च-2036	7.40%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीपी5	209	अप्रतिभूति	20-मार्च-2024	5.79%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08बीसी7	जीओआई-IV	अप्रतिभूति	28-सितं-2028	8.70%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08बीई3	जीओआई-V	अप्रतिभूति	15-नव-2028	8.54%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08बीजे2	जीओआई-VI	अप्रतिभूति	22-जन-2029	8.80%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08बीएल8	जीओआई-VII	अप्रतिभूति	8-मार्च-2029	8.60%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08बीओ2	जीओआई-VIII	अप्रतिभूति	25-मार्च-2029	8.30%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीओ0	जीओआई-IX	अप्रतिभूति	2-मार्च-2030	7.14%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीआर3	जीओआई-X	अप्रतिभूति	26-मार्च-2030	8.25%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08सीएस1	जीओआई-XI	अप्रतिभूति	31-मार्च-2030	7.20%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीआई0	जीओआई-XII	अप्रतिभूति	7-जन-2031	6.45%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीएन0	जीओआई-XIII	अप्रतिभूति	28-जन-2031	6.63%	हों	हों	हों	हों	
		आईएनई020बी08डीक्यू3	जीओआई-XIV	अप्रतिभूति	26-मार्च-2031	6.50%	हों	हों	हों	हों	

31 मार्च 2021 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	1,140.49	1,678.03
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	1,929.06	2,021.96
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	2,311.22	3,318.85
(घ)	ऋण	9	365,261.49	312,083.50
(च)	निवेश	10	1,909.77	2,313.21
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,399.21	22,081.59
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		396,951.24	343,497.14
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	160.07	392.66
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	2,437.71	2,034.32
(ग)	निवेश संपत्ति	14	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	15	260.12	153.00
(च)	पूँजीगत चालू कार्य	15	335.67	287.62
(छ)	विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	15	0.77	0.77
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	15	6.10	8.80
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	81.50	113.27
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		3,281.95	2,990.45
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		400,233.19	346,487.59
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	846.31	1,325.73
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	17	237,328.06	219,977.22
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	85,507.36	61,543.61
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	19	6,946.89	4,819.65
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	25,943.11	23,562.70
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		356,571.73	311,228.91
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	21	10.62	-
(ख)	प्रावधान	22	103.96	106.51
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	23	120.51	75.61
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)		235.09	182.12
(3)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	24	1,974.92	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	25	558.40	-
(ग)	अन्य इक्विटी	26	40,893.05	33,101.64
	कुल - इक्विटी (3)		43,426.37	35,076.56
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		400,233.19	346,487.59
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ

1 से 63

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मिश्र एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	व्याज आय	27	34,683.78	29,663.07
(ii)	लामांश आय	28	36.40	89.04
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	29	95.38	38.95
(iv)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय लाभ		-	-
(v)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	34	572.33	(25.85)
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)		35,387.89	29,765.21
II.	अन्य आय	30	22.55	63.92
III.	कुल आय (I+II)		35,410.44	29,829.13
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	31	21,489.08	18,997.05
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	32	330.26	2,357.90
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	33	9.95	25.44
(iv)	वित्तीय लिखतों संबंधी हानि	35	2,419.62	889.56
(v)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	36	144.84	175.79
(vi)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	37	9.53	10.00
(vii)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	38	144.32	258.40
(viii)	अन्य व्यय	39	106.71	131.70
IV.	कुल व्यय (i से viii)		24,654.31	22,845.84
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)		10,756.13	6,983.29
VI.	कर व्यय	40		
(i)	वर्तमान कर		2,906.90	1,615.87
(ii)	आस्थगित कर		(512.55)	481.26
	कुल कर व्यय (i+ii)		2,394.35	2,097.13
VII.	वर्ष का लाभ		8,361.78	4,886.16
	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनः मापन लाभ/(हानि)		(14.26)	(2.87)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		166.53	(129.20)
(ग)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	— परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनः मापन लाभ/(हानि)		3.59	0.72
	— एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		(6.01)	12.39
	उप-जोड़ (i)		149.85	(118.96)
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		80.81	(302.12)
(ख)	हेजिंग आरक्षण की लागत		329.00	(273.61)
(ग)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	— नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(20.34)	76.04
	— हेजिंग आरक्षण की लागत		(82.80)	68.86
	उप-जोड़ (ii)		306.67	(430.83)
VIII.	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		456.52	(549.79)
IX.	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)		8,818.30	4,336.37
X.	प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)	41		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		42.34	24.74
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		42.34	24.74
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ

1 से 63

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

 जे.एस. अमिताभ
 कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

 अजय चौधरी
 निदेशक (वित्त)
 डीआईएन-06629871
 हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

 संजय मल्होत्रा
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन-00992744

 कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजी. सं. : 001135एन

 कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

 एस. मूर्ति
 भागीदार
 सदस्यता सं. : 072290

 अतुल अग्रवाल
 भागीदार
 सदस्यता सं. : 092656

 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 28 मई 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आरम्भिक शेष	1,974.92	1,974.92
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अंतिम शेष	1,974.92	1,974.92

विवरण के लिए नोट 24 देखें।

ख लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आरम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान लिखत में परिवर्तन की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	558.40	-
अंतिम शेष	558.40	-

विवरण के लिए नोट 24 देखें।

ग अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व एवं अविशेष	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिभारित अर्जन	एफवीओसीआई - इक्विटी दस्तावेज	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च 2019 को शेष	15,136.78	3,034.72	1,153.00	1,318.13	2,236.54	(764.82)	136.88	-	32,328.02
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	4,899.39	4,886.16	-	-	4,886.16
परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमान	-	-	-	-	(2.15)	-	-	-	(2.15)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	(116.81)	(204.75)	(547.64)
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	4,884.01	(116.81)	(226.08)	(204.75)	4,336.37
अन्य समायोजन	1,522.32	336.52	978.00	49.15	-	-	-	-	-
प्रतिभारित अर्जन में / (से) अंतरण	-	(378.41)	-	(1,367.28)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की विक्री/उन्मूलन पर लाभ/हानि का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घवहिक मूल्य निर्देशक मुद्रा अनुवाद लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-	(1,630.51)	86.19	-	(1,630.51)
वर्ष के दौरान ऋणरोधन	1,522.32	(41.89)	978.00	(1,318.13)	-	675.95	-	-	675.95
कुल - अन्य समायोजन	1,522.32	(41.89)	978.00	(1,318.13)	-	(954.56)	86.19	-	(954.56)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल - स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष	16,659.10	2,992.83	2,131.00	-	2,236.54	(1,719.38)	106.26	(204.75)	33,101.64
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	2,563.13	288.13	1,673.00	-	-	-	-	-	-
प्रतिभारित अर्जन में / (से) अंतरण	-	(1,152.55)	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / (से) अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की विक्री/उन्मूलन पर लाभ/हानि का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घवहिक मूल्य निर्देशक मुद्रा अनुवाद लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान ऋणरोधन	2,563.13	(864.42)	1,673.00	-	-	437.65	-	-	437.65
मियादी ऋण लिखत (करों का निवल) पर निर्गमन व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल - अन्य समायोजन	2,563.13	(864.42)	1,673.00	-	-	1,146.22	2,926.94	(793.29)	5,263.35
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल - स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	19,222.23	2,128.41	3,804.00	-	2,236.54	(573.16)	24.07	41.45	40,893.05

रिजर्व में अंतरण/अंतरण से संश्लिष्ट विवरण वर्ष के लिए नोट संख्या 28.1 देखें और आंतरण में हानि रिजर्व के लिए नोट संख्या 28.8 देखें।

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न दिप्पती सं. 1 से 63

हमारी पूर्ण तात्पर्य की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एच.के.जिवाला एंड कंपनी
चैतन्यी विलास
कम पंजी. सं. 0000184एच/एच/00001
एच. मुक्ति
भारतीय
सदस्यता सं. : 072280
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2021

जो एच. अश्विनी
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एच निदेशक मंडल की ओर से

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 00982744

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
कर पूर्व निवल लाभ	10,756.13		6,983.29	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	4.03		1.69	
2. अवमूल्यन एवं परिशोधन	9.53		10.00	
3. वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	2,419.62		889.56	
4. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	32.61		53.02	
5. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	152.19		62.31	
6. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	(545.92)		47.72	
7. एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(2.43)		(6.40)	
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	35.32		463.66	
9. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	81.78		105.29	
10. विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि/(लाभ)	526.71		2,342.27	
11. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	22.71		-	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	13,492.28		10,952.41	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह):				
1. ऋण परिसंपत्तियां	(56,522.42)		(41,664.59)	
2. व्युत्पन्न	711.20		(407.70)	
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(1,706.71)		(5,372.97)	
4. प्रचालनात्मक देयताएं	3,187.83		5,776.56	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(40,837.82)		(30,716.29)	
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(2,694.33)		(1,748.64)	
2. आयकर वापसी	11.73		16.67	
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(43,520.42)		(32,448.26)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.16		0.11	
2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(73.18)		(97.09)	
3. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(0.90)		(2.75)	
4. पूंजीकृत वित्त लागतें	(22.04)		(15.79)	
5. संयुक्त उद्यम (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश	-		(71.60)	
6. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की बिक्री	249.92		4.23	
7. ऋण प्रतिभूतियों (निवल) में विमोचन/(निवेश)	1,357.65		47.16	
8. सरकारी प्रतिभूतियों (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(647.78)		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		863.83		(135.73)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी....)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रुपये ऋण प्रतिभूतियां (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	15,499.66		21,280.39	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(2,925.00)		(5,270.30)	
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपये अवधि ऋण/डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना/(चुकोतियां)	26,275.47		7,899.65	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना/(चुकोतियां)	2,884.39		12,617.57	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना/(विमोचन)	1,999.50		-	
6. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम	558.40		-	
7. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम व्यय	(0.94)		-	
8. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)		(2,172.41)	
9. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	-		(435.78)	
10. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.02)		(0.04)	
11. पट्टा देयता के ब्याज की राशि के संबंध में पुनर्भुगतान				
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		42,119.05		33,919.08
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		(537.54)		1,335.09
इस वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		1,678.03		342.94
इस वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		1,140.49		1,678.03

वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹36.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹89.04 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹147.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹258.40 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
— बैंकों में शेष	237.93	1,173.41
— अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	902.44	504.56
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	1,140.49	1,678.03

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी....)

वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
31-03-2021 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	195,022.98	15,499.66	657.68	-	87.34	211,267.66
कमर्शियल पेपर	2,889.68	(2,925.00)	-	-	35.32	-
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	32,978.45	26,275.47	27.44	-	-	59,281.36
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	50,629.65	2,884.39	16.81	(1,392.24)	147.74	52,286.35
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	1,999.50	128.90	-	(1.16)	6,946.89
कुल	286,340.41	43,734.02	830.83	(1,392.24)	269.24	329,782.26
31-03-2020 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	172,971.40	21,280.39	729.47	-	41.72	195,022.98
कमर्शियल पेपर	7,696.32	(5,270.30)	-	-	463.66	2,889.68
रुपे दीर्घावधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	24,884.25	7,899.65	194.55	-	-	32,978.45
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	33,950.25	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	50,629.65
अधीनस्थ देयताएं	4,818.76	-	0.61	-	0.28	4,819.65
कुल	244,320.98	36,527.31	998.41	3,930.12	563.59	286,340.41

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचार किया गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

जे.एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	अजय चौधरी निदेशक (वित्त) डीआईएन- 06629871 हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार	संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00992744
कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन		कृते ओ.पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091
एस. मूर्ति भागीदार सदस्यता सं. : 072290		अतुल अग्रवाल भागीदार सदस्यता सं. : 092656

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई 2021

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जाता है। कंपनी के देश भर में फैले राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2021 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है (i) आरईसी की लागत और खर्च (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैकरोप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात् वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है और प्रमुख ब्याज आय के तहत अलग से प्रकट किया गया है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुसारी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअल फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचार जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्ति अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभावरित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत अर्जन की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया है 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यहास नहीं होता है।

भूमि में उपयोग के अधिकार के रूप में पट्टे समझौते के तहत भूमि भी शामिल है जिसे संपत्ति के रूप में माना जाता है इसे पहले वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000/- रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया है, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

3.8 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन-देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यहास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बड़े एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यहास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.9 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटीटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटीटी की वित्तीय देयता या इक्विटी दस्तावेज को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी, वित्तीय दस्तावेज के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर में निवेश (भारतीय लेखाकरण मानक 27 के अनुरूप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी दस्तावेज हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हैजिंग दस्तावेज के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, बशर्ते प्रभावी हैजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं हो।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्य कृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी मेजबान अनुबंध जो एक वित्तीय देयता की प्रकृति में हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्न से अलग हैं उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हैजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

- हैज की गई मद और हैजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

- हैजिंग संबंध का हैज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हैज किए गए आइटम/मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हैज करती है और उस हैजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हैज की उस मात्रा को हैज करने के लिए करती है।

हैज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हैज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हैज में हैजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नो के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृद्ध आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हैज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हैज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हैज किया गया आइटम लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृद्ध आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृद्ध आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हैजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हैज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हैज की गई मद की पहचान, हैजिंग लिखत, हैज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हैज अनुपात और हैजिंग संबंध किस प्रकार से हैजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.10 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियाँ

कंपनी निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि-स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाइफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) — डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) — एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) — ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी का चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, ईडी और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलना-पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। कंपनी मानती है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलना-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.11 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में रोकड़ शेष एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.12 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब कंपनी द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.13 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.14 पूर्वदत्त व्यय

1,00,000/- रुपए तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.15 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर की वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर एवं कर योग्य आय की गणना में उपयोग संबंधित कर के आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से जुड़े अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर प्रदान नहीं किया जा सकता है यदि इन अस्थायी अंतरों के रिवर्सल को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि निकट भविष्य में रिवर्सल नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.16 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनः मापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभाषित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है: यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.18 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय दस्तावेज, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, विचार योग्य है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.19 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूल रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.20 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

गैर – चालू वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री मुख्य रूप से लेनदेन के माध्यम से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी गैर-चालू परिसंपत्तियों को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी गैर-चालू परिसंपत्तियाँ तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से इतर दर्शायी जाती है और गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने **ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संबंध में इंड एएस 107 और इंड एएस 109** में संशोधन के अलावा इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका उद्देश्य ब्याज दर बेंचमार्क (आईबीओआर) सुधार के कारण अनिश्चितता के संभावित प्रभावों से राहत प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट हेज लेखांकन की आवश्यकताओं का संशोधन करना है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार और कंपनी पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता – आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता — क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 के प्रकोप का प्रभाव — कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की चिंताओं का पूर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड-19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव कोविड-19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड-19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि — प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) — डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन — वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों दस्तावेजों की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर — आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') — परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है;

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— कैश इन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
— बैंको में शेष राशि		
— चालू खातों में	237.93	1,173.41
— 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा*	902.44	504.56
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	1,140.49	1,678.03

*4 नवंबर 2019 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार ₹ 262.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का रखरखाव शामिल हैं। (टिप्पणी 47.2.4 के सन्दर्भ में)

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— बैंको में चिन्हित शेष		
— अप्रदत्त लाभांश के लिए		
— अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	5.79	4.75
	1,065.84	1,616.49
— चिन्हित आवधिक जमा राशि		
— न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि		
— बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.56	0.53
	0.25	-
— प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	856.62	400.19
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	1,929.06	2,021.96
— 12 वर्षों से अधिक के लिए बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.25	-

7.1 31 मार्च, 2021 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं बैंकों में शेष के संबंध में (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 47 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियां	उचित मूल्य— देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियां	उचित मूल्य— देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
स्फोट एवं फारवर्ड्स	-	-	-	565.39	27.62	-
मुद्रा विनिमय	2,854.54	43.07	121.08	3,094.32	432.94	-
— अन्य						
— कॉल स्प्रेड	4,263.27	271.36	-	6,068.56	504.12	-
सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	22,321.22	2,212.46	-
उप — जोड़ (i)	27,599.89	1,971.62	164.33	32,049.49	3,177.14	-
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
— अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
उप जोड़ (ii)	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
रिवर्स क्रॉस मुद्रा विनिमय	4,547.00	-	278.33	4,347.00	-	739.67
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	57,182.57	2,311.22	846.31	65,453.01	3,318.85	1,325.73

भाग II

भाग— I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार			31-03-2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य — परिसंपत्तियां	उचित मूल्य — देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य — परिसंपत्तियां	उचित मूल्य — देयताएं
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग						
मुद्रा व्युत्पन्न						
मुद्रा विनिमय	2,756.43	23.86	121.08	8,638.68	2.32	303.14
— अन्य						
— कॉल स्प्रेड	1,837.62	77.74	-	1,884.65	97.16	-
सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	11,348.70	1,662.20	-
ब्याज दर व्युत्पन्न						
— अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	13,055.84	-	318.18	9,498.62	5.24	134.45
उप — जोड़ (i)	38,131.97	1,758.79	482.51	31,370.65	1,766.92	437.59
(ii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	19,050.60	552.43	363.80	34,082.36	1,551.93	888.14
कुल — व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii)	57,182.57	2,311.22	846.31	65,453.01	3,318.85	1,325.73

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर-नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9 ऋण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) आवधिक ऋण	377,041.98	378,090.36	321,526.76	323,177.53
(ii) कार्यशील पूंजीगत ऋण	376.17	377.24	897.92	902.01
कुल (क) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
कुल (क) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ख) प्रतिभूति ब्यौरा				
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	256,744.52	257,329.46	244,034.67	245,113.22
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-	-
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	101,071.53	101,456.48	58,166.76	58,684.29
(iv) अप्रतिभूत	19,602.10	19,681.67	20,223.25	20,282.03
कुल (ख) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
कुल (ख) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ग) (I) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	338,810.31	339,877.44	284,644.05	286,210.40
(ii) निजी क्षेत्र	38,607.84	38,590.16	37,780.63	37,869.14
कुल (ग) (I) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
कुल (ग) (I) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ग) (II) भारत से बाहर ऋण				
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
कुल (ग) (II) – निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50

9.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
निवल ऋण	365,261.49	312,083.50
घटाएं : भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(504.10)	(1,351.75)
घटाएं : भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(635.00)	(382.63)
जोड़ें : भारतीय-लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	13,206.11	11,996.04
घटाएं : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय-लेखांकन मानक समायोजन	89.65	79.52
सकल ऋण	377,418.15	322,424.68

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.2. ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	11,996.04	11,497.93
जोड़े : वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 35 के संदर्भ में)	2,362.62	876.52
घटाएँ : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(1,152.55)	(378.41)
शेष राशि	13,206.11	11,996.04

9.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹1,152.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹378.41 करोड़) की राशि के ऋणों को बड़े खाते में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून 2020 को किए गए पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹979.56 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹65.25 करोड़ की राशि को बड़े खाते में डाल दिया है (₹830.00 करोड़ का आवधिक ऋण और ₹149.56 करोड़ का विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर)।

(ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में कंपनी ने ₹329.12 करोड़ की वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹181.86 करोड़ की राशि को बड़े — खाते में डाल दिया है। (₹102.27 करोड़ की नकद राशि, ₹199.72 करोड़ का गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि)।

(ग) आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर 2020 को निष्पादित पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹1,396.55 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹905.44 करोड़ की राशि को बड़े — खाते में डाल दिया है। (₹1,396.55 करोड़ का आवधिक ऋण और विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य)।

पुनर्गठन/निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी संख्या 10 के सन्दर्भ में)

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इक्विटी शेयरों को निकाले जाने पर ₹112.67 करोड़ (₹124.12 करोड़ की वसूलियों का निवल) की ऋण राशि और ₹102 करोड़ (प्रत्येक ₹10 के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बड़े खाते में डाल दिया है।

(ख) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹478.09 करोड़ की वसूलियों (405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹17.59 करोड़ के इक्विटी शेयर, ₹22.18 करोड़ के मोचनयोग्य शेयर और ₹32.42 करोड़ के विकल्पतः परिवर्तनीय संघयी मोचनयोग्य वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹265.74 करोड़ की राशि को बड़े खाते में डाल दिया है।

पुनर्गठन/निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी 10 के सन्दर्भ में)

9.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण बही		377,418.15		322,424.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	92%	348,293.80	88%	285,183.96
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	8%	29,124.35	12%	37,240.72
जिसमें से,				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	71%	20,597.00	67%	25,015.01
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण / सरकार को दिए गए ऋण।	10%	2,848.13	21%	7,685.39
अप्रतिभूति ऋण	19%	5,679.22	12%	4,540.32

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
31 मार्च, 2021 को							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	649.08	-	649.08
ऋण प्रतिभूतियां	376.62	-	143.06	-	519.68	-	519.68
इक्विटी दस्तावेज	-	430.13	23.60	-	453.73	218.20	671.93
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	69.08	-	69.08
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल - सकल (क)	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
कुल - सकल (ख)	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
कुल निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल - निवल (घ=क-ग)	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
31 मार्च, 2020 को							
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	1,500.62	-	1,500.62	-	1,500.62
इक्विटी दस्तावेज	-	507.43	12.50	-	519.93	218.20	738.13
वरीयता शेयर	22.93	-	45.41	-	68.34	-	68.34
अन्य	-	6.12	-	-	6.12	-	6.12
कुल - सकल (क)	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
कुल - सकल (ख)	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
कुल निवेश	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल - निवल (घ=क-ग)	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21

10.1 निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रतिभूतियां					
- 5.77% जीएसईसी 2030	परिशोधित लागत	5,000,000	49.95	-	-
- 7.17% जीएसईसी 2028	परिशोधित लागत	5,000,000	54.64	-	-
- 7.27% जीएसईसी 2026	परिशोधित लागत	5,000,000	55.98	-	-
- 5.22% जीएसईसी 2025	परिशोधित लागत	5,000,000	50.99	-	-
- 7.29% कर्नाटक एसडीएल 2309	परिशोधित लागत	10,000,000	100.97	-	-
- 7.24% कर्नाटक एसडीएल 2037	परिशोधित लागत	5,000,000	50.30	-	-
- 6.95% तमिलनाडु एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	2,500,000	25.02	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- 6.48% कर्नाटक एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	4,000,000	41.26	-	-
- 6.85% राजस्थान एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	3,000,000	29.95	-	-
- 6.60% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधित लागत	5,000,000	51.28	-	-
- 6.60% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधित लागत	2,000,000	19.74	-	-
- 8.44% झारखंड एसडीएल 2029	परिशोधित लागत	3,000,000	32.53	-	-
- 8.35% केरल एसडीएल 2029	परिशोधित लागत	1,000,000	10.86	-	-
- 8.60% गुजरात एसडीएल 2028	परिशोधित लागत	2,000,000	22.70	-	-
- 8.57% राजस्थान एसडीएल 2028	परिशोधित लागत	1,000,000	11.02	-	-
- 6.20% राजस्थान एसडीएल 2027	परिशोधित लागत	2,000,000	20.36	-	-
- 7.20% महाराष्ट्र एसडीएल 2027	परिशोधित लागत	2,000,000	21.53	-	-
उप-जोड़ - सरकारी प्रतिभूतियां			649.08		-
ऋण प्रतिभूतियां					
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बांड	परिशोधित लागत	850	88.18	-	-
- भारतीय खाद्य निगम के 6.65% बांड	परिशोधित लागत	200	20.62	-	-
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बांड	परिशोधित लागत	250	26.33	-	-
- दामोदर घाटी निगम के 8.69% बांड	परिशोधित लागत	200	21.88	-	-
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधित लागत	200	22.65	-	-
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बांड	परिशोधित लागत	150	15.63	-	-
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बांड	परिशोधित लागत	100	10.52	-	-
- एनएमडीसी लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधित लागत	200	21.71	-	-
- इंडियन बैंक के 11.15% निरंतर बांड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
- बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% निरंतर बांड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.00
- सिंडिकेट बैंक के 11.25% निरंतर बांड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228,525,079	99.33	-	-
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	100,612,911	43.73	-	-
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,635,162	-	-	-
- फैंरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	परिशोधित लागत	25,291,783	149.10	-	-
- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	213,803,170	-	-	-
- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,303,032	-	-	-
- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला एआई	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10,474,150	-	-	-
उप-जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां			519.68		1,500.62

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी दस्तावेज					
– एनएचपीसी लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	175,302,206	428.61	175,302,206	349.73
– इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	12,271,211	157.01
– हुडको लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	347,429	1.52	347,429	0.69
– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,000,000	-	16,000,000	-
– रत्न इंडिया पावर लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	92,568,105	23.60	92,568,105	12.50
– आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	181,790,667	-	-	-
उप-जोड़ – इक्विटी दस्तावेज			453.73		519.93
सहायक कंपनियां (टिप्पणी 10.2 देखें)					
– आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	अन्य (लागत पर)	85,500	0.10	50,000	0.05
– आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.	अन्य (लागत पर)	-	-	50,000	0.05
उप-जोड़ – सहायक कंपनियां			0.10		0.10
संयुक्त उद्यम					
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	अन्य (लागत पर)	218,100,000	218.10	218,100,000	218.10
उप-जोड़ – संयुक्त उद्यम			218.10		218.10
वरीयता शेयर (पीएस)					
– रत्न इंडिया पावर लि. के विमोचन योग्य पीएस	परिशोधित लागत	28,720,978	26.09	28,720,978	22.93
– रत्न इंडिया पावर लि. के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	43,303,616	42.99	43,303,616	45.41
उप-जोड़ – वरीयता शेयर			69.08		68.34
अन्य					
– “स्मॉल इज ब्यूटीफुल” वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	6,152,200	-	6,152,200	6.12
उप-जोड़ – अन्य		6,152,200	-		6.12
कुल निवेश			1,909.77		2,313.21

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 51.1 देखें।

10.2 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के ब्यौरे:

कंपनी का नाम	कारोबार का प्रमुख स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31.03.2021	31.03.2020
सहायक कंपनियां :			
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	भारत	100.00%	100.00%
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.	भारत	-	100.00%
संयुक्त उद्यम :			
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	22.18%	22.18%

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एस 27 पृथक वित्तीय विवरणों के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापित किया गया है।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (“अंतरक कंपनी”) को आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (“अंतरिती कंपनी”) में 1 अप्रैल, 2020 के रूप में नियत तारीख को समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल ने कंपनी को प्रत्येक 10 रुपये के 35,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों को आरईसीटीपीसीएल के प्रत्येक 10 रुपये के 50,000 प्रदत्त इक्विटी शेयरों के निमित्त आवंटित किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

10.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) वर्तमान वर्ष के दौरान:

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला-ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला-बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला-सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेसर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फैंरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

(क) रतनइंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 2,87,20,978 मोचनयोग्य वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

10.4 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के व्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ/(हानि)
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,271,211	249.92	248.69	228,789	4.23	4.21
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	-	-	-	102,000,000	-	(102.00)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के 1,22,71,211 इक्विटी शेयरों को बाजार परिवृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹249.92 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 11.1 के संदर्भ में)	39.94	34.61
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.41	0.30
(ग) अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	4.16	3.99
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.23	1.29
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 20.5 के संदर्भ में)	24,314.48	21,931.30
(च) अन्य वसूली योग्य राशि	127.03	140.95
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 के संदर्भ में)	(88.04)	(30.85)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	38.99	110.10
कुल (क से च)	24,399.21	22,081.59

11.1 कार्मिकों के ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों को दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
— मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	7.39	7.29
उप — जोड़ (क)	7.39	7.29
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
— मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.28	0.33
— अन्य को	32.27	26.99
उप — जोड़ (ख)	32.55	27.32
जोड़ (क+ख)	39.94	34.61

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.59 करोड़) है, शामिल है।

11.2 अन्य वसूली योग्य राशियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

विवरण	31-03-2021 के समाप्त वर्ष	31-03-2020 के समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	30.85	26.69
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	59.29	5.78
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(2.10)	(1.62)
समाप्ति पर शेष	88.04	30.85

12. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	227.47	1,811.17
आय कर हेतु प्रावधान	(72.35)	(1,552.27)
उप-जोड़	155.12	258.90
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.20	201.05
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(67.29)
उप-जोड़	4.95	133.76
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	160.07	392.66

13. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2,437.71	2,034.32

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

लेखा संबंधी टिप्पणियां

13.1 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में अमान्य	ओसीआई में अमान्य	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,275.92	467.33			2,743.25
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.01	0.52			4.53
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)			5.26
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)		3.57
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)		27.81
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,735.09	158.48	(109.15)	-	2,784.42
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	1.80	0.32			2.12
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	448.95	(295.69)			153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)			191.33
अन्य	12.57	(12.57)			-
कुल आस्थगित कर देयताएं	700.77	(354.07)	-	-	346.71
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,034.32	512.55	(109.15)	-	2,437.71

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में अमान्य	ओसीआई में अमान्य	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,966.72	(690.80)			2,275.92
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.02	(0.01)			4.01
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	-2.06			5.51
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39		10.00
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90		439.65
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,965.49	(387.69)	157.29	-	2,735.09
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	3.05	(1.25)			1.80
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	267.26	181.69			448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)			237.45
अन्य	-	12.57			12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	607.20	93.57	-	-	700.77
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,358.29	(481.26)	157.29	-	2,034.32

14 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	शेष राशि
31 मार्च 2021 के अनुसार	0.01	-	-	0.01
31 मार्च 2020 के अनुसार	0.01	-	-	0.01

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

14.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.90	0.61

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।
- अधिकार क्षेत्र में वर्तमान सर्किल दरें जहां निवेश संपत्ति स्थित है।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल-3 में शामिल हैं।

15. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर								पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि के उपयोग का अधिकार	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य											
31.03.2019 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	10.65	19.92	18.50	0.40	193.19	196.94	1.59	17.25
परिवर्धन	-	-	-	1.80	2.53	3.21	-	7.54	74.89	-	3.57
पूँजीगत लागत उधारियां									15.79		
निपटान	-	-	-	0.83	2.20	1.74	-	4.77	-	0.82	7.20
31.03.2020 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	11.62	20.25	19.97	0.40	195.96	287.62	0.77	13.62
परिवर्धन	-	-	98.66	9.65	4.71	5.10	-	118.12	131.70	-	0.02
पूँजीगत लागत उधारियां								-	22.04		
निपटान / समायोजन	-	-	-	0.72	3.28	7.97	-	11.97	105.69	-	-
31.03.2021 के अनुसार	110.39	1.59	130.40	20.55	21.68	17.10	0.40	302.11	335.67	0.77	13.64
संचित अवमूल्यन / परिशोधन											
31.03.2019 के अनुसार	-	0.31	8.58	6.32	13.37	10.33	0.30	39.21	-	-	8.74
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.68	2.90	2.63	0.02	6.72	-	-	3.28
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.34	1.89	0.74	-	2.97	-	-	7.20
31.03.2020 के अनुसार	-	0.32	9.06	6.66	14.38	12.22	0.32	42.96	-	-	4.82
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	0.94	2.69	2.38	0.02	6.81	-	-	2.72
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.20	2.60	4.98	-	7.78	-	-	-
31.03.2021 के अनुसार	-	0.35	9.81	7.40	14.47	9.62	0.34	41.99	-	-	7.54
31.03.2020 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.27	22.68	4.96	5.87	7.75	0.08	153.00	287.62	0.77	8.80
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.24	120.59	13.15	7.21	7.48	0.06	260.12	335.67	0.77	6.10

15.1 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	-	4.59	68.31	4.59
निवल धारित मूल्य	-	2.07	68.31	2.14

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.2 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.45
निवल धारित मूल्य	2.31	2.41

15.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए 8% (पिछले वर्ष 8.04%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविड-19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

15.5 15.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन
परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, 5,000 रुपए अथवा कम है)।

15.6 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, कंपनी ने कुछ आवासीय भवन की इकाइयों के साथ धारित मूल्य 0.10 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल है, को बेचने का निर्णय लिया है जिसके निपटान के लिए आगे की कार्रवाई 31 मार्च 2021 के बाद की गई है। तदनुसार, इंड-एस 105 के तहत परिसंपत्ति को "बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्ति" के रूप में अपेक्षित ऐसी कार्रवाइयों की शुरुआती तारीख के बाद वर्गीकृत किया जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रक्रिया के वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

16 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	8.84	50.38
(ख) अन्य अग्रिम	3.34	5.12
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	47.47	44.37
(घ) पूर्व-व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	3.45	-
(ङ) पूर्वप्रदत्त व्यय	4.29	0.17
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	14.09	13.21
(छ) अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.02
कुल (क से छ)	81.50	113.27

17 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	12,648.41	13,090.89	12,648.41	13,088.03
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41
उप - जोड़ (क)	34,240.00	35,526.77	38,494.74	39,948.68

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	169,868.60	175,719.53	148,662.20	153,685.20
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	-	-	1,364.85	1,363.91
(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
उप - जोड़ (ख)	196,341.38	201,801.29	172,659.29	177,138.86
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) कमर्शियल पेपर	-	-	2,925.00	2,889.68
उप - जोड़ (ग)	-	-	2,925.00	2,889.68
कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख +ग)	230,581.38	237,328.06	214,079.03	219,977.22
भारत में / से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	204,119.67	211,267.66	191,463.25	197,912.66
(ii) विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
जोड़- ऋण प्रतिभूतियां	230,581.38	237,328.06	214,079.03	219,977.22

अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 19.2 देखें

17.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूत के विवरण के लिए टिप्पणी 18.5 का संदर्भ लें

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
123-IIIबी श्रृंखला-9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.91	1,955.00	2,063.95
123-I श्रृंखला-9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.61	1,515.00	1,615.56
कुल संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	4,455.48	4,550.70	-	-
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,415.55	5,759.14	5,907.48
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,935.40	6,651.77	6,934.10
श्रृंखला XI (2017-18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विमोचनीय	-	-	9,565.23	9,940.15
जोड़-54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73

(iii) कर मुक्त बांड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2015-16 भाग 1	700.00	703.19	700.00	713.90
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य हैं और ₹421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	300.00	317.75	300.00	306.98

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,059.40	1,131.05	1,059.40	1,085.44
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य हैं और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	161.92	150.00	155.69
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,440.60	3,530.70	3,440.60	3,524.85
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,358.55	1,350.00	1,415.07
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	138.66	131.06	133.92
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	2,017.35	2,041.10	2,017.35	2,063.35
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	500.00	531.26	500.00	513.01
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011-12	3,000.00	3,176.71	3,000.00	3,175.82
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।				
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	12,648.41	13,090.89	12,648.41	13,088.03

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	856.62	854.71	400.19	399.41
5% आबंटन की डीमड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
208वीं श्रृंखला-7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,627.67	-	-
207वीं श्रृंखला-7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,644.40	-	-
183वीं श्रृंखला-8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.23	3,028.00	3,163.54
182वीं श्रृंखला-8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.66	5,063.00	5,315.09
201वीं बी श्रृंखला-6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,360.02	-	-
204वीं ए श्रृंखला-6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.31	-	-
203वीं ए श्रृंखला-6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,142.50	-	-
202वीं ए श्रृंखला-7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,649.96	-	-
198वीं बी श्रृंखला-7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.70	-	-
197वीं श्रृंखला-7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.76	-	-
189वीं श्रृंखला-7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.85	3,054.90	3,054.80
188वीं बी श्रृंखला-7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.08	1,100.00	1,100.07
192वीं श्रृंखला-7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,395.75	2,382.00	2,393.16
184वीं-ए श्रृंखला-8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय विमोचनीय	580.40	604.76	290.20	302.31
180वीं-बी श्रृंखला-8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,166.39	2,070.90	2,163.58
178वीं-श्रृंखला-8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,168.79	1,097.00	1,167.75
176वीं-श्रृंखला-8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.65	1,600.70	1,735.59
169वीं श्रृंखला-8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.52	2,554.00	2,621.29
168वीं श्रृंखला-8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,624.45	2,552.40	2,626.01
163वीं श्रृंखला-8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,627.99	2,500.00	2,628.20
162वीं श्रृंखला-8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.36	2,500.00	2,637.55
156वीं श्रृंखला-7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,612.72	3,533.00	3,614.64
147वीं श्रृंखला-7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.44	2,745.00	2,745.34
142वीं श्रृंखला-7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,055.87	3,000.00	3,056.26
140वीं श्रृंखला-7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,151.65	2,100.00	2,152.27
205वीं-बी श्रृंखला-5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,024.68	-	-
204वीं बी श्रृंखला-5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,116.78	-	-
203वीं बी श्रृंखला-5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,844.16	-	-
136वीं श्रृंखला-8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.10	2,585.00	2,671.22
95-II श्रृंखला-8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.61
94वीं श्रृंखला-8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.05
133वीं श्रृंखला-8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.28	2,396.00	2,452.91
201वीं ए श्रृंखला-5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.50	-	-
190वीं ए श्रृंखला-6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,513.83	2,500.00	2,523.03
131वीं श्रृंखला-8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.22	2,285.00	2,304.14
130वीं श्रृंखला-8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.14	2,325.00	2,493.00
129वीं श्रृंखला-8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.52	1,925.00	2,063.40
128वीं श्रृंखला-8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.67	2,250.00	2,418.53
186वीं बी श्रृंखला-7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.78	1,500.00	1,537.86
191वीं बी श्रृंखला-6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.18	1,100.00	1,107.13
180वीं ए श्रृंखला-8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,072.68	1,018.00	1,070.52
209वीं श्रृंखला-5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.62	-	-
205वीं-ए श्रृंखला-4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,157.04	-	-

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
202वीं बी श्रृंखला-5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,556.56	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	300.00	311.54	300.00	311.55
200वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी-5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	518.94	-	-
191वीं ए श्रृंखला-6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.06	1,100.00	1,106.95
195वीं श्रृंखला-6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.21	-	-
114वीं श्रृंखला-8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.94	4,300.00	4,666.58
188वीं ए श्रृंखला-7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.17	1,400.00	1,400.13
159वीं श्रृंखला-7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.57	950.00	957.40
187वीं श्रृंखला-7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.24	2,090.00	2,129.37
185वीं श्रृंखला-7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,769.00	2,826.46	2,769.00	2,827.04
155वीं श्रृंखला-7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,958.74	1,912.00	1,959.12
111-II श्रृंखला-9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.50	2,211.20	2,283.64
152वीं श्रृंखला-7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.18	1,225.00	1,264.12
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपीसी-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.56	300.00	311.56
150वीं श्रृंखला-7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.38	2,670.00	2,775.25
186वीं ए श्रृंखला-6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.63	2,500.00	2,559.27
107वीं श्रृंखला-9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.56	2,378.20	2,554.46
179वीं श्रृंखला-8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.70	1,000.00	1,065.61
167वीं श्रृंखला-8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.65	2,571.80	2,577.54
198वींए श्रृंखला-6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	2,596.00	2,600.39	-	-
173वीं श्रृंखला-8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,509.41	2,500.00	2,510.23
132वीं श्रृंखला-8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.81	700.00	750.72
145वीं श्रृंखला-7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.85	625.00	628.97
165वीं श्रृंखला-8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.16	2,171.00	2,207.50
193वीं श्रृंखला-6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021को विमोचनीय	1,115.00	1,121.46	1,115.00	1,118.70
190वीं बी श्रृंखला-6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021को विमोचनीय	2,489.40	2,502.64	2,489.40	2,511.05
177वीं श्रृंखला-8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021को विमोचनीय	1,245.00	1,274.16	1,245.00	1,274.50
141वीं श्रृंखला-7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.03	1,020.00	1,038.00
127वीं श्रृंखला-8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.92	1,550.00	1,664.78
105वीं श्रृंखला-9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,069.73	3,922.20	4,070.07
139वीं श्रृंखला-7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.17	2,500.00	2,575.10
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपी-बी-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	300.00	311.58	300.00	311.57
101-III श्रृंखला-9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.42	3,171.80	3,364.34
100वीं श्रृंखला-9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,602.90	1,500.00	1,603.01
174वीं श्रृंखला-8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.23	2,720.00	2,894.03
161बी श्रृंखला-7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.11	800.00	849.01
154 श्रृंखला-7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.16	600.00	637.04
157वीं श्रृंखला-7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.66	1,055.00	1,131.47
158वीं श्रृंखला-7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	2,465.00	2,473.46
98वीं श्रृंखला-9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,012.79
153वां श्रृंखला-6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	-	-	2,850.00	2,899.77
97वीं श्रृंखला-8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	-	-	2,120.50	2,183.61
96वीं श्रृंखला-8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	-	-	1,150.00	1,193.96

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-ए-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.63
149वीं श्रृंखला-6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,485.00	2,573.44
135वीं श्रृंखला-8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,750.00	2,817.12
144वीं श्रृंखला-7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	-	-	835.00	840.30
172वीं श्रृंखला-8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	-	-	1,790.00	1,884.21
134वीं श्रृंखला-8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	-	-	2,675.00	2,740.31
143वीं श्रृंखला-6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,275.00	1,289.46
148वीं श्रृंखला-7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,200.00	1,203.61
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	169,868.60	175,719.53	148,662.20	153,685.20

*पीपी-एमएलडी- प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर

**एसटीआरपीपी-सेपरेटली ट्रांसफरेबल रिडीमएबल प्रिंसिपल पार्ड्स

(ii) अवसरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	21.36	11.07	19.80
श्रृंखला-I (2010-11) - सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	5.39	5.39
कुल: अवसरचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19

जारी किए गए अवसरचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	
9.15%संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15%वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	11.07	11.07	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी - श्रृंखला - II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	-	-	250.29	250.14
जेडसीबी - श्रृंखला - I (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	-	-	1,114.56	1,113.77
कुल: जीरो कूपन बॉण्ड			1,364.85	1,363.91

*जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां
(iv) विदेशी मुद्रा बॉन्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,205.14	2,007.20	2,261.58	2,035.23
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,307.71	2,956.72	3,392.37	2,982.46
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,675.24	3,672.19	-	-
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,675.24	3,703.43	3,769.30	3,795.87
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,777.81	4,784.36	4,900.08	4,900.27
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,145.33	5,209.90	5,277.01	5,329.61
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,675.24	3,726.60	-	-
3.068% यूएस \$400 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	-	-	3,015.44	3,021.12
जोड़— विदेशी मुद्रा बॉन्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स —एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज — सिक्योरिटीज ट्रेडिंग), एलएसई—आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज — इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 1 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.6 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन

17.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण
(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.20 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	2,889.68

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
63वीं श्रृंखला — 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	675.00	664.69
64वीं श्रृंखला — 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,250.00	2,224.99
कुल	-	-	2,925.00	2,889.68

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72
(ii) वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
(iv) एफसीएनआर (बी) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89
(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
(vi) पट्टा देयताएं	0.05	0.05	0.07	0.07
उप-जोड़ (क)	66,763.35	66,969.87	52,680.27	52,827.78
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	10,186.52	10,201.99	2,749.86	2,750.92
(iii) नियंत्रक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,000.00	3,000.49	-	-
उप-जोड़ (ख)	18,515.62	18,537.49	8,705.35	8,715.83
कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	85,278.97	85,507.36	61,385.62	61,543.61
भारत में/से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i) भारत में उधारियाँ	64,254.25	64,616.42	39,622.91	39,964.32
(ii) भारत से उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
कुल - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	85,278.97	85,507.36	61,385.62	61,543.61

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या. 19.2 देखें

18.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
— बैंक ऑफ बड़ौदा	2,000.00	2,000.36	2,500.00	2,500.52
12.12.2021 को ₹958.50 करोड़ प्रतिदेय, 12.12.2022 को ₹1041.50 करोड़ प्रतिदेय				
— एचडीएफसी	4,650.00	4,664.47	2,000.00	2,000.42
24.02.2022 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.09.2022 को ₹650 करोड़ प्रतिदेय, 19.06.2023 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय एवं 15.01.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
— पंजाब नेशनल बैंक	4,396.84	4,396.84	2,399.87	2,399.87
3 वार्षिक किश्तों में ₹1,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.09.2021 को देय है, 8 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹399.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 01.10.2021 को देय है एवं 3 वार्षिक किश्तों में ₹1,996.99 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,839.90	10,839.90	7,299.92	7,299.92
4 वार्षिक किश्तों में ₹1,839.97 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 05.09.2021 को देय है, 2 वार्षिक किश्तों में ₹3,999.93 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.10.2021 को देय है एवं 7 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है।				
— यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,399.34	3,399.34	2,199.99	2,199.99
6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,499.70 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 25.06.2022 को देय है, 6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,899.64 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 20.02.2023 को देय है।				
— केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00
28.02.2023 को ₹150 करोड़ प्रतिदेय, 29.02.2024 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.02.2025 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय				
— एचएसबीसी	1,652.50	1,652.77	-	-
19.05.2025 को ₹565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹187.5 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.03.2026 को ₹900 करोड़ प्रतिदेय				
— ड्यूश बैंक	500.00	500.08	-	-
18.12.2023 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
— जेपी मॉर्गन चेंस बैंक	1,500.00	1,500.00	-	-
26.03.2024 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ — बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72

(ii) अन्य से आवधिक ऋण — वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
— इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.06.2023 को ₹800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 15.03.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 26.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़—अन्य से आवधिक ऋण—वित्तीय संस्थाएं	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण — भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण — 0.65% जेआईसीए—II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2021 को देय ही रही है	50.06	50.07	99.46	99.48
2.89% केएफडब्ल्यू—II ऋण — 30.12.2020 को प्रदत्त	-	-	64.60	65.03
1.86% केएफडब्ल्यू—II ऋण — 30.03.2024 तक ₹5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2021 को देय है।	317.22	317.87	393.41	393.52
उप जोड़ — (1)	367.28	367.94	557.47	558.03

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार की गारंटीकृत के बिना				
6 एम यूएसडी एलआईबीओआर 0.13% कैएफडब्ल्यू – IV ऋण – 15.11.2030 तक ₹12.00 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय है, पहली किस्त 15.11.2021 को देय है।	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
उप जोड़ – (2)	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस \$300 मिलियन–02.06.2030 को प्रतिदेय	2,205.14	2,216.83	-	-
यूएस \$425 मिलियन–16.03.2026 को प्रतिदेय	3,123.95	3,095.46	-	-
¥10,519 मिलियन– 25.09.2025 को प्रतिदेय	698.04	686.00	-	-
यूएस \$170 मिलियन– \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं \$70 मिलियन– 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,249.58	1,249.55	-	-
यूएस \$75 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	551.29	542.57	565.39	554.38
एसजी \$72.07 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	391.79	383.78	380.80	367.22
यूएस \$100 मिलियन–01.07.2024 को प्रतिदेय	735.05	729.68	753.86	749.10
यूएस \$150 मिलियन– 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,102.57	1,085.82	1,130.79	1,104.53
यूएस \$250 मिलियन–27.03.2024 को प्रतिदेय	1,837.62	1,815.96	1,884.65	1,855.66
¥10,327.012 मिलियन–08.08.2023 को प्रतिदेय	685.31	673.06	719.28	700.98
यूएस \$250 मिलियन–29.08.2023 को प्रतिदेय	1,837.62	1,831.68	1,884.65	1,877.67
यूएस \$150 मिलियन– 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,102.57	1,097.49	1,130.79	1,121.92
यूएस \$200 मिलियन– 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,470.09	1,461.67	1,507.72	1,494.21
यूएस \$230 मिलियन – 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,690.61	1,676.86	1,733.88	1,702.97
यूएस \$100 मिलियन–05.10.2021 को प्रतिदेय	735.05	733.36	753.86	745.81
यूएस \$240 मिलियन– 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,809.26	1,793.23
यूएस \$160 मिलियन–26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,206.17	1,195.78
यूएस \$300 मिलियन– 01.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,261.58	2,260.75
यूएस \$300 मिलियन–29.07.2020 को प्रतिदेय।	-	-	2,261.58	2,269.17
उप- जोड़ – (3)	19,416.28	19,279.77	19,984.26	19,793.38
जोड़: विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29

(iv) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$135 मिलियन– यूएस \$75 मिलियन 13.10.2020 को प्रदत्त तथा \$60 मिलियन 17.02.2021 को प्रदत्त	-	-	1,017.71	1,020.89
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89

(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– नेशनल स्माल सेविंग फण्ड (एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
13.12.2028 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ –सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$200 मिलियन— 20.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,470.15	-	-
यूएस \$100 मिलियन— 30.12.2021 को प्रतिदेय	735.05	735.06	-	-
यूएस \$75 मिलियन— 15.11.2021 को प्रतिदेय	551.29	551.29	-	-
यूएस \$200 मिलियन— 30.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,472.31	-	-
यूएस \$75 मिलियन— 20.05.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.11	-	-
यूएस \$75 मिलियन— 22.04.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.09	-	-
यूएस \$140 मिलियन— 13.01.2021 को प्रदत्त	-	-	1,055.40	1,055.51
यूएस \$100 मिलियन— 21.12.2020 को प्रदत्त	-	-	753.86	753.92
यूएस \$100 मिलियन— 03.12.2020 को प्रदत्त	-	-	753.86	753.93
यूएस \$100 मिलियन— 02.09.2020 एवं 30.09.2020 को प्रदत्त	-	-	753.86	753.86
यूएस \$200 मिलियन— 21.09.2020 को प्रदत्त	-	-	1,507.72	1,512.87
यूएस \$150 मिलियन— 20.05.2020 एवं 25.06.2020 को प्रदत्त	-	-	1,130.79	1,134.82
जोड़ —एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91

18.3 टिप्पणी संख्या 18.1 (i), (ii) तथा (v) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.15% से 8.29% मासिक/तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

18.4 टिप्पणी संख्या 18.1 (iii)(3) में विदेशी मुद्रा उधार के 1/3/6 माह के लिए अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर), 6माह के लिए एसओआर (स्वैप ऑफर दर) बाहरी बेंचमार्क सहित 20 बीपीएस से 210 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं

18.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थाखगत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज 123-I और 123-III बी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्टेडीड की शर्तों के अनुसार जारी कर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी की गई 54ईसी कैपिटल कर मुक्त बॉण्ड और कर फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज XI, XII और XIII को (क) उप-प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम — सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन कर मुक्त न बॉण्ड की बॉण्ड सीरीज XIV को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए नोट संख्या 9 और 15.2 देखें।

19 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 199वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,127.54	-	-
(ii) 175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.45	2,151.20	2,151.86
(iii) 115वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,667.90	2,500.00	2,667.79
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं				
(i) भारत में उधारियाँ	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65

अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 19.2 देखें।

19.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएएआर, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बांड	क्रिसिल एएए, केयर ए ए
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

19.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	237,328.06	85,507.36	6,946.89	329,782.31
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(7,571.09)	(397.62)	(299.48)	(8,268.19)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	824.41	169.23	3.29	996.93
कुल बकाया उधारियां	230,581.38	85,278.97	6,650.70	322,511.05
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय- लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	219,977.22	61,543.61	4,819.65	286,340.48
घटाएं: भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,874.20)	(392.52)	(170.57)	(7,437.29)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियां	214,079.03	61,385.62	4,651.20	280,115.85

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 19.3** कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एंजेंसियों से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज ६ सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।
- 19.4** सेबी के दिनांक 26 नवंबर, 2018 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 में यथाविहित 'बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधियां जुटाने के लिए फ्रेमवर्क के संदर्भ में कंपनी एक "लार्ज कारपोरेट" है। वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋणों के विवरण के बारे में उक्त परिपत्र के तहत आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार है:

विवरण	विवरण
(i) कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
(ii) सीआईएन	L40101DL1969GOI005095
(iii) 31 मार्च 2021 के अनुसार कंपनी का बकाया उधार (₹ करोड़ में)	258,117.38
(iv) पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए एएए, क्रिसिल एएए, केयर एएए, आईआरआरपीएल एएए
(v) सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ	हाँ
(vi) स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माना का भुगतान करना होगा, के तहत आवश्यक उधार में कमी के मामले	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
(vii) वित्तीय वर्ष के लिए दर्ज की गई रिपोर्ट	2020-21
(viii) उधारियों का विवरण	
विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(क) वित्तीय वर्ष में लिए गए वृद्धिशील ऋण	74,517.66
(ख) ऋण प्रतिभूतियों को जारी कर के अनिवार्य ऋण लेना (ए का 25%)	18,629.41
(ग) वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण	53,413.50
(घ) ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई है (ख-ग)	-
(ङ) ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई है, के कारण	लागू नहीं

*उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित ऋणों में 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सभी बकाया ऋण शामिल हैं, लेकिन सेबी के परिपत्र के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।

20 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लामांश	5.79	4.75
(ख) वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज	0.01	-
(ग) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज		
—परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	49.77	39.13
—बॉण्डों पर ब्याज	18.95	17.97
उप-जोड़ (ग)	68.72	57.10
(घ) सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)	89,640.91	85,006.38
जोड़ें: ऐसी निधियों/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	2.63	7.75
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(88,575.58)	(83,395.51)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	1,067.96	1,618.62
(च) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	24,314.43	21,792.32
(छ) निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	9.00	0.38
(ज) अन्य देयताएं	477.20	89.53
जोड़ (क से ज तक)	25,943.11	23,562.70

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 0.62 करोड़ (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.47 करोड़) हैं जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई हैं।

20.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रति देय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ. शा. 32024/17/97- पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ. एम.सं. 32024/23/2001- पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.71 करोड़ (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.69 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.69	0.63
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.06
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.71	0.69

20.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "असंवितरित" सब्सिडी/के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

20.4 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	7.75	17.23
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	26.38	30.64
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	31.50	40.12
अंतिम शेष	2.63	7.75

20.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹ के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 2,500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,782.30) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 11)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
जीओआई- I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध-वार्षिक	21/3/2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई- II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध-वार्षिक	24/3/2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई- III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध-वार्षिक	27/3/2028	753.00	753.00
जीओआई- IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध-वार्षिक	28/9/2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई- V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध-वार्षिक	15/11/2028	3,600.00	3,600.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
जीओआई- VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध-वार्षिक	22/1/2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई- VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध-वार्षिक	8/3/2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई- VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध-वार्षिक	25/3/2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई- IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध-वार्षिक	2/3/2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई- X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध-वार्षिक	26/3/2030	532.30	532.30
जीओआई- XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध-वार्षिक	31/3/2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई- XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्ध-वार्षिक	7/1/2031	1,000.00	-
जीओआई- XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्ध-वार्षिक	28/1/2031	1,000.00	-
जीओआई- XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्ध-वार्षिक	26/3/2031	500.00	-
कुल				24,109.30	21,609.30

21 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	2,702.52	-
घटाएँ: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(2,691.90)	-
चालू कर देयताएं (निवल)	10.62	-

22 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
अर्जित अवकाश देयता	18.00	15.95
चिकित्सा अवकाश देयता	20.91	21.87
निपटान भत्ता	1.89	1.60
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.13	4.25
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.02	1.89
प्रोत्साहन	47.92	52.57
उप-जोड़ (क)	94.87	98.13
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	9.09	8.38
उप-जोड़ (ख)	9.09	8.38
जोड़ (क + ख)	103.96	106.51

22.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित ऋणहानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	8.38	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	0.75	8.38
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया/समायोजित किया गया	(0.04)	-
अंतिम शेष	9.09	8.38

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹2,608.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹951.29 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधापत्रों से संबंधित है।

23 अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	5.07	6.57
(ख) पूंजी खाते के प्रति देय देयता	28.53	-
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	68.64	46.15
(घ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	0.75	3.90
(ङ) सांविधिक देय	17.52	18.99
जोड़ (क से ङ)	120.51	75.61

24. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक: ₹10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
योग	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

24.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयरों	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

24.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016-17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

24.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलना-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

24.4 इक्विटी शेयर से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

24.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

(₹ करोड़ में)

शेयरधारकों के नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	167,255,577	8.47%	139,425,284	7.06%

24.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%

25 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	-	-
जोड़	5,584	558.40	-	-

25.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	-	-
जोड़े/(घटाये) वर्ष के दौरान	5,584	558.40	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,584	558.40	-	-

25.2 लिखत धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित करते हैं, तुलन पत्र की तिथि:

(₹ करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	-	-
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	-	-

25.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे: (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है। चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जारी किए गए बेमियादी ऋण लिखतों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	बांड्स की संख्या	आवंटन की तिथि	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
श्रृंखला 206	7.97%	5584	22-जनवरी-21	558.40	-

26. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	19,222.23	16,659.10
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,128.41	2,992.83
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	3,804.00	2,131.00
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(573.16)	(1,719.38)
(vi) सामान्य आरक्षित निधि	9,850.03	6,923.09
(vii) इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	-	793.29
(ख) बरकरार रखा गया अर्जन	4,325.09	3,409.74
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
-अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	24.07	106.26
-नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग/हिस्सा	(165.61)	(226.08)
-हेजिंग रिजर्व की लागत	41.45	(204.75)
जोड़ - अन्य इक्विटी	40,893.05	33,101.64

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

26.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है;

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बड़े खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 1,152.55 करोड़

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इम्पेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹ 793.29 करोड़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बड़े खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 378.41 करोड़

(ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 574(ई) के अनुसरण में डिबेंचर मोचन रिजर्व से ₹ 1,367.27 करोड़

26.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	16,659.10	15,136.78
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,563.13	1,522.32
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	19,222.23	16,659.10

26.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,992.83	3,034.72
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	288.13	336.52
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,152.55)	(378.41)
वर्ष के अंत में शेष	2,128.41	2,992.83

26.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियाँ

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,131.00	1,153.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	1,673.00	978.00
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,804.00	2,131.00

26.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,236.54	2,236.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	2,236.54	2,236.54

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्व लागू लेखांकन मानक 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के मोचन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(1,719.38)	(764.82)
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद लाभ/हानि(-)	437.65	(1,630.51)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	708.57	675.95
वर्ष के अंत में शेष	(573.16)	(1,719.38)

26.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,923.09	5,177.40
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	981.10	-
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्वसे हस्तांतरित	1,152.55	378.41
जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	1,367.28
जोड़ें: इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	793.29	-
वर्ष के अंत में शेष	9,850.03	6,923.09

26.8 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निवल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2020 तक इम्पेयरमेंट रिजर्व आरक्षित के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	793.29	-
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	793.29
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(793.29)	-
वर्ष के अंत में शेष	-	793.29

26.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	106.26	136.88
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	160.52	(116.81)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री / उन्मूलन पर लाभ / (हानि) का पुनः वर्गीकरण	(242.71)	86.19
वर्ष के अंत में शेष	24.07	106.26

26.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वादा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(226.08)	-
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	60.47	(226.08)
वर्ष के अंत में शेष	(165.61)	(226.08)

26.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(204.75)	-
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	246.20	(204.75)
वर्ष के अंत में शेष	41.45	(204.75)

26.12 वर्ष के दौरान डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	1,318.13
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	49.15
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(1,367.28)
वर्ष के अंत में शेष	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.13 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,409.74	4,899.39
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	8,361.78	4,886.16
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(10.67)	(2.15)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(981.10)	-
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(2,563.13)	(1,522.32)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(288.13)	(336.52)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(1,673.00)	(978.00)
घटाएं: डिबेंचर मोचन रिजर्व में हस्तांतरित	-	(49.15)
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	(793.29)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	242.71	(86.19)
घटाएं: मियादी ऋण लिखतों(करों का निवल) का निर्गम व्यय	(0.70)	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,172.41)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	(435.78)
वर्ष के अंत में शेष	4,325.09	3,409.74

26.14 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
अंतरिम लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
कुल लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41

27 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां
(क) ऋण परिसंपत्तियां पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	34,232.84	-	-	29,245.18	-
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.06)	-	-	(0.08)	-
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	34,232.78	-	-	29,245.10	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	69.98	-	-	177.23	-
उप-जोड़ (क)	-	34,302.76	-	-	29,422.33	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/आईसीडी पर ब्याज	-	-	-	-	0.21	-
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	7.16	-	-	1.89	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	लाम एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाम एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	15.98	195.30	-	0.76	169.75
(vi) अल्पावधि निवेशों पर ब्याज	-	3.90	-	-	-	-
उप-जोड़ (ख)	-	27.04	195.30	-	2.86	169.75
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) डिपॉजिट पर ब्याज	-	154.41	-	-	61.23	-
उप-जोड़ (ग)	-	154.41	-	-	61.23	-
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.70	-	-	4.45	-
(ii) अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	-	-	-	-	0.04	-
(iii) मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.56	-	-	2.39	-
(iv) सुरक्षा जमा की छूट को समाप्त करना	-	0.01	-	-	0.02	-
उप-जोड़ (घ)	-	4.27	-	-	6.90	-
जोड़ (क से घ)	-	34,488.48	195.30	-	29,493.32	169.75

28 लाभान्श आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
-अनुषंगी कंपनियों से लाभान्श	8.43	50.00
-अन्य निवेशों से लाभान्श	27.97	39.04
जोड़-लाभान्श आय	36.40	89.04

28.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभान्श का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
लागत पर संयुक्त उद्यम लेखा से लाभान्श		
-वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	-	2.10
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभान्श		
-वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	27.63	36.94
-वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.34	-
जोड़	27.97	39.04

29 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	26.57	6.68
पूर्व अदायगी प्रीमियम	35.14	12.75
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	33.67	19.52
जोड़- शुल्क एवं कमीशन आय	95.38	38.95

लेखा संबंधी टिप्पणियां

30. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	2.77	6.38
–आयकर वापसी से ब्याज	0.94	1.68
–विविध आय	18.84	55.86
अन्य आय	22.55	63.92

31. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
– भारत सरकार से ऋण	820.81	612.97
– बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,090.94	1,725.04
– बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	643.83	917.26
– पट्टा देयता	0.01	0.01
उप-जोड़ (i)	3,555.59	3,255.28
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
– घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	15,423.20	13,930.38
– विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,183.12	854.73
– वाणिज्यिक दस्तावेज	35.32	463.66
उप-जोड़ (ii)	16,641.64	15,248.77
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
– अधीनस्थ बॉण्ड	394.15	395.36
उप-जोड़ (iii)	394.15	395.36
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
– स्वैप प्रीमियम	894.62	108.83
– अग्रिम कर पर ब्याज	22.71	-
– कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	2.32	4.60
– उधारियों पर संशोधन लाभ/हानि	0.09	-
उप-जोड़ (iv)	919.74	113.43
जोड़-वित्तीय लागतें	21,511.12	19,012.84
घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(22.04)	(15.79)
जोड़ – वित्तीय लागतें (निवल)	21,489.08	18,997.05

32. निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	330.26	2,357.90
जोड़	330.26	2,357.90

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 708.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 675.95 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का मोचन शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मर्दें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विनिमय दरें	यूएसडी / आईएनआर	जेपीवाई / आईएनआर	यूरो / आईएनआर	एसजीडी / आईएनआर
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342

33. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	-	13.29
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.78	1.51
(iii) एजेंसी शुल्क	3.01	1.66
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.33	3.05
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	2.83	5.93
जोड़ (i से v)	9.95	25.44

34. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii) अन्य		
– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	545.92	(47.72)
– दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.43	6.40
– म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	23.98	15.47
उप-जोड़ (ii)	572.33	(25.85)
जोड़ (क)	572.33	(25.85)
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
– वसूली की गयी	1,077.91	(60.07)
– वसूली नहीं की गयी	(505.58)	34.22
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	572.33	(25.85)

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपाजित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अग्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते हैं।

35. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	एफबीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफबीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण*	-	2,363.33	-	884.91
(ii) – अन्य	-	56.29	-	4.65
जोड़ (i+ii)	-	2,419.62	-	889.56

*सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹0.71 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹8.38 करोड़) शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

36 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— वेतन और भत्ते	101.66	129.00
— भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	13.61	15.19
— सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ संबंधी व्यय	4.87	5.07
— कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	2.19	1.58
— कार्मिक कल्याण व्यय	22.51	24.95
जोड़	144.84	175.79

37 मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यहास	6.81	6.72
— मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.72	3.28
जोड़	9.53	10.00

38 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— प्रत्यक्ष व्यय	139.78	253.64
— ओवरहेड्स	4.54	4.76
जोड़	144.32	258.40

38.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है कि जिसके लिए आवश्यक है कि कोई भी चल रही अन्य परियोजना के अलावा कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जानी चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर ऐसी राशि का तीन वित्तीय वर्षों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर के लिए बजट के रूप में ₹ 144.32 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 147.78 करोड़ खर्च किए गए हैं। वर्ष के दौरान खर्च की गई ₹ 3.46 करोड़ की अतिरिक्त राशि को आगे स्थानांतरित किया जाएगा और अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों के लिए समायोजित किया जाएगा।

38.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 144.32 करोड़ है

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 144.32 करोड़ है

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	144.32
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	147.78
अंतिम शेष	(3.46)

*अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के प्रावधानों के बाद से अव्ययित निधियों के विशिष्ट उपचार की आवश्यकता वाले संशोधन नियम 2021 को चालू वर्ष से लागू किया गया है, तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	27.59	-	27.59	54.67	-	54.67
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	17.68	-	17.68	41.57	-	41.57
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	17.63	-	17.63	32.21	-	32.21
खेल-कूद	-	-	-	-	-	-
पीएम केयर फंड में योगदान	50.00	-	50.00	100.00	-	100.00
कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान और कोविड-19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	7.65	-	7.65	1.59	-	1.59
अन्य	22.69	-	22.69	23.60	-	23.60
प्रशिक्षण, प्रभाव, मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्च	4.54	-	4.54	4.76	-	4.76
जोड़ (ii)	147.78	-	147.78	258.40	-	258.40

“कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 150 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019-20 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों, गरीब लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 6.93 करोड़ और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली में कोविड-19 वैक्सीन को जमा करने के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए ₹ 0.72 करोड़ खर्च किए हैं। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

39 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— यात्राएवं वाहन सुविधा	8.00	13.69
— प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	4.90	5.73
— मरम्मत और अनुरक्षण	11.50	11.42
— किराया, कर एवं ऊर्जा लागतें	13.15	12.97
— बीमा प्रभार	0.10	0.13
— संप्रेषण लागत	2.23	3.24
— प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.86	2.70
— निदेशकों के बैठक शुल्क	0.10	0.19
— लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.43	1.52
— विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	9.86	11.81
— संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	4.03	1.69
— सरकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग व्यय	25.18	22.17
— विविध व्यय	25.37	44.44
जोड़	106.71	131.70

लेखा संबंधी टिप्पणियां

39.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
— लेखापरीक्षक के रूप में	0.66	0.44
— कराधान मामलों के लिए	0.25	0.11
— कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.26	0.35
— अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.40
(ii) प्रमाणन के लिए	0.04	0.04
— व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.04
उप-जोड़	1.31	1.38
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.12	0.14
जोड़— लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय	1.43	1.52

* पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।

40 कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— चालू कर व्यय	2,683.62	1,552.99
— पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/(लाभ)	223.28	62.88
— उप-जोड़ — चालू कर	2,906.90	1,615.87
—आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	(512.55)	481.26
जोड़	2,394.35	2,097.13

40.1 वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत शुरू की गई योजना के अनुसार कंपनी ने आकलन वर्ष 1997-98 से आकलन वर्ष 2017-18 अवधि से संबंधित पात्र आयकर विवादों के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चालू कर व्यय के रूप में ₹ 208.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और हिसाब किया गया है।

40.2 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का सामंजस्य निम्नलिखित है:
(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	10,756.13	6,983.29
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	2,707.10	1,757.55
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(645.09)	(383.14)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजनों	112.70	20.68
गैर-कटौती योग्य अन्य कर व्यय	5.52	1.59
गैर कर योग्य आय	(9.16)	(22.41)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	223.28	62.88
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	659.98
कर व्यय	2,394.35	2,097.13

लेखा संबंधी टिप्पणियां

41. अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
न्युमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,361.78	4,886.16
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,361.78	4,886.16
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	1,974,918,000	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	42.34	24.74
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	42.34	24.74

42. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

42.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) विवरण	0.24	0.22
(ख) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
कराधान मांग	10.49	113.69
— आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	0.30	38.30
— कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग		

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग/जीएसटी विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपीलीय प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

42.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
— पूंजीगत खाते में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
— संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	225.95	315.07
— अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	0.16	-
— अन्य प्रतिबद्धताएं		
— सीएसआर प्रतिबद्धताएं	259.26	288.14

43 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस / प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	140011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

44. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

44.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना” सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता सहित ₹16,320 करोड़ है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

44.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में ‘सभी के लिए 24x7 विद्युत’ हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय ₹ 43,033 करोड़ होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

44.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण सृष्टिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधार कर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकन को भुगतान तथा अन्य आकस्मिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को सक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

45. पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम रिटर्न देते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए “केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन” के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निवल ऋण	321,370.56	278,437.82
निवल कीमत	43,426.37	35,076.56
ऋण-इक्विटी अनुपात	7.40	7.94

निवल ऋण, उपलब्ध बकाया मूलधन कम नकद एवं नकदी के समतुल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों के लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है। डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, कंपनी विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

46. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर-1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) सीआरएआर	19.72%	16.06%
(ii) सीआरएआर-टियर I पूंजी	16.31%	13.17%
(iii) सीआरएआर-टियर II पूंजी	3.41%	2.89%

टियर-1 पूंजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.44% है (पिछले वर्ष शून्य)

वर्ष के दौरान जुटाई टियर-II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	1,999.50	-
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	558.40	-

47. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्य ढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा-निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयताएं	संवर्धनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवर्धनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./099/03.10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

47.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियाँ होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

47.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो एंटीटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकद समतुल्य	1,140.49	1,678.03
नकद और के अलावा बैंक शेष	1,929.06	2,021.96
ऋण*	358,891.11	299,697.53
निवेश**	1,237.84	1,568.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	24,399.21	22,081.59
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण*	2,888.05	2,431.27
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण*	18,256.93	21,255.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	88.04	30.85

*प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

**इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में किए गए इक्विटी लिखतों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश और अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें इन्ड एस27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर ले लाया जाता है।

नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों तथा बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वताक्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

47.1.2 ऋणों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियाँ (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान:

- नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकद एवं नकद समतुल्यों के अलावा) – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर है रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- निवेश के लिए यह मानते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए – ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है;

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकद और नकद समतुल्य	1,140.49	-	1,140.49	1,678.03	-	1,678.03
बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	1,929.06	-	1,929.06	2,021.96	-	2,021.96
निवेश	1,237.84	-	1,237.84	1,568.96	-	1,568.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	24,487.25	88.04	24,399.21	22,112.44	30.85	22,081.59

*हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई *अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।

47.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

- ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।
- संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियाँ करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास 'एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश' और 'व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति' मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, पारिशिक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए 'एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश' उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
- सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- (iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- (iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- (v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
- (vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।
- (vii) अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्वधीन होती है।
- (viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाईयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैं: आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) ऋण जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

- ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)
- नियोजित पूंजी पर आय (15% भार)
- ब्याज कवरेज (25% भार)
- गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

- तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ
- वास्तविक चूक तिथियाँ
- परियोजना की स्थिति

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है:

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण 'स्टेज 1' के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को 'स्टेज 2' में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "स्टेज 3" में ले जाया जाता है।
- स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफ टाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों, समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) स्टेज 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

स्टेज –3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) स्टेज–3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

- (क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।
- (ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(i) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान (मान्यताएं)

- कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ज) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

बाह्य/मैप्ड क्रेडिट रेटिंग	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	27,188.09	-	-	27,188.09	37,832.86	-	-	37,832.86
एए	95,722.23	-	-	95,722.23	82,131.73	-	-	82,131.73
ए	92,972.07	1,421.82	-	94,393.89	71,840.30	-	-	71,840.30
बीबीबी	29,817.62	-	-	29,817.62	28,629.56	-	-	28,629.56
बीबी	61,131.32	-	-	61,131.32	60,555.15	36.22	-	60,591.37
बी	17,049.99	69.68	-	17,119.67	9,876.29	23.37	-	9,899.66
सी	28,532.47	-	-	28,532.47	2,215.02	29.68	-	2,244.70
डी	1,874.55	1,396.55	18,256.93	21,528.03	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55
सरकारी ऋण	4,602.77	-	-	4,602.77	6,616.62	-	-	6,616.62
सकल अनावरण	358,891.11	2,888.05	18,256.93	380,036.09	299,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35
हानि भत्ते	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
निवल अनावरण	357,608.65	2,746.62	6,465.62	366,820.89	299,209.07	1,467.44	10,703.42	311,379.93

(झ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ञ) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर-1 और स्तर -2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा "स्टेप डाउन")।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बड़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बड़े खाते में डालना।

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

निम्नलिखित तालिकाएँ ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तदनुकूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती हैं।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78	(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(1,609.07)	(1.90)	1,609.07	1.90	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	-	-	(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92	-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	94,564.60	414.89	264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56
(मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम सवितरण सहित)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)
वित्तीय परिसंपत्तियों जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	-	-	(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)
राइट ऑफ	-	-	-	-	-	-	-	-
समाप्ति पर शेष	358,891.11	1,282.46	2,888.05	141.43	18,256.93	11,791.31	380,036.09	13,215.20

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	256,448.63	525.25	4,412.61	1,273.73	20,348.44	9,698.95	281,209.68	11,497.93
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	855.83
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	76,626.63	158.94
(मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम सवितरण सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)
वित्तीय परिसंपत्तियों जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	-	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)
राइट ऑफ	-	-	-	-	-	-	-	-
समाप्ति पर शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42

(₹) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	स्तर 1	स्तर 2	कुल	स्तर 1	स्तर 2	कुल
कुल एक्सपोजर	358,891.11	2,888.05	380,036.09	299,697.53	2,431.27	323,384.35
हानि भत्ता	1,282.46	141.43	13,215.20	488.46	963.83	12,004.42
ईसीएल%	0.36%	4.90%	3.48%	0.16%	39.64%	3.71%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ठ) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियों) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	156,901.95	12,035.54	147,021.68	11,122.97
नवीकरणीय ऊर्जा	17,388.24	117.88	9,163.65	161.31
ट्रांसको	61,309.37	502.51	49,658.96	503.89
डिस्कॉम्स	139,833.76	557.90	110,923.44	214.26
सरकारी ऋण	4,602.77	1.37	6,616.62	1.99
कुल	380,036.09	13,215.20	323,384.35	12,004.42
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	338,973.84	938.40	284,778.15	297.60
निजी	41,062.25	12,276.80	38,606.20	11,706.82
कुल	380,036.09	13,215.20	323,384.35	12,004.42

(ड) क्षेत्र-वार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.84%	6.59%

(ढ) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	4.84%	6.59%
(ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.71%	3.32%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.78%	3.45%
(iv) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	21,255.55	20,348.44
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	38.22	2,037.61
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(2,789.74)	(752.09)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(247.10)	(378.41)
(च) अंतिम शेष	18,256.93	21,255.55
(iv) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) प्रारंभिक शेष	10,703.42	10,649.49
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	34.59	691.40
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(4272.39)	(637.47)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-
(च) अंतिम शेष	6,465.62	10,703.42
(v) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) प्रारंभिक शेष	10,552.13	9,698.95
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,038.26	1,346.21
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(551.98)	(114.62)
(घ) वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(247.10)	(378.41)
(च) अंतिम शेष	11,791.31	10,552.13

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(प) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड-एस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2021 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 5.04% (पिछले वर्ष 6.60%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.99% (पिछले वर्ष 3.46%) रहा था।

(त) राइटऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपारिक्क पर पहले ही बंद हो तथा समपारिक्क का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(थ) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए “इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें” के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(द) परिशोधित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित / पुनर्निर्मित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एस) 109 – वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता रद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे/निपटाए गए खातों की संख्या	1	1
एकीकृत बकाया (₹ करोड़ में)	510.98	236.80
प्राप्त एकीकृत राशि (₹ करोड़ में)	329.13	124.13

(ध) कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(न) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्यू), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आरबीआई के कोविड-19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अधिदेय राशि
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97

वर्ष के दौरान, ऋणकर्ताओं में से एक मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड पुनर्गठित हुआ है और पुनर्गठित अनुसूची के अनुसार देय को पूरा कर रही है। 31 मार्च 2020 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के एड-अंतरिम आदेश के कारण इसे ऋण क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(य) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या डी. ओ. आर. नं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2020-21 के अनुसरण में आरबीआई कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियाँ, जहाँ अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	-	1460.22
(ii) संगत राशि जहाँ परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ बढ़ाया गया है	-	23.37
(iii) किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv) चूक के वर्ष के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

नोट— कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्य प्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के आईआरएसीपी शर्तों के तहत आवश्यक इस तरह के प्रावधानों पर नीचे दिए गए नोट (डब्ल्यू) में आईआरएसीपी शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की गणना के लिए विचार किया गया है।

(फ) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्तों के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	356,273.17	357,285.43	1,273.37	356,012.06	2,304.84	(1031.47)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	-4.19
उप जोड़ (1)		359,161.22	360,210.67	1,414.80	358,795.87	2,450.46	(1035.66)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		18,203.40	18,203.40	11,770.46	6,432.93	9,879.96	1890.50
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		18,256.93	18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		377,418.15	378,467.60	13,206.11	365,261.48	12,351.27	854.84
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र	स्तर 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़ (3)		2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
जोड़	स्तर 1	358,891.11	359,903.37	1,282.46	358,620.91	2,304.84	(1022.38)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
	स्तर 3	18,256.93	18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
		380,036.09	381,085.54	13,215.20	367,870.33	12,351.27	863.93

इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	298,737.86	300,392.16	480.08	299,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		301,169.13	302,823.99	1,443.91	301,380.08	2,481.55	(1037.64)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.31	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		19,200.72	19,200.72	10,066.00	9,134.72	10,095.18	(29.18)
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.42	10,316.16	235.97
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		322,424.68	324,079.54	11,996.04	312,083.50	12,797.71	(801.67)
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र*	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप-जोड़ (3)		959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
जोड़	स्तर 1	299,697.53	301,351.83	488.46	300,863.37	1,779.27	(1290.81)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
	स्तर 3	21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.42	10,316.16	235.97
	कुल	323,384.35	325,039.21	12,004.42	313,034.79	12,797.71	(793.29)

*इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित सवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ('एएलसीओ') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पकालिक निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरन्तर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में परिवर्तनीय हैं।

47.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी प्रवाह वित्तीय देनदारियों की वस्तुओं की ओर बहती है (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,870.73	204,119.67
— ब्याज	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,841.36	22,724.28	16,731.83	27,645.59	82,340.32
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90	10,000.00	58,925.15
— ब्याज	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69	2,293.36	2,653.21	12,227.90
अधीनस्थ देयताएं											
— मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
— ब्याज	-	-	-	201.50	162.21	-	192.96	1,107.77	704.25	1,375.22	3,743.91
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56	12,128.28	5,512.87	26,461.71
— ब्याज	-	-	-	220.52	64.14	194.94	485.15	1,841.77	670.06	395.99	3,872.57
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	-	551.29	551.29	45.31	12.51	6,797.99	8,043.62	4,575.17	5,776.64	26,353.82
— ब्याज	8.81	1.21	7.27	68.26	60.15	130.44	246.98	841.03	615.06	800.45	2,779.66
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वेप	-	-	-	-	-	-	29.88	343.06	30.71	-	403.65
मुद्रा स्वेप	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48	104.60	121.08
अन्य —											
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वेप	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67	258.66	278.33
सीगल ऑप्शन	-	-	24.92	18.33	-	-	-	-	-	-	43.25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2020 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
—मूल	-	-	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,204.76	191,463.25
—ब्याज	-	379.26	242.78	937.01	2,166.66	3,488.47	7,033.94	21,092.29	14,197.97	19,934.11	69,472.49
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	-	500.00	600.00	500.00	2,159.86	1,566.76	11,453.05	5,820.02	10,050.02	32,649.71
—ब्याज	244.00	15.01	83.73	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49	3,708.64	11,618.06
अधीनस्थ देयताएं											
— मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
—ब्याज	-	-	-	201.50	-	-	192.96	788.93	587.95	772.38	2,543.72
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	-	-	-	-	3,015.44	-	13,946.39	5,653.95	22,615.78
—ब्याज	-	-	-	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85	642.18	4,429.95
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	-	-	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60	587.58	28,735.91
—ब्याज	22.35	1.76	20.98	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15	17.93	1,326.52
व्युत्पन्न देयताएं											
ब्याज दर स्वेप	-	-	-	-	-	-	58.63	190.17	337.26	-	586.06
अन्य —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वेप	-	-	-	-	-	-	-	-	75.15	664.52	739.67

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देयदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परियोजना बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपकरण के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार											
- मूल	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,262.69	364,212.04
- ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	217,938.50
31 मार्च 2020 के अनुसार											
- मूल	29.56	13.4	547.04	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	163,572.36	310,428.64
- ब्याज	11.86	2.28	598.86	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	189,908.03

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

47.2.2 आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता चैटन

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार											
ऋण परिसंपत्तियां	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	9,451.43	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,808.04	365,261.49
निवेश	-	-	-	-	-	-	37.28	100.64	136.13	1,635.73	1,909.77
रूपी उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां		367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,244.43	46,217.54	44,490.29	75,777.90	211,267.66
अन्य उधारियां		350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	59,281.41
अधीनस्थ देयताएं		-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	6,946.89
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां		-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	26,060.40
अन्य उधारियां	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	26,225.95
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां											
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)											

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2020 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	29.56	13.40	547.04	306.00	3,638.03	8,565.24	15,889.84	63,791.10	55,014.93	64,288.36	312,083.50
निवेश			-	-	-	-	1,500.62	22.93	-	789.66	2,313.21
रूपी उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	426.00	694.17	712.47	7,589.45	14,788.18	21,133.50	57,816.85	36,641.24	58,110.80	197,912.66
अन्य उधारियां	-	-	502.00	600.00	826.81	2,159.86	1,566.76	11,453.05	5,820.02	10,050.02	32,978.52
अधीनस्थ देयताएं			-	168.47	-	-	2.11	-	2,499.33	2,149.74	4,819.65
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	106.20	66.41	63.61	2,994.65	-	13,849.28	4,984.41	22,064.56
अन्य उधारियां	13.00	1.21	17.17	572.29	611.79	4,032.85	8,471.94	6,567.71	7,689.56	587.57	28,565.09
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
- स्थाई दर	-	-
- अस्थायी दर	5,547.28	8,775.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
- स्थाई दर	-	-
- अस्थायी दर	-	497.82

47.2.3 वित्तपोषण व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास आहरित उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ('एएलसीओ') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेंद्रण (उधारियाँ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	20	14
राशि (₹ करोड़ में)	182,250.87	125,850.36
कुल देयताओं का %	51.08%	40.41%

(ii) शीर्ष 10 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	10,839.90	3.36%	7,299.92	2.61%
2. भारत सरकार-नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.10%	10,000.00	3.57%
3. 54 ईसी श्रृंखला XII (2018-19)	6,651.77	2.06%	6,651.77	2.37%
4. 54 ईसी श्रृंखला - XIII (2019-20)	6,157.72	1.91%	5,759.14	2.06%
5. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	5,800.00	1.80%	-	-
6. विदेशी मुद्रा बॉण्ड - यूएस \$ 700 मिलियन बॉण्ड	5,145.33	1.60%	5,277.01	1.88%
7. संस्थागत बॉण्ड - 182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.57%	5,063.00	1.81%
8. संस्थागत बॉण्ड - 203वीं ए श्रृंखला	5,000.00	1.55%	-	-
9. विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस \$ 650 मिलियन बॉण्ड	4,777.81	1.48%	4,900.08	1.75%
10. एचडीएफसी से आवधिक ऋण	4,650.00	1.44%	-	-
11. संस्थागत बॉण्ड - 114वीं श्रृंखला	-	-	4,300.00	1.54%
12. 54ईसी श्रृंखला - XI (2017-18)	-	-	9,565.23	3.41%
13. संस्थागत बॉण्ड - 105वीं श्रृंखला	-	-	3,922.20	1.40%
कुल	64,085.53	19.87%	62,738.35	22.40%

(iii) महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के आधार पर वित्त संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %
1 ऋण प्रतिभूतियां				
संस्थागत बॉण्ड	173,338.60	48.58%	152,132.20	48.85%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	7.42%	22,615.78	7.26%
54ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जंपशन बॉण्ड	18,121.59	5.08%	22,376.33	7.19%
टैक्स फ्री बॉण्ड	12,648.41	3.54%	12,648.41	4.06%
उप- जोड़ (1)	230,570.31	64.62%	209,772.72	67.36%

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %
2 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)				
बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	8.39%	18,899.78	6.07%
विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	5.89%	21,762.71	6.99%
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	10,186.52	2.85%	-	-
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.80%	10,000.00	3.21%
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	1.63%	-	-
एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	1.49%	6,973.20	2.24%
उप- जोड़ (2)	82,278.92	23.06%	57,635.69	18.51%
3 अधीनस्थ देयताएँ	6,650.70	1.86%	4,651.20	1.49%
जोड़ (1+2+3)	319,499.93	89.54%	272,059.61	87.36%

(iv) स्टॉक अनुपदात:

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देनदारी का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देनदारी का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएँ	20,511.10	6.36%	5.75%	5.12%	10,551.34	3.77%	3.39%	3.05%

* महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष/एकल लिखत/उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:
उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

- कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।
- उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी परिसमापन परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंच जाना चाहिए।

कंपनी 1 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक मासिक टिप्पणियों पर @50% की दर से एलसीआर बनाए रख रही है और उसके बाद प्रति दिन के आधार पर (तथापि आरबीआई ने केवल 01 अप्रैल, 2021 से प्रति दिन के आधार पर एलसीआर निर्धारित किया है)।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वेप बैलेंस के रूप में भारतीय रुपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और ऑटो स्वेप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2021 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मदें	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	82%
— नकद और नकद समतुल्य	23%
— जी-सेक और एसडीएल	59%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	18%
— कॉरपोरेट बॉन्ड	18%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
कुल	100%

परिसमापन कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त तिमाही		31.03.2020 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	2,151.50	2,120.54	2,249.00	2,221.13
— एए/एएए कॉर्पोरेट बांड	206.39	175.43	185.81	157.94
— जी-सेक बांड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	483.29	483.29	345.69	345.69
— बैंक ऑटोस्वैप	1,461.82	1,461.82	1,717.50	1,717.50
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	11,720.66	13,478.76	10,418.50	11,981.28
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	2,193.98	2,523.08	1,970.25	2,265.78
कुल नकद बहिर्प्रवाह	13,914.64	16,001.84	12,388.75	14,247.06
नकदी अंतर्प्रवाह				
प्रतिभूति उधार	-	-	-	-
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	7,480.10	5,610.08	6,789.11	5,091.83
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	11,807.52	8,855.64	6,290.00	4,717.50
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	19,287.63	11,760.86	13,079.11	9,809.33
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए		2,120.54		2,221.13
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह		4,240.98		4,437.73
परिसमापन कवरेज अनुपात		50.00%		50.05%

*औसतन, 31.01.2021, 28.02.2021 को टिप्पणियों और मार्च, 2021 के दौरान दैनिक अवलोकनों पर विचार किया गया है।

47.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, अग्रवर्ती संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन-देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन-देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य (₹ करोड़ में))

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से तिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर
अमेरिकी डॉलर \$	6,893.85	3,500.00	3,393.85	6,591.96	4,070.00	2,521.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	50,673.04	25,726.65	24,946.39	49,694.10	30,682.06	19,012.04
जापानी येन ¥	21,600.36	20,845.99	754.37	11,755.14	10,623.67	1,131.47
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,433.40	1,383.34	50.06	818.75	739.94	78.81
यूरो €	36.85	11.40	25.45	55.15	29.70	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	317.30	98.12	219.18	458.04	246.69	211.35
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.80	380.80	-
कुल	52,815.53	27,599.90	25,215.63	51,351.69	32,049.49	19,302.20

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन-हेज्ड एक्सपोजर पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (लाभ/(हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	933.39	(933.39)	711.35	(711.35)
जापानी येन/भारतीय रुपया	1.87	(1.87)	2.95	(2.95)
यूरो/भारतीय रुपया	8.20	(8.20)	7.91	(7.91)

*अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
- अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।
- विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम और हेजिंग लिखतों की काल्पनिक राशि हेज की गई वस्तुओं के समान है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

हेज लेखांकन का प्रभाव
(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

31 मार्च 2021 के अनुसार		राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के		(₹ करोड़ में)	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
			धारित राशि	देयताएँ					
हेज एवं जोखिम के प्रकार									
(i)	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
	—सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 2,595	1,458.96	43.25	अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32	(611.68)	611.68
(ii)		जेपीवाई 20,846.12	198.23	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(131.87)	131.87
	कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-	मार्च 2024	1:1	71.94	(93.51)	93.51
	क्रॉस मुद्रा स्वेप	यूएसडी 1,350	-	244.37	दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
(iii)		जेपीवाई 10,327.12	-	4.06	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
		एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
(iv)	केवल मूल स्वेप्स	यूएसडी 375	-	121.08	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(174.62)	174.62
	ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 260	-	69.74	मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

31 मार्च 2020 के अनुसार	राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियाँ	देयताएँ					
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएँ								
—सिंगल स्ट्रक्चर	यूएसडी 1,410	1,494.84	-	मई 2020 - मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
	जेपीवाई 10,327.10	167.37	-	अगस्त 2023	1:1	0.62	10.30	(10.30)
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
(ii) क्रॉस मुद्रा स्वेप	यूएसडी 1,000	-	297.86	दिसंबर 2020 - मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
	जेपीवाई 10,327.10	-	5.28	अगस्त 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
	एसजीडी 72.08	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
(iii) ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 1,260	5.24	134.45	जुलाई 2020 - जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) लाम एवं हानि पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
31-03-2021 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				
—मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(1,065.12)	-	580.30	विदेशी विनियम टांसलेशन पर लाभ/हानि
			179.56	वित्तीय लागत
31-03-2020 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				
—मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	55.30	0.13	(629.26)	विदेशी विनियम टांसलेशन पर लाभ/हानि
			0.03	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	(226.08)	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आंतरिक मूल्यों में परिवर्तन	(625.61)	687.21
जोड़े : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(52.32)	(174.20)
जोड़े : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(1.12)	(185.90)
घटाएँ : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	759.86	(629.23)
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(20.34)	76.04
अंतिम शेष	(165.61)	(226.08)
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	(204.75)	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(386.06)	(382.41)
घटाएँ : समय मूल्य का परिशोधन	715.06	108.80
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(82.80)	68.86
अंतिम शेष	41.45	(204.75)

47.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएएबॉण्ड/जी-सेक पैदावार/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं पर सीमित नहीं है। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, अग्रेषित ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अन-हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर
भारतीय रुपए उधारियाँ	35,738.58	-	35,738.58	19,899.78	-	19,899.78
अमेरिकी डॉलर \$	2,768.85	1,630.00	1,138.85	3,241.96	2,830.00	411.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	20,352.38	11,981.27	8,371.11	24,439.81	21,334.21	3,105.60
जापानीयेन ¥	20,846.14	10,327.14	10,519.00	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,383.35	685.31	698.04	719.28	719.28	-
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.83	380.83	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	57,866.10	13,058.37	44,807.73	45,439.70	22,434.32	23,005.38

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध-स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 18310 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय-समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धी की दरों, मंजूरीयों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री-पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री-पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
रूपी ऋण	363,580.03	312,065.92

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (प्राप्ति (हानि)/पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(167.65)	167.65	(86.08)	86.08
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,360.37	(1360.37)	1,167.63	(1167.63)

*अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपर्युक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

47.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग-अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर दर) और 6 माह एसओआर (स्वैप ऑफर दर) शामिल हैं। ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
1 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	1,690.61	230.00
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	5,512.85	750.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	13,148.92	1,788.85
6 मिलियन जेपीवाई एलआईबीओआर	1,383.35	188.20
6 मिलियन एसओआर	391.79	53.30
कुल	22,127.52	3,010.35

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 को घोषित किए गए अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगी और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगी। चूंकि एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर दर) भी अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर से निर्धारित की जाती है, अतः यह भी 30 जून, 2023 से गैर-प्रतिनिधिकारक हो जाएगी।

(i) ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे ही प्रभावित एक्सपोजर

ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल राशि 13,468.66 करोड़ रुपये है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से जुड़े व्युत्पन्न होने वाले एक्सपोजर की नाममात्र राशि और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित 4,752.33 करोड़ रुपये हैं।

(ii) वैकल्पिक निर्धारण दरों में जाने की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर निर्धारण सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम-मुक्त दरों से बदल दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर का प्रतिस्थापन होगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज दर) जेपीवाई एलआईबीओआर की जगह लेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त सांविधिक निकाय है जो वैश्विक व्युत्पन्न सौदों को नियंत्रित करता है, सभी पुराने अनुबंधों को नए निर्धारणों में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (सामान्यतः फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) के साथ आया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत विभिन्न एलआईबीओआर निर्धारण के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से सभी प्रतिपक्षकारों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न ट्रेडों पर लागू हो जाएगा।

(iii) ब्याज दर निर्धारण सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण अनुमान

इंड एस 109 में ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवादों का प्रावधान है। जबकि उल्लिखित ऋण के लिए निर्धारण अभी तक उधारदाताओं से सहमत नहीं हुए हैं, यह माना जाता है कि उल्लिखित ऋण की वैकल्पिक निर्धारण दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस तरह के परिणाम के रूप में व्युत्पन्न अनुबंध और हेज प्रभावशीलता में इस सुधार के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं आता है।

47.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	21.51	(21.51)	25.68	(25.68)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	1.18	(1.18)	0.63	(0.63)

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

48. व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

48.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	25,035.68	29,056.52
(ii) हानियाँ, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	339.60	141.71
(iii) स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv) स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य	(64.05)	(444.35)

आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

48.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में प्रवेश नहीं किया है।

48.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
हेजिंग के लिए	27,599.89	32,049.49	25,035.68	29,056.52	4,547.00	4,347.00
(ii) मार्केट टू मार्केट स्थितियाँ						
a) परिसंपत्ति (+)	1,971.62	3,177.14	339.60	141.71	-	-
b) देयता (-)	164.33	-	403.65	586.06	278.33	739.67
(iii) क्रेडिट एक्सपोजर	4,854.40	5,559.58	574.96	346.42	632.05	602.05
(iv) अनहेज्ड एक्सपोजर	25,215.63	19,302.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रेड शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।

49. कंपनी पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

भारत, वर्तमान में भारत में मामलों की संख्या में काफी वृद्धि से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक हैं और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में केंद्रित हैं। वैश्विक लहरें बताती हैं कि विनिर्माण क्रियाकलाप पर प्रभाव कम विनाशकारी है क्योंकि टीकाकरण का कार्य गति पकड़ रहा है।

कंपनी के पास परिसमापन बफर

मजबूत ऋण प्रोफाइल और उधार के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण कंपनी ने अपनी परिसमापन की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण सीमा के रूप में पर्याप्त परिसमापन बफर लागू किए हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड-19 राहत पैकेज

भारत सरकार ने अपने कोविड-19 राहत पैकेज के भाग के रूप में, विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों के बकाया देयों को दूर करने के लिए आरईसी और पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से राज्य सरकार के गारंटीशुदा ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को परिसमापन निषेचन घोषित किया था। 15 मई 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने इस परिसमापन पैकेज के भाग के रूप में डिस्कॉमों को क्रमशः ₹ 67,083 करोड़ और ₹ 40,766 करोड़ पहले ही संस्वीकृत और संवितरित किए हैं।

कोविड-19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति का वर्गीकरण और आय की पहचान

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुसार और भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च,

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

2020 से 31 अगस्त, 2020 की स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति लागू की है। कंपनी ने कुल राशि को वापस/समायोजित करने का अनुमान लगाया है और इस प्रकार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ब्याज आय ₹129.25 करोड़ तक कम है।

कंपनी का मानना है कि वैश्विक टीकाकरण में तेजी और कोविड के मामलों में धीरे-धीरे कमी से, व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाकलाप पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं, जिससे विद्युत की मांग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। आरईसी की सुविधाजनक परिसमापन स्थिति और धनराशि के विविध स्रोतों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें चल रहे चिंता मूल्यांकन भी शामिल हैं। तथापि, प्रभाव भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर रहेगा, जो अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई सूचना और सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई अथवा उसके प्रभाव को कम करने अथवा उसके फैलने को रोकने के लिए कंपनी के क्रियाकलाप शामिल हैं।

50 एक्सपोजर संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के एक समूह के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेद्वारा लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.2184/03.10.001/2015-16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मदेनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को आरबीआई प्रूडेंशियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

50.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च 2021 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च 2020 को शून्य)।

50.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	671.93	738.13
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii) अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii) उद्यम पूंजीगत निधियों (पूंजीकृत और अपूंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर	-	-
पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	671.93	744.25

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

50.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

50.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	228,371.07	184,741.84
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	60.51%	57.30%
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	342,453.58	288,397.43
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	62.28%	59.46%
(iii) क्रेडिट-इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण		
उपरोक्त चार क्रेडिट – इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,489.02	8,618.52

51. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	8	1,758.79	1,766.92
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	8	552.43	1,551.93
पर मापित निवेश*			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10	430.13	513.55
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10	209.65	1,558.53
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकद और नकद समतुल्य	6	1,140.49	1,678.03
बैंक शेष (नकद और नकदी समतुल्य के अलावा)	7	1,929.06	2,021.96
ऋण परिसंपत्तियां	9	365,261.49	312,083.50
निवेश*	10	1,051.79	22.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,399.21	22,081.59
जोड़		396,733.04	343,278.94
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	8	482.51	437.59
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	8	363.80	888.14
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
ऋण प्रतिभूतियाँ	17	237,328.06	219,977.22
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	85,507.36	61,543.61
अधीनस्थ देयताएं	19	6,946.89	4,819.65
अन्य वित्तीय देयताएं	20	25,943.11	23,562.70
जोड़		356,571.73	311,228.91

*अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश भारतीय लेखांकन मानक (इंड एसएस) 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरणों' के अनुसार लागत पर मापा जाता है और इसलिए, इसे यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं [चरण-1 मापने] के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट [चरण-3 मापने] को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	430.13	-	-	430.13	507.43	6.12	-	513.55
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	23.60	-	-	23.60	12.50	-	-	12.50
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	-	-	-	-	1,500.62	1,500.62
डिबेंचर्स	-	-	143.06	143.06	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेफरेंस शेयर	-	-	42.99	42.99	-	-	45.41	45.41
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखितें	-	2,311.22	-	2,311.22	-	3,318.85	-	3,318.85
एफवीटीपीएल पर देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखितें	-	846.31	-	846.31	-	1,325.73	-	1,325.73

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

- (क) **उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश – चरण 1** – सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।
- (ख) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखितें – चरण 2** – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें अग्रेषित विनियम दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अंतर्निहित उतार-चढ़ाव शामिल हैं।
- (ग) **उद्यम पूंजी निधि में निवेश – चरण 3** – उद्यम पूंजी निधि में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। निधि परिसमापन में जा चुकी है और वसूली योग्य मूल्य अनिश्चित है।
- (घ) **गैर-उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश – चरण 3** – यूनिवर्सल कमाडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।
- (ङ) **गैर-उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश – चरण 3** – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीपीसीपीएस) में निवेश को चरण-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझौते के अनुसार छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।
- (च) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश – चरण 3** – एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

- (छ) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश — चरण 3 — आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

51.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय लिखतों का मिलान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेंस शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारंभिक शेष	1,500.62	45.41	-	-	-	1,546.03
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	149.56	-	-	149.56
समायोजन	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	6.15	-	6.15
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	0.00	(6.15)	-	(14.83)
अंतिक शेष	-	42.99	143.06	-	-	186.05
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	-	10.57	12.42	(6.15)	(16.00)	0.84

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेंस शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारंभिक शेष	1,556.87	-	-	-	-	1,556.87
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	32.42	-	-	-	32.42
समायोजन	(224.50)	-	-	-	-	(224.50)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	168.25	1.50	-	-	-	169.75
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49	-	-	-	11.49
अंतिम शेष	1,500.62	45.41	-	-	-	1,546.03
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	0.62	12.99	-	-	(16.00)	(2.39)

वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 10.4 का संदर्भ लें

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,140.49	1,140.49	1,678.03	1,678.03
बैंक शेष(नकद एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	1,929.06	1,929.06	2,021.96	2,021.96
ऋण	365,261.49	366,843.62	312,083.50	311,112.33
निवेश	1,051.79	1,057.27	22.93	22.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,399.21	24,401.09	22,081.59	22,077.36
कुल	393,782.04	395,371.53	337,888.01	336,912.61
वित्तीय देयताएं				
ऋण प्रतिभूतियां	237,328.06	235,612.09	219,977.22	212,002.45
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	85,507.36	85,562.85	61,543.61	61,984.35
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	7,610.21	4,819.65	5,028.88
अन्य वित्तीय देयताएं	25,943.11	25,943.11	23,562.70	23,562.70
कुल	355,725.42	354,728.26	309,903.18	302,578.38

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल है, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च 2021 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी-सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

पीएसयू बॉन्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉन्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी-सेक बांड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

52. ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी की देयता बकाया है, जो कि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। इसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित किए गए ऐसे पक्षकारों की स्थिति के आधार पर किया गया है।

53. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

53.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 09 नवंबर 2020 से
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून 2020 से 8 नवंबर 2020 तक) और निदेशक (तकनीकी)
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी के नामित निदेशक (गैर- कार्यपालक निदेशक)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 से
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) – 5 फरवरी 2021 को आरईसीटीपीसीएल का आरईसीपीडीसीएल में विलय
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(4) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई 2020 को निगमित)
फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (6 जून 2020 को निगमित)
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (8 जून 2020 को निगमित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (11 जून 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड (4 अगस्त 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड (20 अगस्त 2020 को निगमित)

रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (26 जून 2020 को निगमित की गई और 9 मार्च 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी।

(5) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएसएल ट्रांजिजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

इंटेलेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी, यूएई

(6) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(7) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(8) वे कंपनियां जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

एनएचपीसी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)
 एसजेवीएन लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)
 खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

(9) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:

(क) मुख्य धारक कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों	निदेशक (परियोजना) 31 मई 2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वित्त) (30 जून तक)
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त) (1 जुलाई 2020 से)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) और अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 से
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक 2 नवंबर 2020 तक
श्री राम चन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) धारक कंपनी की मुख्य अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)
 पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) – कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया और एमसीए के तहत भंग कर दिया गया
 सूचना संख्या-आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके-7/10148 दिनांक 30.06.2020)

(ग) मुख्य धारक कंपनी की सहायक कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
 बिहार मेगा पावर लिमिटेड
 चेयूर इंफ्रा लिमिटेड
 छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
 कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (समापन के लिए अनुमोदन के अधीन)
 कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
 कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
 देवघर इंफ्रा लिमिटेड
 देवघर मेगा पावर लिमिटेड
 घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
 झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
 ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड
 ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
 सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
 तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
 अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-13 मई 2020 को निगमित)
 भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-17 मई 2020 को निगमित)
 बिजवाड़-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-बंद करने के अनुमोदन के अधीन)
 बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-12 मई 2020 को निगमित, 25 मार्च 2021 को बेचा गया)
 करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से-20 नवंबर, 2019 को निगमित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- खेत्री-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-15 मई 2020 को निगमित)
कोपल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से-18 नवंबर 2019 को निगमित)
शोंगटोंग-करछम-बांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
सीकर- II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से-17 मई 2020 को निगमित)
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से- हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
वापी-II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से-23 जून 2020 को स्टेरलाइट ग्रिड लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

(घ) मुख्य धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

- पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास
पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007
पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(ङ) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

- पीटीसी इंडिया लिमिटेड
भूटान में पुनात्संगछु-I, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
भूटान में पुनात्संगछु-II, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण

53.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,000.49	-
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	57.44	10.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.16	2.73
अन्य वित्तीय देयताएं	5.57	3.77
आरईसी टीपीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां-धारक कंपनी	-	47.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	1.26
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां	19.90	19.90
अन्य वित्तीय देयताएं-भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय देयताएं-अन्य	9.00	0.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	4.21
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.10
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.28	0.33
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.54	0.92

लेखा संबंधी टिप्पणियां
53.3 वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों के संबंध में बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण एवं अग्रिम		निवेश	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
आरईसीटीपीसीएल	1.63	2.47	0.05	0.05
आरईसीपीडीसीएल	4.16	2.92	0.10	0.05

53.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	1,143.44
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.10	0.02
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,000.00	-
वित्तीय लागत	0.49	-
आरईसी पीडीसीएल		
संवितरित की गई सरकारी फंड	-	0.02
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	8.96	7.37
लाभांश आय	8.43	-
वित्त लागत-प्रदत्त ब्याज	0.85	0.84
अन्य व्यय	7.98	9.68
आरईसी टीपीसीएल		
कंपनी के बॉण्ड्स का सब्सक्रिप्शन	-	12.00
संवितरित की गई सरकारी फंड	-	9.50
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	4.42	4.91
लाभांश आय	-	50.00
वित्त लागत - प्रदत्त ब्याज	3.71	4.76
अन्य व्यय	-	0.61
ईईएसएल		
इक्विटी में निवेश	-	71.60
लाभांश आय	-	2.10
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	1.50	31.78
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	5.70
होलिडिंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	1.40
वित्त लागत-प्रदत्त ब्याज	0.74	1.70
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वित्तीय लागत-प्रदत्त ब्याज	0.38	0.33
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	-	0.01
वित्त लागत	0.01	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.21	2.45
निदेशकों का बैठक शुल्क	-	0.17
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	-	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	90.00	152.49

चालू वर्ष के दौरान, आरईसीटीपीसीएल के साथ संबंधित पक्षकार लेनदेन को प्रभावी तिथि यानी 5 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत किया गया है (नोट 10.2 देखें)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बड़ी निकटता से अर्थात् आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्ड धारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय बाजार की प्रचलित दर पर उठाया गया था। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

53.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभांश	3.01	2.25
(ii) नियोजन पश्चात लाभांश	0.20	0.20
कुल	3.21	2.45

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

53.7 वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) से मांग पर प्रतिदेय ₹3,000 करोड़ की राशि का अल्प अवधि ऋण जुटाया है। ऋण 4% प्रति वर्ष की दर से लिया गया है, जो कंपनी द्वारा उठाई गई मांग पर अन्य अल्पावधि उधार/ऋण प्रतिदेय के साथ तुलनीय है। तब से वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि के संबंध में ऋण पूरी तरह से चुकाया गया है।

53.8 उसी सरकार (सरकार से संबंधित कंपनियों) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन-देन:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम
नबीनगर पावर जेनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित संस्थाओं से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,837.27	1,437.18
ब्याज आय को मान्यता	2,178.00	2,139.65

सरकार से संबंधित संस्थाओं से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	22,649.28	21,612.09
ब्याज उपचित	7.73	248.04

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11.18.2(i), 20 और 31 देखें।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹12.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.41 करोड़) हैं। राइट-ऑफ-यूज़ एसेट्स सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹12.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.46 करोड़) है।

नीचे दी गई पट्टा देयताओं की धारित राशि (उधारी के तहत शामिल) और वर्ष के दौरान संचलन के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	0.07	0.11
वर्ष के दौरान अर्जित वित्त लागत	0.01	0.01
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.03)	(0.05)
अंतिम शेष	0.05	0.07

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉन्टेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1 वर्ष तक	0.02	0.03
1-5 वर्ष तक	0.04	0.05
5 वर्ष से अधिक	-	-

55. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

55.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न की निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में भी कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा और इसलिए, आगे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹13.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.1 करोड़) का व्यय माना है।

55.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है। उपदान की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	32.44	36.82
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.25	35.47
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं	2.19	1.35

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	36.82	42.41	35.47	44.15	1.35	(1.74)
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.93	2.27	-	-	1.93	2.27
ब्याज लागत/आय	2.28	2.95	2.38	3.40	-0.10	(0.45)
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	4.21	5.22	2.38	3.40	1.83	1.82
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमाकिक हानि (लाभ)	(0.49)	1.82	-	-	(0.49)	1.82
- अनुभव समायोजना के कारण बीमाकिक हानि (लाभ)	0.58	(0.89)	-	-	0.58	(0.89)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.33)	(0.41)	0.33	0.41
ओसीआई में मान्य कुल राशि	0.09	0.93	(0.33)	(0.41)	0.42	1.34
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	1.42	0.06	(1.42)	(0.06)
भुगतान किए गए हितलाभ	(8.68)	(11.74)	(8.69)	(11.73)	0.01	(0.01)
अंतिम शेष	32.44	36.82	30.25	35.47	2.19	1.35

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	151.69	136.42
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	144.06	140.64
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं	7.63	(4.22)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	136.42	129.77	140.64	97.99	(4.22)	31.78
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.90	2.80	-	-	2.90	2.80
ब्याज लागत/आय	8.94	9.73	9.45	7.55	(0.51)	2.18

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	11.84	12.53	9.45	7.55	2.39	4.98
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.20)	18.85	-	-	(5.20)	18.85
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	19.94	(15.32)	-	-	19.94	(15.32)
– ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	1.64	3.32	(1.64)	(3.32)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	14.74	3.53	1.64	3.32	13.10	0.21
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	0.08	31.78	(0.08)	(31.78)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.31)	(9.41)	(7.75)	-	(3.56)	(9.41)
अंतिम शेष	151.69	136.42	144.06	140.64	7.63	(4.22)

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषण रहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.13	4.25

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	4.25	3.69
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.16
ब्याज लागत/आय	0.25	0.26
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	0.45	0.42
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (लाभ)		
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.02	0.34
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.73	0.99
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	0.75	1.33
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.32)	(1.19)
वर्ष समाप्ति पर शेष	4.13	4.25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्यूच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

55.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	0.01	0.93	1.90	3.40
गैर-उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड / डिबेंचर	-	-	142.16	137.24
अन्य-बीमाकर्ता प्रबंधित फंड एवं टी-बिल	30.24	34.54	-	-
उप-जोड़-गैर-उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	30.24	34.54	142.16	137.24
जोड़	30.25	35.47	144.06	140.64

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹13.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.86 करोड़) है।

55.2.3 महत्वपूर्ण बीमाकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमाकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च 2021 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमाकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	16.03	15.41	16.03	15.41	16.03	15.41

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

55.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शायी गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
— उपदान	(0.90)	0.97	(0.77)	0.94
— पीआरएमएस	(11.14)	11.66	(10.02)	10.48
— ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
— उपदान	0.14	(0.13)	0.14	(0.11)
— पीआरएमएस	-	-	-	-
— ईआरएस	0.15	(0.14)	0.16	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
— पीआरएमएस	10.83	(10.44)	9.74	(9.39)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
— पीआरएमएस	15.56	(14.92)	13.99	(13.42)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएँ सह-संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविधिधकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

55.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
एक वर्ष से कम	7.87	11.95	12.20	9.89	1.19	1.26
1 से 5 साल तक	20.81	15.95	72.60	47.71	3.00	2.83
5 साल से ऊपर	31.10	32.68	285.02	231.09	3.19	5.35
कुल	59.78	60.58	369.82	288.69	7.38	9.44

55.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	3.98	3.29	10.91	-	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.54 वर्ष है (31.03.2020 को - 12.57 वर्ष)।

55.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

55.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹4.21 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹7.75 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में डाली गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹0.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.93 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डाला गया है।

55.4 इसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट के आधार पर कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी लाभों (अर्थात् ग्रेच्युटी, पीआरएमएफ, सीमांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) का आवंटन कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।

56. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटीटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटीटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
 - जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।
 - जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।
 - एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।
- 57.** कंपनी के प्रचालनों में केवल एक व्यापारिक खण्ड आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना: भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक खण्ड के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

57.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	34,364.47	29,441.76
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	33.67	19.52
(ग) खजाना संचालन से आय	178.39	76.91
कुल	34,576.53	29,538.19

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 57.2** इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि कंपनी के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।
- 57.3** किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान कंपनी के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।
- 58. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकद एवं नकद समतुल्य	1,140.49	-	1,678.03	-
(ख) उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	1,928.81	0.25	2,021.96	-
(ग) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	258.94	2,052.28	1,180.60	2,138.25
(घ) ऋण	36,576.91	328,684.58	28,989.11	283,094.39
(ङ) निवेश	37.28	1,872.50	1,500.62	812.59
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	259.59	24,139.62	447.02	21,634.57
कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	40,202.01	356,749.23	35,817.34	307,679.80
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	160.07	-	392.66
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,437.71	-	2,034.32
(ग) निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	260.12	-	153.00
(ङ) चल रहे पूंजीगत कार्य	-	335.67	-	287.62
(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	0.77
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	6.10	-	8.80
(ज) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	72.66	8.84	62.89	50.38
कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	72.66	3,209.29	62.89	2,927.56
कुल परिसंपत्तियां (1+2)	40,274.67	359,958.52	35,880.23	310,607.36
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	73.13	773.18	58.63	1,267.10
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	45,057.34	192,270.72	48,574.64	171,402.58
(ग) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	27,509.52	57,997.84	19,375.68	42,167.93
(घ) अधीनस्थ देयताएं	299.49	6,647.40	170.58	4,649.07
(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	1,833.81	24,109.30	1,953.40	21,609.30
कुल - वित्तीय देयताएं (1)	74,773.29	281,798.44	70,132.93	241,095.98
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	10.62	-	-	-
(ख) प्रावधान	62.64	41.32	67.81	38.70
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	88.41	32.10	70.74	4.87
कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	161.67	73.42	138.55	43.57
कुल देयताएं (1+2)	74,934.96	281,871.86	70,271.48	241,139.55

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है।

59. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।
60. मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 8, 9, 10, 19.1, 26.1, 43, 46, 47.1.3 (ओ), 47.1.3 (एस), 47.1.3 (टी), 47.2.2, 47.3, 48, 50, 53, 59, 61, 62. में किए गए हैं।
61. 31 मार्च 2021 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।
हालांकि, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से अपने पत्र दिनांक 20 अगस्त 2020, 8 सितंबर 2020, 17 नवंबर 2020 और 15 फरवरी 2021 और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से अपने मेल के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त 2020 और 8 सितंबर 2020 को कुल रु. 49,44,200 (जीएसटी सहित) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमों की निगमित प्रशासन आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन 2015 के लिए बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है।
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है कंपनी के निदेशक मंडल या, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।
62. 31 मार्च 2021 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
63. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।
लेखा संबंधी 1 से 63 तक टिप्पणियां स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

**31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)**

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- क्रमागत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्यौरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम				
जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर/बॉण्ड्स :				
– प्रतिभूत	35,581.38	-	40,004.39	-
– अप्रतिभूत	209,521.27	-	182,845.62	-
(ख) आवधिक ऋण				
– वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
– एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12		10,326.81	
– बैंको से अप्रतिभूत ऋण	29,953.76		18,900.72	
– वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	5,800.00		1,000.00	
(ग) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	-
(घ) अन्य ऋण				
– विदेशी मुद्रा उधारियां	21,060.17	-	21,813.83	-
– एफसीएनआर (ख) ऋण	5,335.01	-	6,985.80	-
	10,201.99		2,750.92	
– अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,000.49		-	
– फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	0.05		0.07	

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
परिसंपत्ति पक्ष:				
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्यौरा				
(क) प्रतिभूत		247,657.93		235,470.39
(ख) अप्रतिभूत		116,554.11		74,958.25
(3) निवेश :				
चालू निवेश :				
उद्धृत:				
(i) शेयर: इक्विटी		23.60		12.50
अनुद्धृत:				
(i) शेयर: प्रेफरेंस		69.08		68.34
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		292.16		-
दीर्घावधि निवेश				
उद्धृत :				
(i) शेयर: इक्विटी		430.13		507.43
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		227.52		1,500.62
अनुद्धृत:				
(i) शेयर: इक्विटी		218.20		218.20
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां		649.08		-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें		-		6.12

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31-03-2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	247,657.93	116,554.11
जोड़	247,657.93	116,554.11
31-03-2020 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	235,470.39	74,958.25
जोड़	235,470.39	74,958.25

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
(ख) समान समूह की कंपनियां	218.10	218.10	218.10	218.10
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,691.57	1,691.57	2,095.01	2,095.01
जोड़	1,909.77	1,909.77	2,313.21	2,313.21

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	18,256.93	21,255.55
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	6,465.62	10,703.42
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	349.28	54.60

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

- हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने ऊपर बताए हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।
- हम कंपनी पर महामारी कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं.49 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू कंपनी के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्यनिरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात् कुल परिसंपत्ति का 91.26% के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा विषय समझा गया है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने अन्य पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ऋण क्षति के मूल्यांकन और रिकवरी/निष्पादन पहलुओं के लिए उनकी मॉनीटरिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन। मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है। ऋण शेष राशियों की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्य नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है। ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। हम, अन्य पक्ष द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती है। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऐसे अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सीमित है। इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अन्य पक्ष की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को संशोधित करता है। हमने इस तरह के संशोधन के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के संदर्भ में क्षति आरक्षित के रूप में रखी गई राशि का सत्यापन।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
2.	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन (लेखांकन नीति सं. 3.9 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 9 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर-भारतीय रुपए नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। व्युत्पन्न को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रुमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। हेज अकाउंटिंग ने अपने लेखांकन/मान्यताओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए अनेक मापदंडों के साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के चिह्न को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है। जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन-देनों का उद्देश्य अध्ययन है और देखा गया है कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन व्युत्पन्न लेन-देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी से निपटान के लिए शेष/लंबित विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों को ब्योरा प्राप्त करना। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। प्रयुक्त मूल्यांकन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता की मूल्यांकन रिपोर्टों पर भरोसा करना तथा व्युत्पन्न लिखतों के लिए नमूना आधार पर उनकी जांच करना। हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की है जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3.	कोविड-19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं (स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 49 के संदर्भ में) कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 वायरस भारत सहित विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों की आर्थिक गतिविधि और अस्थिरता में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष और हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देश भर में कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे। चूंकि अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत/वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों की पहुंच बाधित हो गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा को संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ आयोजित किया जाना था। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है। लॉकडाउन और महामारी के गंभीर फैलाव के परिदृश्य में, जहाँ तक भौतिक पहुंच प्रतिबंधित थी कंपनी ने दूर रहकर लेखापरीक्षा पूरा करने की सुविधा प्रदान की। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम/ईमेल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के जरिए आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई, जिन पर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के संबंध में हमारे द्वारा भरोसा किया गया था। हमने निम्नानुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है: क. हमें ईमेल के जरिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। ख. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल/कांफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के अन्य संचार साधनों के माध्यम से संवाद एवं विचार-विमर्श के द्वारा पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना। ग. नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने का संपर्क करने के बजाय ईमेलों के जरिए/टेलिफोन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करना। घ. महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति, अन्य व्यावसायिकों अर्थात् क्षति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अन्य पक्ष एजेंसी, स्वतंत्र मूल्यांककों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि के कार्य/रिपोर्ट इत्यादि को प्रभावित कर सकती है और इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। ङ. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जिन जानकारी/स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, वें सब हमें कंपनी द्वारा मौखिक अभिकथन के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। च. यहां बताए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, कंपनी के अभिलेख, जो गोपनीय हैं, भेजे गए हैं और यद्यपि, इस तरह के डेटा को एन्क्रिप्ट करके हमें बहुत सावधानी से बताया गया है, तथापि इस तरह के डेटा को अलग-अलग तरीकों से नुकसान की संभावना है। हमने कंपनी को इस संबंध में सूचित कर दिया है

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की से भिन्न सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हों, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, **महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं, जैसा कि ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के पैरा 3 में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन उल्लिखित है।**

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

- कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, और हमारे द्वारा उचित समझे गई कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमने अनुबंध-क में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, यथा संभव लागू, एक विवरण प्रस्तुत किया है।
- कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमने अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों पर अनुबंध-ख के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।
- अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:
 - हमने उन समस्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।
 - हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।
 - इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।
 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।
 - कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कृपया हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुबंध-ग" में देखें।
 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।
 - कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 42.1 के संदर्भ में;
 - कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;
 - कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।

कृते एस. के. भित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीआईएफ फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 072290
यूडीआईएन: 21072290एएएडीडी8391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बागला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीआईएफ फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएसीक्यू8265

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

- (i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक व्योरो तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का रखरखाव किया है।
- (ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।
- (ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
बिल्डिंग	1	4.59	2.07	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

- (ii) बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।
- (iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में, तथा अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने धारा 185 के अनुसार किसी भी प्रकार का ऋण या गारंटी प्रदान नहीं किया है।
इसके अलावा, हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के कारण, ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा अन्य लागू नियमों से छूट प्राप्त है तथा कंपनी ने निवेशों के संबंध में, अधिनियम की धारा 186 (1) उपबंधों का अनुपालन किया है।
- (v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।
- (vi) हमारी जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (vii) (क) हमारे द्वारा की गई जाँच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय में कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियाँ, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिस पर हमारी सूचना आधारित है, कुल मिलाकर ₹0.06 करोड़ कि देय आय कर राशि विवादित/विरोध स्वरूप जमा नहीं की गई है, और मामला उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है: का व्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त / वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.30	0.30	—	2008—09	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	3.61	3.61	—	2012—13	आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.23	0.23	—	2012—13	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	6.44	6.44	—	2018—19	निर्धारण अधिकारी, सीपीसी
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.06	—	0.06	—	सीपीसी, टीडीएस
जोड़		10.64	10.58	0.06		

- (viii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू कर रही है, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
- (ix) कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं जुटायी थी। वर्ष के दौरान ऋण लिखतों एवं आवधिक ऋण के जरिए कंपनी द्वारा एकत्र धनराशि उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई जिसके लिए एकत्र किया गया था।
- (x) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा की गई कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में कंपनी द्वारा किसी वास्तविक धोखाधड़ी का अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के संबंध में की गई कोई धोखाधड़ी का कोई उदाहरण वर्ष के दौरान नहीं आया है और न ही सूचित किया गया है तथा न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।
- (xi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन-देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षित है।
- (xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरो या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमानीय आर्बटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- (xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xvi) हमें सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के 45-IA की धारा के अंतर्गत कंपनी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी का जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम: एस. मूर्ति

पदनाम : साझीदार

सदस्य सं. 072290

यूडीआईएन: 21072290एएएडीडी8391

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजी.

000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल

पदनाम : साझीदार

सदस्य सं. 092656

यूडीआईएन: 21092656एएएसीक्यू8265

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ के संदर्भ में।

क्रम सं.	निर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	दिशानिर्देश		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन देन ईआरपी आर 12 संस्करण द्वारा किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निर्धारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (अगर, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो क्या यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है। इसके अलावा, कंपनी ने सही तरीके से उन मामलों को लेखाबद्ध किया है जहां कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण का पुनर्गठन किया गया हो।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं। तथापि, कंपनी को विभिन्न एजेंसियों की निर्दिष्ट योजनाओं के अनुसार इसके संवितरण के लिए सरकार से निधि प्राप्त होती है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम: एस. मूर्ति

पदनाम : साझीदार

सदस्य सं. 072290

यूडीआईएन: 21072290एएएडीडी8391

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजी.

000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल

पदनाम : साझीदार

सदस्य सं. 092656

यूडीआईएन: 21092656एएएसीक्यू8265

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2021 के अनुसार आरईसी लिमिटेड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

- (क) वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:
- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
 - (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
 - (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनको कंपनी के 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 072290
यूडीआईएन: 21072290एएएडीडी8391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएसीक्यू8265

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,

आरईसी लिमिटेड

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इसमें इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित), की लेखापरीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिनांक 29 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीपीडी. 03/66.15.001/2016-17 के तहत जारी "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016" द्वारा यथा अपेक्षित तथा उक्त निदेश के अध्याय-11 के अनुच्छेद 3(क) और 3(ग) में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए यथासंभव लागू प्रावधानों और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईए के तहत दिनांक 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.000011 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व के प्रमाणपत्र की एवज में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को नया प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें आरईसी को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी का नाम रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को पंजीकरण सं. 14.000011 के तहत नया प्रमाणपत्र जारी किया है।
2. कंपनी, 31 मार्च, 2021 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय प्रतिरूप के संदर्भ में ऐसे पंजीकरण को नियमित रूप से धारित करने की पात्र है।
3. कंपनी, दिनांक 1 सितंबर, 2016 के मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा निर्धारित एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को लागू अपने स्वामित्व की निवल निधियों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
4. कंपनी के निदेशक मंडल ने, दिनांक 25 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, वर्ष 2020-21 के लिए किसी सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार न करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया है।
5. कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
6. वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तदनुसार, अपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के प्रावधानीकरण के समक्ष क्षतिक्षति भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन कर रही है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कोई प्रणाली को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2016 के निदेश के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आय मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं कर सकी। फिर भी कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के तहत इस संबंध में कंपनी के आईआरएसीपी मानदंड और ईसीएल कार्यप्रणाली के बीच प्रावधान में अंतर के पालन के निर्देशों का पालन कर रही है।

7. क) हमारी राय में, फार्म एनबीएस-7 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर सही प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्ति/जोखिम ऋण और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस-7 रिटर्न) के वार्षिक विवरण को कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 15 अप्रैल, 2021 को जमा कर दिया गया है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम: गौरव मित्तल

पदनाम : भागीदार

सदस्य सं. 099387

यूडीआईएन: 21099387एएएईबी6395

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बागला एंड कं. एलएलपी.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजी.

000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल

पदनाम : भागीदार

सदस्य सं. 092656

यूडीआईएन: 21092656एएएसीयू3572

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 28 मई, 2021 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(डी. के. सेकर)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (एनर्जी), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2021

31 मार्च 2021 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिसंपत्तियां				
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	1,179.24	1,717.71
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	2,223.58	2,257.45
(ग)	ट्रेड प्राप्य	8	140.07	109.07
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	2,311.22	3,318.85
(च)	ऋण	10	365,261.49	312,083.50
(छ)	निवेश	11	1,723.68	2,127.11
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,419.88	22,101.32
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		397,259.16	343,715.01
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	168.92	409.94
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	2,461.03	2,050.57
(ग)	निवेश संपत्ति	15	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	16	260.70	156.97
(च)	पूँजीगत चालू कार्य	16	335.67	287.62
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	16	0.77	0.77
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	16	6.15	8.82
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	17	102.67	132.37
(i)	इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखाकृत निवेश	11	257.74	258.47
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		3,593.66	3,305.54
(3)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	18	14.05	9.53
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		400,866.87	347,030.08
देयताएं और इक्विटी				
देयताएं				
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	846.31	1,325.73
(ख)	ट्रेड प्राप्य			
(i)	एमएसएमई का कुल बकाया देय	19	0.01	0.15
(ii)	एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	19	61.50	46.00
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	237,269.11	219,918.25
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	85,507.36	61,550.66
(च)	अधीनस्थ देयताएं	22	6,946.89	4,819.65
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	26,222.35	23,782.21
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		356,853.53	311,442.65
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	24	14.40	-
(ख)	प्रावधान	25	104.68	107.09
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	26	130.25	83.23
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)		249.33	190.32
(3)	बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं	18	0.08	0.68
(4)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	27	1,974.92	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	28	558.40	-
(ग)	अन्य इक्विटी	29	41,230.61	33,421.51
	कुल - इक्विटी (4)		43,763.93	35,396.43
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		400,866.87	347,030.08
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

1 से 70

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं
कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	30	34,693.35	29,671.78
(ii)	लाभांश आय	31	27.97	36.94
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	32	95.38	38.95
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	38	572.33	(25.85)
(v)	सेवाओं की बिक्री	33	163.65	182.11
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)		35,552.68	29,903.93
II.	अन्य आय	34	22.72	77.27
III.	कुल आय (I+II)		35,575.40	29,981.20
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	35	21,489.05	18,991.30
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	36	330.26	2,357.90
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	37	9.95	25.44
(iv)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	39	2445.94	919.49
(v)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	40	88.51	71.61
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	41	163.62	193.15
(vii)	मूल्यहास एवं परिशोधन	42	10.86	11.77
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	43	146.27	259.29
(ix)	अन्य व्यय	44	109.38	130.41
IV.	कुल व्यय (i से ix)		24,793.84	22,960.36
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)		10,781.56	7,020.84
VI.	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा		(1.97)	9.14
VII.	कर पूर्व लाभ (III-IV+V)		10,779.59	7,029.98
VIII.	कर व्यय	45		
(i)	वर्तमान कर		2,920.97	1,645.06
(ii)	आस्थगित कर		(519.62)	412.65
	कुल कर व्यय (i+ii)		2,401.35	2,057.71
IX.	अवधि के लिए लाभ		8,378.24	4,972.27
X.	अन्य व्यापक आय/हानि			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(14.26)	(2.87)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		166.53	(129.20)
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(0.05)	(0.12)
(घ)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		3.59	0.72
	– एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		(6.01)	12.39
	उप-जोड़ (i)		149.80	(119.08)
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		80.81	(302.12)
(ख)	हेजिंग आरक्षण की लागत		329.00	(273.61)
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		1.29	(3.94)
(घ)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(20.34)	76.04
	– हेजिंग आरक्षण की लागत		(82.80)	68.86
	उप-जोड़ (ii)		307.96	(434.77)
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		457.76	(553.85)
XI.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII+X)		8,836.00	4,418.42
XII.	प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)	46		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		42.42	25.18
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		42.42	25.18
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ

1 से 70

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

 जे.एस. अमिताभ
 कार्यकारी निदेशक एवं
 कंपनी सचिव

 अजय चौधरी
 निदेशक (वित्त)
 डीआईएन-06629871

 संजय मल्होत्रा
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

 कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजी. सं. : 001135एन

 गौरव मित्तल
 भागीदार
 सदस्यता सं. : 099387

 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 28 मई 2021

 कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

 अतुल अग्रवाल
 भागीदार
 सदस्यता सं. : 092656

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	(₹ करोड़ में)
आरंभिक शेष	1,974.92		1,974.92
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-		-
अंतिम शेष	1,974.92		1,974.92

विवरण के नोट 27 देखें

ख निष्कल की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	(₹ करोड़ में)
आरंभिक शेष	-		-
वर्ष के दौरान निष्कल में परिवर्तन की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	558.40		558.40
अंतिम शेष	558.40		558.40

विवरण के नोट 28 देखें

ग अन्य इक्विटी

विवरण	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(iii) के तहत सूचित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(iii) के तहत अशेष्य संचिन्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूँजीगत रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक भद्र अनुबाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिभारित अर्जन	इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के कारण संचिन्ध उपार्गों की अन्य व्यापक आय / (हानि) का हिस्सा	एफबीआईआई - इक्विटी दस्तावेज	नकदी प्रवाह हेतु प्रभावी भाग	इंजिन हुए रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च, 2019 को शेष	15,136.78	3,034.72	1,153.00	1,318.13	2,236.54	-	(764.82)	5,230.54	-	5,088.19	1.46	136.88	-	-	32,571.42
अन्वेष के लिए खान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,972.27	-	-	-	-	4,972.27
परिभाषित हितवादी योजनाओं का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.15)	-	-	-	-	(2.15)
अन्य व्यापक आय (हानि) का निरवह के माध्यम से मायवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.12)	(3.94)	(116.81)	(226.08)	(204.75)	(561.70)
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,970.00	(3.94)	(116.81)	(226.08)	(204.75)	4,418.42
अन्य समाविष्टन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभारित अर्जन में / (से) अंतरण	1,522.32	336.52	978.00	49.15	-	-	-	-	793.29	(3,679.28)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(378.41)	-	(1,367.28)	-	-	-	1,745.69	-	(86.19)	-	-	-	-	-
एफबीआईआई इक्विटी दस्तावेज (हानि) का निरवह की विक्री / उपभूजन पर लाभ / (हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86.19)	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक भद्रों सहित विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	-	(1,630.51)	-	-	-	-	-	-	-	(1,630.51)
ईईएएए की हिसाबदारी में वृद्धि पर लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान ऋणपोषण	-	-	-	-	-	-	4.70	-	-	-	-	-	-	-	4.70
कुल - अन्य समाविष्टन	1,522.32	(41.89)	978.00	(1,318.13)	-	4.70	(954.56)	1,745.69	793.29	(3,765.47)	-	86.19	-	-	675.95
लगातार विवरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	-	(2,172.41)
कुल - वित्तियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(446.06)	-	-	-	-	(446.06)
31 मार्च, 2020 को शेष	16,659.10	2,992.83	2,131.00	-	2,236.54	4.70	(1,719.38)	6,976.23	793.29	3,674.25	(2.48)	106.26	(226.08)	(204.75)	33,421.51
अन्वेष के लिए खान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,378.24	-	-	-	-	8,378.24
परिभाषित हितवादी योजनाओं का पुनः जमान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.67)	-	-	-	-	(10.67)
अन्य व्यापक आय (हानि) का निरवह के माध्यम से मायवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)	1.29	160.52	60.47	246.20	468.43
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,367.52	1.29	160.52	60.47	246.20	8,336.00
प्रतिभारित अधिनियम/से अंतरण	2,563.13	288.13	1,673.00	-	-	-	-	-	-	(5,505.36)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / (से) अंतरण	-	(1,152.55)	-	-	-	-	-	1,945.83	(793.29)	-	-	-	-	-	-
एफबीआईआई इक्विटी दस्तावेज (हानि) का निरवह की विक्री / उपभूजन पर लाभ / (हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.71	-	(242.71)	-	-	(0.01)
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक भद्रों सहित विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान ऋणपोषण	-	-	-	-	-	-	-	437.65	-	-	-	-	-	-	437.65
वर्ष के दौरान ऋणपोषण	-	-	-	-	-	-	-	708.57	-	-	-	-	-	-	708.57
नियमित ऋण निरवह पर जारी व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.70)	-	-	-	-	(0.70)
कुल - अन्य समाविष्टन	2,563.13	(864.42)	1,673.00	-	-	-	1,146.22	2,926.93	(793.29)	(5,263.35)	-	(242.71)	-	-	1,145.51
लगातार विवरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	-	(2,172.41)
कुल - वित्तियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	19,222.23	2,128.41	3,804.00	-	2,236.54	4.70	(573.16)	9,903.16	41.45	4,606.01	(1.19)	24.07	(165.61)	41.45	41,230.61

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विवरण व्योमों के लिए नोट संख्या 298 देखें।
वित्तीय विवरण के साथ संलग्न विवरणियाँ

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कुल एवं निदेशक मंडल की ओर से

कुल एवं निदेशक मंडल की ओर से
समूह निदेशक
कर्म पंजी. सं. : 001135एन

अनुपम अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092856

जो एस. अग्रवाल
निदेशक (हानि)
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

संजय मल्लोत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व निवल लाभ	10,779.59	7,029.98
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	4.69	1.69
2. अवमूल्यन एवं परिशोधन	10.86	11.78
3. वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	2,445.94	919.48
4. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	32.61	53.02
5. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	152.19	62.31
6. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	(545.92)	47.72
7. एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(2.43)	(6.40)
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	35.32	463.66
9. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	81.78	105.29
10. विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि/(लाभ)	526.71	2,342.27
11. निवेशों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	-	(3.16)
12. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	22.71	-
13. इक्विटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि का शेयर	1.97	(9.14)
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	13,546.02	11,018.50
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह):		
1. ऋण परिसंपत्तियां	(56,522.42)	(41,664.59)
2. व्युत्पन्न	711.20	(407.70)
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(1,827.24)	(5,112.80)
4. प्रचालनात्मक देयताएं	3,264.58	5,485.70
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(40,827.86)	(30,680.89)
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(2,696.20)	(1,777.35)
2. आयकर वापसी	11.73	16.67
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(43,512.33)	(32,441.57)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.35	0.11
2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(73.30)	(97.51)
3. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.95)	(2.75)
4. पूंजीकृत वित्त लागतें	(22.04)	(15.79)
5. संयुक्त उपक्रम (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश	-	(71.60)
6. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की बिक्री	249.92	4.23
7. सहायक कंपनियों (निवल) के शेयर की/में बिक्री/(निवेश)	(0.40)	0.30
8. ऋण प्रतिभूतियों (निवल) में विमोचन/(निवेश)	1,357.65	50.31
9. सरकारी प्रतिभूतियों (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(647.78)	-
10. कारपोरेट और आवधिक जमाओं की/में परिपक्वता/(निवेश)	(2.93)	(18.31)
11. इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके कर के निवेशों की वसूली का लेखांकन	-	2.10
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	860.52	(148.91)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी.....)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रुपये ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम/(विमोचन)	15,499.66		21,293.39	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(2,925.00)		(5,270.30)	
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपये अवधि ऋण/डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना/(चुकोतियां)	26,270.47		7,904.65	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना/(चुकोतियां)	2,884.39		12,617.57	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना/(विमोचन)	1,999.50		-	
6. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम	558.40		-	
7. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम व्यय	(0.94)		-	
8. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)		(2,172.41)	
9. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	-		(446.06)	
10. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.73)		(0.64)	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		42,113.34		33,926.20
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		(538.47)		1,335.72
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		1,717.71		381.99
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		1,179.24		1,717.71

वर्ष के दौरान, समूह को ₹27.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36.94 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹150.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹259.29 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
— हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
— बैंको में शेष	247.82	1,195.40
—अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	931.30	522.25
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	1,179.24	1,717.71

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी.....)
 वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
31-03-2021 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	194,964.01	15,499.66	657.70	-	87.34	211,208.71
कमर्शियल पेपर	2,889.68	(2,925.00)	-	-	35.32	-
रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल	32,983.45	26,270.47	27.44	-	-	59,281.36
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	50,629.65	2,884.39	16.81	(1,392.24)	147.74	52,286.35
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	1,999.50	128.90	-	(1.16)	6,946.89
कुल	286,286.44	43,729.02	830.85	(1,392.24)	269.24	329,723.31
31-03-2020 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	172,899.12	21,293.39	729.78	-	41.72	194,964.01
कमर्शियल पेपर	7,696.32	(5,270.30)	-	-	463.66	2,889.68
रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल	24,884.25	7,904.65	194.55	-	-	32,983.45
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं बाण्ड	33,950.25	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	50,629.65
अधीनस्थ देयताएं	4,818.76	-	0.61	-	0.28	4,819.65
कुल	244,248.70	36,545.31	998.72	3,930.12	563.59	286,286.44

*उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी" या "धारक कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जाता है। कंपनी के देश भर में फैले राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में हैं तथा इसका एक प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2021 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी

अनुषंगी कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को लाइन बाई लाइन जोड़ कर समेकित करता है।

इक्विटी खाते में निवेशकर्ता

इक्विटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं। एक सहयोगी प्रतिष्ठान, जिसमें एक गैर-निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी प्रतिष्ठानों में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश/हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी प्रतिष्ठानों में हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की बाध्यताओं के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निबल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समेकन पर समाप्त हो गए लेनदेन

3.2 समूह के भीतर (इंट्रा-ग्रुप) बकाया राशियों और लेनदेनों और समूह के भीतर लेनदेनों से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इक्विटी अकाउंटेंड निवेशकर्ताओं के साथ लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां क्षतिपूर्ति का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है: (i) आरईसी की लागत और खर्च (ii) ब्याज कर, यदि सहित कोई है, विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर सहित, यदि कोई है, अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट क्षतिपूर्ति ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात् वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और शीर्ष ब्याज के तहत अलग से प्रकट किया जाता है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुसारी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअल फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचार जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एसएस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (i) ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;
- (iii) संविदा में अलग-अलग कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान करना;
- (iii) लेन-देन का मूल्य निर्धारित करना;
- (iv) कार्यनिष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना; तथा
- (v) कार्यनिष्पादन की बाध्यता के पूरे होने पर राजस्व को मान्यता देना।

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्य विचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निबल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है;

निर्धारित मूल्य संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एएस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि हालात बदलते हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं/डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभाषित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को “विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते” में संघित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनः अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया है 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यहास नहीं होता है।

भूमि में भूमि भी शामिल है जिसे उपयोग के अधिकार के रूप में पट्टे के तहत संपत्ति के रूप में माना जाता है जिसे पहले वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया है।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियां

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000/- रुपए तक @ 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया है, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.10 पट्टा लेखांकन:

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समूह संविदा की शुरुआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए" किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा की अवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिस्मेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन-देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में समूह के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.12 वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटीटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटीटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो समूह वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियों

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समूह एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

- हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत मान्यता दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में समूह हेज संबंधों को समूह के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियों

समूह निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि-स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाइफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदर्शी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, ईएडी और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलना-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलना-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.14 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां/निपटान समूह

गैर-चालू परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है: अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी गैर-चालू परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी गैर-चालू परिसंपत्तियां तुलना पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह इकाई में निवेश (अर्थात उस इकाई की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.15 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.16 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.17 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

3.18 पूर्व प्रदत्त व्यय

₹1,00,000/- रुपए तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.20 कर्मचारी हितलाम

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाम

अल्पकालिक कर्मचारी हितलामों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाम योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाम योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाम योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाम (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाम योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाम योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है;

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियों और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- **स्तर 1** — समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- **स्तर 2** — मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय है
- **स्तर 3** — मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.23 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

4. नए/संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। समूह ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है जो नीचे उल्लिखित कुछ संशोधनों को छोड़कर, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है:

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संबंध में इंड एस 107 और इंड एस 109 में संशोधन

इसका उद्देश्य ब्याज दर बेंचमार्क (आईबीओआर) सुधार के कारण अनिश्चितता के संभावित प्रभावों से राहत प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट हेज लेखांकन की आवश्यकताओं का संशोधन करना है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार और कंपनी पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता को मान्यता — वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता — वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कटौती के कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन — परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

एसपीवी में निवेश — पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी प्रतिष्ठानों के रूप में मानता है, जबकि उनकी पदवत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता — क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव — समूह ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की चिंताओं का पूर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समूह ने इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड-19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव कोविड-19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड 19 महामारी समूह के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा समूह द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि — प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाम दायित्व (डीबीओ) — डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाम व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन — वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर — आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') — परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— कैश इन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
— बैंको में शेष राशि		
— चालू खातों में	247.82	1,195.40
— 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा*	931.30	522.25
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	1,179.24	1,717.71

*4 नवंबर 2019 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार ₹262.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का रखरखाव शामिल हैं। (टिप्पणी 47.2.4 के संदर्भ में)

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— बैंको में चिन्हित शेष		
— अप्रदत्त लाभांश के लिए	5.79	4.75
— अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	1,323.55	1,817.72
— चिन्हित आवधिक जमा राशि		
— इसके अतिरिक्त संवितरण हेतु सरकारी निधि के लिए	-	32.98
— न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.56	0.53
— बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.25	-
— प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	856.62	400.19
— अन्य आवधिक जमा राशि	36.81	1.28
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	2,223.58	2,257.45
— 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ आवधिक जमा राशि	70.02	33.90
— 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ आवधिक जमा राशि	0.97	0.36

7.1 31 मार्च 2021 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) के संबंध में कोई रिपैट्रिब्यूशन प्रतिबंध नहीं है।

8 ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	124.45	86.27
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(19.12)	(13.66)
	105.33	72.61
(ख) ट्रेड प्राप्य जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	55.32	52.01
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(20.58)	(15.55)
	34.74	36.46
(ग) क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	46.80	33.60
घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(46.80)	(33.60)
	-	-
कुल ट्रेड प्राप्य (क+ख+ग)	140.07	109.07

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

9. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 51 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य— देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य— देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
स्फोट एवं अग्रिम	-	-	-	565.39	27.62	-
— मुद्रा स्वैप	2,854.54	43.07	121.08	3,094.32	432.94	-
— अन्य						
— कॉल स्प्रेड	4,263.27	271.36	-	6,068.56	504.12	-
सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	22,321.22	2,212.46	-
उप — जोड़ (i)	27,599.89	1,971.62	164.33	32,049.49	3,177.14	-
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
— अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
उप जोड़ (ii)	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	4,547.00	-	278.33	4,347.00	-	739.67
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	57,182.57	2,311.22	846.31	65,453.01	3,318.85	1,325.73

भाग II

भाग— I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य— देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य— देयताएं
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग						
— मुद्रा व्युत्पन्न						
— मुद्रा स्वैप	2,756.43	23.86	121.08	8,638.68	2.32	303.14
— अन्य						
— कॉल स्प्रेड	1,837.62	77.74	-	1,884.65	97.16	-
— सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	11,348.70	1,662.20	-
ब्याज दर व्युत्पन्न						
— अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	13,055.84	-	318.18	9,498.62	5.24	134.45
उप — जोड़ (i)	38,131.97	1,758.79	482.51	31,370.65	1,766.92	437.59
(ii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	19,050.60	552.43	363.80	34,082.36	1,551.93	888.14
कुल — व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii)	57,182.57	2,311.22	846.31	65,453.01	3,318.85	1,325.73

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर-नामित व्युत्पन्न के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. ऋण

कंपनी ने भारतीय-लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	ऋण				
(i)	आवधिक ऋण	377,041.98	378,090.36	321,526.76	323,177.53
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	376.17	377.24	897.92	902.01
	कुल (क)– सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
	कुल (क)– निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ख)	प्रतिभूति ब्यौरा				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	256,744.52	257,329.46	244,034.67	245,113.22
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	101,071.53	101,456.48	58,166.76	58,684.29
(iv)	अप्रतिभूत	19,602.10	19,681.67	20,223.25	20,282.03
	कुल (ख)– सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
	कुल (ख) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ग) (I)	भारत में ऋण				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	338,810.31	339,877.44	284,644.05	286,210.40
(ii)	निजी क्षेत्र	38,607.84	38,590.16	37,780.63	37,869.14
	कुल (ग) (I) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
	कुल (ग) (I)– निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ग)(II)	भारत से बाहर ऋण	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) – निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50

10.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
निवल ऋण	365,261.49	312,083.50
घटाएं : भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(504.10)	(1,351.75)
घटाएं : भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(635.00)	(382.63)
जोड़ें : भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	13,206.11	11,996.04
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय-लेखांकन मानक समायोजन	89.65	79.52
सकल ऋण	377,418.15	322,424.68

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	11,996.04	11,497.93
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 39 के संदर्भ में)	2,362.62	876.52
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ में प्रयुक्त भत्ते	(1,152.55)	(378.41)
अंतिम शेष	13,206.11	11,996.04

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹1,152.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹378.41 करोड़) की राशि के ऋणों को बड़े खाते में डाला है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

- (क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून 2020 को किए गए पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹979.56 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹65.25 करोड़ की राशि को बड़े खाते में डाल दिया है (₹830.00 करोड़ का आवधिक ऋण और ₹149.56 करोड़ का विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर)।
- (ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में कंपनी ने ₹329.12 करोड़ की वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹181.86 करोड़ की राशि को बड़े — खाते में डाल दिया है (₹102.27 करोड़ की नकद राशि, ₹199.72 करोड़ का गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि)।
- (ग) आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर 2020 को निष्पादित पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹1,396.55 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹905.44 करोड़ की राशि को बड़े — खाते में डाल दिया है (₹1,396.55 करोड़ का आवधिक ऋण और विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य)।

पुनर्गठन/निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी 11 के सन्दर्भ में)।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

- (क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून विधि अधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इक्विटी शेयरों को निकाले जाने पर ₹112.67 करोड़ (₹124.12 करोड़ की वसूलियों का निबल) की ऋण राशि और ₹102 करोड़ (प्रत्येक ₹10 के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बड़े खाते में डाल दिया है।
- (ख) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹478.09 करोड़ की वसूलियों (₹405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹17.59 करोड़ के इक्विटी शेयर, ₹22.18 करोड़ के मोचन योग्य वरीयता शेयर और ₹32.42 करोड़ के विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹265.74 करोड़ की राशि को बड़े खाते में डाल दिया है।

पुनर्गठन/निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी 11 के सन्दर्भ में)

10.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		377,418.15		322,424.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	92%	348,293.80	88%	285,183.96
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	8%	29,124.35	12%	37,240.72
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	71%	20,597.00	67%	25,015.01
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण।	10%	2,848.13	21%	7,685.39
अप्रतिभूति ऋण	19%	5,679.22	12%	4,540.32

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11 निवेश

(क) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
31 मार्च, 2021 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	649.08	-	649.08
ऋण प्रतिभूतियां	408.73	-	143.06	-	551.79	-	551.79
इक्विटी दस्तावेज	-	430.13	23.60	-	453.73	-	453.73
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	69.08	-	69.08
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल – सकल (क)	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
कुल – सकल (ख)	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
कुल निवेश	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल – निवल (घ=क-ग)	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
31 मार्च, 2020 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	32.10	-	1,500.62	-	1,532.72	-	1,532.72
इक्विटी दस्तावेज	-	507.43	12.50	-	519.93	-	519.93
वरीयता शेयर	22.93	-	45.41	-	68.34	-	68.34
अन्य	-	6.12	-	-	6.12	-	6.12
कुल – सकल (क)	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11
कुल – सकल (ख)	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11
कुल निवेश	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11
घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल – निवल (घ=क-ग)	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11

(ख) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाकृत निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
संयुक्त उद्यमों में निवेश		
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्येक ₹10 के 21,81,00,000 इक्विटी शेयर)	257.74	258.47
कुल	257.74	258.47

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
11.1 निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
सरकारी प्रतिभूतियां					
– 5.77% जीएसईसी 2030	परिशोधन लागत	5,000,000	49.95	-	-
– 7.17% जीएसईसी 2028	परिशोधन लागत	5,000,000	54.64	-	-
– 7.27% जीएसईसी 2026	परिशोधन लागत	5,000,000	55.98	-	-
– 5.22% जीएसईसी 2025	परिशोधन लागत	5,000,000	50.99	-	-
– 7.29% कर्नाटक एसडीएल 2039	परिशोधन लागत	10,000,000	100.97	-	-
– 7.24% कर्नाटक एसडीएल 2037	परिशोधन लागत	5,000,000	50.30	-	-
– 6.48% कर्नाटक एसडीएल 2031	परिशोधन लागत	4,000,000	41.26	-	-
– 6.95% तमिलनाडु एसडीएस 2031	परिशोधन लागत	2,500,000	25.02	-	-
– 6.85% राजस्थान एसडीएल 2031	परिशोधन लागत	3,000,000	29.95	-	-
– 6.60% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधन लागत	2,000,000	19.74	-	-
– 6.60% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधन लागत	5,000,000	51.28	-	-
– 8.35% केरल एसडीएल 2029	परिशोधन लागत	1,000,000	10.86	-	-
– 8.44% झारखंड एसडीएल 2029	परिशोधन लागत	3,000,000	32.53	-	-
– 8.57% राजस्थान एसडीएल 2028	परिशोधन लागत	1,000,000	11.02	-	-
– 8.60% गुजरात एसडीएल 2028	परिशोधन लागत	2,000,000	22.70	-	-
– 6.20% राजस्थान एसडीएल 2027	परिशोधन लागत	2,000,000	20.36	-	-
– 7.20% महाराष्ट्र एसडीएल 2027	परिशोधन लागत	2,000,000	21.53	-	-
उप-जोड़ – सरकारी प्रतिभूतियां			649.08		-
ऋण सरकारी प्रतिभूतियां					
– चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बांड	परिशोधन लागत	150	15.63	-	-
– भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बांड	परिशोधन लागत	100	10.52	-	-
– एनएमडीसी लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधन लागत	200	21.71	-	-
– पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधन लागत	200	22.65	-	-
– दामोदर घाटी निगम के 8.69% बांड	परिशोधन लागत	200	21.88	-	-
– महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बांड	परिशोधन लागत	850	88.18	-	-
– फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के 6.65% बांड	परिशोधन लागत	200	20.62	-	-
– टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बांड	परिशोधन लागत	250	26.33	-	-
– इंडियन बैंक के 11.15% बेमियादी बांड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
– बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बांड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.00
– सिंडिकेट बैंक के 11.25% बेमियादी बांड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
– हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूति मोचन योग्य अपरिवर्तनीय बांड	परिशोधन लागत	86,798	8.81	86,798	8.81
– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचआई) के 7.35% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	42,855	4.60	42,855	4.60
– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचआई) के 7.39% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	35,463	3.67	35,463	3.67

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)					
विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
— इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	61,308	6.22	61,308	6.22
— इंडियन रेलवे फाइनेंस निगम (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	22,338	2.31	22,338	2.31
— नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट (नाबार्ड) के 7.35% टैक्स फ्री बांड	परिशोधन लागत	14,028	1.41	14,028	1.40
— हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन (हुडको) के 8.76% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	50,000	5.09	50,000	5.09
— 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर — एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228,525,079	99.33	-	-
— 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर — एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	100,612,911	43.73	-	-
— वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर — एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,635,162	-	-	-
— फैंरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	परिशोधन लागत	25,291,783	149.10	-	-
— 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर. के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	213,803,170	-	-	-
— 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर. के.एम.पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,303,032	-	-	-
— 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर. के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला एआई	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10,474,150	-	-	-
उप-जोड़ — ऋण प्रतिभूतियां			551.79		1,532.72
इक्विटी दस्तावेज					
— एनएचपीसी लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	175,302,206	428.61	175,302,206	349.73
— इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	12,271,211	157.01
— हुडको लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	347,429	1.52	347,429	0.69
— यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,000,000	-	16,000,000	-
— रत्न इंडिया पावर लिमिटेड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	92,568,105	23.60	92,568,105	12.50
— आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	181,790,667	-	-	-
उप-जोड़ — इक्विटी दस्तावेज			453.73		519.93
वरीयता शेयर (पीएस)					
— रत्न इंडिया पावर लिमिटेड के विमोचनयोग्य पीएस	परिशोधन लागत	28,720,978	26.09	28,720,978	22.93
— रत्न इंडिया पावर लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	43,303,616	42.99	43,303,616	45.41
उप-जोड़ — वरीयता शेयर			69.08		68.34
अन्य					
— “स्मॉल इज ब्यूटीफुल” वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	6,152,200	-	6,152,200	6.12
उप-जोड़ — अन्य			-		6.12
कुल निवेश			1,723.68		2,127.11

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 55.1 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 11.2** वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ("अंतरक कंपनी") को आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ("अंतरिती कंपनी") में 1 अप्रैल, 2020 के रूप में नियत तारीख को समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल ने कंपनी को प्रत्येक 10 रुपये के 35,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों को आरईसीटीपीसीएल के प्रत्येक 10 रुपये के 50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के निमित्त आवंटित किया है।
- 11.3** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाहीध्वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) वर्तमान वर्ष के दौरान:

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला-ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला-बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला-सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेकर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फेरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लि. के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

(क) रतनइंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 2,87,20,978 मोचनयोग्य वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

- 11.4** कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिगनाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
	डिरिगनाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिगनीजशन के समय उचित मूल्य	डिरिगनीजशन पर संचयी लाभ/हानि	डिरिगनाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिगनीजशन के समय उचित मूल्य	डिरिगनीजशन पर संचयी लाभ/हानि
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,271,211.0	249.92	248.69	228,789.00	4.23	4
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	-	-	-	102,000,000.00	-	(102.00)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के ₹1,22,71,211 इक्विटी शेयरों को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹249.92 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को डिरिगनाइज्ड किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 के संदर्भ में)	39.94	34.61
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.41	0.30
(ग) अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	-	-
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.45	1.88
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
— भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 23.5 के संदर्भ में)	24,314.48	21,931.30

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(च) अन्य वसूली योग्य राशि	152.13	164.08
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(88.53)	(30.85)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	63.60	133.23
कुल (क से च)	24,419.88	22,101.32

12.1 कार्मिकों के ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं को अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
– मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	7.39	7.29
उप – जोड़ (क)	7.39	7.29
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
– मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.28	0.33
– अन्य को	32.27	26.99
उप – जोड़ (ख)	32.55	27.32
जोड़ (क+ख)	39.94	34.61

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.59 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	30.85	26.69
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	64.35	5.78
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया/समायोजित किया गया	(6.67)	(1.62)
अंतिम शेष	88.53	30.85

13 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	236.26	1,889.71
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	(72.35)	(1,613.59)
उप- जोड़ (1)	163.91	276.12
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.26	201.11
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(67.29)
उप- जोड़ (2)	5.01	133.82
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	168.92	409.94

14 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2,461.03	2,050.57

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

14.1 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,291.73	473.43	-	-	2,765.16
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.13	0.58	-	-	4.71
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)	-	-	5.26
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	0.72	-	-	0.72
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)	-	3.57
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)	-	27.81
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	0.04	(0.04)	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,751.06	165.32	(109.15)	-	2,807.23
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	1.52	0.09	-	-	1.61
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	448.95	(295.69)	-	-	153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)	-	-	191.33
अन्य	12.57	(12.57)	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं	700.49	(354.30)	-	-	346.20
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,050.57	519.62	(109.15)	-	2,461.03

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,977.79	(686.06)	-	-	2,291.73
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.19	(0.06)	-	-	4.13
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	(2.06)	-	-	5.51
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39	-	10.00
ओसीआई हेज रिजर्व	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90	-	439.65
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	-	0.04	-	-	0.04
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,976.73	(382.96)	157.29	-	2,751.06
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	2.82	(1.30)	-	-	1.52
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	267.26	181.69	-	-	448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)	-	-	237.45
अनुषंगी कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	56.35	(56.35)	-	-	-
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	7.48	(7.48)	-	-	-
अन्य	-	12.57	-	-	12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	670.80	29.69	-	-	700.49
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,305.93	(412.65)	157.29	-	2,050.57

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	अंतिम शेष
31.03.2021 के अनुसार	0.01	-	-	0.01
31.03.2020 के अनुसार	0.01	-	-	0.01

15.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.90	0.6 1

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।
- जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरों और वर्तमान कीमतों का उपयोग किया जाता है। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल-3 में शामिल हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

₹ करोड़ में

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर										पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	
	फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि के उपयोग का अधिकार	भवन	भवन के उपयोग का अधिकार	फर्नीचर और फिक्साचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल				
सकल धारित मूल्य														
31.03.2019 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	-	10.99	22.45	19.90	0.40	2.48	199.94	196.94	1.59	17.38	
परिवर्धन	-	-	-	2.65	1.84	2.84	3.30	-	-	10.63	74.89	-	3.57	
पूँजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.79	-	-	
निपटान	-	-	-	-	0.84	2.35	2.22	-	-	5.41	-	0.82	7.21	
31.03.2020 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	2.65	11.99	22.94	20.98	0.40	2.48	205.16	287.62	0.77	13.74	
परिवर्धन	-	-	98.66	0.24	9.65	4.80	5.12	-	-	118.47	131.70	-	0.07	
पूँजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.04	-	-	
निपटान/समायोजन	-	-	-	2.89	0.75	3.41	8.24	-	2.48	17.77	105.69	-	0.01	
31.03.2021 के अनुसार	110.39	1.59	130.40	-	20.89	24.33	17.86	0.40	-	305.86	335.67	0.77	13.80	
संचित अवमूल्यन / परिशोधन														
31.03.2019 के अनुसार	-	0.31	8.58	-	6.53	15.35	11.34	0.30	0.90	43.31	-	-	8.83	
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.77	0.73	3.25	2.78	0.02	0.44	8.48	-	-	3.30	
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.35	2.04	1.21	-	-	3.60	-	-	7.21	
31.03.2020 के अनुसार	-	0.32	9.06	0.77	6.91	16.56	12.91	0.32	1.34	48.19	-	-	4.92	
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	0.54	0.99	2.93	2.50	0.02	0.36	8.12	-	-	2.74	
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	1.31	0.22	2.72	5.20	-	1.70	11.15	-	-	0.01	
31.03.2021 के अनुसार	-	0.35	9.81	0.00	7.68	16.77	10.21	0.34	-	45.16	-	-	7.65	
31.03.2020 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.27	22.68	1.88	5.08	6.38	8.07	0.08	1.14	156.97	287.62	0.77	8.82	
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.24	120.59	-	13.21	7.56	7.65	0.06	-	260.70	335.67	0.77	6.15	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.1 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	-	4.59	68.31	4.59
निवल धारित मूल्य	-	2.07	68.31	2.14

16.2 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.45
निवल धारित मूल्य	2.31	2.41

16.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए 8% (पिछले वर्ष 8.04%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविड-19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

16.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, 5,000 रुपये अथवा उससे कम है)।

16.6 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, कंपनी ने कुछ आवासीय भवन की इकाइयों के साथ धारित मूल्य 0.10 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल है, को बेचने का निर्णय लिया है जिसके निपटान के लिए आगे की कार्रवाई 31 मार्च 2021 के बाद की गई है। तदनुसार, इंड-एस 105 के तहत परिसंपत्ति को "बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्ति" के रूप में अपेक्षित ऐसी कार्रवाइयों की शुरुआती तारीख के बाद वर्गीकृत किया जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रक्रिया के वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

17 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	8.84	50.38
(ख) अन्य अग्रिम	3.34	5.75
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	68.06	59.58
(घ) पूर्व-व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	4.03	-
(ङ) पूर्वप्रदत्त व्यय	4.29	0.22
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	14.09	13.21
(छ) आस्थगित व्यय	-	3.19
(ज) अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.04
कुल (क से ज)	102.67	132.37

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
18 निपटान समूह

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां		
(क) संबंध कंपनियों के लिए निवेश	0.60	0.20
(ख) संबंध कंपनियों के लिए ऋण	13.45	9.33
कुल (क+ख)	14.05	9.53
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ		
(ग) संबंध कंपनियों के लिए प्रतिदेय	0.08	0.68
कुल (ग)	0.08	0.68
निपटान समूह – निवल परिसंपत्तियां (क+ख-ग)	13.97	8.85

18.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी लिखतों में निवेश		
प्रत्येक ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर		
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड	0.05	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	0.05	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
कुल	0.60	0.20

18.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.53	2.49
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.47	2.18
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.21	2.43
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.27	2.23
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड	0.91	-
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड	1.09	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	1.07	-
रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.77	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
कुल	13.45	9.33

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
बिंदर कर्नाटक लाइन	-	0.10
गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन	-	0.10
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन	-	0.11
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन	-	0.06
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन	-	0.16
बींदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन	-	0.15
कुल	0.08	0.68

प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को “बिक्री के लिए रखी गई” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

19 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
व्यापार प्राप्य		
एमएसएमई का कुल बकाया देय	0.01	0.15
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	61.50	46.00
कुल	61.51	46.15

20 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	12,602.97	13,044.23	12,602.97	13,041.35
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41
उप – जोड़ (क)	34,194.56	35,480.11	38,449.30	39,902.00
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	169,856.60	175,707.24	148,650.20	153,672.91
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	-	-	1,364.85	1,363.91
(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
उप – जोड़ (ख)	196,329.38	201,789.00	172,647.29	177,126.57
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) कमर्शियल पेपर	-	-	2,925.00	2,889.68
उप – जोड़ (ग)	-	-	2,925.00	2,889.68
कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	230,523.94	237,269.11	214,021.59	219,918.25
भारत में/से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	204,062.23	211,208.71	191,405.81	197,853.69
(ii) भारत से बाहर में ऋण प्रतिभूतियां	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
जोड़ – ऋण प्रतिभूतियां	230,523.94	237,269.11	214,021.59	219,918.25

अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 22.2 देखें

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.5 का संदर्भ लें
(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-IIIबी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.91	1,955.00	2,063.95
123-I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.61	1,515.00	1,615.56
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XIV (2020–21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान विमोचनीय	4,455.48	4,550.70	-	-
श्रृंखला XIII (2019–20) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,415.55	5,759.14	5,907.48
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,935.40	6,651.77	6,934.10
श्रृंखला XI (2017–18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विमोचनीय	-	-	9,565.23	9,940.15
जोड़—54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2015–16 भाग 1	696.56	699.67	696.56	710.38
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य हैं और ₹417.73 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5ए	300.00	317.75	300.00	306.98
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।	-	-	-	-
श्रृंखला 2013–14 भाग 2	1,057.40	1,128.99	1,057.40	1,083.38
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹528.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य हैं और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	161.92	150.00	155.69
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 1	3,410.60	3,499.86	3,410.60	3,494.00
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹2,780.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,358.55	1,350.00	1,415.07
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	138.66	131.06	133.92
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	2,007.35	2,030.86	2,007.35	2,053.10
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹842.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	500.00	531.26	500.00	513.01
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011-12	3,000.00	3,176.71	3,000.00	3,175.82
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोचनीय हैं और ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोचनीय हैं।				
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	12,602.97	13,044.23	12,602.97	13,041.35

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	856.62	854.71	400.19	399.41
5% आबंटन की डीमड तिथि से 5 वर्ष के बाद विमोचनीय				
जोड़-बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
208वीं श्रृंखला-7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,627.67	-	-
207वीं श्रृंखला-7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,644.40	-	-
183वीं श्रृंखला-8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.23	3,028.00	3,163.54
182वीं श्रृंखला-8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.66	5,063.00	5,315.09
201वीं बी श्रृंखला-6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,360.02	-	-
204वीं ए श्रृंखला-6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.31	-	-
203वीं ए श्रृंखला-6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,142.50	-	-
202वीं ए श्रृंखला-7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,649.96	-	-
198वीं बी श्रृंखला-7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.70	-	-

समेकित संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
197वीं श्रृंखला—7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.76	-	-
189वीं श्रृंखला—7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.85	3,054.90	3,054.80
188वीं बी श्रृंखला—7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.08	1,100.00	1,100.07
192वीं श्रृंखला—7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,395.75	2,382.00	2,393.16
184वीं—ए श्रृंखला—8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय विमोचनीय	580.40	604.76	290.20	302.31
180वीं—बी श्रृंखला—8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,166.39	2,070.90	2,163.58
178वीं—श्रृंखला—8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,168.79	1,097.00	1,167.75
176वीं—श्रृंखला—8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.65	1,600.70	1,735.59
169वीं श्रृंखला—8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.52	2,554.00	2,621.29
168वीं श्रृंखला—8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,624.45	2,552.40	2,626.01
163वीं श्रृंखला—8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,627.99	2,500.00	2,628.20
162वीं श्रृंखला—8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.36	2,500.00	2,637.55
156वीं श्रृंखला—7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,612.72	3,533.00	3,614.64
147वीं श्रृंखला—7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.44	2,745.00	2,745.34
142वीं श्रृंखला—7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,055.87	3,000.00	3,056.26
140वीं श्रृंखला—7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,151.65	2,100.00	2,152.27
205वीं—बी श्रृंखला—5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,024.68	-	-
204वीं बी श्रृंखला—5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,116.78	-	-
203वीं बी श्रृंखला—5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,844.16	-	-
136वीं श्रृंखला—8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.10	2,585.00	2,671.22
95—II श्रृंखला—8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.61
94वीं श्रृंखला—8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.05
133वीं श्रृंखला—8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.28	2,396.00	2,452.91
201वीं ए श्रृंखला—5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.50	-	-
190वीं ए श्रृंखला—6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,513.83	2,500.00	2,523.03
131वीं श्रृंखला—8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.22	2,285.00	2,304.14
130वीं श्रृंखला—8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.14	2,325.00	2,493.00
129वीं श्रृंखला—8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.52	1,925.00	2,063.40
128वीं श्रृंखला—8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.67	2,250.00	2,418.53
186वीं बी श्रृंखला—7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.78	1,500.00	1,537.86
191वीं बी श्रृंखला—6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.18	1,100.00	1,107.13
180वीं ए श्रृंखला—8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,072.68	1,018.00	1,070.52
209वीं श्रृंखला—5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.62	-	-
205वीं—ए श्रृंखला—4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,157.04	-	-
202वीं बी श्रृंखला—5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,556.56	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपीपी—डी—7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	298.00	309.46	298.00	309.47
200वीं श्रृंखला पीपी—एमएलडी—5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	518.94	-	-
191वीं ए श्रृंखला—6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.06	1,100.00	1,106.95
195वीं श्रृंखला—6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.21	-	-
114वीं श्रृंखला—8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.94	4,300.00	4,666.58
188वीं ए श्रृंखला—7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.17	1,400.00	1,400.13
159वीं श्रृंखला—7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.57	950.00	957.40
187वीं श्रृंखला—7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.24	2,090.00	2,129.37
185वीं श्रृंखला—7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,759.00	2,816.25	2,759.00	2,816.83
155वीं श्रृंखला—7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,958.74	1,912.00	1,959.12

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
111-II श्रृंखला-9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.50	2,211.20	2,283.64
152वीं श्रृंखला-7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.18	1,225.00	1,264.12
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.56	300.00	311.56
150वीं श्रृंखला-7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.38	2,670.00	2,775.25
186वीं ए श्रृंखला-6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.63	2,500.00	2,559.27
107वीं श्रृंखला-9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.56	2,378.20	2,554.46
179वीं श्रृंखला-8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.70	1,000.00	1,065.61
167वीं श्रृंखला-8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.65	2,571.80	2,577.54
198वीं ए श्रृंखला-6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	2,596.00	2,600.39	-	-
173वीं श्रृंखला-8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.03.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,509.41	2,500.00	2,510.23
132वीं श्रृंखला-8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.81	700.00	750.72
145वीं श्रृंखला-7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.85	625.00	628.97
165वीं श्रृंखला-8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.16	2,171.00	2,207.50
193वीं श्रृंखला-6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	1,115.00	1,121.46	1,115.00	1,118.70
190वीं बी श्रृंखला-6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	2,489.40	2,502.64	2,489.40	2,511.05
177वीं श्रृंखला-8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	1,245.00	1,274.16	1,245.00	1,274.50
141वीं श्रृंखला-7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.03	1,020.00	1,038.00
127वीं श्रृंखला-8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.92	1,550.00	1,664.78
105वीं श्रृंखला-9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,069.73	3,922.20	4,070.07
139वीं श्रृंखला-7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.17	2,500.00	2,575.10
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-बी-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	300.00	311.58	300.00	311.57
101-III श्रृंखला-9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.42	3,171.80	3,364.34
100वीं श्रृंखला-9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,602.90	1,500.00	1,603.01
174वीं श्रृंखला-8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.23	2,720.00	2,894.03
161बी श्रृंखला-7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.11	800.00	849.01
154 श्रृंखला-7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.16	600.00	637.04
157वीं श्रृंखला-7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.66	1,055.00	1,131.47
158वीं श्रृंखला-7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	2,465.00	2,473.46
98वीं श्रृंखला-9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,012.79
153वां श्रृंखला-6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	-	-	2,850.00	2,899.77
97वीं श्रृंखला-8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	-	-	2,120.50	2,183.61
96वीं श्रृंखला-8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	-	-	1,150.00	1,193.96
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-ए-7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.63
149वीं श्रृंखला-6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,485.00	2,573.44
135वीं श्रृंखला-8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,750.00	2,817.12
144वीं श्रृंखला-7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	-	-	835.00	840.30
172वीं श्रृंखला-8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	-	-	1,790.00	1,884.21
134वीं श्रृंखला-8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	-	-	2,675.00	2,740.31
143वीं श्रृंखला-6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,275.00	1,289.46
148वीं श्रृंखला-7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,200.00	1,203.61
जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	169,856.60	175,707.24	148,650.20	153,672.91

*पीपी-एमएलडी- प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंकड डिबेंचर

**एसटीआरपीपी-सेपरेटेली ट्रांसफर्रेबल रिडीमएबल प्रिंसिपल पार्ट्स

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
(ii) अवसरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत
श्रृंखला-II (2011-12) – सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	21.36	11.07	19.80
श्रृंखला-I (2010-11) – सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	5.39	5.39
जोड़ – अवसरचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19

जारी किए गए अवसरचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
जोड़	11.07	11.07	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी – श्रृंखला II	-	-	250.29	250.14
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।				
जेडसीबी – श्रृंखला I	-	-	1,114.56	1,113.77
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।				
जोड़- जीरो कूपन बॉण्ड	-	-	1,364.85	1,363.91

*जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.20 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉण्ड-सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,205.14	2,007.20	2,261.58	2,035.23
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड-सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,307.71	2,956.72	3,392.37	2,982.46
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,675.24	3,672.19	-	-
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,675.24	3,703.43	3,769.30	3,795.87
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,777.81	4,784.36	4,900.08	4,900.27
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,145.33	5,209.90	5,277.01	5,329.61
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,675.24	3,726.60	-	-
3.068% यूएस \$400 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	-	-	3,015.44	3,021.12
जोड़- विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स –एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्वोरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई-आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्वोरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्वोरिटीज मार्केट(जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 1 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.6 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन

20.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	2,889.68

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
63वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	675.00	664.69
64वीं श्रृंखला – 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,250.00	2,224.99
जोड़	-	-	2,925.00	2,889.68

21 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72
(ii) वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
(iv) एफसीएनआर (बी) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89
(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
(vi) पट्टा देयताएं	0.05	0.05	2.12	2.12
उप-जोड़ (क)	66,763.35	66,969.87	52,682.32	52,829.83
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	10,186.52	10,201.99	2,754.86	2,755.92
(iii) धारक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,000.00	3,000.49	-	-
उप-जोड़ (ख)	18,515.62	18,537.49	8,710.35	8,720.83
कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) (क से ख)	85,278.97	85,507.36	61,392.67	61,550.66

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
भारत में/से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)				
(i) भारत में उधारियाँ	64,254.25	64,616.42	39,629.96	39,971.37
(ii) भारत से उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
कुल – उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)	85,278.97	85,507.36	61,392.67	61,550.66

21.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– बैंक ऑफ़ बड़ौदा	2,000.00	2,000.36	2,500.00	2,500.52
12.12.2021 को ₹958.50 करोड़ प्रतिदेय, 12.12.2022 को ₹1041.50 करोड़ प्रतिदेय				
– एचडीएफसी	4,650.00	4,664.47	2,000.00	2,000.42
24.02.2022 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.09.2022 को ₹650 करोड़ प्रतिदेय, 19.06.2023 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय एवं 15.01.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
– पंजाब नेशनल बैंक	4,396.84	4,396.84	2,399.87	2,399.87
3 वार्षिक किश्तों में ₹1,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.09.2021 को देय है, 8 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹399.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 01.10.2021 को देय है एवं 3 वार्षिक किश्तों में ₹1,996.99 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है।				
– स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	10,839.90	10,839.90	7,299.92	7,299.92
4 वार्षिक किश्तों में ₹1,839.97 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 05.09.2021 को देय है, 2 वार्षिक किश्तों में ₹3,999.93 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.10.2021 को देय है एवं 7 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है।				
– यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	3,399.34	3,399.34	2,199.99	2,199.99
6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,499.70 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 25.06.2022 को देय है, 6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,899.64 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 20.02.2023 को देय है।				
– केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00
28.02.2023 को ₹150 करोड़ प्रतिदेय, 29.02.2024 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.02.2025 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय				
– एचएसबीसी	1,652.50	1,652.77	-	-
19.05.2025 को ₹565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹187.5 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.03.2026 को ₹900 करोड़ प्रतिदेय				
– ड्यूश बैंक	500.00	500.08	-	-
18.12.2023 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
– जेपी मॉर्गन	1,500.00	1,500.00	-	-
26.03.2024 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.06.2023 को ₹800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 15.03.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 26.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण – 0.65% जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2021 को देय ही रही है	50.06	50.07	99.46	99.48
2.89% केएफडब्ल्यू-II ऋण – 30.12.2020 को प्रदत्त	-	-	64.60	65.03
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण – 30.03.2024 तक €5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.12.2020 को देय है।	317.22	317.87	393.41	393.52
उप जोड़ – (1)	367.28	367.94	557.47	558.03
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार की गारंटीकृत के बिना				
6 एम यूएसडी एलआईबीओआर +0.13% केएफडब्ल्यू – IV – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.11.2021 को देय है।	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
उप जोड़ – (2)	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस \$300 मिलियन– 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,205.14	2,216.83	-	-
यूएस \$425 मिलियन– 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,123.95	3,095.46	-	-
यूएस \$170 मिलियन– \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं \$70 मिलियन– 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,249.58	1,249.55	-	-
¥10,519 मिलियन– 25.09.2025 को प्रतिदेय	698.04	686.00	-	-
यूएस \$75 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	551.29	542.57	565.39	554.38
एसजी \$72.07 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	391.79	383.78	380.80	367.22
यूएस \$100 मिलियन– 01.07.2024 को प्रतिदेय	735.05	729.68	753.86	749.10
यूएस \$150 मिलियन– 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,102.57	1,085.82	1,130.79	1,104.53
यूएस \$250 मिलियन– 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,837.62	1,815.96	1,884.65	1,855.66
¥10,327.012 मिलियन–08.08.2023 को प्रतिदेय	685.31	673.06	719.28	700.98
यूएस \$250 मिलियन– 29.08.2023 को प्रतिदेय	1,837.62	1,831.68	1,884.65	1,877.67

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$150 मिलियन – 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,102.57	1,097.49	1,130.79	1,121.92
यूएस \$200 मिलियन – 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,470.09	1,461.67	1,507.72	1,494.21
यूएस \$230 मिलियन – 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,690.61	1,676.86	1,733.88	1,702.97
यूएस \$100 मिलियन – 05.10.2021 को प्रतिदेय	735.05	733.36	753.86	745.81
यूएस \$240 मिलियन – 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,809.26	1,793.23
यूएस \$160 मिलियन – 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,206.17	1,195.78
यूएस \$300 मिलियन – 01.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,261.58	2,260.75
यूएस \$300 मिलियन – 29.07.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,261.58	2,269.17
उप- जोड़ – (3)	19,416.28	19,279.77	19,984.26	19,793.38
जोड़ – विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29

(iv) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$135 मिलियन– \$60 मिलियन 04.09.2021 को प्रदत्त तथा \$75 मिलियन 22.10.2021 को प्रदत्त	-	-	1,017.71	1,020.89
जोड़ – एफसीएनआर (ख) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89

(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– नेशनल स्माल सेविंग फण्ड (एनएसएसएफ) से ऋण 13.12.2028 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81

21.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$200 मिलियन– 20.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,470.15	-	-
यूएस \$100 मिलियन– 30.12.2021 को प्रतिदेय	735.05	735.06	-	-
यूएस \$75 मिलियन– 15.11.2021 को प्रतिदेय	551.29	551.29	-	-
यूएस \$200 मिलियन– 30.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,472.31	-	-
यूएस \$75 मिलियन– 20.05.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.11	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$75 मिलियन— 22.04.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.09	-	-
यूएस \$140 मिलियन— 13.01.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,055.40	1,055.51
यूएस \$100 मिलियन— 21.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	753.86	753.92
यूएस \$100 मिलियन— 03.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	753.86	753.93
यूएस \$200 मिलियन— 21.09.2020 को प्रतिदेय	-	-	753.86	753.86
यूएस \$150 मिलियन— 20.05.2020 एवं 25.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	1,507.72	1,512.87
यूएस \$150 मिलियन— 20.05.2020 एवं 25.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	1,130.79	1,134.82
जोड़ —एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91

21.3 टिप्पणी संख्या 21.1 (i), (ii) तथा (v) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.15% से 8.29% मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय हैं।

21.4 टिप्पणी संख्या 21.1 (iii)(3) में विदेशी मुद्रा उधार के 1/3/6 माह के लिए अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेश की गई दर), 6 माह के लिए एसओआर (स्वैप ऑफर दर) बाहरी बेंचमार्क सहित 20 बीपीएस से 210 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

21.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज़ 123—I और 123—IIIB को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्यों के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011—12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्राड आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधार दाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012—13 और 2015—16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन कर मुक्त बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज़ XI, XII और XII को (क) उप-प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम — सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन कर मुक्त बॉण्ड की बॉण्ड सीरीज़ XIV को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधार दाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के वहन मूल्य के लिए नोट संख्या 10 और 16.2 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 199वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,127.54	-	-
(ii) 175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.45	2,151.20	2,151.86
(iii) 115वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,667.90	2,500.00	2,667.79
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं				
(i) भारत में उधारियाँ	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65

22.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारियां	क्रिसिल एएए, इक्रा एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएएआर, इक्रा पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बांड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, इक्रा ए1+, केयर ए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय-लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	237,269.11	85,507.36	6,946.89	329,723.36
घटाएं: भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(7,569.58)	(397.62)	(299.48)	(8,266.68)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय-लेखांकन मानक समायोजन	824.42	169.24	3.29	996.95
कुल बकाया उधारियां	230,523.95	85,278.98	6,650.70	322,453.63
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय-लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	219,918.25	61,550.66	4,819.65	286,288.56
घटाएं: भारतीय-लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,872.67)	(392.52)	(170.57)	(7,435.76)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय-लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियां	214,021.59	61,392.67	4,651.20	280,065.46

22.3 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एजेंसियों से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश	5.79	4.75
(ख) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज		
— परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	49.77	39.13
— बॉण्डों पर ब्याज	18.95	17.97
उप-जोड़ (ख)	68.72	57.10
(ग) सब्सिडी/अनुदान (संचयी) के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधिया	91,398.16	85,431.74
जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (वापसी का निवल)	28.96	31.96
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(90,098.93)	(83,642.93)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	1,328.19	1,820.77
(घ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	24,314.43	21,792.32
(च) निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	9.00	0.38
(छ) अन्य देयताएं	496.21	106.89
जोड़ (क से छ तक)	26,222.35	23,782.21

23.1 बांडों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹0.62 करोड़ (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹0.47 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

23.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. 0.71 करोड़ (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार रु. 0.69 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.69	0.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.06
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.71	0.69

23.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित "अन्य वित्तीय देयताओं" शीर्ष "असंवितरित सब्सिडी" के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

23.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	31.96	42.58
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित/समायोजित ब्याज	30.48	50.09
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	33.48	60.71
अंतिम शेष	28.96	31.96

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹2,500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,782.30) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 12)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्धवार्षिक	21/3/2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्धवार्षिक	24/3/2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्धवार्षिक	27/3/2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्धवार्षिक	28/9/2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्धवार्षिक	15/11/2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्धवार्षिक	22/1/2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्धवार्षिक	8/3/2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई –VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्धवार्षिक	25/3/2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई –IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्धवार्षिक	2/3/2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई –X श्रृंखला	8.25%	अर्द्धवार्षिक	26/3/2030	532.30	532.30
जीओआई –XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्धवार्षिक	31/3/2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई –XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्धवार्षिक	7/1/2031	1,000.00	-
जीओआई –XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्धवार्षिक	28/1/2031	1,000.00	-
जीओआई –XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्धवार्षिक	26/3/2031	500.00	-
जोड़				24,109.30	21,609.30

24. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	2,691.90	-
घटाएं: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(2,677.50)	-
चालू कर देयताएं (निवल)	14.40	-

25 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
अर्जित अवकाश देयता	18.57	16.22
चिकित्सा अवकाश देयता	20.91	21.87
निपटान भत्ता	1.89	1.60
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.13	4.25
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.02	1.89
प्रोत्साहन	47.92	52.57
लॉयल्टी बोनस	0.15	0.31
उप-जोड़ (क)	95.59	98.71
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	9.09	8.38
अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खाता	-	-
उप-जोड़ (ख)	9.09	8.38
जोड़ (क+ख)	104.68	107.09

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

25.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	8.38	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	0.75	8.38
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(0.04)	0.00
अंतिम शेष	9.09	8.38

25.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹2,608.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹951.29 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

26. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) अग्रिम रूप से प्राप्त आय	0.01	0.15
(ख) सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	5.07	6.57
(ग) पूंजी खाते के प्रति अदेय देयता	28.53	-
(घ) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	68.64	46.15
(ङ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	1.17	4.14
(च) सांविधिक देय	26.82	24.74
(छ) अन्य देयताएं	0.01	1.48
जोड़ (क से छ)	130.25	83.23

27. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक रु. 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

27.1 अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
अवधि के प्रारंभ में पूंजीगत शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़ें: अवधि के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
अवधि के अंत में पूंजीगत शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

27.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016-17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

27.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

27.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

(₹ करोड़ में)

शेयरधारकों के नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस करपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	167,255,577	8.47%	139,425,284	7.06%

27.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%

28 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	-	-
जोड़	5,584	558.40	-	-

28.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े/ (घटाये)	5,584	558.40	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,584	558.40	-	-

28.2 लिखत धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित तुलन पत्र की तिथि:

शेयरधारक का नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	-	0.00%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	-	0.00%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जारी किए गए बेमियादी ऋण लिखतों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	बांड्स की संख्या	आवंटन की तिथि	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
श्रृंखला 206	7.97%	5584	22/जनवरी/21	558.40	-

29. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	19,222.23	16,659.10
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,128.41	2,992.83
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आरईसी के अधीन आरक्षित निधि	3,804.00	2,131.00
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(573.16)	(1,719.38)
(vi) पूंजीगत आरक्षित निधि	4.70	4.70
(vii) सामान्य आरक्षित निधि	9,903.16	6,976.23
(viii) इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	-	793.29
(ख) बरकरार रखा गया अर्जन	4,606.01	3,674.25
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
- इक्विटी मेथड हेतु लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	(1.19)	(2.48)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	24.07	106.26
- नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	(165.61)	(226.08)
- हेजिंग रिजर्व की लागत	41.45	(204.75)
जोड़ - अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	41,230.61	33,421.51

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

29.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की हैं:

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान

- (क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) (सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹1,152.55 करोड़
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इम्पेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹793.29 करोड़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान

- (क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) (सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹378.41 करोड़

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 574 (ई) के अनुसरण में डिबेंचर मोचन रिजर्व (डीआरआर) से ₹1,367.27 करोड़

29.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	16,659.10	15,136.78
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,563.13	1,522.32
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	19,222.23	16,659.10

29.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधियाँ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,992.83	3,034.72
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	288.13	336.52
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,152.55)	(378.41)
वर्ष के अंत में शेष	2,128.41	2,992.83

29.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियाँ

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निबल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,131.00	1,153.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	1,673.00	978.00
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,804.00	2,131.00

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,236.54	2,236.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	2,236.54	2,236.54

29.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के परिशोधन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के परिशोधन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि परिशोधित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में परिशोधन किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(1,719.38)	(764.82)
जोड़े: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद लाभ/हानि(-)	437.65	(1,630.51)
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	708.57	675.95
वर्ष के अंत में शेष	(573.16)	(1,719.38)

29.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,976.23	5,230.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	981.10	-
जोड़े: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	1,152.55	378.41
जोड़े: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	1,367.28
जोड़े: इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	793.29	-
वर्ष के अंत में शेष	9,903.17	6,976.23

29.8 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निबल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2020 तक इम्पेयरमेंट रिजर्व आरक्षित के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	793.29	-
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	793.29
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(793.29)	-
वर्ष के अंत में शेष	-	793.29

29.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	106.26	136.88
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	160.52	(116.81)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(242.71)	86.19
वर्ष के अंत में शेष	24.07	106.26

29.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रपिठ संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह के हेजेज के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(226.08)	-
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	60.47	(226.08)
वर्ष के अंत में शेष	(165.61)	(226.08)

29.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(204.75)	-
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	246.20	(204.75)
वर्ष के अंत में शेष	41.45	(204.75)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.12 वर्ष के दौरान पूंजीगत आरक्षित निधि में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4.70	-
जोड़े: ईईएसएल में हिस्सेदारी में वृद्धि पर लाभ	-	4.70
वर्ष के अंत में शेष	4.70	4.70

29.13 वर्ष के दौरान इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम लेखांकन की अन्य व्यापक आय/(हानि) के हिस्से में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(2.48)	1.46
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	1.29	(3.94)
वर्ष के अंत में शेष	(1.19)	(2.48)

29.14 वर्ष के दौरान डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	1,318.13
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	49.15
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(1,367.28)
वर्ष के अंत में शेष	-	-

29.15 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,674.25	5,088.19
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	8,378.24	4,972.27
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(10.67)	(2.15)
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(0.05)	(0.12)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(981.10)	-
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(2,563.13)	(1,522.32)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(288.13)	(336.52)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(1,673.00)	(978.00)
घटाएं: डिबेंचर मोचन रिजर्व में हस्तांतरित	-	(49.15)
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	(793.29)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	242.71	(86.19)
घटाएं: मियादी ऋण लिखतों (करों का निवल) का निर्गम व्यय	(0.70)	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,172.41)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	(446.06)
वर्ष के अंत में शेष	4,606.01	3,674.25

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.16 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹ करोड़ में)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹ करोड़ में)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
कुल लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41

30. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	34,232.84	-	-	29,245.18	-
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.06)	-	-	(0.08)	-
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	34,232.78	-	-	29,245.10	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	69.98	-	-	177.23	-
उप-जोड़ (क)	-	34,302.76	-	-	29,422.33	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/आईसीडी पर ब्याज	-	-	-	-	0.21	-
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	7.16	-	-	1.89	-
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	18.34	195.30	-	3.14	169.75
(iv) अल्पावधि निवेशों पर ब्याज	-	3.90	-	-	-	-
उप-जोड़ (ख)	-	29.40	195.30	-	5.24	169.75
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	161.44	-	-	66.27	-
उप-जोड़ (ग)	-	161.44	-	-	66.27	-
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.70	-	-	4.45	-
(ii) मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.56	-	-	2.39	-
(iii) प्रतिभूति जमा की छूट को समाप्त करना	-	0.03	-	-	0.08	-
(iv) एसपीवी पर ब्याज	-	0.16	-	-	1.27	-
उप-जोड़ (घ)	-	4.45	-	-	8.19	-
जोड़ (क से घ)	-	34,498.05	195.30	-	29,502.03	169.75

31 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
-दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	27.97	36.94
जोड़-लाभांश आय	27.97	36.94

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

31.1 एफवीओसीआई में इक्विटी निवेशों पर लाभांश का विवरण

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
—वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	27.63	36.94
—वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.34	-
जोड़	27.97	36.94

32. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	26.57	6.68
पूर्व अदायगी प्रीमियम	35.14	12.75
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	33.67	19.52
जोड़— शुल्क एवं कमीशन आय	95.38	38.95

33. सेवा की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	156.98	166.80
आईटी कार्यान्वयन परियोजनाओं का निष्पादन	1.56	7.68
आरईसी से आय — यूई ग्राम परियोजना	5.01	7.63
प्रलेखन शुल्क	0.10	-
जोड़	163.65	182.11

34. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
—प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	2.77	6.38
—आयकर वापसी से ब्याज	1.00	2.85
—विविध आय	18.95	64.88
जोड़— अन्य आय	22.72	77.27

35. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
— भारत सरकार से ऋण	820.81	612.97
— बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,091.00	1,725.10
— बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	643.83	917.26
— पट्टा देयता	0.11	0.29
उप-जोड़ (i)	3,555.75	3,255.62
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
— घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	15,418.64	13,923.95
— विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,183.12	854.73
— वाणिज्यिक दस्तावेज	35.32	463.66
उप-जोड़ (ii)	16,637.08	15,242.34
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
— अधीनस्थ बॉण्ड	394.15	395.36
उप-जोड़ (iii)	394.15	395.36

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
– स्वैप प्रीमियम	894.62	108.83
– आय कर पर ब्याज	22.71	0.21
– कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	2.32	4.60
– विविध ब्याज व्यय	4.37	0.13
उप-जोड़ (iv)	924.11	113.77
जोड़ – वित्तीय लागतें	21,511.09	19,007.09
घटाएँ: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(22.04)	(15.79)
जोड़ – वित्तीय लागतें (निवल)	21,489.05	18,991.30

36. निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	330.26	2,357.90
जोड़	330.26	2,357.90

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹708.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹675.95 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का परिशोधन शामिल है।

36.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी / आईएनआर	जेपीवाई / आईएनआर	यूरो / आईएनआर	एसजीडी / आईएनआर
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342

37. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	-	13.29
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.78	1.51
(iii) एजेंसी शुल्क	3.01	1.66
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.33	3.05
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	2.83	5.93
जोड़ (i से v)	9.95	25.44

38. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर		
(ii) अन्य		
– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	545.92	(47.72)
– दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.43	6.40
– अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	23.98	15.47
उप-जोड़ (ii)	572.33	(25.85)
जोड़ (क)	572.33	(25.85)
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
– वसूली की गयी	1,077.91	(60.07)
– वसूली नहीं की गयी	(505.58)	34.22
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	572.33	(25.85)

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

39. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण *	-	2,363.33	-	884.91
(ii) – अन्य	-	82.61	-	34.58
कुल (i+ii)	-	2,445.94	-	919.49

* सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹0.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.38 करोड़) की राशि शामिल है।

40. प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	88.51	71.61
जोड़	88.51	71.61

41. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	119.67	145.83
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	13.96	15.49
– सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ संबंधी व्यय	4.87	5.07
– कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	2.19	1.58
– कार्मिक कल्याण व्यय	22.93	25.18
जोड़	163.62	193.15

42. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	8.12	8.48
– अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.74	3.29
जोड़	10.86	11.77

43. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	141.73	254.53
– ओवरहेड्स	4.54	4.76
जोड़	146.27	259.29

43.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है कि जिसके लिए आवश्यक है कि कोई भी चल रही अन्य परियोजना के अलावा कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जानी चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर ऐसी राशि का तीन वित्तीय वर्षों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। कंपनी को अधिनियम के तहत आवश्यकता से अधिक की किसी भी राशि को खर्च की जाने वाली राशि के खिलाफ तीन सकल वित्तीय वर्षों के भीतर समायोजित करने का अधिकार भी है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान, समूह ने कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर के लिए बजट के रूप में ₹146.27 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹150.31 करोड़ खर्च किए गए हैं। वर्ष के दौरान खर्च की गई ₹4.04 करोड़ की अतिरिक्त राशि को आगे स्थानांतरित किया जाएगा और अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों के लिए समायोजित किया जाएगा।

43.2 समूह द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली स्वीकृत सकल राशि ₹146.27 करोड़ है

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	146.27
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	150.31
अंतिम शेष*	(4.04)

* अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के प्रावधानों के बाद से अव्ययित निधियों के विशिष्ट उपचार की आवश्यकता वाले संशोधन नियम 2021 को चालू वर्ष से लागू किया गया है, तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

43.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	28.48	-	28.48	55.38	-	55.38
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	18.20	-	18.20	41.63	-	41.63
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	18.01	-	18.01	32.21	-	32.21
खेल-कूद	-	-	-	0.02	-	0.02
पीएम केयर फंड में योगदान	50.04	-	50.04	100.00	-	100.00
कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन/राशन का प्रावधान और कोविड-19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	7.75	-	7.75	1.59	-	1.59
अन्य	23.29	-	23.29	23.70	-	23.70
प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्च	4.54	-	4.54	4.76	-	4.76
जोड़ (ii)	150.31	-	150.31	259.29	-	259.29

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, समूह ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹150.04 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019-20 के दौरान और शेष ₹50.04 करोड़ का योगदान वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों, गरीब लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने के लिए ₹7.03 करोड़ और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली में कोविड-19 वैक्सीन को जमा करने के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए ₹0.72 करोड़ खर्च किए हैं। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

44. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	9.56	15.80
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	5.86	6.03
– मरम्मत और अनुरक्षण	12.61	12.38
– किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	16.87	15.12
– बीमा प्रभार	0.10	0.13
– संप्रेषण लागत	2.35	3.42
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.99	2.92
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.10	0.19
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.52	1.62
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	11.28	12.21
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	4.03	1.69
– मॉनिटरिंग व्यय	17.20	12.49
– विविध व्यय	26.91	46.41
जोड़	109.38	130.41

44.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क:		
– लेखापरीक्षक के रूप में	0.74	0.50
– कराधान मामलों के लिए*	0.26	0.13
– कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.26	0.35
– अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.40
(ii) प्रमाणन के लिए	0.04	0.06
– व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.04
उप-जोड़	1.40	1.48
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.12	0.14
जोड़- लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	1.52	1.62

* पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।

45. कर व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	2,698.02	1,579.79
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/(लाभ)	222.95	65.27
उप-जोड़ – चालू कर	2,920.97	1,645.06
– आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	(519.62)	412.65
जोड़	2,401.35	2,057.71

45.1 वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत शुरू की गई योजना के अनुसार कंपनी ने आकलन वर्ष 1997-98 से आकलन वर्ष 2017-18 अवधि से संबंधित पात्र आयकर विवादों के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चालू कर व्यय के रूप ₹208.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और हिसाब किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

45.2 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	10,779.59	7,029.98
सांविधिक आयकर पर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	2,713.01	1,769.31
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(645.09)	(383.14)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजनों	112.70	20.68
अन्य गैर-कटौती योग्य कर व्यय	6.16	1.94
गैर कर योग्य आय	(8.57)	(11.28)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	222.95	65.27
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	661.54
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अनंतिम व्यय का प्रभाव	-	(1.22)
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अवितरित लाभ पर कर का प्रभाव	-	(63.83)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम (जेवी) के लाभ पर कर का प्रभाव	0.50	(1.56)
इंड्रा ग्रुप रेवेन्यू रिवर्सल के कर का प्रभाव	(0.31)	-
कर व्यय	2,401.35	2,057.71

46. अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,378.24	4,972.27
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,378.24	4,972.27
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	1,974,918,000	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	42.42	25.18
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	42.42	25.18

47. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

47.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	29.67	0.22
(ख) कराधान मांग		
—आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	25.41	113.99
—कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.30	38.30
—सेवा कर के संबंध में की गई मांग	-	-
(ग) अन्य		
—बैंक गारंटी	38.49	30.78

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग/जीएसटी विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

47.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— पूंजीगत लेखों में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदा		
— संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	225.95	315.07
— अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	0.16	-
— अन्य प्रतिबद्धताएं		
— सीएसआर प्रतिबद्धताएं	260.85	291.44

48. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

49. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

49.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" — सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपये है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

49.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय 43,033 करोड़ रुपये होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

49.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटीयों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित रु. 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकनों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को सक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.4 प्रधानमंत्री की जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरी, खरीद, आपूर्ति, इरेक्शन, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के तहत वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त किया है।

49.5 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग योजना

विद्युत् मंत्रालय ने 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। यह स्कीम 66, 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व-संघारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न दावेदारों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है।

50. पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम रिटर्न देते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निवल ऋण	321,274.39	280,065.46
निवल कीमत	43,763.93	35,396.43
ऋण – इक्विटी अनुपात	7.34	7.91

निवल ऋण बकाया मूल कम नकद और उपलब्ध नकद समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

कंपनी निदेशक मंडल के शेयरधारकों के लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

50.1 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर-1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्तियों

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	
(i) सीआरएआर	19.72%	16.06%
(ii) सीआरएआर-टियर I पूंजी	16.31%	13.17%
(iii) सीआरएआर-टियर II पूंजी	3.41%	2.89%

टियर-II पूंजी की मियादी ऋण लिखत की राशि 1.44% (पिछले वर्ष शून्य) है:

वर्ष के दौरान जुटाई टियर-II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण	1,999.50	-
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	558.40	-

52. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्यवाही की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा-निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी दर्शाती है कि कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियों के राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पारिष्वक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./099/03.10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

52.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

52.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो एंटीटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकद समतुल्य	1,179.24	1,717.71
नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	2,223.58	2,257.45
ऋण *	358,891.11	299,697.53
ट्रेड प्राप्य	124.45	86.27
निवेश **	1,269.95	1,601.06
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	24,419.88	22,101.32
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	2,888.05	2,431.27
ट्रेड प्राप्य	55.32	52.01
(ii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण*	18,256.93	21,255.55
ट्रेड प्राप्य	46.80	33.60
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	88.53	30.85

*प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

**इसमें उल्लिखित इक्विटी निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई या एफवीटीपीएल पर लिया जाता है।

नकद और नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद और नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/ध्वंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

52.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियाँ (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

— **नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा)** — चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।

— **निवेश के लिए** — यह मानते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।

— **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** — ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	सकल वहन राशि	ईसीएल	निवल वहन राशि	सकल वहन राशि	ईसीएल	निवल वहन राशि
नकद एवं नकद समतुल्य		-	1,179.24	1,717.71	-	1,717.71
बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	2,223.58	-	2,223.58	2,257.45	-	2,257.45
निवेश	1,269.95	-	1,269.95	1,601.06	-	1,601.06
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ*		88.53	24,419.88	22,132.17	30.85	22,101.32

* हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ" पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।

52.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
- सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- (iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- (iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादन की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- (v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी नियमित रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
- (vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।
- (vii) अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है।
- (viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैं: आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग आदि, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांज़ीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

- ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)
- नियोजित पूंजी पर आय (15% भार)
- ब्याज कवरेज (25% भार)
- गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

- तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ
- वास्तविक चूक तिथियाँ
- परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण “स्टेज 1” के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को “स्टेज 2” में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे “स्टेज 3” में ले जाया जाता है।
- स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि हो।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेट किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों, समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) स्टेज 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

स्टेज –3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) स्टेज–3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

- (क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।
- (ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

- (i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- (ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(झ) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

बाह्य/मैप्ड क्रेडिट रेटिंग	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	27,188.09	-	-	27,188.09	37,832.86	-	-	37,832.86
एए	95,722.23	-	-	95,722.23	82,131.73	-	-	82,131.73
ए	92,972.07	1,421.82	-	94,393.89	71,840.30	-	-	71,840.30
बीबीबी	29,817.62	-	-	29,817.62	28,629.56	-	-	28,629.56
बीबी	61,131.32	-	-	61,131.32	60,555.15	36.22	-	60,591.37
बी	17,049.99	69.68	-	17,119.67	9,876.29	23.37	-	9,899.66
सी	28,532.47	-	-	28,532.47	2,215.02	29.68	-	2,244.70
डी	1,874.55	1,396.55	18,256.93	21,528.03	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55
सरकारी ऋण	4,602.77	-	-	4,602.77	6,616.62	-	-	6,616.62
सकल अनावरण	358,891.11	2,888.05	18,256.93	380,036.09	299,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35
हानि भत्ते	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
निवल अनावरण	357,608.65	2,746.62	6,465.62	366,820.89	299,209.07	1,467.44	10,703.42	311,379.93

(ज) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ट) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर-1 और स्तर -2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बढ़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बढ़े खाते में डालना।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तदनुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती हैं:

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78	(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(1,609.07)	(1.90)	1,609.07	1.90	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	-	-	(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92	-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	94,564.60	414.89	264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)
राइट ऑफ	-	-	(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)
अंतिम शेष	358,891.11	1,282.46	2,888.05	141.43	18,256.93	11,791.31	380,036.09	13,215.20

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	256,448.63	525.25	4,412.61	1,273.73	20,348.44	9,698.95	281,209.68	11,497.93
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	855.83
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	76,626.63	158.94
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)
अंतिम शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42

(₹ करोड़ में)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(ठ) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
कुल एक्सपोजर	358,891.11	2,888.05	18,256.93	380,036.09	299,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35
हानि भत्ता	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
ईसीएल:	0.36%	4.90%	64.59%	3.48%	0.16%	39.64%	49.64%	3.71%

(ड) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियों) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	156,901.95	12,035.54	147,021.68	11,122.97
नवीकरणीय ऊर्जा	17,388.24	117.88	9,163.65	161.31
ट्रांसकोज	61,309.37	502.51	49,658.96	503.89
डिस्कॉम्स	139,833.76	557.90	110,923.44	214.26
सरकारी ऋण	4,602.77	1.37	6,616.62	1.99
कुल	380,036.09	13,215.20	323,384.35	12,004.42
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	338,973.84	938.40	284,778.15	297.60
निजी	41,062.25	12,276.80	38,606.20	11,706.82
जोड़	380,036.09	13,215.20	323,384.35	12,004.42

(ढ) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.84%	6.59%

(ण) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	4.84%	6.59%
(ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.71%	3.32%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.78%	3.45%
(iv) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	21,255.55	20,348.44
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	38.22	2,037.61
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(2,789.74)	(752.09)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(247.10)	(378.41)
(च) अंतिम शेष	18,256.93	21,255.55
(v) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) प्रारंभिक शेष	10,703.42	10,649.49
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	34.59	691.40
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(4,272.39)	(637.47)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(च) अंतिम शेष	6,465.62	10,703.42
(vi) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संवलन		
(क) प्रारंभिक शेष	10,552.13	9,698.95
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,038.26	1,346.21
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(551.98)	(114.62)
(घ) वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(247.10)	-378.41
(च) अंतिम शेष	11,791.31	10,552.13

(त) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड-एस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2021 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 5.04% (पिछले वर्ष 6.60%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.99% (पिछले वर्ष 3.46%) रहा था।

(थ) राइट ऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपाश्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपाश्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए “इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें” के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को ऋणमोचित लागत पर मापा जाता है।

(ध) ऋणमोचित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

“कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित/पुनर्निर्मित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एस) 109 – वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता रद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे / निपटाए गए खातों की संख्या	1	1.00
सकल बकाया (₹ करोड़ में)	510.98	236.80
प्राप्त सकल राशि (₹ करोड़ में)	329.13	124.13

(न) कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(प) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्यू), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आरबीआई के कोविड-19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अधिदेय राशि
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97

वर्ष के दौरान, ऋणकर्ताओं में से एक मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड पुनर्गठित हुआ है और पुनर्चित अनुसूची के अनुसार देय को पूरा कर रही है। 31 मार्च 2020 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के एड-अंतरिम आदेश के कारण इसे ऋण क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

(फ) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या डी.ओ.आर. नं. बीपी.बीसी. 63/21.04.048/2020-21 के अनुसरण में आरबीआई परिपत्र कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसंपत्तियाँ वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियाँ, जहाँ अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	0	1460.22
(ii) संगत राशि जहाँ परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ बढ़ाया गया।	0	23.37
(iii) किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv) चूक के वर्ष के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

नोट— कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्यप्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि, नीचे नोट (य) में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों की गणना के लिए आरबीआई आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधानों पर विचार किया गया है।

(ब) आरबीआई की आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	356,273.17	357,285.43	1,273.37	356,012.06	2,304.84	(1031.47)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	-4.19
उप जोड़ (1)		359,161.22	360,210.67	1,414.80	358,795.87	2,450.46	(1035.66)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष तक	स्तर 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		18,203.40	18,203.40	11,770.46	6,432.93	9,879.96	1890.50
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए (2) के लिए उपजोड़		18,256.93	18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		377,418.15	378,467.60	13,206.11	365,261.48	12,351.27	854.84
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र*	स्तर 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़ (3)		2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
जोड़							
	स्तर 1	358,891.11	359,903.37	1,282.46	358,620.91	2,304.84	(1022.38)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
	स्तर 3	18,256.93	18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
	कुल	380,036.09	381,085.54	13,215.20	367,870.33	12,351.27	863.93

* इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	298,737.86	300,392.16	480.08	299,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		301,169.13	302,823.99	1,443.91	301,380.08	2,481.55	(1037.64)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष तक	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.30	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		19,200.72	19,200.72	10,066.00	9,134.71	10,095.18	(29.18)
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए (2) के लिए उपजोड़		21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.41	10,316.16	235.97
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		322,424.68	324,079.54	11,996.04	312,083.49	12,797.71	(801.67)
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र*	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप-जोड़ (3)		959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
जोड़							
	स्तर 1	299,697.53	301,351.83	488.46	300,863.37	1,779.27	(1290.81)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
	स्तर 3	21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.41	10,316.16	235.97
	कुल	323,384.35	325,039.21	12,004.42	313,034.78	12,797.71	(793.29)

*इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

52.1.4 ट्रेड प्राप्त के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

कंपनी आरईसीपीडीसीएल, आरईसी की एक सहायक कंपनी के ट्रेड प्राप्त के संबंध में ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन पर्यन्त ऋण हानियों का प्रावधान करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	124.45	22.85	32.47	46.80	226.57
प्रत्याशित हानि दरें	15.36%	19.04%	49.98%	100.00%	38.18%
प्रत्याशित ऋण हानि (प्रावधान)	19.12	4.35	16.23	46.80	86.50
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	105.33	18.50	16.24	-	140.07
31 मार्च 2020 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	71.77	50.3	16.48	33.60	171.88
प्रत्याशित हानि दरें	15.61%	23.85%	36.89%	100.00%	36.54%
प्रत्याशित ऋण हानि (प्रावधान)	11.20	11.93	6.08	33.60	62.81
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	60.57	38.10	10.40	-	109.07

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
52.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अत्यावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

52.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की वस्तुओं की ओर बहती है (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर प्रस्तुत) जो निम्नानुसार है:

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
नैऋत्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,813.29	204,062.23
— ब्याज	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,839.85	22,724.28	16,731.83	27,588.05	82,281.27
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90	10,000.00	58,925.15
— ब्याज	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69	2,293.36	2,653.21	12,227.90
अधीनस्थ देयताएं											
— मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
— ब्याज	-	-	-	201.50	162.21	-	192.96	1,107.77	704.25	1,375.22	3,743.91
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56	12,128.28	5,512.87	26,461.71
— ब्याज	-	-	-	220.52	64.14	194.94	485.15	1,841.77	670.06	395.99	3,872.57
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	-	551.29	551.29	45.31	12.51	6,797.99	8,043.62	4,575.17	5,776.64	26,353.82
— ब्याज	8.81	1.21	7.27	68.26	60.15	130.44	246.98	841.03	615.06	800.45	2,779.66
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वेप	-	-	-	-	-	0.00	29.88	343.06	30.71	0.00	403.65
मुद्रा स्वेप	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48	104.60	121.08
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वेप	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67	258.66	278.33
सीगल ऑप्शन	-	-	24.92	18.33	-	-	-	-	-	-	43.25

(₹ करोड़ में)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,147.32	91,405.81
— ब्याज	-	379.26	242.78	937.01	2,166.66	3,488.47	7,032.41	21,092.29	14,197.97	19,934.11	69,470.96
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	-	505.08	600.08	500.08	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	32,666.76
— ब्याज	244.00	15.01	83.73	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49	3,708.64	11,618.06
अधीनस्थ देयताएं											
— मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
— ब्याज	-	-	-	201.50	-	-	192.96	788.93	587.95	772.38	2,543.72
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ											
— मूल	-	-	-	-	-	-	3,015.44	-	13,946.39	5,653.95	22,615.78
— ब्याज	-	-	-	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85	642.18	4,429.95
अन्य उधारियाँ											
— मूल	-	-	-	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60	587.58	28,735.91
— ब्याज	22.35	1.76	20.98	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15	17.93	1,326.52
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वेप	-	-	-	-	-	-	58.63	190.17	337.26	-	586.06
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वेप	-	-	-	-	-	-	-	-	75.15	664.52	739.67
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न लिखत के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार											
— मूल	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,262.69	364,212.04
— ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	217,938.50
31 मार्च 2020 के अनुसार											
— मूल	29.56	13.40	547.04	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	163,572.36	310,428.64
— ब्याज	11.86	2.28	598.86	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	189,908.03

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

52.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार											
ऋण परिसंपत्तियां	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	9,451.43	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,808.04	365,261.49
निवेश			0.31	-	-	-	37.80	100.64	136.13	1,448.81	1,723.68
रूपी उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां		367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,242.92	46,217.54	44,490.29	75,720.46	211,208.71
अन्य उधारियां		350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	59,281.41
अधीनस्थ देयताएं		-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	6,946.89
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	26,060.40
अन्य उधारियां	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	26,225.95

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2020 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	29.56	13.40	547.04	306.00	3,638.03	8,565.24	15,889.84	63,791.10	55,014.93	164,288.36	312,083.50
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखांकन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.47	258.47
निवेश											
रूपी उधारियां							1,501.45	22.93	-	602.73	2,127.11
ऋण प्रतिभूतियां	-	426.00	694.17	712.47	7,589.45	14,788.18	21,131.97	57,816.85	36,641.24	58,053.36	197,853.69
अन्य उधारियां	-	-	507.08	600.08	826.89	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	32,985.57
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.47	-	-	2.11	-	2,499.33	2,149.74	4,819.65
विदेशी मुद्रा उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	106.20	66.41	63.61	2,994.65	-	13,849.28	4,984.41	22,064.56
अन्य उधारियां	13.00	1.21	17.17	572.29	611.79	4,032.85	8,471.94	6,567.71	7,689.56	587.57	28,565.09

52.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास आहरित उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
— स्थाई दर	5,547.28	8,780.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
— स्थाई दर	-	497.82

(₹ करोड़ में)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

52.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेंद्रण (उधारियाँ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	20	14
राशि (₹ करोड़ में)	182,250.87	125,850.36
कुल देयताओं का %	51.04%	40.38%

(ii) शीर्ष 10 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	10,839.90	3.36%	7,299.92	2.61%
2 भारत सरकार-नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.10%	10,000.00	3.57%
3 54 ईसी श्रृंखला XII (2018-19)	6,651.77	2.06%	6,651.77	2.38%
4 54 ईसी श्रृंखला - XIII (2019-20)	6,157.72	1.91%	5,759.14	2.06%
5 इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	5,800.00	1.80%	-	0.00%
6 विदेशी मुद्रा बॉण्ड - यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड	5,145.33	1.60%	5,277.01	1.88%
7 संस्थागत बॉण्ड - 182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.57%	5,063.00	1.81%
8 संस्थागत बॉण्ड - 203वीं ए श्रृंखला	5,000.00	1.55%	-	0.00%
9 विदेशी मुद्रा बॉण्ड - यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड	4,777.81	1.48%	4,900.08	1.75%
10 एचडीएफसी से आवधिक ऋण	4,650.00	1.44%	-	0.00%
11 संस्थागत बॉण्ड - 114वीं श्रृंखला	-	-	4,300.00	1.54%
12 54 ईसी श्रृंखला XI (2017-18)	-	-	9,565.23	3.42%
13 संस्थागत बॉण्ड - 105वीं श्रृंखला	-	-	3,922.20	1.40%
कुल	64,085.53	19.87%	62,738.35	22.40%

(iii) महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के आधार पर वित्त संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1. ऋण प्रतिभूतियाँ				
संस्थागत बॉण्ड	173,326.60	48.54%	152,120.20	48.81%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	7.41%	22,615.78	7.26%
54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जेंम्पशन बॉण्ड	18,121.59	5.07%	22,376.33	7.18%
टैक्स फ्री बॉण्ड	12,602.97	3.53%	12,602.97	4.04%
उप- जोड़ (1)	230,512.87	64.55%	209,715.28	67.30%
कमर्शियल पेपर	-	-	2,925.00	0.94%
जीरो कूपन बांड	-	-	1,364.85	0.44%
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड	11.07	0.00%	16.46	0.01%
2. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)				

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	8.38%	18,899.78	6.06%
विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	5.89%	21,762.71	6.98%
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	10,186.52	2.85%	-	-
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.80%	10,000.00	3.21%
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	1.62%	-	0.00%
एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	1.49%	6,973.20	2.24%
उप- जोड़ (2)	82,278.92	23.04%	57,635.69	18.49%
3. अधीनस्थ देयताएँ	6,650.70	1.86%	4,651.20	1.49%
जोड़ (1+2+3)	319,442.49	89.45%	272,002.17	87.28%

(iv) स्टॉक अनुपात:

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	20,849.39	6.47%	5.84%	5.20%	10,829.62	3.87%	3.48%	3.12%

*महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष/एकल लिखत/उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:

उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

- कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।
- उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी परिसमापन परिसंपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंच जाना चाहिए।

कंपनी 1 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक मासिक टिप्पणियों पर @50% की दर से एलसीआर बनाए रख रही है और उसके बाद प्रति दिन के आधार पर (तथापि आरबीआई ने केवल 01 अप्रैल, 2021 से प्रति दिन के आधार पर एलसीआर निर्धारित किया है)।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वेप बैलेंस के रूप में भारतीय रुपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और ऑटो स्वेप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2021 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एचक्यूएलए मदें	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	82%
— नकद और नकद समतुल्य	23%
— जी-सेक और एसडीएल	59%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	18%
— कॉरपोरेट बॉन्ड	18%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
कुल	100%

परिसमापन कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त तिमाही		31.03.2020 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	2,151.50	2,120.54	2,249.00	2,221.13
— एए/एएए कॉर्पोरेट बांड	206.39	175.43	185.81	157.94
— जी-सेक बांड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	483.29	483.29	345.69	345.69
— बैंक ऑटोस्वैप	1,461.82	1,461.82	1,717.50	1,717.50
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	11,720.66	13,478.76	10,418.50	11,981.28
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	2,193.98	2,523.08	1,970.25	2,265.78
कुल नकद बहिर्प्रवाह	13,914.64	16,001.84	12,388.75	14,247.06
नकदी अंतर्प्रवाह				
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	7,480.10	5,610.08	6,789.11	5,091.83
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	11,807.52	8,855.64	6,290.00	4,717.50
कुल नकदी अंतर्प्रवाह	19,287.63	11,760.86	13,079.11	9,809.33
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए		2,120.54		2,221.13
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह		4,240.98		4,437.73
परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)		50.00%		50.05%

*औसतन, 31.01.2021, 28.02.2021 को टिप्पणियों और मार्च, 2021 के दौरान दैनिक अवलोकनों पर विचार किया गया है।

52.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो और जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, अग्रवर्ती संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन-देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन-देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर \$	6,893.85	3,500.00	3,393.85	6,591.96	4,070.00	2,521.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	50,673.04	25,726.65	24,946.39	49,694.10	30,682.06	19,012.04
जापानी येन ¥	21,600.36	20,845.99	754.37	11,755.14	10,623.67	1,131.47
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,433.40	1,383.34	50.06	818.75	739.94	78.81
यूरो €	36.85	11.40	25.45	55.15	29.70	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	317.30	98.12	219.18	458.04	246.69	211.35
एसजीडी \$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.80	380.80	-
कुल	52,815.53	27,599.90	25,215.63	51,351.69	32,049.49	19,302.20

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन-हेज्ड एक्सपोजर पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (लाभ/हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	933.39	(933.39)	711.35	(711.35)
जापानी येन/भारतीय रुपया	1.87	(1.87)	2.95	(2.95)
यूरो/भारतीय रुपया	8.20	(8.20)	7.91	(7.91)

*अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है;

- क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
- अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।
- विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

हेज लेखांकन का प्रभाव (क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन पर प्रभाव (₹ करोड़ में)									
31.03.2021 के अनुसार		राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
जोखिम एवं हेज के प्रकार			परिसंपत्तियाँ	देयताएं					
नकदी प्रवाह हेज									
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम									
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं									
— सिंगुल स्ट्रक्चर		यूएसडी 2,595	1,458.96	43.25	अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32	-611.68	611.68
		जेपीवाई 20,846.12	198.23	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	-131.87	131.87
— कॉल स्प्रैड		यूएसडी 250	77.74	-	मार्च 2024	1:1	71.94	-93.51	93.51
(ii) क्रॉस मुद्रा स्वेप		यूएसडी 1,350	-	244.37	दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
		जेपीवाई 10,327.12	-	4.06	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
		एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
(iii) केवल मूल स्वेप		यूएसडी 375	-	121.08	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	7541.00%	-174.62	174.62
(iv) ब्याज दर स्वेप		यूएसडी 260	-	69.74	मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 के अनुसार जोखिम एवं हेज के प्रकार	राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियाँ	देयताएं					
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
— सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 1,410	1,494.84	-	मई 2020 - मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
	जेपीवाई 10,327.10	167.37	-	अगस्त 2023	1:1	0.62	10.30	(10.30)
— कॉल स्प्रैड	यूएसडी 250	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
(ii) क्रॉस मुद्रा स्वेप	यूएसडी 1,000	-	297.86	दिसंबर 2020 - मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
	जेपीवाई 10,327.10	-	5.28	अगस्त 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
	एसजीडी 72.08	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
(iii) ब्याज दर स्वेप	यूएसडी 1,260	5.24	134.45	जुलाई 2020 - जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
ख) लाभ एवं हानि पर हेज लेखांकन के प्रभाव

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
31-03-2021 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	-1065.12	-	580.30	विदेशी विनिमय परिवर्तन पर लाभ/ हानि
			179.56	वित्तीय लागत
31-03-2020 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				विदेशी विनिमय परिवर्तन पर लाभ/ हानि
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	55.30	0.13	(629.26)	
			0.03	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	(226.08)	-
जोड़े: विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आंतरिक मूल्यों में परिवर्तन	(625.61)	687.21
जोड़े: क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(52.32)	(174.20)
जोड़े: ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(1.12)	(185.90)
घटाएँ: पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	759.86	(629.23)
घटाएँ: उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(20.34)	76.04
अंतिम शेष	(165.61)	(226.08)
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	(204.75)	0.00
जोड़े: विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(386.06)	(382.41)
घटाएँ: समय मूल्य का परिशोधन	715.06	108.80
घटाएँ: उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(82.80)	68.86
अंतिम शेष	41.45	(204.75)

52.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी-सेक यील्ड/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, अग्रेषित ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अन-हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय रुपये करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपए उधारियाँ	35,738.58	-	35,738.58	19,899.78	-	19,899.78
अमेरिकी डॉलर \$	2,768.85	1,630.00	1,138.85	3,241.96	2,830.00	411.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	20,352.38	11,981.27	8,371.11	24,439.81	21,334.21	3,105.60
जापानी येन ¥	20,846.14	10,327.14	10,519.00	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,383.35	685.31	698.04	719.28	719.28	-
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.83	380.83	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	57,866.10	13,058.37	44,807.73	45,439.70	22,434.32	23,005.38

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध-स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय-समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरीयों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री-पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री-पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रुपी ऋण	363,580.03	312,065.92

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड एक्सपोजर पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि प्राप्ति (हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(167.65)	167.65	(86.08)	86.08
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,360.37	(1,360.37)	1,167.63	(1,167.63)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपयुक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

52.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग-अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर दर) और 6 माह एसओआर (स्वैप ऑफर दर) शामिल हैं। ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
1 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	1,690.61	230.00
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	5,512.85	750.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	13,148.92	1,788.85
6 मिलियन जेपीवाई एलआईबीओआर	1,383.35	188.20
6 मिलियन एसओआर	391.79	53.30
कुल	22,127.52	3,010.35

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 को घोषित किए गए अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगी और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा। चूंकि एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर दर) भी अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर से निर्धारित की जाती है, अतः यह भी 30 जून, 2023 से गैर-प्रतिनिधिकारक हो जाएगी।

i) ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे ही प्रभावित एक्सपोजर

ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल राशि 13,468.66 करोड़ रुपये है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से जुड़े व्युत्पन्न होने वाले एक्सपोजर की नाममात्र राशि और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित 4,752.33 करोड़ रुपये है।

ii) वैकल्पिक निर्धारण दरों में जाने की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर निर्धारण सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम-मुक्त दरों से बदल दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्वर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर का प्रतिस्थापन होगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज दर) जेपीवाई एलआईबीओआर की जगह लेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त सांविधिक निकाय है जो वैश्विक व्युत्पन्न सौदों को नियंत्रित करता है, सभी पुराने अनुबंधों को नए निर्धारणों में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (सामान्यतः फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) के साथ आया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत विभिन्न एलआईबीओआर निर्धारण के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से सभी प्रतिपक्षकारों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न ट्रेडों पर लागू हो जाएगा।

iii) ब्याज दर निर्धारण सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण अनुमान

इंड एस 109 में ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवादों का प्रावधान है। जबकि उल्लिखित ऋण के लिए निर्धारण अभी तक उधारदाताओं से सहमत नहीं हुए हैं, यह माना जाता है कि उल्लिखित ऋण की वैकल्पिक निर्धारण दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस तरह के परिणाम के रूप में व्युत्पन्न अनुबंध और बचाव प्रभावशीलता में इस सुधार के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं आता है।

52.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	21.51	(21.51)	25.68	(25.68)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	1.18	(1.18)	0.63	(0.63)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

53 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

53.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	25,035.68	29,056.52
(ii) हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	339.60	141.71
(iii) स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv) स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य	-64.05	-444.35

* आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

53.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में हिस्सा नहीं लिया है।

53.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
हेजिंग के लिए	27,599.89	32,049.49	25,035.68	29,056.52	4,547.00	4,347.00
(ii) मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
(क) परिसंपत्ति (+)	1,971.62	3,177.14	339.60	141.71	-	-
(ख) देयता (-)	164.33	-	403.65	586.06	278.33	739.67
(iii) क्रेडिट एक्सपोजर	4,854.40	5,559.58	574.96	346.42	632.05	602.05
(iv) अनहेजेड एक्सपोजर	25,215.63	19,302.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रेड शामिल हैं।

** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

*** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।

54 कंपनी पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

भारत, वर्तमान में भारत में मामलों की संख्या में काफी वृद्धि से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक हैं और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में केंद्रित हैं। वैश्विक लहरें बताती हैं कि विनिर्माण क्रियाकलाप पर प्रभाव कम विनाशकारी है क्योंकि टीकाकरण का कार्य गति पकड़ रहा है।

कंपनी के पास परिसमापन बफर

मजबूत ऋण प्रोफाइल और उधार के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण कंपनी ने अपनी परिसमापन की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण सीमा के रूप में पर्याप्त परिसमापन बफर लागू किए हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड-19 राहत पैकेज

भारत सरकार ने अपने कोविड-19 राहत पैकेज के भाग के रूप में, विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों के बकाया देयों को दूर करने के लिए आरईसी और पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से राज्य सरकार के गारंटीशुदा ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को परिसमापन निषेचन घोषित किया था। 15 मई 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने इस परिसमापन पैकेज के भाग के रूप में डिस्कॉमों को क्रमशः ₹67,083 करोड़ और ₹40,766 करोड़ पहले ही संस्वीकृत और संवितरित किए हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

कोविड-19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति का वर्गीकरण और आय की पहचान

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुसार और भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति लागू की है। कंपनी ने कुल राशि को वापस/समायोजित करने का अनुमान लगाया है और इस प्रकार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ब्याज आय ₹129.25 करोड़ तक कम है।

कंपनी का मानना है कि वैश्विक टीकाकरण में तेजी और कोविड के मामलों में धीरे-धीरे कमी से, व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाकलाप पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं, जिससे विद्युत की मांग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। आरईसी की सुविधाजनक परिसमापन स्थिति और धनराशि के विविध स्रोतों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें चल रहे चिंता मूल्यांकन भी शामिल हैं। तथापि, प्रभाव भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर रहेगा, जो अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई सूचना और सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई अथवा उसके प्रभाव को कम करने अथवा उसके फैलने को रोकने के लिए कंपनी के क्रियाकलाप शामिल हैं।

55 एक्सपोजर संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के एक समूह के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेद्वारा लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआरपीडी.सीओ.नं.2184/03.10.001/2015-16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को आरबीआई प्रूडेंशियल एक्सपोजर से अधिक नहीं रहा।

55.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2021 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2020 को शून्य)।

55.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युचुअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	711.47	778.40
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युचुअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii) अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युचुअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युचुअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युचुअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v) स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर	-	6.12
पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	711.47	784.52

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

55.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	228,371.07	184,741.84
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	60.51%	57.30%
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	342,453.58	288,397.43
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	62.28%	59.46%
(iii) क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण		
शीर्ष चार क्रेडिट – इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,489.02	8,618.52

56. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	1,758.79	1,766.92
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9	552.43	1,551.93
पर मापित निवेश*			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	11	430.13	513.55
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	11	209.65	1,558.53
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकद और नकद समतुल्य	6	1,179.24	1,717.71
बैंक शेष (नकद और नकदी समतुल्य के अलावा)	7	2,223.58	2,257.45
प्राप्य ट्रेड	8	140.07	109.07
ऋण परिसंपत्तियां	10	365,261.49	312,083.50
निवेश	11	1,083.90	55.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,419.88	22,101.32
जोड़		397,259.16	343,715.01
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	482.51	437.59
(i) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9	363.80	888.14
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
प्राप्य ट्रेड	0	61.51	46.15
ऋण प्रतिभूतियाँ	20	237,269.11	219,918.25
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	85,507.36	61,550.66
अधीनस्थ देयताएं	22	6,946.89	4,819.65
अन्य वित्तीय देयताएं	23	26,222.35	23,782.21
जोड़		356,853.53	311,442.65

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण-1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण-3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर; और प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	430.13	-	-	430.13	507.43	6.12	-	513.55
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	23.60	-	-	23.60	12.50	-	-	12.50
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	-	-	-	-	1,500.62	1,500.62
डिबेंचर	-	-	143.06	143.06	-	-	-	-
प्रेफरेंस शेयर	-	-	42.99	42.99	-	-	45.41	45.41
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	2,311.22	-	2,311.22	-	3,318.85	-	3,318.85
एफवीटीपीएल पर देयताएँ								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	846.31	-	846.31	-	1,325.73	-	1,325.73

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

- (क) **उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश-चरण 1** – सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।
- (ख) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखत-चरण 2** – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें अग्रेषित निविमय दरें, सविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अंतर्निहित उतार-चढ़ाव शामिल हैं।
- (ग) **उद्यम पूंजी निधि में निवेश-चरण 3** – उद्यम पूंजी निधि में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। निधि परिसमापन में जा चुकी है और वसूली योग्य मूल्य अनिश्चित है।
- (घ) **गैर – उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश-चरण 3** – यूनिवर्सल क्मोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण – 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।
- (ङ) **गैर उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश-चरण 3** – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझौते के अनुसार छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

- (च) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश—चरण 3** — एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।
- (छ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश—चरण 3** — आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

56.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेंस शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	कुल
आरंभिक शेष	1,500.62	45.41	-	-	-	1,546.03
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	149.56	-	-	149.56
समायोजन	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 में अंतरण	0.00	0.00	0.00	6.15	-	6.15
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	0.00
ब्याज आय	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	0.00	(6.15)	-	(14.83)
अंतिम शेष	-	42.99	143.06	-	-	186.05
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	-	10.57	12.42	(6.15)	(16.00)	0.84

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई	
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेंस शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	कुल
आरंभिक शेष	1,556.87	-	-	-	1,556.87
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	32.42	-	-	32.42
समायोजन	(224.50)	-	-	-	(224.50)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय	168.25	1.50	-	-	169.75
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49	-	-	11.49
अंतिम शेष	1,500.62	45.41	-	-	1,546.03
अवधि के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	0.62	12.99	-	(16.00)	(2.39)

अवधि के दौरान अमान्यकृत अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.4 के संदर्भ में

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,179.24	1,179.24	1,717.71	1,717.71
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,223.58	2,223.58	2,257.45	2,257.45
ट्रेड प्राप्य	140.07	140.07	109.07	109.07
ऋण	365,261.49	366,843.62	312,083.50	311,112.33
निवेश	1,083.90	1,096.95	55.03	62.13
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,419.88	24,421.76	22,101.32	22,097.09
कुल	394,308.16	395,905.22	338,324.08	337,355.78
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	61.51	61.51	46.15	46.15
ऋण प्रतिभूतियां	237,269.11	235,683.50	219,918.25	212,067.96
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	85,507.36	85,562.85	61,550.66	61,991.40
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	7,610.21	4,819.65	5,028.88
अन्य वित्तीय देयताएं	26,222.35	26,222.35	23,782.21	23,782.21
कुल	356,007.22	355,140.42	310,116.92	302,916.60

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल है, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूट वाले नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूट वाले नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूट वाले नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2021 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी-सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

पीएसयू बॉन्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉन्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी-सेक बांड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

57. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अवधि के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	0.01	0.15
अवधि के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	-	-
अवधि के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	0.14
अवधि के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	0.53	0.53
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	-	-

58. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

58.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 09 नवंबर 2020 से
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून 2020 से 8 नवंबर 2020 तक) और निदेशक (तकनीकी)
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी के नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 से
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई 2020 को निगमित)

फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)

राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (6 जून 2020 को निगमित)

बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (8 जून 2020 को निगमित)

सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (11 जून 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड (4 अगस्त 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड (20 अगस्त 2020 को निगमित)

रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (26 जून 2020 को निगमित की गई और 9 मार्च 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी)

(4) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैनुफैक्चरिंग (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी, यूएई

(5) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(7) वे कंपनियाँ जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

एनएचपीसी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

एसजेवीएन लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

(8) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:

(क) मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लोन	निदेशक (परियोजना) 31 मई 2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वित्त) (30 जून 2020 तक)
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त) (1 जुलाई 2020 से)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) और अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 से
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक 2 नवंबर 2020 तक
श्री राम चन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) – कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया और एमसीए के तहत भंग कर दिया गया
सूचना संख्या-आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके-7/10148 दिनांक 30.06.2020)

(ग) मुख्य धारक कंपनी की संबद्ध कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (समापन के लिए अनुमोदन के अधीन)

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – 13 मई 2020 को निगमित)

भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – 17 मई 2020 को निगमित)

बिजवाड़-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – बंद करने के अनुमोदन के अधीन)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से - 12 मई 2020 को निगमित, 25 मार्च 2021 को बेचा गया)
करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से 20 नवंबर, 2019 को निगमित)
खेत्री-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 15 मई 2020 को निगमित)
कोपल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से 18 नवंबर 2019 को निगमित)
शोंगटोंग करछम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से- हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 17 मई 2020 को निगमित)
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से - हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
वापी-II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से- 23 जून 2020 को स्टेरलाइट ग्रिड लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

(ड) धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास
पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007
पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(च) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

पीटीसी इंडिया लिमिटेड
भूटान में पुनात्संगछु-I, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
भूटान में पुनात्संगछु-II, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण

58.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3000.49	0
एसोसिएट्स		
एसोसिएट्स को ऋण	13.45	9.33
देय	0.08	0.68
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां - धारक कंपनी	19.90	19.90
अन्य वित्तीय देयताएं- भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- अन्य	9.00	0.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	4.21
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.10
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.28	0.33
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.54	0.92

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58.3 संबंधित पत्रकारों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	1,143.44
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.10	0.02
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,000.00	-
वित्तीय लागत	0.49	-
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	1.50	31.78
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	5.70
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
होलिडिंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	1.40
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.74	1.70
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.38	0.33
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	-	0.01
वित्त लागत	0.01	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.21	2.45
निदेशकों का बैठक शुल्क	-	0.17
अल्टिमेट होलिंग कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	-	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	90.00	152.49

58.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्मस लेंथ के आधार पर किये जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय बाजार की प्रचलित दर पर उठाया गया था। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में सहायक कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

58.5 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभांश	3.01	2.25
(ii) नियोजन पश्चात लाभांश	0.20	0.20
(iii) अन्य दीर्घावधि लाभ		-
कुल	3.21	2.45

चूँकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58.6 वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) से मांग पर प्रतिदेय ₹3,000 करोड़ की राशि का अल्प अवधि ऋण जुटाया है। ऋण 4% प्रति वर्ष की दर से लिया गया है, जो कंपनी द्वारा उठाई गई मांग पर अन्य अल्पावधि उधार/ऋण प्रतिदेय के साथ तुलनीय है। तब से वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि के संबंध में ऋण पूरी तरह से चुकाया गया है।

58.7 उसी सरकार (सरकार से संबंधित कंपनियों) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित कंपनियों की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन-देन:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड

भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम

नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित कंपनियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,837.27	1,437.18
ब्याज आय को मान्यता	2,178.00	2,139.65

सरकार से संबंधित कंपनियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ऋण परिसंपत्तियां	22,649.28	21,612.09
उपचित ब्याज	7.73	248.04

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12,21.2.(i), 23 और 35 देखें।

59 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

अल्पावधि पट्टों के अपवाद के साथ और कम-मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टे, प्रत्येक पट्टा तुलन पत्र पर एक सही-ऑफ्यूज परिसंपत्ति और एक पट्टा देयता के रूप में परिलक्षित होता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं हैं को प्रारंभिक माप के पट्टे की देयता और परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार से बाहर रखा गया है। कंपनी अपनी उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अनुरूप तरीके से वर्गीकृत करती है।

कंपनी को कार्यालय भवन, गोदाम, कार्यालय उपस्कर और संबंधित सुविधाओं के लिए पट्टे करने होते हैं। प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही-उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों में पट्टों के लिए कंपनी को उन परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में अपनी मूल स्थिति में परिसंपत्तियों को वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के संविदाओं के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

क. पट्टा देयता के मापन में पट्टा भुगतान शामिल नहीं है

पट्टे की देयता की मापन में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि पट्टा	15.48	12.84
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	-	0.02
अस्थायी पट्टा भुगतान	-	-
कुल	15.48	12.86

ख. पट्टे के लिए नकदी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि पट्टा	15.51	12.89
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	-	0.02
पट्टा देयता का भुगतान	0.81	0.88
कुल	16.32	13.79

ग. वर्ष के दौरान धारित राशि के पट्टा देयताएं एवं संचलन निम्न निर्धारित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	2.12	2.76
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	0.11	0.29
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.84)	(0.93)
पट्टा देयता का पुनर्मूल्यांकन	(1.34)	-
अंतिम शेष	0.05	2.12

घ. नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉन्टेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
1 वर्ष तक	0.02	1.00
1-5 वर्ष	0.04	1.43
5 वर्ष से अधिक	-	-

ङ. बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प

ऐसी कई पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं जिनके बारे में नीचे पुनः चर्चा की गई है।

कंपनी के कई पट्टे संविदा हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। पट्टा-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर बातचीत की जाती है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है।

पट्टों का विस्तार करने और समाप्त करने के विकल्पों पर विचार करते समय पट्टा अवधि निर्धारित करने के लिए कंपनी की अंतर्दृष्टि का उपयोग करने से लाभ हुआ है।

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, प्रबंधन उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो विस्तार विकल्प का उपयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं या किसी समाप्ति विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं। विस्तार विकल्प (या समाप्ति के विकल्प के बाद की अवधि) केवल पट्टा अवधि में तब ही शामिल किए जाते हैं जब पट्टे को यथोचित रूप से बढ़ाया जाना निश्चित होता है (या समाप्त नहीं किया गया होता है)।

यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है और जो पट्टेदार के नियंत्रण में होता है, तो मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

60.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की गई दर पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। विनिर्दिष्ट के अनुसार ब्याज दर के भुगतान में किसी तरह की कोई कमी पाए जाने पर कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी। अतः निकट भविष्य में कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाएगा।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹13.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.42 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

60.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है। उपदान की देयताएं वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती हैं।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	32.44	36.82
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.25	35.47
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	2.19	1.35

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	36.82	42.41	35.47	44.15	1.35	(1.74)
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.93	2.27	-	-	1.93	2.27
ब्याज लागत/आय	2.28	2.95	2.38	3.40	-0.10	-0.45
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	4.21	5.22	2.38	3.4	1.83	1.82
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.49)	1.82	-	-	(0.49)	1.82
– जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	-	-	-	-
अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.58	(0.89)	-	-	0.58	(0.89)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.33)	(0.41)	0.33	0.41
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	0.09	0.93	(0.33)	(0.41)	0.42	1.34
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	1.42	0.06	(1.42)	(0.06)
भुगतान किए गए हितलाभ	(8.68)	(11.74)	(8.69)	(11.73)	0.01	(0.01)
अंतिम शेष	32.44	36.82	30.25	35.47	2.19	1.35

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	151.69	136.42
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	144.06	140.64
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	7.63	(4.22)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	136.42	129.77	140.64	97.99	-4.22	31.78
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.90	2.80	-	-	2.90	2.80
ब्याज लागत/आय	8.94	9.73	9.45	7.55	-0.51	2.18
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	11.84	12.53	9.45	7.55	2.39	4.98
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
— वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.20)	18.85	-	-	(5.20)	18.85
— अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	19.94	(15.32)	-	-	19.94	(15.32)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	1.64	3.32	(1.64)	(3.32)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	14.74	3.53	1.64	3.32	13.10	0.21
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	0.08	31.78	(0.08)	(31.78)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.31)	(9.41)	(7.75)	-	(3.56)	(9.41)
अंतिम शेष	151.69	136.42	144.06	140.64	7.63	(4.22)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियाँ)/देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
—ईआरएस	4.13	4.25

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियाँ) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	4.25	3.69
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.16
ब्याज लागत/आय	0.25	0.26
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	0.45	0.42
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (लाभ)		
— वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.02	0.34
— अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.73	0.99
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	0.75	1.33
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.32)	(1.19)
अंतिम शेष	4.13	4.25

60.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को प्रकट करती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्यूच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन और नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	0.01	0.93	1.90	3.40
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड / डिबेंचर	-	-	142.16	137.24
अन्य – बीमाकर्ता का फंड एवं टी-बिल प्रबंधित	30.24	34.54	-	-
उप- जोड़ अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	30.24	34.54	142.16	137.24
जोड़	30.25	35.47	144.06	140.64

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹13.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.86 करोड़) है।

60.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2021 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	16.03	15.41	16.03	15.41	16.03	15.41

मूल अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

60.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित किया होगा।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
—उपदान	(0.90)	0.97	(0.77)	0.94
—पीआरएमएफ	(11.14)	11.66	(10.02)	10.48
—ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
—उपदान	0.14	(0.13)	0.14	(0.11)
—पीआरएमएफ	-	-	-	-
—ईआरएस	0.15	(0.14)	0.16	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
—पीआरएमएफ	10.83	(10.44)	9.74	(9.39)
चिकित्सा लागत (0.10% संचलन)				
—पीआरएमएफ	15.56	(14.92)	13.99	(13.42)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे के अलग होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह-संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविधिधकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

60.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
एक वर्ष से कम	7.87	11.95	12.20	9.89	1.19	1.26
1 से 5 साल तक	20.81	15.95	72.60	47.71	3.00	2.83
5 साल से अधिक	31.10	32.68	285.02	231.09	3.19	5.35
कुल	59.78	60.58	369.82	288.69	7.38	9.44

60.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	3.98	3.29	10.91	-	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.54 वर्ष है (31.03.2020 को - 12.57 वर्ष)।

60.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

60.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन पर होता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹4.55 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹8 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाली गई है।

60.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹0.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.93 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में नामे डाला गया है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को ईमानदारी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को देयों का भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। ₹0.20 करोड़ की राशि का व्यय (पिछले वर्ष ₹0.15 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाला गया है।

61. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटीटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटीटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) - जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटीयों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटीयों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।
- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।
- एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटीयों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटीयों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटीयों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटीयों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

62. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना; भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

62.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	34,364.47	29,441.76
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	33.67	19.52
(ग) अल्पावधि अधिशेष फंड के प्रबंधन से आय	185.42	81.95
(घ) सेवाओं की बिक्री से राजस्व	163.65	182.11
कुल	34,747.21	29,725.34

- 62.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

- 62.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

63 समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों हेतु विचारार्थ:

क कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां:

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	0%	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	100%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

ख. संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	स्वामित्व हित/समूह द्वारा धारित राशि का वहन	
		31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)*	भारत		
ओनरशिप इंटरैस्ट		22.18%	22.18%
धारित राशि **		257.74	258.47

*वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इन पर विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

**निवेश की उद्धृत कीमत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

ग सहायक कंपनियाँ

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	0.00%	100.00%
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन)	भारत	100.00%	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले बीदर कर्नाटक लाइन)	भारत	100.00%	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले गडग कर्नाटक भाग ए लाइन)	भारत	100.00%	-
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन)	भारत	100.00%	-
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन)	भारत	100.00%	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)*	भारत	100.00%	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड	भारत	100.00%	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड	भारत	100.00%	-
रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन)*	भारत	-	-

*इन एसपीवी को वर्ष के दौरान बेच दिया गया है।

नोट: उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा (संपार्श्विक) रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियाँ महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

घ इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम का लेखांकन

ईईएसएल की सारंशीकृत वित्तीय स्थिति:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
नकद एवं नकद समतुल्य	211.55	177.73
बैंक शेष (नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा)	526.60	409.41
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,726.54	3,564.63
उप – जोड़	4,464.69	4,151.77
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5,098.01	4,957.51
कुल परिसंपत्तियाँ	9,562.70	9,109.28
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8,215.53	7,554.35
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	213.33	373.84
कुल देयताएँ	8,428.86	7,928.19
निवल परिसंपत्तियाँ	1,133.84	1,181.09

* संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय स्थितियों के आधार पर

ईईएसएल का सारंशीकृत वित्तीय निष्पादन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
क. आय		
प्रचालनों से राजस्व	1,471.85	2,487.72
अन्य आय	58.43	87.80
कुल (क)	1,530.28	2,575.52
ख. व्यय		
वित्तीय लागतें	328.50	354.85
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	533.05	511.17
व्यापारगत माल की खरीद	245.98	1,051.86
मालसूचियों में परिवर्तन	23.93	59.39
अन्य व्यय	354.87	519.23
कुल (ख)	1,486.32	2,496.50
ग. इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों के परिकलित निवल लाभों/(हानियों) का हिस्सा	-	-
घ. कर पूर्व लाभ (क-ख+ग)	43.96	79.02
ड. कर व्यय	11.09	(3.32)
च. अवधि के लिए लाभ (ग-घ)	32.87	82.34
छ. अन्य व्यापक आय/(हानि)	(0.29)	(21.60)
ज. कुल व्यापक आय (च+छ)	32.58	60.74
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	-	2.10

* संयुक्त उद्यम के अलेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति के आधार पर

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की वहनीय राशि के लिए सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	1,211.05	874.58
अनुवर्ती लेखापरीक्षा के कारण संचयी आरंभिक समायोजन का प्रभाव	(33.99)	(4.65)
शेयर आवेदन राशि – समायोजित		
शेयर पूंजी में वृद्धि	-	308.12
अवधि के लिए लाभ	32.87	44.92
अन्य व्यापक आय (करों का निवल)*	(0.29)	(0.48)
जोड़ें: शेयर आवेदन लंबित आबंटन		
घटाएं: इक्विटी शेयर, करो के निर्माण के निगम पर लेनदेन लागत		
घटाएं: वितरित लाभांश	-	(9.49)
घटाएं: वितरित लाभांश कर	-	(1.95)
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	1,209.64	1,211.05
घटाएं: ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरणों में गैर-नियंत्रित ब्याज	(47.65)	(45.76)
मालिकों के कारण इक्विटी	1,161.99	1,165.29

* गैर-लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए संचालन किया गया है।

ईईएसएल में निवेश की वहनीय राशि में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार*	31 मार्च 2020 के अनुसार*
समूह हिस्सा%	22.18%	22.18%
निवल मूल्य में समूह का हिस्सा	257.74	258.47
वित्तीय विवरणों में निवेश की वहनीय राशि	257.74	258.47

ईईएसएस की आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार*	31 मार्च 2020 के अनुसार*
(क) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किये गये कंपनी के विरुद्ध दावे	नीचे नोट देखें*	78.76
(ख) कराधान मांग		
(ग) अन्य		
— लैटर ऑफ क्रेडिट		150.88
— बैंक गारंटी		249.98
कुल आकस्मिक देयताएं		479.62
अन्य निवेशकों के साथ सयुक्त रूप से वहन की गई सयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं का हिस्सा		106.38

*31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता का विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऊपर तालिका में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता के विवरण को उस वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर अद्यतन किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

64.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात् कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

एंटिटी के नाम	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.23%	43,426.37	99.10%	35,076.56
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.68%	297.99	0.48%	168.20
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	0.32%	112.61
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.59%	257.74	0.73%	258.47
संबद्ध कंपनियां – भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन)	-	0.05	-	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले बीदर कर्नाटक लाइन)	-	0.05	-	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले गडग कर्नाटक भाग ए लाइन)	-	0.05	-	-
फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन)	-	0.05	-	-
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन)	-	0.05	-	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)	-	0.05	-	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड	-	0.05	-	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड	-	0.05	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.50%	(218.77)	-0.62%	(219.61)
कुल	100.00%	43,763.93	100.00%	35,396.43

लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.80%	8,361.78	98.27%	4,886.16
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.31%	25.62	0.25%	12.47
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	1.09%	54.44
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-0.02%	-1.97	0.18%	9.14
संबद्ध – भारतीय				
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.09%	(7.19)	0.20%	10.06
कुल	100.00%	8,378.24	100.00%	4,972.27

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.73%	456.52	99.27%	(549.79)
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.27%	1.24	0.73%	(4.06)
सहायक कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-	-	-	-
कुल	100.00%	457.76	100.00%	(553.85)

कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.80%	8,818.30	87.21%	4,336.37
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.29%	25.62	0.25%	12.47
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.00%	-	1.09%	54.44
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-0.01%	(0.73)	0.10%	5.08
सहायक कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.08%	(7.19)	0.20%	10.06
कुल	100.00%	8,836.00	100.00%	4,418.42

65. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक शृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकद एवं नकद समतुल्य	1,179.24	-	1,717.71	-
(ख) बैंक शेष उपर्युक्त (ए) के अलावा	2,222.36	1.22	2,257.45	-
(ग) व्यापार प्राप्य	140.07	-	109.07	-
(ii) अन्य प्राप्य		-	-	-
(घ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	258.94	2,052.28	1,180.60	2,138.25
(ङ) ऋण	36,576.91	328,684.58	28,989.11	283,094.39
(च) निवेश	38.10	1,685.58	1,501.45	625.66
(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	280.26	24,139.62	466.59	21,634.73
कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	40,695.88	356,563.28	36,221.98	307,493.03

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	168.92	-	409.94
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2461.03	-	2,050.57
(ग) निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	260.70	-	156.97
(ङ) चल रहे पूंजीगत कार्य	-	335.67	-	287.62
(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	0.77
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	6.15	-	8.82
(ज) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	93.83	8.84	81.96	50.41
(झ) इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके निवेशों का लेखांकन	-	257.74	-	258.47
कुल – गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	93.83	3,499.83	81.96	3223.58
(3) बिक्री के लिए धारित रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां	14.05	-	9.53	-
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	40,803.76	360,063.11	36,313.47	3,10,716.61
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	73.13	773.18	58.63	1,267.10
(ख) व्यापार देय				
(I) व्यापार देय				
(i) एमएसएमई के कुल बकाया देय	0.01	-	0.15	-
(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	61.50	-	46.00	-
(II) अन्य देय				
(i) एमएसएमई के कुल बकाया देय	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	-	-	-	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	45,055.83	192,213.28	48,573.11	171,345.14
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	27,509.52	57,997.84	19,381.60	42,169.06
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	299.49	6,647.40	170.58	4,649.07
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,111.72	24,110.63	2,171.72	21,610.49
कुल – वित्तीय देयताएं (1)	75,111.20	281,742.33	70,401.79	241,040.86
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	14.40	-	-	-
(ख) प्रावधान	62.65	42.03	67.96	39.13
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	97.89	32.36	77.94	5.29
कुल – गैर-वित्तीय देयताएं (2)	174.94	74.39	145.90	44.42
(3) बिक्री के रखी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी देयताएं	0.08	-	0.68	-
कुल देयताएं (1+2+3)	75,286.22	281,816.72	70,548.37	241,085.28

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत पुनः समूहित किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 66 इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।
- 67 मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या . 3, 9, 10, 11, 22.1, 29.1, 48, 51, 52.1.3 (ओ), 52.1.3 (एस), 52.1.3 (टी), 52.2.2, 52.3, 53, 55, 58, 66, 68, 69 में किए गए हैं।
- 68 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है। हालांकि, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से अपने पत्र दिनांक 20 अगस्त 2020, 8 सितंबर 2020, 17 नवंबर 2020 और 15 फरवरी 2021 और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से अपने मेल के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त 2020 और 8 सितंबर 2020 को कुल ₹49,44,200 (जीएसटी सहित) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमों की निगमित प्रशासन आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन 2015 के लिए बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है।
- कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है।
- इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।
- 69 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- 70 जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।
- लेखा संबंधी 1 से 70 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

जे.एस. अभिताम
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय — कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, सीआईएन: L4010DL1969GOI005095

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी—व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा ग्राही कंपनी और जमा ग्राही कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक ये आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर/बॉण्ड्स:				
— प्रतिभूत	35,534.72	-	39,957.71	-
— अप्रतिभूत	209,508.98	-	182,833.33	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग) आवधिक ऋण				
— वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
— एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12	-	10,326.81	-
— बैंकों से अप्रतिभूत ऋण	29,953.76	-	18,900.72	-
— वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	5,800.00	-	1,000.00	-
(घ) अंतर — कारपोरेट ऋण और उधारियां	-	-	-	-
(च) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	-
(छ) अन्य ऋण	-	-	-	-
— विदेशी मुद्रा उधारियां	21,060.17	-	21,813.83	-
— एफसीएनआर (बी) ऋण	5,335.01	-	6,985.80	-
— अल्पावधि ऋण/मांग पर ऋण प्रतिदेय	10,201.99	-	2,755.92	-
— धारित कंपनी से अप्रतिभूत ऋण	3,000.49	-	-	-
— फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	0.05	-	2.12	-
— बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मांग पर प्रतिदेय ऋण				

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिसंपत्ति पक्ष:		
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	247,657.93	235,470.39
(ख) अप्रतिभूत	116,554.11	74,958.25
(3) निवेश:		
चालू निवेश :		
अनुद्धत:		
(i) शेयर: इक्विटी	23.60	12.50
अनुद्धत:		
(i) शेयर: (क) प्रेफरेंस	69.08	68.34
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	292.16	-
दीर्घावधि निवेश		
अनुद्धत:		
(i) शेयर: इक्विटी	430.13	507.43
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	259.63	1,532.72
अनुद्धत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	257.74	258.47
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें		6.12

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31 मार्च 2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	247,657.93	116,554.11
जोड़	247,657.93	116,554.11
31 मार्च 2020 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	235,470.39	74,958.25
जोड़	235,470.39	74,958.25

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बुक वैल्यू (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बुक वैल्यू (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) समान समूह की कंपनियां	257.74	257.74	258.47	258.47
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,723.68	1,723.68	2,127.11	2,127.11
जोड़	1,981.42	1,981.42	2,385.58	2,385.58

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	18,256.93	21,255.55
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	6,465.62	10,703.42
(iii) ऋण की संतुष्टि हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	349.28	54.60

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

 जे.एस. अमिताभ
 कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

 अजय चौधरी
 निदेशक (वित्त)
 डीआईएन-06629871

 संजय मल्होत्रा
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

 कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजी. सं. : 001135एन

 गौरव मित्तल
 भागीदार
 सदस्यता सं. : 099387

 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 28 मई 2021

 कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

 अतुल अग्रवाल
 भागीदार
 सदस्यता सं. : 092656

प्रपत्र एओसी – 1

वर्ष 2020-21 के लिए अनुषंगी कंपनियों/संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	
1 अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
2. संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न है	लागू नहीं
3. विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
4. शेयर पूंजी	0.09
5. आरक्षित एवं अधिशेष	297.90
6. कुल परिसंपत्तियां	662.79
7. कुल देयताएं	364.80
8. निवेश	91.06
9. टर्नओवर	184.69
10. लाभ/(हानि) कराधान से पूर्व	32.62
11. कराधान हेतु प्रावधान	7.00
12. लाभ/(हानि) कर पश्चात	25.62
13. प्रस्तावित लाभांश	-
14. शेयरधारिता का %	100.00%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं – शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है – शून्य

सबद्ध संस्थाओं का विवरण

भाग ख: संबद्ध और संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

संबद्ध संस्था का नाम	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	चटिल ट्रांसमिशन लिमिटेड*	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड*	फतेहगढ़ भादवा ट्रांसको लिमिटेड*	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड*	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	एमपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड* पैकेज I	एमपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड* पैकेज II	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड*	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
1 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31-मार्च-21	31-मार्च-21	31-मार्च-21	31-मार्च-21	31-मार्च-21	31-मार्च-20	31-मार्च-21	31-मार्च-21	31-मार्च-20	31-मार्च-20	31-मार्च-21	31-मार्च-21
2 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/ संयुक्त उद्यमों के शेयर संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
होलिंग की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3 महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	नोट 1 नीचे देखें											
4 संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेषधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	0.07	(2.15)	(2.09)	(0.67)	0.05	-	(1.92)	(1.87)	-	-	0.10	(0.54)
6 वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	0.02	(0.01)	(0.01)	(0.72)	(0.00)	(0.10)	(0.01)	(0.01)	(0.87)	(0.88)	0.05	(0.59)
i. समेकन में विचार गया**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. समेकन में नहीं विचार गया	0.02	(0.01)	(0.01)	(0.72)	(0.00)	(0.10)	(0.01)	(0.01)	(0.87)	(0.88)	0.05	(0.59)

* 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगी संस्थाओं (एसोसिएट्स) के लाभ/(हानि) के आंकड़े लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगी संस्थाओं (एसोसिएट्स) के लाभ/(हानि) के आंकड़े अलेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

** सहयोगी संस्थाओं (एसोसिएट्स) को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य बिक्री (बिक्री के लिए कम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

नोट: 1. समूह के पास 100% शेयर पूंजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और समूह के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से नियंत्रित करने की व्यावहारिकता नहीं है, अतः इन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

नोट: 2. एक सहयोगी नामतः रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड का 9 मार्च, 2021 को स्थानांतरण किया गया था।

संयुक्त उद्यम का विवरण

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31-मार्च-20
2 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर संख्या	218,100,000
संबद्ध/संयुक्त उद्यम @ में निवेश की राशि	218.10
होल्टिंग की परिसीमा (%)	22.18%
3 महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	22.18% को धारण करना और प्रबंधन में भागीदारी
4 संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं
5 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	250.51
6 वर्ष के लिए लाभ/(हानि)*	
i समेकन में विचारा गया	(1.97)
ii समेकन में नहीं विचारा गया	लागू नहीं

* ये आंकड़े 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

(1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं – शून्य

(2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है – शून्य

– एक सहयोगी नामतः रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड का 9 मार्च, 2021 को स्थानांतरण किया गया था।

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके पश्चात "होलिडिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) (होलिडिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों संलग्न की है जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणों (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणों और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणों और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और इस समय एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने ऊपर बताए हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।
2. हम कंपनी पर महामारी कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू कंपनी के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्यनिरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात् कुल परिसंपत्ति का 91.12% के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा विषय समझा गया है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने अन्य पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ऋण क्षति के मूल्यांकन और रिकवरी/निष्पादन पहलुओं के लिए उनकी मॉनीटरिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन। मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है। ऋण शेष राशियों की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्य नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है। ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। हम, अन्य पक्ष द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती है। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऐसे अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सीमित है। इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अन्य पक्ष की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को संशोधित करता है। हमने इस तरह के संशोधन के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुसरण में सुजित किए गए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंड (आईआरएसीपी) के संदर्भ में क्षति आरक्षित का सत्यापन।
2.	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन (लेखांकन नीति सं. 3.12 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 9 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर-भारतीय रूप नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। व्युत्पन्न को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रुमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। हेज अकाउंटिंग ने अपने लेखांकन/मान्यताओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए अनेक मापदंडों के साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन व्युत्पन्न पर बाजार लाभहानि के चिह्न को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है। जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन-देनों का उद्देश्य अध्ययन है और देखा गया है कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्न की मात्रा से अधिक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन व्युत्पन्न लेन-देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी से निपटान के लिए शेष/लंबित विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों को ब्योरा प्राप्त करना। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। प्रयुक्त मूल्यांकन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता की मूल्यांकन रिपोर्टों पर भरोसा करना तथा व्युत्पन्न लिखतों के लिए नमूना आधार पर उनकी जांच करना। हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की है जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3.	कोविड-19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं (समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 के संदर्भ में) कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 वायरस भारत सहित विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों की आर्थिक गतिविधि और अस्थिरता में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष और हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देश भर में कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे। चूंकि अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत/वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों की पहुंच बाधित हो गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा को संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ आयोजित किया जाना था। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है। लॉकडाउन और महामारी के गंभीर फैलाव के परिदृश्य में, जहाँ तक भौतिक पहुंच प्रतिबंधित थी कंपनी ने दूर रहकर लेखापरीक्षा पूरा करने की सुविधा प्रदान की। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम/ईमेल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के जरिए आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई, जिन पर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के संबंध में हमारे द्वारा भरोसा किया गया था। हमने निम्नानुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है: - हमें ईमेल के जरिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल/कांफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के अन्य संचार साधनों के माध्यम से संवाद एवं विचार-विमर्श के द्वारा पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना। - नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने का संपर्क करने के बजाय ईमेलों के जरिए/टेलिफोन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करना। - महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति, अन्य व्यावसायिकों अर्थात् क्षति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अन्य पक्ष एजेंसी, स्वतंत्र मूल्यांककों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि के कार्य/रिपोर्ट इत्यादि को प्रभावित कर सकती है और इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। - हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जिन जानकारी/स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, वें सब हमें कंपनी द्वारा मौखिक अभिकथन के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। - यहां बताए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, कंपनी के अभिलेख, जो गोपनीय हैं, भेजे गए हैं और यद्यपि, इस तरह के डेटा को एन्क्रिप्ट करके हमें बहुत सावधानी से बताया गया है, तथापि इस तरह के डेटा को अलग-अलग तरीकों से नुकसान की संभावना है। हमने कंपनी को इस संबंध में सूचित कर दिया है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल हैं, किंतु इसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

प्रबंधन और उनका दायित्व, जिन्हें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए शासन की जिम्मेदारी दी गई है

होलिडिंग कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित ("भारतीय लेखांकन मानक") कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी सहित इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, जो इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल हैं, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में

उल्लेख किए गए अनुसार होल्टिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में इन कंपनियों की वित्तीय सूचना अथवा व्यापार संबंधी क्रियाकलाप के बारे में सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई इस प्रकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई

अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई होलडिंग कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ-साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा **महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण खामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं,** के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य मामले

- (क) हमने अनुषंगी कंपनियों तथा जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 के अनुसार ₹662.79 करोड़ (31 मार्च 2020 के अनुसार ₹570.19 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹184.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹222.17 करोड़) के कुल राजस्व और ₹-0.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.63 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में, ₹25.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹66.91 करोड़) तथा कुल व्यापक आय ₹25.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹66.91 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
- (ख) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचार किए गए अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए ₹-1.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.14 करोड़) के कर पश्चात निवल लाभ और ₹-0.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.08 करोड़) की कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का शेयर भी शामिल है। वित्तीय सूचना हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक इसका संबंध राशियों और खुलासों जिसे संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के मामले में शामिल किया गया है, से संबंधित हो और साथ ही इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और उप धारा (11) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध ऊपर में उल्लेख किए गए संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी से संबंधित हो, मुख्य रूप से ऐसी वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में इस संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में शामिल किए गए निवल लाभ और कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का हिस्सा और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रायित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने उन समस्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।
 - (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।
- (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।
- (छ) समूह का समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, **"अनुबंध-क"** में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा
- (ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।
- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर;
- (i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 47.1 के संदर्भ में;
- (ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के व्युत्पन्न ढेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ढेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;
- (iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 099387
यूडीआईएन : 21099387एएएईए8358

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएसीआर5923

आरईसी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होलिडिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होलिडिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

- (3) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2021 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुसूची रिपोर्टों के आधार पर है।

वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जहां तक इसका संबंध संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी से हो जो भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसकी वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, की समुचितता और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट तथा इस समूह की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचितता और कार्यचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के बारे में हमारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित इस कंपनी के बारे में शामिल किए गए समूह के निवल लाभ का हिस्सा (जिसमें व्यापक आय शामिल है) और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 099387
यूडीआईएन : 21099387एएएईए8358

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएसीआर5923

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पठित धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनकी द्वारा दिनांक 28 मई, 2021 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने आरईसी लिमिटेड, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड, दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड और मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुबंध में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(डी. के. सेकर)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (एनर्जी),
दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई 2021

अनुबंध

आरईसी लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

(क) सहयोगी कंपनियाँ:

1. बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड
3. गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड
6. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड
7. राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
8. सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

(ख) संयुक्त उद्यम:

1. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

आरईसी के कार्यालयों के पते

क्रम. सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	टेलीफोन / फ़ैक्स नंबर	ई-मेल आईडी
1	पंजीकृत कार्यालय	सम्पूर्ण भारत	नई दिल्ली	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	+91-11-4309 1500 +91-11-4309 1501 +91-11-2436 0644 (फ़ैक्स)	contactus@recl.in
2	कारपोरेट कार्यालय	सम्पूर्ण भारत	गुरुग्राम	प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर 29 गुरुग्राम, हरियाणा - 122001	+91-124- 4441 300	contactus@recl.in
3	क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात और दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	मुंबई	51-बी, मित्तल टावर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	+91-22-2283 0985 +91-22-2283 3068 +91-22-2283 3055 +91-22-2283 1004 (फ़ैक्स)	zmmumbai@recl.in
4		राज्य कार्यालय (गुजरात और दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव)	वड़ोदरा	प्लॉट संख्या 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वड़ोदरा-390023	+91-265-2397 487 +91-265-2397 652 (फ़ैक्स)	povadodara@recl.in
5	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	पंचकुला	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	+91-172-2563 864 +91-172-2563 822 +91-172-2563 863 +91-172-2580 476 +91-172-2567 692 (फ़ैक्स)	popanchkula@recl.in
6		राज्य कार्यालय (हिमाचल प्रदेश)	शिमला	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	+91-177-2653 411 +91-177-2804 077 (फ़ैक्स)	poshimla@recl.in
7	क्षेत्रीय कार्यालय (जम्मू एवं कश्मीर)	जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख	जम्मू	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	+91-191-2450 800 +91-191-2450 868 (फ़ैक्स)	pojammu@recl.in
8	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व)	असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश	गुवाहटी	“श्रद्धा” एम जी पथ जी एस रोड, क्रॉसिंग (सोहुम / एसबीआई प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहटी-781005	+91-361-2343 713 +91-361-2343 712 (फ़ैक्स)	poguwahati@recl.in
9	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	19/8 इंदिरा नगर एक्सटेंशन, रिंग रोड, लखनऊ-226016	+91-522-2716 324 +91-522-2717 376 +91-522-4074 944 +91-522-2716 815 (फ़ैक्स)	zmlucknow@recl.in
10		उप-कार्यालय (उत्तर प्रदेश)	वाराणसी	एन-8/239 जे, नेवादा, सुंदरपुर, क्षीर सागर के पास वाराणसी-221005	+91-522-2716 324 +91-522-2717 376 +91-522-4074 944 +91-522-2716 815 (फ़ैक्स)	zmlucknow@recl.in
11	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तराखंड)	उत्तराखंड	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	+91-135-2650 766 +91-135-2650 799	sodehradun@recl.in
12	क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	भोपाल	हाल नं. 3, वेस्ट ब्लॉक, दूसरा तल, मेट्रो वाक, बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016	+91-755-2460 006 +91-755-2460 008 (फ़ैक्स)	recbhopal@recl.in

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

क्रम. सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	टेलीफोन / फ़ैक्स नंबर	ई-मेल आईडी
13	क्षेत्रीय कार्यालय (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	रायपुर	एफ-6 एवं एफ-7 ब्लॉक बी-1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंचपेडी नाका, रायपुर-492001	+91-771-2241 055 +91-771-2241 055 (फ़ैक्स)	recraipur@recl.in
14	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	कोलकाता	आईबी-186, सेक्टर-III साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106	+91-33-2335 6989 +91-33-2335 6994 +91-33-2332 6998 +91-33-2335 6900 (फ़ैक्स)	zmkolkata@recl.in
15	क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान)	राजस्थान	जयपुर	जे-4-ए झालाना, रूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	+91-141-2707 840 +91-141-2700 161 +91-141-2706 986	pojaipur@recl.in
16	क्षेत्रीय कार्यालय (केरल)	केरल, लक्षद्वीप	तिरुवनंतपुरम	ओ-5, चौथा तल, "सफालयम" कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरुवनंतपुरम-695034	+91-471-2328 662 +91-471-2328 579 (फ़ैक्स)	potrivandrum@recl.in
17	क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई	नं. 12 एवं 13, टी.एन.एच. बी. कॉम्प्लेक्स, 180 लूज चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई-600004	+91-44-2467 2376 +91-44-2498 7960 +91-44-2467 0595 (फ़ैक्स)	pochennai@recl.in
18	क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)	कर्नाटक, गोवा	बंगलुरु	नं 1/5, रोड, हलासुरु रोड, बंगलुरु-560042	+91-80-2559 8244 +91-80-2555 0240 +91-80-2559 8035	pobangalore@recl.in
19	क्षेत्रीय कार्यालय (तेलंगाना)	तेलंगाना	हैदराबाद	आरईसीआईपीएमटी परिसर एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली आरामघर एक्स रोड के पास हैदराबाद-500052	+91-40-2980 5034 +91-40-2980 4520 +91-40-2980 6745 +91-40-2988 6745	zmhyderabad@recl.in
20	क्षेत्रीय कार्यालय (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	54-15-13, बीएसआर हिल व्यू, दूसरा तल श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा-520008	+91-866-2973 405 +91-866-2973 406 (फ़ैक्स)	recro-vijay@recl.in
21	क्षेत्रीय कार्यालय (ओडिशा)	ओडिशा	भुवनेश्वर	दीनदयाल भवन, 5वां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	+91-674-2393 206 +91-674-2536 649 +91-674-2536 669 (फ़ैक्स)	pobhubaneswar@recl.in
22	क्षेत्रीय कार्यालय (बिहार)	बिहार	पटना	'मौर्य लोक' कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक- सी, चौथा तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना- 800001	+91-612-2224 596 +91-612-2221 131	popatna@recl.in
23	क्षेत्रीय कार्यालय (झारखंड)	झारखंड	रांची	101 और 104, ओम श्री इक्लेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड, हिन्दू रांची-834002	+91-651-2253 123 +91-651-2251 320 (फ़ैक्स)	poranchi@recl.in
24	प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, एनपीए पोस्ट, आरामघर एक्स रोड के पास, हैदराबाद-500052	+91-40-2988 5851 +91-40-2980 8583	recipmt@recl.in

यह पृष्ठ इरादतन खाली छोड़ा गया है।



आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टेली.: +91-11-4309 1500/1501

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट न. आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001

टेली.: +91-124-444 1300

ईमेल: contactus@recl.in

वेबसाइट: www.recindia.nic.in



@reclindia

REC Limited